खण्ड-425, अंक-2
सोमवार, 15 आषाढ़, शक संवत् 1920
(6 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 425 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1-69
विधायक निवासों में बिजली तथा पानी की किल्लत से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न	70-71
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	71-72
गायत्री विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रिसिया, बहराइच की प्रबन्ध समिति एवं प्राचार्य द्वारा कथित वित्तीय घोटाला आदि के लिये नियुक्त जांच अधिकारी की रपट पर कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
जनपद बदायूं के बिल्सी क्षेत्रान्तर्गत अवशेष बारह गांवों में विद्युतीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक जामों एवं संग्रामपुर में इन्दिरा आवास/शौचालयों में कथित धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
बागपत जनपद में कतिपय मार्गों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई किसानों की जमीन का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के रैपुरा गांव में गुन्ता बांध टूट जाने से प्रभावित छब्बीस परिवारों को अनुदान राशि का भुगतान कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद बलिया के अन्तर्गत हल्दी रामपुर मौजा के अन्तर्गत छपिया एवं डूहां छिहरा के बालखण्डी मठ के पास घाघरा नदी के भीषण कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
भारत सरकार की भांति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टेन्ट डेकोरेटर व्यवसाय से सेवाकर की समाप्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	75
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	75
उ०प्र० विधान सभा में आय-व्ययक पर अनुदानवार चर्चा हेतु कम समय दिये जाने के कारण बजट की समितियां गठित करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	75-82
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें ...	82-105
वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	105-150
वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक पर मतदान, अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20_कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग), अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	151-152
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित) ...	152-157
सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच से संबंधित श्री बाल चन्द्र मिश्र के प्रस्ताव संबंधी चर्चा का स्थगन	157
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	158

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्साधिकारियों (पुरुष) के विषय में विभागीय चयन समिति द्वारा किये गये चयन में ज्येष्ठ चिकित्साधिकारियों के प्रोन्नति से वंचित रह जाने से उनमें व्याप्त असंतोष के संबंध में डा० राम बाबू हरित की नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री श्री रमापति शास्त्री का वक्तव्य	158-159
जनपद अम्बेडकर नगर की नगर-परिषद् टाण्डा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस डिपो खोले जाने के संबंध में श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री "पटेल" राम कुमार वर्मा द्वारा केवल वक्तव्य	159
जनपद आजमगढ़ में मेंह नगर विकास खण्ड स्थित उप विद्युत केन्द्र कन्हरिया पर 3 एम०बी०ए० ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 एम०बी०ए० ट्रांसफार्मर लगाये जाने के संबंध में श्री राम जग, स०वि०स० की नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री "पटेल" राम कुमार वर्मा द्वारा केवल वक्तव्य ...	160

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 6 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक बाजपेई, डा०	हरदोई
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर
के० सी० सिंह, "बाबा"	उधमसिंह नगर
कौकब हमीद, श्री	मेरठ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
जय नारायण तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
मंजू, श्रीमती	बलिया
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुराद लारी, श्री	देवरिया
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर	प्रतापगढ़
रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राजाराम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
रिक्त	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 6 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़ाये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना आयी है, शलाका में भी आ गई है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नीलगायों से किसानों की फसलों को हो रही क्षति को रोकने की मांग

**1–श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री समर पाल सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नीलगायों से किसानों के फैसल को काफी क्षति पहुंच रही है ? यदि हां, तो मंत्री जी नीलगायों से हो रही फसलों की क्षति को रोकने के लिये क्या कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

प्रदेश में वनरोजों (नीलगायों) द्वारा फसलों की क्षति पहुंचाने की सूचनायें प्राप्त होती रहती हैं । कृषि हेतु हानिकारक वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने के लिये राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जिलाधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी घोषित कर दिया गया है । इसके अनुसार प्रभावित कृषक जिलाधिकारी से अनुमति लेकर संबंधित वनरोज को नष्ट कर सकते हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के प्रश्नों को समझते हैं । वन मंत्री जी इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, मैं समझता हूं कि यह प्रश्न समय-समय पर विगत कई वर्षों से आता रहा है लेकिन जैसे पहले उत्तर आते थे, वैसे ही विभाग द्वारा उत्तर आ रहा है, एक शब्द भी अन्तर नहीं है । आज से 5-10 साल पहले उस समय जो नीलगायों की संख्या थी, आज उससे कई गुने बढ़ गई है । 425 विधान सभा क्षेत्र हैं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां सैकड़ों हजारों नीलगायें न हों । मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार उत्पादन बढ़ाना चाहती है जिसके लिये खाद, बीज, कीटनाशक दिये जाते हैं और दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में नीलगायों द्वारा हजारों एकड़ फसल क्षतिग्रस्त हो रही है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि नीलगायों द्वारा फसलों की क्षति पहुंचाने की सूचनायें प्राप्त होती रहती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने एकड़ फसल को क्षति पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है । दूसरे मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जिलाधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है । इसके अन्तर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों ने कितने किसानों को अनुमति दी है ? उनके प्रार्थना-पत्रों पर नीलगायों को नष्ट करने के लिये ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय पाल जी से अनुरोध करूंगा कि पहले तो श्रीमन्, नीलगाय जो है वह गोवंश में नहीं आती । यह बार-बार नीलगाय कहकर समस्या को और गहरा कर देते हैं । श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करूंगा और खासतौर से पाल साहब, आप यह प्रचार करें और हमारा सहयोग करें कि यह नीलगाय वनरोज है गोवंश में नहीं आती है तो इसको नष्ट करने में हमको जनता का बहुत बढ़ा सहयोग मिल सकता है । यह मेरी जो भावना है कि इससे मान्यवर, आप भी सहमत होंगे लेकिन जब हमारे जन-

प्रतिनिधि ही इसको नीलगाय कह रहे हैं तो कैसे होगा ? दूसरा यह सवाल कि कितने क्षेत्रफल का नुकसान हुआ है । हमने स्वीकार किया है कि वनरोज से नुकसान होता है । जिलाधिकारियों को वनरोज किसानों का नुकसान न करें, को नष्ट करने के लिये हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार से अधिकार प्राप्त हैं कि जो भी कास्तकार जिनके यहां क्षति होगी वे प्रार्थना-पत्र देंगे तो जिलाधिकारी उनको वनरोज नष्ट करने के लिये एक अनुमति प्रमाण-पत्र प्रदत्त करेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

पहले मेरा पूरा उत्तर सुन तो लें, आपका कहना है कि कितने डी०एम० के यहां से शासन को सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे यहां इतने क्षेत्रफल में क्षति हुई है । इस संबंध में मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी काश्तकार सूचना देता है, वह यही देता है कि हमारे क्षेत्र में वनरोज द्वारा फसल का नुकसान हुआ है । कितना हुआ है इस प्रकार की कोई सूचना नहीं रहती है । इसलिये आप जो यह कह रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहते हुये एक प्वाइंटेड प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी की नीयत साफ हो तो इसको स्पष्ट करें । माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी कोई सूचना नहीं आती कि कितने लोगों ने डी०एम० को सूचना दी है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को अनुमति पत्र दिये गये हैं, वनरोजों को समाप्त करने के लिये । दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम विधायक वनरोज को नीलगाय कह रहे हैं । मान्यवर, आज आपने कहा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में डी०एम० को प्राधिकृत किया गया है कि वह काश्तकारों को उनकी सूचना के आधार पर वनरोजों को समाप्त करने हेतु अनुमति पत्र देते हैं । आज पूरे प्रदेश में इनका आतंक है किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो क्या उस चिन्ता को देखते हुये सरकार वन विभाग को उन वनरोजों को नष्ट करने के लिये स्पष्ट निर्देश देगी ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय पाल साहब बहुत योग्य आदमी हैं, लेकिन जो प्रश्न उन्होंने किया है कि क्या सरकार वनरोजों को नष्ट करने के लिये कार्यवाही करेगी ? मान्यवर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो कहता है कि जिसके खेत में क्षति पहुंच रही है एक एप्लीकेशन देगा, तब उसको अनुमति पत्र प्रदान किया जायेगा । जिलाधिकारियों को निर्देश इस विषय में जारी किये जा चुके हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बहुत गम्भीर प्रश्न पर माननीय वन मंत्री जी से गम्भीरता पूर्वक विचार करके उत्तर चाहता हूं । आपने कहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जिसके खेत में नुकसान हुआ है, उसकी तरफ से दरख्वास्त आनी चाहिये । सम्पूर्ण सदन इससे सहमत होगा कि लोगों का मनों गल्ला इस तरह से जानवर नष्ट कर रहे हैं । आप वन्य जीवन अधिनियम को लिये बैठे हैं और कहते हैं कि किसान बताये । यह ऐसा विषय है कि अगर एक वनरोज की हत्या हो जाय तो वहां साम्प्रदायिक दंगा तक हो सकता है । इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता । क्या सरकार वन्य जीवन अधिनियम में परिवर्तन करके किसनों का गल्ला बचाने के लिये जिस प्रकार से भेड़ियों के सफाये का प्रतापगढ़ में अभियान चलाया था । उसी प्रकार वनरोजों का सफाया करने के लिये भी प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलायेगी ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सरकार वनरोजों से किसानों की फसल को नष्ट नहीं होने देना चाहती है, जो इस संबंध में कानून बना है, इसी के तहत हम कार्यवाही करने में सक्षम हैं यह श्री कल्याण सिंह की सरकार है इसमें हम सब स्वयं किसान हैं। जिस किसान की फसल को वनरोज नष्ट करता है, उसी को प्राधिकृत किया जायेगा उसकी सीमा में जितने खेत हैं। वनरोज को नष्ट करने की किसान को अनुमति दी जायेगी।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, मैं स्वयं किसान परिवार से हूं अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि नीलगाय गोवंश से संबंधित नहीं है। इसको नष्ट करने के लिये जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस बात को क्लियर करने के लिये कि यह नीलगाय नहीं वनरोज है सरकार इसके प्रचार-प्रसार के लिये कोई अभियान चलाकर जनता को जागरूक करने का काम करेगी। कृषक तो अनट्रेंड होते हैं उसको हथियार चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है .....।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक पूछें।

श्री भरत सिंह–

आपने यह व्यवस्था की है कि किसान जिलाधिकारी की परमीशन लेकर वनरोज नष्ट कर सकते हैं। किसान से दुर्घटना हो सकती है। क्या वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस वनरोज को नष्ट करने की व्यवस्था मंत्री जी करवायेंगे ? हमारे जनपद बलिया में इतने अधिक वनरोज हैं कि उतनी गाय भैंसें नहीं होंगी। मेरा यह सवाल है कि सरकार वनरोजों को नष्ट करने की व्यवस्था कितने दिनों के अन्दर करेगी ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेजी के साथ प्रचार-प्रसार कर रही है कि यह नीलगाय वनरोज है और यह गोवंश में नहीं आती है। गोवंश में न आने के कई कारण हैं। एक तो इनके दो थन होती है, गाय के चार थन होती है। गाय का खुर फटा होता है जबकि नीलगाय का खुर फटा नहीं होता है। गाय गोंवर करती है जबकि नीलगाय लेड़ी करती है और रात में जहां चीटे होते हैं, वहीं सोती है। श्रीमन्, हमने इस बात का प्रचार प्रसार किया है और हम ग्राम प्रधानों को बहुत तेजी के साथ साहित्य भेज रहे हैं। वैसे श्रीमन्, जो हमारा अधिनियम है, उसमें जिसका नुकसान होगा, वह अनुरोध करेगा तो उसी को हम वनरोज को नष्ट करने की अनुमति देंगे।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नीलगायों से किसानों को क्षति होने की सूचनायें शासन को बराबर मिलती रहती हैं, तो इस दिशा में हम यह जानना चाहते हैं कि क्या किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये उन शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही हुई और दूसरी चीज जो बहुत चिन्ता का विषय है, वह यह कि माननीय सदस्यों पर माननीय मंत्री जी ने आक्षेप लगाया कि नीलगायों का प्रचार माननीय विधायक करते हैं, तो श्रीमन्, आपका संरक्षण चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एक विचित्र देश है और तरह-तरह के धर्म और सम्प्रदाय के मानने वाले लोग हैं। आज भी गांवों और किसानों के बीच जो प्रचार है, वनरोज को नीलगाय ही कहा जाता है और अल्पसंख्यक तो इससे बहुत डरते हैं। मैं माननीय मत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शासन की तरफ से किसान दिवस तहसील दिवस आदि का आयोजन होता है, तो क्या जिलाधिकारियों को इस तरह से

निर्देश देंगे कि तहसील दिवस व अन्य गोष्ठियों में इस बात का प्रचार करें कि यह वनरोज है, नीलगाय नहीं है और माननीय मंत्री जी कहीं पर स्वयं जाकर इस तरह की गोष्ठी का उद्घाटन करेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं । हमने जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं कि इस बात का प्रचार-प्रसार तेजी से किया जाये । माननीय विधायकों से अनुरोध है कि जन-प्रतिनिधि होने के नाते यह जिम्मेदारी लें कि वह भी इस बात को लोगों के बीच बतायें कि यह नीलगाय नहीं है बल्कि वनरोज है ।

श्री राम नरेश यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मैं समझता हूं कि मन से उत्तर नहीं दिया है । जहां से माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, वहां फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा और पूर्वी जिलों में आजमगढ, देवरिया, बस्ती में ये वनरोज इतनी बड़ी संख्या में हैं कि तमाम खड़ी फसलें ये नष्ट कर देती हैं । माननीय मंत्री जी, किसानों ने आपसे भी शिकायत की होगी । एक तरफ सरकार यह घोषणा कर रही है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में हम 5.1 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि करेंगे, दूसरी तरफ इस तरह से किसानों के फसल का नुकसान हो रहा है । ये हजारों एकड़ खेती को नुकसान भी करती हैं और खा भी जाती हैं । किसान को बन्दूक चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वह इनका शिकार नहीं कर सकता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके एक अभियान चला करके इनकी जो वृद्धि हो रही है, उसको रोकने का काम करेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय राम नरेश जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे हैं और आप और हम साथ रहकर देश के किसानों की समस्या, जो वनरोजों की है, उसे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो अभियान चलाने की बात कही है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारियों को ग्राम प्रधानों को और सबको यह प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है कि आप वनरोज को नष्ट कर सकते हैं और इसके लिये प्राधिकृत किया जा रहा है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, वनरोजों की समस्या प्रदेश की एक गंभीर समस्या है । माननीय मंत्री जी जिलाधिकारियों को जो पत्र लिखा, उसका अभी तक तहसील दिवस, किसान दिवस में कहीं जिक्र भी नहीं किया गया है और माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर टालमटोल का जवाब दे रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश में किसानों और उससे संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिये विचार गोष्ठियां आयोजित करने के लिये जिलाधिकारियों को निर्देशित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो वही प्रश्न घुमा-फिरा करके है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, वनरोजों को मारने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये, किसानों के अनुरोध के बाद क्या माननीय मंत्री जी अपने विभाग के शिकारियों द्वारा इन्हें मरवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ गया है ।

श्री लालजी वर्मा–

जिलाधिकारियों द्वारा जो प्राधिकार प्रमाण-पत्र दिये जाने की बात आपने कही है, क्या आज तक उत्तर प्रदेश में किसी जिलाधिकारी द्वारा वनरोज मारने के लिये प्रमाण-पत्र दिया गया है, इसका उत्तर दिलवा दें ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–.

अगर किसान ने मांगा है तो जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

(विपक्ष की ओर से चर्चा कराये जाने की मांग किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा के बारे में विचार कर लूंगा, मेरे पास लिखित सूचना आ गई है।

श्री प्रमोद कुमार–

यह तो गाय के नाम पर वोट मांगते हैं और इसके पास इनके मारने के लिये कोई योजना भी नहीं है, यह सरकार इस प्रश्न पर बिलकुल गंभीर नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

विदेशी राष्ट्रों से प्राप्त आर्थिक सहायता से उ० प्र० के पर्यटन स्थलों के विकास संबंधी रिपोर्ट की जानकारी

**2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विगत दस वर्षों में विदेशी राष्ट्रों से प्राप्त आर्थिक सहायता से उ० प्र० के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के बजाय धन अन्यत्र खर्च किये जाने के संबंध में मिली शिकायतों के आधार पर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है ? क्या उक्त रिपोर्ट भेज दी गई ? यदि हां, तो कब तथा उसके क्या बिन्दु थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी, जो आपका प्रश्न था कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी गयी है तो उत्तर तो नहीं में है। इस तरह से प्रश्न का दूसरा भाग है, उसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि रिपोर्ट नहीं मांगी गयी है। तो इसमें अनुपूरक क्या है ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, गलत उत्तर है। मुझे जो जानकारी है, केन्द्रीय पर्यटन विभाग से इस तरह की रिपोर्ट मांगी है।

श्री अध्यक्ष–

अगर गलत है, तो अलग से कार्यवाही करें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ शहर में वाहन चेकिंग अभियान को चलाते रहने की मांग

*1–श्री राम ललित चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1988 के दूसरे पखवारे में प्रदूषण रोकने के लिये लखनऊ शहर में चेकिंग अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो उसमें संगत अधिनियम की किन-किन धाराओं में कितने वाहन बन्द किये गये ? क्या बाद में ऐसे वाहनों को छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो किस अधिकार पर ? क्या यह अभियान सरकार जारी रखेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी हां ।

उक्त अभियान में मोटर गाड़ी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में बन्द की गयी गाड़ियों का विवरण निम्नवत् है :–

(क) मोटर यान अधिनियम की धारा 192ए/207ए में 500 वाहन ।

(ख) धारा 39/56 एवं धारा 207 (1) में 116 वाहन ।

(ग) उ० प्र० मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम 1962 की धारा 15(3) के अन्तर्गत 24 वाहन ।

इनमें से नियमानुसार आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित प्रशमन शुल्क एवं देय करों के जमा करने के उपरान्त परिवहन अधिकारियों द्वारा मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 207(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अथवा न्यायालयों के आदेशों द्वारा 77 वाहन वाद में अवमुक्त किए गये ।

यह अभियान समय-समय पर चलाया जाएगा ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, उत्तर में है कि 640 वाहन पकड़े गये, 77 तो छोड़ दिये गये, 563 जो नहीं छोड़े गये वह किस नियम के अन्तर्गत सड़कों पर चल रहे हैं ?

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, 77 वाहनों को जो छोड़ने की बात है, नियमानुसार आवश्यक प्रपत्र देने पर, यह न्यायालयों द्वारा छोड़े गये । परिवहन अधिकारियों को भी अधिकार प्राप्त है, कम्पाउन्डिंग करके भी छोड़ दिये गये ।

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[विधायकों के वेतन एवं पंचम वेतन आयोग में परस्पर संबंध न होने के कारण निरस्त]

*3–श्री जगदम्बिका पाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में जनता एवं पुलिस प्रशासन के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु निर्धारित नीति की जानकारी

*1–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता एवं पुलिस प्रशासन के मध्य बेहतर समन्वय के लिये सरकार कोई नीति निर्धारिण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त नीति में सत्यनिष्ठा ईमानदार व चरित्रवान पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन देने एवं भ्रष्ट अनुशासनहीनता के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अक्टूबर, 1997 से 29 नवम्बर, 1997 के मध्य कितने पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन दिया गया ? उनके नाम पदनाम तथा तैनाती का स्थान क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

पूर्व में निर्धारित नीति पर्याप्त है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके अनुसार जनपदों में जनता की शिकायतों के निस्तारण हेतु शिकायत प्रकोष्ठ, थानों पर शिकायत पेटिका की व्यवस्था पूर्व से ही प्रचलित है । इसके अतिरिक्त तहसील/थानों पर तहसील/थाना दिवस का आयोजन किया जाता है, ताकि जनता की समस्याओं का निदान किया जा सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व निर्धारित नीति में सत्यनिष्ठ ईमानदार एवं चरित्रवान पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किये जाने डकैतों से मुठभेड़ के समय वीरता के साथ अदम्य साहस, शौर्य का परिचय करने वाले पुलिस कर्मियों को एक रैंक प्रोन्नति दिये जाने, भ्रष्ट एवं अनुशासनहीन कर्मियों को दण्ड एंव अपील नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डित किये जाने की पर्याप्त व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत सूचना प्रदेश के सभी 83 जनपदों से एकत्रित किया जाना व्यवहारिक नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

मान्यवर, जो प्रोत्साहन से संबंधित मेरा भी प्रश्न है, मान्यवर, गाजियाबाद में दिनांक 14-6-97 को 23 अपराधों में लिप्त अपराधी का इन्काउन्टर हुआ । उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । मान्यवर, वास्तव में जो निष्ठावान पुलिस अधिकारी काम करते हैं उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है और जो नम्बर–2 के फर्जी इनकाउन्टर कर देते हैं उन लोगों का प्रमोशन हो जाता है । दिनांक 14-6-97 में अशोक त्यागी नामक बदमाश का इन्काउन्टर हुआ । बी० बी० एस० चौहान ने इसमें सक्रियता दिखाई, उनको आज तक कोई प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला इस तरह से मुनि की रेती के सब इन्सपैक्टर एस० एस० सिशौदिया ने सक्रियता दिखाई है उनका प्रमोशन नहीं हुआ, तो इसमें कब तक प्रमोशन देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो सराहनीय कार्य करके दिखाता है और उसके लिए जो पात्र है, उनको दिया जाता है । मान्यवर, माननीय सदस्य किसी घटना के बारे में सवाल कर रहे हैं, जानकारी दे दें ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, 1996 की घटना है । गाजियाबाद में रतन लाल ने अदम्य साहस दिखाया । वे एक महीने अस्पताल में पड़े रहे, उनके साथियों को बहुत गोलियां लगी उनको भी आउट आफ टर्न प्रोमोशन कब मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप इसका संज्ञान ले लेंगे ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

माननीय श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी नहीं है ।

सामान्य निर्वाचन के दौरान निर्वाचन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने के मानक की जानकारी

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के दौरान निर्वाचन विभाग से संबंधित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु मानदेय दिया गया था ? यदि हां, तो उसका मानक एवं उसकी धनराशि क्या थी ? क्या यह सही है कि उक्त मानदेय वित्त विभाग के अधिकारियों को भी दिया गया था ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मानदेय का मानक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन निर्धारित किया जाता है एवं उसकी धनराशि एक माह के मूल वेतन से अनधिक थी ।

जी हां ।

वित्त विभाग द्वारा सामान्य निर्वाचनों की अवधि में निर्वाचन विषयक विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित वित्तीय मामलों, जिनमें से अधिकांश तात्कालिक प्रकृति के होते हैं, का निस्तारण अपने विद्यमान स्टाफ से ही कार्य दिवसों में अतिरिक्त समय देकर व अवकाश के दिनों में कराया गया । इस बारे में वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को औचित्य पूर्ण पाते हुए वित्त विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय स्वीकृत किया गया ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वकीलों को प्राविडेन्ट फण्ड, चिकित्सा सुविधा, पेंशन आदि सुविधा दिये जाने की मांग

*1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में वकीलों को भी अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की भांति प्राविडेन्ट फण्ड चिकित्सा सुविधा, पेंशन ऋण तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल की मांग को पूरा करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, नवम्बर, 97 में माननीय उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी वकीलों ने अपनी कुछ मांगों के संबंध में हड़ताल की थी और एक मांग पत्र सरकार को दिया गया था । मान्यवर, 1974 में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी अधिनियम का गठन हुआ था । वर्ष 1982 में उसमें कुछ संशोधन किए गये । जो मांगें की गयी उनको लागू करने में क्या आपत्ति है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो सुविधाएं अभी तक अनुमन्य हैं उनका उल्लेख कर देता हूं जो मांगें आयी हैं उनके अतिरिक्त अभी तक अधिवक्ताओं के लिए कल्याण निधि की स्थापना की गयी है, के अन्तर्गत अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना, बार एसोसिएशन के लिए पुस्तकालय, कैन्टीन भवन आदि के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराना और अधिवक्ताओं की जो मांग आयी थी, वह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, जो मांग-पत्र वकीलों ने दिया था उसमें प्रमुख मांगें क्या थीं ? मान्यवर, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी अधिनियम में 1982 में कुछ संशोधन किए गये, तो उन मांगों के संबंध में इसमें संशोधन करके निर्णय लेंगे, उनको लागू कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक वेतन और पेंशन दिये जाने का प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष या उनकी भांति वेतन व पेंशन उन्हें दिया जाना संभव नहीं है । ये दोनों अलग-अलग वर्ग हैं । उनका जो मांग-पत्र है उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं–पहला, अधिवक्ताओं के लिये सामूहिक बीमा योजना का संचालन, दूसरा, अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ सदस्य अधिवक्ताओं के लिये अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना करना, तीसरा, किसी सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने पर उनकी सदस्यता पर उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये 5 हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से धनराशि का भुगतान जिसकी न्यूनतम सीमा रु० 25,000 तथा अधिकतम सीमा रु० 1,50,000 होगा । चौथा, सदस्यता समाप्त होने पर संबंधित सदस्य अपने अंशदान की सम्पूर्ण धनराशि ऐसे ब्याज सहित जिसे न्यासी समिति द्वारा निर्धारित किया जाय, इस प्रकार के बिन्दु हैं । एक समिति बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष एडवोकेट जनरल होते हैं, सदस्य बार कौंसिल होते हैं, सदस्य, सचि, ऐल० आर० होते हैं । यह प्रशासनिक व्यवस्था है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वकील समुदाय ने देश की आजादी की लड़ाई में अपनी योगदान दिया है । न्यायपालिका व कानून की रखवाली करने वालों का बड़ा योगदान रहा है । सैकड़ों वकील युवावस्था में मर जाते हैं, जिससे उनका परिवार असुरक्षित हो जाता है । इसलिए क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि यदि किसी वकील का निधन हो जाय, तो उसके परिवार को मुआवजे के रूप में, पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जायेगी । प्राविडेन्ट फण्ड के रूप में उसके परिवार को पेंशन देने पर सरकार विचार करेगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्राविडेन्ट फण्ड का तो विचार ही अलग है । उसमें कर्मचारियों का अंशदान होता है और सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तें होती हैं । बार कौंसिल ने तो प्राविडेन्ट फण्ड की बात ही नहीं की है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई । वकील समुदाय की कोई जाति नहीं होती है और पूरे देश में न्याय दिलाने का काम यह समुदाय करता है परन्तु कभी विसंगतियां हो जाती हैं, तो उस समय विधि वेत्ताओं से राय ली जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी यह मांग कब आई ? दूसरे प्रश्न में जो अन्य सुविधाओं को देने की बात कही गई है, जिसमें चिकित्सा सुविधा आदि जैसी चीजें आती हैं तो क्या माननीय मंत्री जी यदि किसी वकील का निधन आकस्मिक रूप से हो जाता

है, तो क्या सरकार उसे सरकार आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी, यदि हां, तो यह सुविधा उन्हें कब से दी जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 बना हुआ है उसके तहत जो भी अनुमन्य है, वह दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त बार काउन्सिल द्वारा एक प्रस्ताव भेजा है । संशोधन के लिए उस पर विचार किया जा रहा है ।

(ध्वनि व्यवस्था खराब होने के कारण अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था नहीं सुनी जा सकी)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अधिवक्ताओं के लिए अपने भवन बनाने हेतु जो भूमि की मांग करके माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया । उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वह प्रदेश के अधिवक्ताओं को सरकारी कर्मचारी की भांति ट्रीट नहीं करेंगे । पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या वकीलों की है, तो उनकी सुरक्षा के लिए संशोधन पर सरकार विचार कर रही है यह कहा गया, तो सरकार उनकी चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए भूमि के लिए तथा अन्य सुविधा देने के लिए जो बार काउन्सिल द्वारा संशोधन प्रस्ताव भेजा गया है उस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बार काउन्सिल द्वारा जो सुझाव भेजा गया है । उसके मुख्य बिन्दु का मैंने यहां पर उल्लेख कर दिया है । सरकार उस पर विचार कर रही है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं, उन सुझावों पर एक माह के अन्दर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें समय सीमा निर्धारित करने की बात नहीं है । शासन की एक प्रक्रिया होती है । उसके तहत कार्य किया जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार वकीलों के प्रति गंभीर नहीं है । उनकी समस्याओं की ओर वह ध्यान नहीं दे रही है इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(कांग्रेस आई दल के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

उ० प्र० राज्य में विधायक कल्याण अनुभाग की स्थापना की जानकारी

*2–श्री राजधारी–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र के संसदीय कार्य मंत्रालय में स्थापित सांसद कल्याण अनुभाग की भांति उ० प्र० राज्य में भी विधायक कल्याण अनुभाग स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में इसे स्वीकार किया जाना संभव नहीं है ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, यह एक सामान्य सी परम्परा बन गयी है कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका एक सीधा सा जवाब आ जाता है कि "जी नहीं" और "प्रश्न नहीं उठता" । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली पार्लियामेन्ट में सांसद कल्याण निधि की स्थापना की गयी है उसी तरह से क्या विधायक कल्याण निधि की स्थापना यहां पर सरकार करने पर विचार करेगी ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने दूसरे उत्तर में यह कहा कि इससे वित्तीय बोझ बढ़ेगा ? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना वित्तीय बोझ बढ़ने जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय विधायकगण के संबंध में विभिन्न समय पर विभिन्न नियम बनाये गये हैं । चिकित्सा सुविधा उन्हें अनुमन्य है, कहीं आने-जाने, रहने के बारे में जो-जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वह अनुमन्य हैं और उन्हें दी जा रही है । आपने यह प्रश्न किया कि सांसद कल्याण निधि की भांति उत्तर प्रदेश में भी विधायक कल्याण निधि की स्थापना की जाय, तो जहां तक कल्याण का प्रश्न है, वह तो स्वतः करने में सक्षम हैं । जहां तक क्षेत्र में काम करने का प्रश्न है, तो वह पहली बार इस सरकार ने विधायक को सक्षम बनाया है कि वह अपने क्षेत्र का विकास करें और इस हेतु हमने उसे 50 लाख रुपये दिये हैं । इसलिए कल्याण निधि की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, यह तो उन्होंने क्षेत्र की बात कही है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अन्य सुविधाएं जैसे विदेश जाना हो, स्वास्थ्य हो, उसके बारे में यह सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

इस प्रकरण पर समय-समय पर विचार होता रहता है । आपकी अध्यक्षता में विभिन्न दलों के सम्मानित नेताओं से विचार होता है । उसमें निर्णय लिये जाते हैं । बाकी औरों के बारे में प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सांसद कल्याण अनुभाग के क्या-क्या कार्य कलाप हैं ? इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में विधायक कल्याण अनुभाग बना दिया जाय । मान्यवर, यह जानकारी कर ली जाय कि उसके क्या-क्या कार्य कलाप हैं और उसमें कितना व्यय भार आता है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं कदाचित आशय स्पष्ट नहीं कर पाया हूं । प्रश्न अनुभाग की स्थापना का था, वेल्फेयर का नहीं । देखना यह है कि आपके वेल्फेयर के लिए, रख-रखाव के लिए किसी अनुभाग की स्थापना की आवश्यकता है । जो अनुभाग की स्थापना की जाती है, उसके नियम होते हैं । सांसद कल्याण निधि में यदि किसी पूर्व सांसद की मृत्यु हो जाती है और उसके घर वालों के पास पैसा नहीं है तो उन्हें पांच सौ रुपया अन्तिम संस्कार हेतु दिया जाता है । तो इसी प्रकार के काम सेक्शन देखता है । अनुभाग की स्थापना की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे पास सामान्य प्रक्रिया निर्धारित है और जब-जब ऐसी बात आयी, तो परम्परा बनी है और सरकार यहां पर विधेयक ले आती है ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में परिचालकों/चालकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

*3–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में उ० प्र० सड़क एवं परिवहन निगम के अधीन चलने वाली बसों के कितने परिचालकों/ड्राइवरों के पद इस समय रिक्त चल रहे हैं ? क्या सरकार वर्ष 1998-99 में ऐसे पदों पर भर्ती करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में 302 परिचालक कम हैं । चालक का कोई पद रिक्त नहीं है ।

वर्तमान में स्थाई नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इसी सरकार ने घोषणा की है कि 80-90 हजार बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 302 पद परिचालकों के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कम हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इन 302 की नयी नियुक्ति की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है । जो बसें हैं, उनकी 6380 की संख्या है और अनुबन्धित बसों की संख्या 873 है । हमारी सारी बसें आन रोड नहीं रहती हैं और विवाह शादियों के मौके पर आवश्यकता पड़ जाती है तो अपरेन्टिस से या सेवा निवृत्त जो लोग हो जाते हैं, उनकी सेवायें ली जाती हैं । 302 की बहुत बड़ी रिक्ति नहीं है और उसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परिचालक और चालकों का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है, तो इसको पूरा करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

परिचालकों की 302 की रिक्ति के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है और क्यों नहीं है, इसको बता दिया है । इसको आप अलग से कर लें । वह तो अधिनियम है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो दण्ड दिया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उधार के मंत्री हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 302 पद रिक्त हैं और चालक का कोई पद रिक्त नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा 35 पैसे प्रति किलोमीटर पर अस्थाई रूप से चालक रखने का क्या औचित्य है ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न परिचालकों के बारे में है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कहा गया है कि परिचालकों के 302 पद खाली हैं और चालक का कोई पद खाली नहीं है और चालक 35 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से रखे जाते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

हम तो उधार के मंत्री हैं और नकद के मंत्री पाल जी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहलाना चाहते हैं कि आपको सब मालूम है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 544 सरप्लस हैं चालक और 302 परिचालकों की कमी है । वह मैंने परिचालकों के बारे में बताया कि उनको 35 पैसे प्रति कि०मी० के हिसाब से रखते हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, चालक रखे गये हैं, यह बात मैं सुनिश्चित रूप से कह रहा हूं पूरे प्रदेश के विभिन्न डीपोज में ड्राइवर 35 पैसे प्रति कि० मी० पर रखे जा रहे हैं, यह गुमराह कर रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं थोड़ी बात को समझ लीजिये, कभी-कभी ऐसे मौके आ जाते हैं शादी, ब्याह आदि के मौके पर जो बसें वर्कशाप में खड़ी हैं वह भी डिपो से आन रोड आ जाती हैं । ऐसी स्थिति में 35 पैसे वाली बात मैंने कही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप का कहना है कि आकस्मिकता की पूर्ति के लिए करते हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अब स्वीकार किया है अन्यथा उत्तर ही स्पष्ट नहीं दिया पूरे प्रदेश में हर डिपो में अस्थाई रूप से अनुबन्धित चालक रखे गये है, उसका क्या औचित्य है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमारे जो निर्धारित मानक हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित किये गये हैं । उसमें कुल चालक 13021 है और जो कार्यरत हैं वह 13 हजार 500 सौ 65 हैं । इस प्रकार 544 अधिक हैं इसके बावजूद शाद ब्याह के अवसर पर जब रेगुलर चालक हमारे पास नहीं रह जाते हैं तो यह अनुमन्य है कि 35 पैसे की दर से रख लेते हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के अधीन कितने परिचालकों/ड्राइवरों के कितने पद रिक्त हैं । इसके जवाब में आपने कहा कि 302 चालकों की कमी है तो रिक्त हुई कमी का क्या तात्पर्य है ?

श्री अध्यक्ष–

रिक्ति और कमी में क्या अन्तर है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, रिक्तता तब होती है जब किसी चालक परिचालक के अभाव में बस खड़ी हो जाए ऐसी स्थिति नहीं है । एक बस के लिए एक ही चालक है, ऐसा नहीं है, हमारा मानक है, एक बस के लिए 1.89 का ऐवरेज आता है । स्थिति साफ है जितनी बसें हमारे पास हैं उसका लगभग दुगुना अनुमन्य हैं तो उस मानक के रूप में यह जो परिचालक वाली बात है कम है ।

राजकीय कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर या अनुमन्य प्रतिकर व आवास भत्ता दिये जाने की मांग

*4–श्री रामपाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-1-96 से संशोधित वेतनमान के आधार पर राजकीय कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर किस दर से आवास एवं नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराया गया है ? सरकार कब तक आदेश निर्गत करके राजकीय कर्मचारियों को बढ़े हुए दर पर आवास एवं नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

कर्मचारियों को मिल रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते एवं सुविधाएं वेतन समिति के विचाराधीन है । समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने के पश्चात् उस पर निर्णय लिया जायेगा ।

राज्य सरकार द्वारा भत्तों में केन्द्र से समानता की बात नहीं मानी गयी है । अतः इस पर वेतन समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा यथा समय निर्णय लिया जायेगा ।

श्री रामपाल वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्र कर्मचारियों के समान नगर प्रतिकर भत्ता एवं आवास भत्ता देने का निर्णय लिया गया है तो इसको देने में क्या कठिनाई है । यह प्रश्न वेतन समिति को कब संदर्भित किया गया और उसकी रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां केन्द्र द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद राज्य सरकार ने वेतन को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में जे० एल० बजाज कमेटी गठित किया था । उसकी संस्तुतियों को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है । भत्तों के संबंध में अभी रिपोर्ट नहीं आयी है । जैसे ही रिपोर्ट आयेगी यथाशीघ्र विचार किया जायगा ।

श्री रामपाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न भत्तों से संबंधित है मंत्री जी वेतन की बात बता रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि भत्ते के संबंध में मंत्री जी आश्वासन दे दें कि कब तक उनको स्वीकार कर लिया जायगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

अभी संस्तुतियां प्राप्त नहीं हुयी हैं । संस्तुतियां प्राप्त होते ही उन पर विचार किया जायगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वेतन की बात अलग है, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा है । उन्होंने पूछा है कि आवास भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता भी केन्द्र सरकार ने बढ़ाया है तो क्या राज्य सरकार द्वारा नगर प्रतिकर

भत्ता, आवास भत्ता, स्कूटर मोटर साइकिल भत्ते के संबंध में सरकार विचार कर रही है । यदि हां, तो उसके लिये कोई समय बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक उसको लागू कर दिया जायगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, कहा गया है कि यथाशीघ्र वह अपनी संस्तुतियां दे दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आवास भत्ता और प्रतिकर भत्ता के बारे में समिति को मामला सुपुर्द किया गया है । माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह कब सुपुर्द किया गया है ?

श्री वालेश्वर त्यागी–

बजाज समिति को 9 अक्टूबर, 1997 को यह दिया गया था । उसमें अलग-अलग वर्गों के लिये, राज्य सरकार के कर्मचारियों, शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिये मामला समिति को सौंपा गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

9 महीने हो गये हैं ।

*5–डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी

[11 वें शुक्रवार में ता० प्र० सं०–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*6–श्री यशपाल सिंह चौहान–

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

लखनऊ स्थित मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज लि०, डालीगंज से बकाये कर की वसूली

*7–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित मोहन गोल्ड वाटर जो बीयर बनाती है, पर तीन करोड़ रुपया व्यापार कर बाकी है ? यदि हां, तो क्या उसे वसूल करने की सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

सर्वश्री मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज लि०, डालीगंज, लखनऊ बियर बनाती है । इस कम्पनी के विरुद्ध रु० 3,00,95,228 की मांग सृजित हुई थी, जो वसूली आदि के उपरान्त अब बकाया केवल रु० 1,58,09,822 शेष रह गई है ।

बकाया व्यापार-कर की वसूली हेतु चल सम्पत्ति की कुर्की कर ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न संख्या–7 में इंटरेस्ट है ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, अन्त में देख लूंगा ।

पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकार पर होने वाले व्यय-भार की जानकारी

*8–श्री समरपाल सिंह तथा श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचम वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के कारण सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ा है ? क्या सभी राज्य कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप आर्थिक लाभ दे दिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के संबंध में लिये गये निर्णयों के फलस्वरूप राज्य सरकार ने वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में युक्तिसंगत संस्तुति करने के लिए संकल्प दिनांक 9-10-97 द्वारा श्री जे० एल० बजाज, सेवा निवृत्त आई० ए० एस० की अध्यक्षता में एक वेतन समिति का गठन किया है । उक्त समिति द्वारा निम्न कर्मचारी वर्ग के वेतनमानों के संबंध में संस्तुति दी गयी है तथा इस पर शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है । इन पर वार्षिक व्ययभार तथा अवशेष पर व्ययभार निम्नवत् अनुमानित है :–

कर्मचारी वर्ग	व्ययभार (करोड़ रु० में) वार्षिक	अवशेष पर (फरवरी, 1998 तक)
1. राज्य कर्मचारी एवं राजकीय पेंशनर्स	1182	2535
2. जूनियर डाक्टर्स	6	13
3. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी	500	1050
4. स्थानीय निकाय कर्मचारी	44	—
योग–	1732	3598

उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के संबंध में 88 करोड़ रु० वार्षिक का व्ययभार शासन पर पड़ेगा तथा लगभग 200 करोड़ रु० बकाया भुगतान का भार होगा ।

यद्यपि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करने के उपरान्त अंतरण की धनराशि के बाद अन्य कोई धनराशि आयोजनेत्तर मद में नहीं दिये जाने का निर्णय हो चुका था किन्तु उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए शासन द्वारा आधा वहन करने का निर्णय लिया गया है ।

जी नहीं ।

जनपद बरेली में फरीदपुर, जनपद आगरा में संजय पैलेस, चमोली में जोशीमठ तथा बाराबंकी में फतेहपुर कस्बे में फायर स्टेशन खोले जाने की मांग

*9–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुछ शहरों जैसे बरेली जनपद में फरीदपुर, आगरा जनपद में संजय पैलेस, चमोली जिले में जोशीमठ, बाराबंकी जनपद में फतेहपुर कस्बों में अब तक फायर स्टेशन नहीं खुल सका है ? क्या यह सही है कि शासन द्वारा तीन वर्ष पहले इन स्थानों पर फायर स्टेशन खोलने के लिए करीब दो करोड़ रुपया स्वीकृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त

स्थानों पर फायर स्टेशन न खोले जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार प्रदेश में जिन शहरों में फायर स्टेशन नहीं है वहां फायर स्टेशन खुलवाने के लिए कोई ठोस निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अवगत कराना है कि बरेली जनपद के फरीदपुर, आगरा जनपद के संजय पैलेस एवं चमोली जनपद के जोशीमठ में शासनादेश संख्या 831/छ:पु–8-95-30/93 दिनांक 28-9-95 द्वारा अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

बाराबंकी जनपद के फतेहपुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के कोई आदेश निर्गत नहीं हुए हैं ।

यह सही नहीं है कि उपर्युक्त तीन स्थानों तथा फरीदपुर, संजय पैलेस एवं जोशीमठ के लिए 3 वर्ष पूर्व करीब दो करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है । उक्त तीन फायर स्टेशन के संचालन हेतु स्टाफ पर व्यय तथा अग्निशमन यंत्रों/उपकरणों के क्रय पर व्यय एवं अन्य मदों पर व्यय हेतु प्रति फायर स्टेशन रु० 18,63,545/–की दर से रु० 55,90,635/– मात्र की धनराशि 3 वर्ष पूर्व दिनांक 28-9-95 को स्वीकृत की गयी थी ।

प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत धनाभाव के कारण उपर्युक्त तीन स्थानों पर फायर स्टेशन का निर्माण नहीं हो सका है । फायर स्टेशन फरीदपुर का कार्य जनपद मुख्यालय बरेली से, फायर स्टेशन संजय पैलेस, आगरा का कार्य ईदगाह फायर स्टेशन, आगरा से देखा जा रहा है । फायर स्टेशन जोशीमठ, पुलिस चौकी जोशीमठ भवन में कार्यरत है ।

अवगत कराना है कि प्रदेश के जिन शहरों (तहसील मुख्यालयों) में फायर स्टेशन नहीं है, वहां पर प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य स्थानों की तुलनात्मक आवश्यकताओं इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए पूर्णकालिक फायर स्टेशन स्थापित करना संभव नहीं है । फिर भी जिन शहरों (तहसील मुख्यालयों) में फायर स्टेशन स्वीकृत नहीं है उनमें से प्रदेश के 157 स्थानों (तहसील मुख्यालयों) पर ग्रीष्म ऋतु के लिए अग्नि से सुरक्षा हेतु सीजनल अग्निशमन व्यवस्था योजना के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष 1998-99 में अग्निशमन व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सरकार स्वीकार कर रही है कि प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को देखते हुये फायर स्टेशनों की स्थापना करना संभव नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि फरीद नगर फायर स्टेशन खोलने की स्वीकृति हो गयी है तो जिन स्थानों पर फायर स्टेशन खोलने के लिये स्वीकृति हो गयी है और स्टाफ की स्वीकृति हो गयी है और 55 लाख, 90 हजार, 635 रुपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी, फरीदपुर में तहसील मुख्यालय पर फायर स्टेशन नहीं है जिससे अग्निकाण्ड होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, फरीदपुर का फायर स्टेशन जनपद मुख्यालय पर से चल रहा है तो क्या फरीदपुर में तहसील मुख्यालय पर फायर स्टेशन तथा अन्य जो दो जगहें हैं । वहां पर फायर स्टेशन खोलना सुनिश्चित करेंगे और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में 162 फायर स्टेशन हैं जिनमें से 16 पर पूर्ण भवन बने हैं । 42 पर आंशिक बने हैं 81 ऐसे हैं जहां पर 1-2 कमरे हैं और 25 पर भवन नहीं है । इसके लिये 3 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है । इससे भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जायगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि फायर स्टेशनों के भवन निर्माण के लिये कब तक कार्यवाही करेंगे ?

मैंने तो आपके माध्यम से आपको भी स्मरण होगा यह पूछा कि फरीदपुर का फायर ब्रिगेड और स्टाफ को बरेली मुख्यालय से फरीदपुर में स्थानान्तरित कर दिया जाय क्योंकि मान लीजिये अगर कहीं वहां पर आवश्यकता होगी तो टेलीफोन या वायरलैस से सूचना देने के बाद जब बरेली मुख्यालय से फायर ब्रिगेड चलेगा तो उतनी देर में तो उसकी झोपड़ी और खेत खलिहान जलकर स्वाहा हो जायेगा। इसलिये मैंने कहा कि उस फायर ब्रिगेड को बरेली मुख्यालय से फरीदपुर के किसी कोतवाली और थाने में कर दिया जाय। भवन के लिये जब पैसा होगा निर्माण कर लीजियेगा।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, फरीदपुर में अगर यह सुविधा उपलब्ध रही होती तो आवश्यकता नहीं थी कि इसको बरेली में रखा जाता क्योंकि उसके लिये विशेष प्रकार की सुविधा, गैराज और विशेष प्रकार के भवन की आवश्यकता होती है। उनके स्टाफ की 24 घण्टे की ड्यूटी होती है राउन्ड द क्लाक उन्हें जागना पड़ता है।

प्रदेश में दलित एक्ट के दुरुपयोग के मामलों की जांच की मांग

*10–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 मार्च, 1997 से 21 सितम्बर, 1997 तक प्रदेश में दलित एक्ट के दुरुपयोग के कितने मामले प्रकाश में आये ? क्या दुरुपयोग की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

कुल 178 मामले प्रकाश में आये।

जी हां।

इलाहाबाद परिक्षेत्र के जनपद प्रतापगढ़ के थाना कुंडा के क्षेत्राधिकारी व एक उप निरीक्षक एक ही अपराध, में की गई जांच में दोषी पाये गये, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 178 मामले प्रकाश में आये दलित एक्ट के तहत जिसमें से एक मामले में दुरुपयोग की शिकायत सही पाई गई और उसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी और उप निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 177 मामले शेष बचे उनमें दुरुपयोग की शिकायत नहीं पाई गई ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा थी उसके अनुसार मैंने एक विशिष्ट केस का उल्लेख किया कि शिकायत यहां तक आई थी कि सारी घटना को फर्जी तरीके से बनाया गया। कोई घटना इस प्रकार से नहीं हुई थी। 10 साल के बच्चे को जिसका कि नाम प्राथमिक सूचना में दर्ज नहीं था ना 164 में पाया गया, रेप के केस में इसका नाम लगाया गया। यह घटना ऐसी थी जिसमें संबंधित अधिकारी के

विरुद्ध कार्यवाही की गई । 10 वर्ष के बच्चे को फर्जी तरीके से जघन्य अपराध में फंसाने का काम किया । बाकी मामलों में किसी में फाइनल रिपोर्ट लगी और कुछ एक्सपंज कर दिये गये ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह फाइनल रिपोर्ट लगाई गई तो इसका यह हुआ कि मान लिया गया कि जो रिपोर्ट लगाई गई असत्य थी उसके विरुद्ध कार्यवाही हुई तो वह दुरुपयोग हुआ । मेरा मूल प्रश्न था कि दुरुपयोग के कितने मामले थे ? किसी विशेष केस के बारे में नहीं था । ऐसे कितने मामले थे जिनमें रिपोर्ट लगाई गई । गिरफ्तार हुए और फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न तो केवल यह है कि कितने दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आये ।

श्री हुकुम सिंह–

पूरे प्रदेश में इस अवधि में क्योंकि अवधि एक कार्यकाल से संबंधित है, आप समझ गये होंगे और समझ कर प्रश्न किया है । 5 हजार 26 अनुसूचित जाति एक्ट के अन्तर्गत मामले दर्ज हुये । 178 की सूचना दे दी है । अगर सारे का विवरण चाहते हों जनपदवाइज तो दे दूंगा ।

श्री विनोद मणि–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने दलित एक्ट के दुरुपयोग में आर्थिक सहायता की बात की । तो क्या जिन मुकदमों में न्यायालय से दोष सिद्ध हुआ है उन्ही में आर्थिक सहायता दी गई है या सिर्फ मुकदमें कायम होने के बाद ही आर्थिक सहायता दी गई । सरकार ने इस पर कितना रुपया खर्च किया है । दलित एक्ट के दुरुपयोग के मामले जो प्रकाश में आये हैं जिनको न्यायालय ने बरी कर दिया क्या उन मुकदमों में सरकार ने आर्थिक सहायता दी है और अगर दी है तो क्या उसे वापस करने की कोई योजना है ? सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ उसे वापस करने के लिए क्या कार्य योजना है ?

श्री अध्यक्ष–

दुरुपयोग होना और न्यायालय से बरी होना यह अलग-अलग है । कभी-कभी प्रमाण के अभाव में व्यक्ति बरी हो जाता है ।

श्री हुकुम सिंह–

उन वादों में जिनमें हरिजन एक्ट का दुरुपयोग हुआ है ऐसे 178 मामले प्रकाश में आए । शेष मामलों की क्या स्थिति है वह न्यायालय में चले गए चार्ज शीट लग गई या नहीं उसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी ।

श्री राजधारी–

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जांचोपरान्त 178 मुकदमों में दलित एक्ट का दुरुपयोग पाया गया । हम लोग गांव में रहते हैं । गांवों में इस एक्ट का सहारा लेकर फर्जी लोगों को फंसाया जा रहा है । इसके लिए क्या कोई कार्य योजना बनी है ?

श्री हुकुम सिंह–

सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने सबसे पहले यह कार्य किया था कि यह आदेश दिया था कि इस अधिनियम का दुरुपयोग न हो । ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां जानबूझकर गलत मामले दर्ज कराए गये, कम से कम 15 मामले मेरी जानकारी में हैं । इसमें 182 भारतीय दंड विधान की धाराओं के अन्तर्गत 182 धारा की कार्यवाही झूठी रिपोर्ट लिखाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मंत्री जी ने बड़े जोर शोर से यह कहा कि हरिजन एक्ट का जो भी दुरुपयोग करेगा उसको दंडित करेंगे । आज 9 महीने हो गए लेकिन मंत्री जी बता रहे हैं कि एक मामला प्रकाश में आया है । और उसमें दंडित किया गया । बाकी पर जो मामले प्रकाश में आए हैं उसमें जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको दंडित करने की कार्यवाही करेंगे और करेंगे तो कब तक ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हरिजन एक्ट के दुरुपयोग को रोकने का कार्य इसी सरकार ने किया है और 178 ऐसे मामले चयनित किए गए । जिसमें इस एक्ट का दुरुपयोग किया गया और आगे भी प्रयास होगा कि अविलम्ब इस पर कार्यवाही की जाए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में जोखनई गांव में एक मामला इसी प्रकार का है जिसमें पूरे परिवार का उत्पीड़न किया गया है । उसकी जांच कराकर क्या प्रभावी कार्यवाही की जाएगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, उसका विवरण मिल जाए । तो कार्यवाही कर दी जाएगी ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

जनपद हरदोई के सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सण्डीला द्वारा ग्राम सभा कुदौरी तथा समस्त अम्बेडकर ग्रामों के सीमान्त एवम् लघु सीमान्त कृषकों को बोरिंग योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधा

*11–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सण्डीला द्वारा ग्राम सभा कुदौरी तथा समस्त अम्बेडकर ग्रामों के सीमान्त एवं लघु सीमान्त वर्ष 1997-98 में चयनित कृषकों को बोरिंग योजना के अन्तर्गत क्या उक्त शाखा द्वारा समय से पम्पिंग सेट हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे गरीब कृषकों में घोर असंतोष है ? क्या इस सम्बन्ध में वहां के नागरिकों द्वारा मुख्य विकास अधिकारी हरदोई को अप्रैल, 1998 में कोई शिकायती पत्र भी दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अव्यवस्था हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री 'पटेल' (श्री राम कुमार वर्मा–)

जी नहीं । बैंक की प्रश्नगत शाखा में वर्ष 97-98 में ग्राम सभा कुदौरी के लघु एवं सीमान्त कृषकों के 7 ऋण प्रार्थना-पत्रों में से तीन पर स्वीकृति प्रदान कर ऋण वितरण किया जा चुका है । शेष 4 ऋण पत्रावलियों में उठायी गई विधिक आपत्तियों का निराकरण कृषकों द्वारा न किये जाने के कारण ऋण वितरण नहीं किया जा सका । अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत 97-98 में ऋण हेतु प्राप्त 39 प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृत कर ऋण वितरण कर दिया गया है । ऋण वितरण में जिन मामलों में विलम्ब हुआ वह प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के पूरा करने में या लाभार्थी के शाखा पर उपस्थित न हो पाने के कारण हुआ है ।

जी हां ।

समय से ऋण वितरण करने हेतु समय-समय पर समुचित निर्देश जारी किये गये हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

*12–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[विस्तीर्ण एवं कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

नोटः–नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न–10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स के नवीनीकरण की कार्यवाही

*13–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

*13–क्या सरकार अग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स नवीनीकरण कराने के लिये तहसील व पुलिस की रिपोर्ट मंगाने तथा अन्य तत्संबंधी लम्बी प्रक्रिया के स्थान पर लाइसेन्सदारों के हित में पुरानी प्रक्रिया अपनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता

अग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स नवीनीकरण के संबंध में कार्यवाही आयुध अधिनियम, 1959 एवं तत्संबंधी आयुध नियमावली, 1962 जो सम्पूर्ण देश में लागू केन्द्रीय विधान है, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना राज्य सरकार के स्तर पर सम्भव नहीं है।

*14–श्री विजय पाल सिंह–

[दिनांक 3-7-98 को ता० प्र० सं० 19 द्वारा उत्तरित]

*15–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[दिनांक 29-6-98 को ता० प्र० सं० 15 द्वारा उत्तरित]

जनपद मुरादाबाद में कुख्यात अपराधी भू-माफिया का गांव से भागकर शहर में आ जाने की शिकायत

*16–श्री मेजर जगतपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद में कुख्यात अपराधी भू-माफिया जिन पर जनपद के विभिन्न स्थानों में अनेकों अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं और जो देहातों से निकल कर शहर में आ कर निवास कर रहे हैं इनको शस्त्र लाइसेन्स भी जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अपराधिक इतिहास रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उनके लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद मुरादाबाद में किसी कुख्यात अपराधी भू–माफिया को शस्त्र लाइसेन्स जारी नहीं किया गया है तथापि जनपद में ऐसे पांच शस्त्र लाइसेन्स धारक मौजूद हैं जिनके विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।

उक्त सभी शस्त्र लाइसेन्सों को निरस्त करने से पहले निलम्बित करने की कार्यवाही की गई। सक्षम न्यायालय द्वारा उनमें से एक का लाइसेन्स बहाल कर दिया गया है तथा शेष चार मामले सुनवाई हेतु विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोनी (गाजियाबाद) तथा सहिबाबाद (गाजियाबाद) क्षेत्र में कथित रूप से माफियाओं की सक्रियता की जानकारी

*17–श्री रूप चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोनी (गाजियाबाद) तथा साहिबाबाद (गाजियाबाद) क्षेत्र में भू-माफियाओं के सक्रिय होने की सूचना सरकार को है ? यदि हां, तो उनके द्वारा अब तक कितनी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? सरकार उक्त भूमि को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने के क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

लोनी एवं साहिबाबाद (गाजियाबाद) क्षेत्र में वर्तमान में कोई भू-माफिया सक्रिय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश मंत्रिमंडल की कारों एवं एस्कोर्ट में लगाये गये सायरन का औचित्य

*18–श्री अम्मार रिज़वी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की कारों एवं एस्कोर्ट में लगाये गये सायरन से शहर के वातावरण में अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है ? क्या मुख्य मंत्री जी अन्य देशों की भांति यह सायरन केवल अग्नि शमन एवं एम्बुलेंस वाहनों तक ही सीमित रखने के आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

मा० अतिविशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा की दृष्टि से उनके सुरक्षा वाहनों में सायरन लगाये जाते हैं। अतः अन्य देशों की भांति सायरन केवल अग्नि शमन एवं एम्बुलेंस वाहनों तक सीमित रखना सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद नैनीताल के ग्राम छाई (मोतीपुर) में आतंकवादियों द्वारा मारे गये पुलिस कर्मियों को मुआवजा दिये जाने की घोषणा की जानकारी

1–श्री भारत सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 7-8-91 को ग्राम छाई (मोतीपुर) में आतंकवादियों द्वारा मारे गये पांच पुलिस कर्मी तथा पुलिस द्वारा अनुबंधित प्राइवेट जीप चालक श्री अशोक कुमार, जिसकी सूचना थाना–रामनगर जिला–नैनीताल में संख्या–127/91 में मु० अ० संख्या–388/91 की धारा 3/4 डी०डी० एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत की गई ? क्या आश्रितों को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री द्वारा एक-एक लाख रुपये मुआवजा दिये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या श्री अशोक कुमार जीप चालक के आश्रितों को एक लाख रुपया मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्रियान्वयन में क्या कठिनाई है और कब तक मुआवजा दे दिया जायगा ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) जी हां।

(ख) तत्कालीन मा० गृह राज्यमंत्री द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद में भूमि विकास बैंक की शाखा न खोले जाने का औचित्य

2–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद में भूमि विकास बैंक की शाखा खोला जाना स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी स्थापना कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

विकास खण्ड शमसाबाद डार्क श्रेणी में होने के फलस्वरूप पर्याप्त ऋण व्यवसाय न हो सकने की संभावना पाई गई ।

3–श्री राम औतार शाक्य–

। दिनांक 22-6-98 को अता० प्र० सं० 104 तथा दिनांक 29-6-98 को अता० प्र० सं० 55 द्वारा उत्तरित ।

जनपद मैनपुरी में अपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों को दी गई सुरक्षा व्यवस्था का विवरण

4–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में 21-4-98 से दिनांक 26-5-98 तक किन-किन लोगों को स्थानीय स्तर से किन शर्तों पर क्या-क्या सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है और उनका क्या-क्या आपराधिक इतिहास है ? क्या यह सच है जनपद में ऐसे लोगों को भी सुरक्षा प्रदान की गई है जो पुलिस केसों में वांछित हैं और उनके विरुद्ध विवेचनायें प्रचलित हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं और उनकी सुरक्षा प्रदान करने का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 21-4-98 से 26-5-98 तक निम्नलिखित लोगों को उनकी जान माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें सरकारी व्यय/निजी व्यय पर स्थानीय स्तर से सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गयी ।

1–श्री धनवन्त लाल गुप्ता

2–श्री राम औतार शाक्य, मा० सदस्य विधान सभा

3–श्री राम नरेश अग्निहोत्री

4–श्री राजू यादव

5–श्री अरविन्द दीक्षित (सभी को शासकीय व्यय पर)

6–श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय 25% निजी व्यय पर

7–श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 25% निजी व्यय पर

8–श्री चन्द्र कुमार गुप्ता 100% निजी व्यय पर

9–श्री नरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी 25% निजी व्यय पर

उपरोक्त में से श्री राम नरेश अग्निहोत्री एवं श्री अरविन्द दीक्षित का आपराधिक इतिहास पाया गया, जो संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

<u>श्री राम नरेश अग्निहोत्री का आपराधिक इतिहास</u> :–

1–मु०अ०सं० 165/92 धारा 323/353 भादंवि थाना कोतवाली, मैनपुरी

2–मु०अ०सं० 652/96 धारा 395 भादंवि थाना कोतवाली, जनपद

<u>श्री अरविन्द दीक्षित का आपराधिक इतिहास</u> :–

1–अ०सं० 125/86 धारा 147/148/307/302/404 भा० दं० वि० थाना बेवर, मैनपुरी ।

2–अ०सं० 143/86 धारा 392 भा० दं० वि० थाना मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद ।

3–अ०सं० 625/86 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली, मैनपुरी

4–अ०सं० 50/90 धारा 504/506 भा० दं० वि० थाना बेवर, मैनपुरी

5–अ०सं० 224/90 धारा 147/224/225/504/506भा० दं० वि० थाना बेवर, मैनपुरी

6–अ०सं० 175/90 धारा 3 उ० प्र० गुन्डा अधि० थाना बेवर, जनपद मैनपुरी

7–अ०सं० 115/92 धारा 504/506/342/323भा० दं० वि० थाना बेवर मैनपुरी

8–अ०सं० 71/94 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बेवर मैनपुरी

9–अ०सं० 661/97 धारा 352/504/506 भा० दं० वि० थाना बेवर मैनपुरी

10–अ०सं० 56/98 धारा 323/342/225 भा० दं० वि० थाना बेवर मैनपुरी ।

जनपद प्रतापगढ़ के गम्भीर अपराधियों के अपराधों के विवरण संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

5–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जनपद प्रतापगढ़ के कुछ गम्भीर अपराधियों के अपराधों के विवरण सहित दिनांक 14-6-1997 को मुख्य मंत्री तथा 8-7-97 को डी० जी० पी० को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-6-97 प्राप्त हुआ है, किन्तु डी०जी०पी० को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-7-97 नहीं अपितु दिनांक 5-7-97 प्राप्त हुआ है ।

उक्त पत्रों पर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के माध्यम से जांच कराकर कार्यवाही की गई । पत्र में अंकित तीनों अपराधियों क्रमशः इन्द्रदेव तिवारी पुत्र रामवरन तिवारी, द्वारिका प्रसाद शुक्ल पुत्र राम कृपाल व अखिलेश सिंह पुत्र लाल साहब सिंह की क्रिमनल हिस्ट्री शीट खोलकर निगरानी कराई जा रही है । अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही भी की गई ।

सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, सुल्तानपुर को अमीन द्वारा कच्ची रसीद दिये जाने के संबंध में शिकायती-पत्र की जांच

6–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री शिव प्रताप मिश्र पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद मिश्र, ग्राम–दुरामऊ, पो० हरदो जामो का दिनांक 23-3-98 का रजि० प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित जिसमें प्रार्थी द्वारा जो वसूली अमीन द्वारा पैसा ले लेने के बाद कच्ची रसीद देने तथा बार-बार मांगने पर भी पक्की रसीद न देने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो क्या अब तक इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 30-6-98 को जांच की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में दिये गये पत्र पर कार्यवाही

7–श्री अफजाल अहमद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद की बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों की समस्याओं के बारे में विधायक श्री बांकेलाल सोनकर का दिनांक 6 अप्रैल, 1998

का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र में उठायी गयी समस्याओं का शासन द्वारा किये गये निराकरण का विवरण क्या है ? यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी तो क्यों ?

'पटेल', श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

समस्याओं के निराकरण का विवरण निम्नवत् है :–

1–वर्ष 97-98 में एक तथा वर्ष 98-99 में सात बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को क्रमशः 0.50 लाख रु० तथा 3.50 लाख रु० की आर्थिक सहायता मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध करायी गयी है ।

2–उपर्युक्त बीड़ी उद्योग में गोदाम निर्माण हेतु मानचित्र तथा व्यय प्राक्कलन रिपोर्ट उद्योग विभाग से प्राप्त करके जिला कार्यान्वयन कमेटी जौनपुर के अनुमोदनोंपरान्त नियमानुसार निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में बनायी गयी योजना

8–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या राजनीतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजादी की पचासवीं वर्षगांठ पर जनपद गोण्डा के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देवीबक्श सिंह की याद में सरकार कोई विकास योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्डस, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों एवं विशिष्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में स्मारकों/स्तम्भों का निर्माण कराया जाता है । जिलाधिकारी, गोण्डा से इस संदर्भ में एक स्मारक के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

9–श्री अजय कुमार पोइया–

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं०–168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि० सुल्तानपुर के कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान की कार्यवाही का न्यायालय द्वारा स्थगन

10–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुल्तानपुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि० सुल्तानपुर का रजिस्ट्रेशन विगत 22 मार्च, 1996 को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस भण्डार में कार्यरत कर्मचारियों की जमा जमानत, भविष्य निधि तथा उनके बकाये वेतन का भुगतान करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारियों की सेवा संबंधी अभिलेख सील्ड दुकानों एवं परिसर में अवस्थित होने एवं उस पर मा० उच्च न्यायालय का इनके खोले जाने पर स्थगन आदेश जारी हो जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई है ।

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि० सुल्तानपुर के कर्मचारियों के समिति को परिसमापन के समय समायोजन न किये जाने का प्राविधान

11–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुल्तानपुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि० सुल्तानपुर में कार्यरत 29 नियमित कर्मचारी जिनकी सेवा 10 वर्ष से 20 वर्ष की थी, संस्था उप निबन्धक सहकारी समितियां, फैजाबाद द्वारा बन्द कर दी गई हैं ? यदि हां, तो कर्मचारियों को दूसरे विभाग में समायोजित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

"पटेल" श्री राम कुमार वर्मा–

प्रश्नगत मामले में उप निबन्धक फैजाबाद द्वारा प्रश्नगत समिति को समापित करने का आदेश दिया गया तथा परिसमापक की नियुक्ति की गई ।

जी नहीं ।

समिति का परिसमापन किये जाने पर नियमों में कर्मचारियों के समायोजन का प्राविधान नहीं है ।

12–श्री दद्दू प्रसाद–

[दिनांक 22-6-98 को अता०प्र०सं० 12 द्वारा उत्तरित]

उ०प्र० पुलिस जर्नल पंजिका को पुलिस द्वारा क्रय किये जाने हेतु लगे प्रतिबन्ध से मुक्त होने की जानकारी

13–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19–7–97 प्रमुख सचिव, गृह उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को उ०प्र० पुलिस जर्नल पत्रिका को विभाग द्वारा क्रय किये जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके क्या-क्या बिन्दु हैं और उनमें अब तक क्या कार्यवाही की हुई ? यदि नहीं, तो क्यो ? क्या यह सही है कि पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय व पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से 14-9-95, 2-12-95, 27-9-96 व 5-10-96 को पुलिस विभाग द्वारा उक्त जर्नल के क्रय किये जाने हेतु परिपत्र जारी हुये ? यदि हां, तो अब प्रतिबन्ध लगाने का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पत्र का मुख्य बिन्दु यह है कि उ०प्र० पुलिस जर्नल पर क्रय हेतु पुलिस विभाग के परिपत्र दिनांक 17-10-96 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाया जाय । नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने हेतु पत्र को उ०प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को भेज दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार उ०प्र० पुलिस जर्नल को क्रय करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

प्रदेश के गृह विभाग द्वारा पत्रिकाओं/समाचार पत्रों पर वित्तीय वर्ष 1997–98 में किये गये खर्च का ब्योरा

14–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग में प्रदेश मण्डल जनपद व थाना स्तर तक किन-किन पत्रिकाओं/समाचार पत्रों को विभागीय स्तर पर सरकारी खर्चे पर क्रय करने के लिये अनुमन्य

किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1997–98 इस हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में कुल कितना खर्च किया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

विभागीय स्तर पर कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 1997–98 में पुलिस विभाग द्वारा कुल रु० 9,00,000/–व्यय किया गया है ।

जनपद मैनपुरी में थानाध्यक्ष किशनी द्वारा कत्ल के मामले में की गई जांच

15–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा मौरा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी के मौजूदा प्रधान, श्री कलक्टर सिंह के विरुद्ध अतिरिक्त एस०पी० के आदेश से थानाध्यक्ष, किशनी द्वारा माह फरवरी, 1998 में एक कत्ल के प्रकरण की जांच की गई और उसके विरुद्ध कत्ल में शरीक होने के आरोप प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा की कतिपय सहकारी समितियों द्वारा किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था

16–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में सभी सहकारी समितियां किसानों को खाद, बीज ऋण उपलब्ध करा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्द पड़ी सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

"पटेल" श्री राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

जनपद गोण्डा की 165 में से 13 समितियां किसानों को खाद बीज उपलब्ध करा रही हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निबन्धक को कार्य योजना बनाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद लखीमपुर में उत्तराधिकार के आधार पर शस्त्र लाइसेंस पाने वाले लम्बित प्रकरणों की संख्या तथा विलम्ब के कारण

17–श्री समरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर में उत्तराधिकारी शस्त्र लाइसेंस पाने वालों के कितने मामले लम्बित हैं ? उक्त लम्बित मामलों में शस्त्र लाइसेंस कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद लखीमपुर में उत्तराधिकार के आधार पर शस्त्र लाइसेंस पाने वालों के कुल 149 मामले लम्बित हैं ।

प्रश्नगत लम्बित प्रकरणों में निर्णय लिया जाना औपचारिकताओं के पूर्ण होने के उपरान्त मामले के गुण दोष पर निर्भर है।

श्री शिवराज सिंह चौहान निवासी गढ़िया किसनपुर थाना बेवर, जनपद मैनपुरी की सुरक्षा व्यवस्था की मांग

18–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कु० मायावती के नेतृत्व वाली सरकार के समय स्व० ब्रह्म दत्त द्विवेदी की हत्या में निरुद्ध रहे उपदेश सिंह चौहान के सगे भाई शिवराज सिंह चौहान निवासी गढ़िया किसनपुर, थाना-बेवर, जनपद मैनपुरी की 50 केसों की आपराधिक पृष्ठ भूमि होने के कारण शासन स्तर से सुरक्षा व्यवस्था की मांग निरस्त कर दी गई थी ? यदि हां, तो अब क्या उनके लिये स्थानीय स्तर से सुरक्षा व्यवस्था स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच का व्यापार-कर कार्यालय स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य

19–श्री राजधारी–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यापार-कर कार्यालय जनपद बहराइच को शहर से दूर गोण्डा रोड पर स्थानान्तरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि वर्तमान कार्यालय का किराया प्रतिमाह 135/–रुपये एवं जहां कार्यालय स्थानान्तरित किया जा रहा है वहां का किराया 12,000/–रुपया प्रतिमाह है ? यदि हां, तो क्या सरकारी धन का दुरुपयोग कर किसी को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यालय को स्थानान्तरित कराया जा रहा है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97, 1997-98 में कार्यालय स्थानान्तरित कराने हेतु भवन स्वामी द्वारा जो प्रपोजल प्रस्तुत किया गया था और स्वीकार भी हो गया था उसी के आधार पर भवन एवं स्थान पर कार्यालय शिफ्ट कराया जा रहा है ? क्या नया भवन कार्यालय के लिए उपयुक्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रकरण की एक उच्च स्तरीय जांच कराकर इसमें दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी नहीं।

यह सही है कि वर्तमान कार्यालय भवन (कारपेट एरिया 1326.77–वर्गफुट) का मासिक किराया रु० 135/–प्रतिमाह है, लेकिन इस भवन में स्थान कम होने व भवन बहुत पुराना/जर्जर स्थिति में होने के कारण बहराइच गोण्डा रोड मोहल्ला–डिगिहा स्थित श्री मनोजखेर के भवन (कारपेट एरिया 2904 वर्गफुट) को, जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा दिये गये किराया औचित्य प्रमाण-पत्र में उल्लिखित दर रु० 4/–प्रति वर्ग फुट की दर से प्रतिमाह रु० 11,616/–पर किराये पर लिये जाने हेतु शासन के आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 1996 द्वारा स्वीकृति दी गई थी, लेकिन व्यापार कर विभाग द्वारा उक्त भवन का कब्जा प्राप्त करने के पूर्व ही श्री मनोज खेर, भवन स्वामी द्वारा उक्त भवन किसी अन्य को किराये पर दे दिया गया। इस प्रकार श्री मनोज खेर, भवन स्वामी का उक्त भवन व्यापार-कर विभाग की किरायेदारी में नहीं है।

जी नहीं।

भवन स्वामी श्री मनोज खेर ने उक्त भवन के स्थान पर इसी भवन के पीछे बने नवनिर्मित भवन को किराये पर देने के लिए प्रस्ताव किया था, लेकिन नवीन प्रस्तावित भवन, विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाया गया व भवन स्वामी का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया । इस प्रकार उक्त नवीन भवन में कार्यालय शिफ्ट नहीं किया जा सका ।

जी नहीं ।

श्री मनोज खेर का पूर्व प्रस्तावित भवन विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप होने के कारण किराये की स्वीकृति दी गयी थी, लेकिन श्री मनोज खेर द्वारा पूर्व प्रस्तावित व स्वीकृत भवन किराये पर उपलब्ध न कराये जाने के कारण विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त ही नहीं किया गया । अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

राज्य सशस्त्र पुलिस (पी०ए०सी०) की गठित वाहिनियों की संख्या एवं सृजित सहायक सेनानायकों की पद संख्या तथा तैनाती का विवरण

20–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सशस्त्र पुलिस (पी०ए०सी) की कितनी वाहिनियां वर्तमान में है ? प्रति वाहिनी सहायक सेनानायक स्तर के कितने अधिकारियों के पद सृजित हैं ? वर्तमान में सहायक सेनानायक के कुल कितने पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं ? उक्त अधिकारियों के अधिकतर पद रिक्त होने का क्या कारण है ? क्या सरकार पी० ए० सी० के प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त हेतु कोई दीर्घकालीन योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में वर्तमान समय में पी० ए० सी० की कुल 34 वाहिनियां कार्यरत हैं ।

33 वाहिनियों में 3-3 तथा एक वाहिनी (9वीं वाहनी) में 10 सहायक सेनानायक स्तर के अधिकारियों के पद सृजित हैं ।

वर्तमान समय में सहायक सेनानायक के पद पर 54 अधिकारी कार्यरत हैं ।

प्रादेशिक सेवा के पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को पी० ए० सी० में सहायक सेनानायक के पद पर तैनात किया जाता है । वर्तमान समय में पुलिस उपाधीक्षक के कुल 889 पद स्वीकृत हैं तथा भौतिक रूप से 614 पुलिस उपाधीक्षक ड्यूटी हेतु उपलब्ध है । इन पुलिस उपाधीक्षकों को आवश्यकतानुसार जनपदीय तथा अजनपदीय शाखाओं में नियुक्त किया गया है । इस प्रकार अधिकांश पद रिक्त होने के कारण पी० ए० सी० सहित अन्य शाखाओं में रिक्ति बनी हुई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड शाहगंज के अम्बेदकर ग्राम राजेपुर में श्रम संविदा सहकारी समिति गठित करने की मांग

21–श्री अफजाल अहमद–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास खण्ड शाहगंज के अम्बेडकर ग्राम राजेपुर के श्रमिकों ने एक श्रम संविदा सहकारी समिति के गठन कराने का अनुरोध जिलाधिकारी, जौनपुर से वर्ष 1997-98 में किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में जांच कराई गई । ग्राम राजेपुर में स्वाश्रयी सहकारी समिति के गठन की संभावना नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में हुए अपराधों की संख्या एवं उसके नियंत्रण हेतु कार्य योजना

22–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में 21 सितम्बर, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक अपहरण, राहजनी, डकैती व हत्याओं के कितने मामले दर्ज हुए हैं ? क्या यह सही है कि पिछले सालों की अपेक्षा उक्त समय का औसत बढ़ा है ? यदि हां, तो क्या कानून व्यवस्था सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना तैयार की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद आगरा में आलोच्य अवधि में अपहरण के 4, राहजनी के 66, डकैती के 21 तथा हत्या के 68 मामले दर्ज हुए हैं ।

जी हां ।

शासन द्वारा इस निमित्त स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है । साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर अपराधो के नियंत्रण हेतु नगर क्षेत्र में गश्त व पिकेट पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा शातिर किस्म के अपराधियों को पकड़ने हेतु समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग की जा रही है ।

मो० इदरीस पुत्र जुम्मन आदि ग्राम गोरियाबाद द्वारा सहायक निबन्धक सुल्तानपुर को दिये गये शिकायती-पत्र पर जांच

23–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निबन्धक, सुल्तानपुर को संबोधित मोहम्मद इदरीस पुत्र जुम्मन, महराजदीन पुत्र सुखा तथा विपत पुत्र जुम्मन निवासी ग्राम गोरियाबाद जामो, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 1-12-1997 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई जांच की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

जांच में समिति के तत्कालीन सचिव एवं चौकीदार दोषी पाये गये । दोषी सचिव पूर्व से ही निलम्बित है । शिकायतकर्ता श्री विपत से वसूल की गई धनराशि, जो श्री जागेश्वर, चौकीदार के पास थी, उसे जमा करा दिया गया है । अन्य दो शिकायतकर्ताओं के मामले में मध्यस्थ की कार्यवाही का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक बलिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश

24–श्री भरत सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा मार्च, 1998 के अन्तिम सप्ताह में जनपद बलिया में जिला सहकारी बैंक एवं उसकी विभिन्न शाखाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या दोषी लोगों को दण्डित करने की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

प्रकरण की जांच कराई गयी ।

दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा–68(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है तथा दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु जिला सहकारी बैंक बलिया को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर की मालविका स्टील लि० कम्पनी के विरुद्ध कथित रूप से प्रदूषण फैलाये जाने संबंधी शिकायत की जांच

25–डा० मो० मुस्लिम–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में स्थित मालविका स्टील लिमिटेड कम्पनी द्वारा क्षेत्र में बराबर प्रदूषण फैलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त कम्पनी के आस-पास के लगभग दो कि० मी० की परिधि में वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है और प्रदूषण की लपेट में लगभग 29 गांव आ गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी के विरुद्ध जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत उद्योग से दिनांक 2-4-98 को निस्तारित उत्प्रवाह की गुणवत्ता जांचोपरान्त निर्धारित मानकों से कम पायी गयी और दिनांक 2-4-98 व 3-4-98 को उद्योग के वायु उत्सर्जन की गुणवत्ता जांचोपरान्त निर्धारित मानकों से कम पायी गयी । दिनांक 22-6-98 को निरीक्षण करने पर उद्योग कार्यरत नहीं पाया गया । दिनांक 11-5-98 से उद्योग बन्द होने की सूचना प्राप्त हुयी । ध्वनि प्रदूषण की जांच उद्योग तथा निकट के चार गांवों के 12 स्थलों पर किये जाने पर ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित किये जाने का लम्बित मामला

26–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मुन्सिफ न्यायालय कब से कार्य प्रारम्भ कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय का अभिमत प्राप्त होने पर, भूमि/भवन की उपलब्धता और वित्तीय संसाधनों को देखते हुये उक्त न्यायालय की स्थापना के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी पीलीभीत को जनपद में अनधिकृत लाइसेन्स निरस्त किये जाने संबंधी तत्कालीन विधायक के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

27–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 7-8-97, जिलाधिकारी, पीलीभीत को दूसरे जनपद से अनधिकृत रूप से प्राप्त शस्त्र लाइसेन्स धारक के लाइसेन्स को निरस्त किये जाने विषयक प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जांचोपरान्त शस्त्र लाइसेन्स अनधिकृत पाया गया है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त लाइसेन्स को निरस्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । उक्त पत्र में श्री राधेश्याम पुत्र श्री राममूर्ति लाल, ग्राम–हुसैनापुर, थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत द्वारा प्रशासन को गुमराह करके थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी से प्राप्त शस्त्र लाइसेन्स को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

जी हां । जांच करने पर शिकायत सही पायी गई है ।

उक्त अनाधिकृत शस्त्र लाइसेन्स को सम्प्रति निलम्बित कर दिया गया है तथा लाइसेन्सी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया है जिसका उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त ही लाइसेन्स निरस्तीकरण के संबंध में विचार कर निर्णय लिया जाना संभव होगा ।

श्री अभिमन्यु दुबे तत्कालीन थानाध्यक्ष जामो, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

28–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री बृजलाल पुत्र रामपाल (अनु०जाति) ग्राम व पोस्ट अपलपुर, थाना जामो द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, फैजाबाद, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को प्रेषित रजि० प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-1-96 द्वारा एवं दिनांक 23-1-96 जो स्वयं पुलिस अधीक्षक के सम्मुख उपस्थित होकर तत्कालीन थानाध्यक्ष जामो, श्री अभिमन्यु दुबे द्वारा मारने-पीटने, प्रताड़ित करने तथा रु० 5000/- जबरिया लेने की शिकायत की गयी थी ? क्या यह सही है कि उपरोक्त श्री बृजलाल ने माननीय जिला जज के सम्मुख बयान हल्फी देकर 5000/– लेने तथा प्रताड़ित करने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो इसकी जांच कब और किस अधिकारी द्वारा की गयी ? जांच में कितनी गवाहियां कहां-कहां रिकार्ड की गयी हैं ? क्या जांचोपरान्त कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जांच हेतु शिकायत-कर्ता का पत्र दिनांक 11-11-96 को क्षेत्राधिकारी गौरीगंज को प्राप्त हुआ था । दिनांक 28-11-97 को शिकायतकर्ता एवं शपथकर्ता श्री बृजलाल के बयान अन्तर्गत धारा 161 द० प्र० सं० के अनुसार लिया गया । आवेदक श्री बृजलाल को शपथ-पत्र पढ़कर सुनाने पर उसने बताया कि शपथ-पत्र में अंकित सारी बातें गलत लिखी गयी हैं । इसके अतिरिक्त लिखित आरोपों के संबंध में कोई भी गवाह उपलब्ध नहीं हुआ । जांच से लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये इसलिये किसी कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कुछ क्रिमिनल मिसलेनियस याचिकाओं को उ० प्र० शासन का सी० बी०, सी० आई० डी० से सिविल पुलिस को विवेचना स्थानान्तरित करने का आदेश तथा 24-4-98 तक स्थगित करने के आदेश के कारणों की जानकारी

29–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने क्रिमिनल मिसलेनियस याचिका सं० 2105 सन् 1998 कौशलेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में दिनांक 15-5-98 को दिये गये निर्णय/स्थगन आदेश में अपराध सं०–286/96 थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी (सी० बी० नं०–826/96) के केस में उ० प्र० शासन का सी० बी०, सी० आई० डी० से सिविल पुलिस को विवेचना

स्थानान्तरित करने का आदेश दिनांक 24-4-98 स्थगित कर विवेचना सी० बी०, सी० आई० डी० द्वारा ही जारी रखने का आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो उ० प्र० शासन एवं पुलिस प्रशासन मैनपुरी को इस तथ्य की प्रथम बार जानकारी कब और कैसे हुई ? क्या माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब और कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त याचिका में दिये गये आदेश का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । मा० उच्च न्यायालय द्वारा शासन के आदेश दिनांक 22-4-98 को स्थगित कर विवेचना सी० बी०, सी० आई० डी० द्वारा जारी रखने का आदेश दिनांक 15-5-98 को पारित किया गया था ।

प्रश्न में उल्लिखित क्रिमिनल मिसलेनियस याचिका संख्या 2105/98 कौशलेन्द्र सिंह बनाम स्टेट के याची कौशलेन्द्र सिंह द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करके दिनांक 21-5-98 को शासन को प्रस्तुत की गयी । मा० उच्च न्यायालय का उक्त आदेश थाना भोगांव मैनपुरी पर रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दिनांक 25-5-98 को प्राप्त हुआ ।

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश अनुपालन में संदर्भित अभियोग की विवेचना दिनांक 19-6-98 को सी० बी०, सी० आई० डी० द्वारा ग्रहण कर ली गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

30–श्री राम औतार शाक्य–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर में अपराध सं० 296/97 की विवेचना जारी

31–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ में मु० अ० सं०–296/97 धारा 420/467/468/469/471/406 आई० पी० सी० 1-4-97 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उपरोक्त की भांति मु०अ०सं०–947/97 श्री महंथ यादव, निवासी पट्टी द्वारा पंजीकृत कराया गया था ? यदि हां, तो उसकी विवेचना कब शुरू की गयी और जांच के परिणाम क्या हैं ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र डी० जी० पुलिस, उ० प्र० को 8-7-97 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित अभियोग की विवेचना प्रचलित है ।

श्री महंथ यादव, निवासी पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा ना तो थाना पट्टी में और न ही थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ में अभि० अ० सं० 947/97 पंजीकृत कराया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर० पी० शर्मा इन्सपेक्टर, कोतवाली गाजियाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

32–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर० पी० शर्मा, इन्सपेक्टर, कोतवाली गाजियाबाद के विरुद्ध प्रश्नगर्ता के कुल कितने शिकायती पत्र महानिदेशक, पुलिस को वर्ष 1996 से दिसम्बर, 1997 में दिये गये ? उनके विरुद्ध कितने मामलों की जांच लम्बित है ? क्या मंत्री जी अपराधिक मामलों में जांच

करने वाले अधिकारी का नाम बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि पुलिस विभाग, जनपद गाजियाबाद में स्थानान्तरण नीति का पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । दो पत्र ।

आरोप सत्यापित नहीं पाये गये ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।,

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पिट्टू पुत्र श्री राम जी धोबी ग्राम भरकछा पुलिस चौकी बरही, थाना झंगहा, गोरखपुर द्वारा एस० सी०/एस०टी० के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें तथा सहायता राशि का विवरण

33–श्रीमती गौरी देवी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा में मु० अ० सं०–495/94 अन्तर्गत धारा 506/427 भा० दं० वि० व (1)10 एस० सी०/एस०टी० (पी०ए०) ऐक्ट में दिनांक 4-12-94 में श्री पिट्टू पुत्र श्री रामजी धोबी, ग्राम भरकछा, पुलिस चौकी–बरही, थाना झंगहा, गोरखपुर ने प्राथमिकी अंकित करायी है । यदि हां, तो सहायता धनराशि उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण विभाग, गोरखपुर को इनका नाम अब तक क्यों नहीं प्रेषित किया गया ? कब तक अनुमन्य धनराशि दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । अपितु दिनांक 10-12-94 को इनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मु० अ० सं० 485/95 अन्तर्गत धारा 506/427 भा० दं० वि० व 3(1)10 एस० सी०/एस०टी० ऐक्ट पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 30-6-98 को पत्र प्रेषित किया गया है कि 2000/- धनराशि शीघ्र दे दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के कतिपय फाइनेन्स कम्पनियों द्वारा गबन के आरोप में उनके खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग

34–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में विगत दिनों दो फाइनेन्स कम्पनी जी० वी० जी० फाइनेन्स व हिलियंस ग्रुप आफ फाइनेंस कम्पनी द्वारा अपने व्यवसाय को अचानक बन्द कर दिया गया है तथा जनता की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपयों का गबन कर लिया गया है ? क्या उपरोक्त फ़ाइनेन्स कम्पनियों के खिलाफ राज्य सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

उक्त फाइनेन्स कम्पनी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स के यहां पंजीकृत नहीं है इसलिये रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज द्वारा कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है । क्योंकि कम्पनीज ऐक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों के कार्य कलापों के संबंध में कार्यवाही किये जाने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक/रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज को प्राप्त है जो राज्य सरकार के अधीन नहीं है । प्रश्न के आधार

पर जानकारी होने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज/भारतीय रिजर्व बैंक को लिखा गया है।

श्री गिरधर गोपाल, पत्रकार निवासी मकबूलगंज लखनऊ द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर जांच

35–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, गृह के पत्रांक 2123/प्र०स०/गृह/98, दिनांक 4-4-98 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रकरण की जांच कराने के संबंध में निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो शासन को क्या जांच आख्या प्रेषित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी हां। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ की जांच आख्या दिनांक 29 मई, 1998 शासन को प्राप्त हो गयी है। जांच से पाया गया कि आवेदक श्री गिरधर गोपाल, पत्रकार निवासी 86/54 मकबूलगंज जनपद लखनऊ के मकान में श्री लाल बहादुर सिंह कांस्टेबिल एवं उनका परिवार विगत 13-14 वर्ष से किराये पर रह रहा है। आवेदक गिरधर गोपाल उक्त मकान को खाली कराना चाहते हैं। किरायेदार का कहना है कि वह दूसरा मकान ढूढ़ रहा है तथा अन्य मकान मिलते ही वह उक्त मकान खाली कर देगा। मारपीट एवं धमकी देने विषयक आवेदक द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों को स्थानीय पुलिस द्वारा हिदायत दे दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के थाना मऊ में मृतक श्री लियाकत खां की हत्यारों द्वारा लूटी गई दोनाली बन्दूक की बरामदगी की मांग

36–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० अ० सं०–1/97 दिनांक 4-1-97 थाना मऊ, जिला छत्रपति शाहू जी महाराजनगर में मृतक श्री लियाकत खां की दोनाली बन्दूक हत्यारे लूट ले गये थे ? यदि हां, तो क्या वह दोनाली बन्दूक तथा हत्या में प्रयोग की गयी बन्दूक पुलिस ने बरामद नहीं की ? दोनों बन्दूकों की बरामदगी हेतु क्या अभियुक्तों को रिमाण्ड पर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शिथिलता बरतने वाले पुलिसकर्मी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां। लियाकत खां की हत्या कर बदमाश उनकी दोनाली बन्दूक उठा ले गये थे जिसके संबंध में थाना मऊ जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर पर मु० अ० सं०–1/97 नहीं वरन मु०अ०सं०–2/97 दर्ज किया गया।

जी हां।

जी नहीं।

दोनों बन्दूकों की बरामदगी हेतु विवेचक द्वारा दिनांक 14-2-97 व 20-2-97 को रिमाण्ड हेतु न्यायलय से अनुरोध किया गया था, परन्तु मा० न्यायालय द्वारा अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण कथित बन्दूकों की बरामदगी नहीं की जा सकी।

जी नहीं। पुलिस कर्मियों द्वारा कोई शिथिलता नहीं बरती गयी।

जनपद बागपत के ब्लाक खेकड़ा के ब्लाक प्रमुख श्री राम किशन एवं उनकी पत्नी के हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

37–श्री रूप चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बागपत की खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र के खेकड़ा ब्लाक के ब्लाक प्रमुख श्री राम किशन व उनकी पत्नी की माफियाओं द्वारा गत वर्ष हत्या कर दी गयी थी ? क्या उक्त हत्याकांड में हत्यारों को नामजद किया गया था ? यदि हां, तो सरकार उस दिशा में हत्यारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

खेकड़ा ब्लाक के तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री राम किशन एवं उनकी पत्नी श्रीमती धर्मवती की दिनांक 5-11-96 को की गई हत्या के संबंध में थाना अमीनगर सराय पर मु०अ०सं०–120/96 धारा 147/148/149/307/302/504/506 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 10-1-97 को विवेचना सी०बी०, सी०आई०डी० से कराये जाने के आदेश पारित किये । मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस अभियोग की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा की गयी तथा इस अभियोग में नामजद तीनों अभियुक्त मदन भैया, यतेन्द्र व नरेश के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 10-2-98 को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के निबन्धन लिपिकों को गैर जनपदों में स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य

38–श्री सुशील शाक्य–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धन लिपिकों को गैर जनपदों को स्थानान्तरित किये जाने के लिये इस पद को संवेदनशील घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या इन्हें संवेदनशील घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या इन्हें संवेनशील पद का वेतनमान दिया जा रहा है अथवा नहीं ? इस पद को संवेदनशील घोषित किये जाने का आधार क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । ऐसा कोई वेतनमान देय नहीं है ।

रजिस्ट्री कार्यालयों में अधिक दिन तक रह लेने के बाद निबन्धन लिपिकों एवं दस्तावेज लेखकों में सांठ-गांठ की संभावना जिसके फलस्वरूप परिसम्पत्तियों का कम मूल्य दिखाकर स्टाम्प शुल्क के अपवंचन में सहयोग देने की संभावना तथा अधिक दिन की तैनाती हो जाने पर कतिपय निबन्धन लिपिकों के पास अनधिकृत रूप से अर्जित सम्पत्ति का पाया जाना तथा स्वयं अथवा अपने परिवार के नाम जमीन खरीदने-बेचने में लगने की संभावना आदि अनेक आधार हैं जिनके कारण निबन्धन लिपिक का पद संवेदनशील है । इसके पीछे मुख्य उद्देश्य निबन्धन कार्यालयों में संभावित भ्रष्टाचार की रोकथाम है ।

प्रदेश के महानिरीक्षक निबन्धन/सहा० महानिरीक्षक निबन्धन के लिपिकों को अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण के आधार

39–श्री सुशील शाक्य–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा निबन्धन लिपिकों के अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण से संबंधित नियमावली में निहित जिला निबन्धक के अधिकारों में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि नहीं, तो महानिरीक्षक, निबन्धन/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा वर्ष 1996 से अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण किस आधार पर किये जा रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

शासकीय अधिसूचना संख्या–एस०आर०–971/11-91-312(198)/90 दिनांक 20-3-91, द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन उ० प्र० इलाहाबाद को निबन्धन लिपिकों का नियुक्ति प्राधिकारी घोषित किया गया है तथा महानिरीक्षक निबन्धन ने परिपत्र सं० 7013/चार–412 दिनांक 17-6-91 द्वारा जिला निबन्धकों को निबन्धन लिपिकों के कतिपय कार्यों को सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया था जिसमें जनपद में स्थानान्तरण का अधिकार भी दिया गया था, बाद में महानिरीक्षक निबन्धन के एक अन्य परिपत्र संख्या–9348-915/चार 412-दिनांक 21-6-96 द्वारा उक्त अधिकार वापस लेते हुए जनपद के अन्दर स्थानान्तरण हेतु कतिपय शर्त के अधीन उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को प्रदान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निबन्धन विभाग में निबन्धन लिपिकों के सेवा संबंधी लम्बित मामलों की संख्या एवं उनका निस्तारण

40–श्री सुशील शाक्य–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धन विभाग में निबन्धन लिपिकों के सेवा संबंधी कितने मामले प्रोन्नति, प्रोन्नति वेतनमान, स्थायीकरण, दक्षता रोक, विभागीय कार्यवाही एवं अवकाश स्वीकृति से संबंधित महानिरीक्षक, निबन्धन स्तर पर लम्बित हैं ? क्या इनके समयबद्ध निस्तारण हेतु कोई रूपरेखा महानिरीक्षक, निबन्धन स्तर पर अपनायी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

निबन्धन विभाग में निबन्धन लिपिकों के सेवा संबंधी कुल 223 मामले महानिरीक्षक निबन्धन स्तर पर लम्बित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1. प्रोन्नति	35
2. प्रोन्नति वेतनमान	63
3. स्थायीकरण	38
4. दक्षतारोक	29
5. विभागीय कार्यवाही	13
6. अवकाश	45

जी नहीं।

सेवा संबंधी प्रकरण पृथक-पृथक समय पर निरन्तर प्रक्रिया में उद्घटित होते रहते हैं, जिनका नियमानुसार निस्तारण किया जाता है।

निबन्धन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी लिपिकों को विनियमित करने की मांग

41–श्री सुशील शाक्य–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, कर एवं संस्थागत वित्त ने अपने पत्रांक क०स०वि०–5/11-1997 दिनांक 17-11-97 के द्वारा महानिरीक्षक, निबन्धन से विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी निबन्धन लिपिकों को विनियमित करने हेतु आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ गोण्डा को अधूरे कार्य पूर्ण कराने हेतु स्वीकृत धनराशि एवं उसकी जांच

42–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के विकास खण्ड में गैंडास बुजुर्ग में कार्यदायी विभाग उ० प्र० सहकारी विधायन एवं शीतग्रह संघ (पैक्स पेड) गोण्डा को वर्ष 1995-96 में अधूरे कार्य हेतु 7.13 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? क्या यह सही है कि जो कार्य कराये गये हैं वह मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी टी० ए० सी० से जांच करायेगी और दोषी सहायक अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

प्रश्नगत अधूरे मार्गों को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 1995-96 में मात्र 1.31 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

प्रारम्भिक जांच से कार्य में कुछ कमियां पाई गईं।

फिलहाल टी०ए०सी० से जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

इसमें विभागीय जांच के आधार पर कार्यवाही पर्याप्त होगी।

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला में अधूरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु आवन्टित धनराशि तथा घटिया निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

43–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में मिट्टी, पुलिया अधूरे कार्य हेतु कार्यदायी विभाग उ० प्र० सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ (पैक्स पेड) गोण्डा को वर्ष 1995-96 में 13.15 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो उससे क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य मानक के अनुसार नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी सहायक अभियन्ता के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

प्रश्नगत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 1995-96 में केवल रु० 3.995 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ।

मिट्टी, खड़न्जा एवं पुलिया निर्माण का कार्य कराया गया । प्रारम्भिक जांच से कार्य में कुछ कमियां पाई गईं ।

जी हां । दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

44–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[दिनांक 22-6-98 को ता० प्र० सं० 107 द्वारा उत्तरित]

पी० सी० एफ० में अवकाश यात्रा की सुविधा उनके ही आदेश के अनुरूप देय

45–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (एल० टी० सी० अवकाश यात्रा की स्वीकृति हेतु जारी शासनादेश संख्या–4-161(1)/दस–98-604/92, दिनांक 28 फरवरी, 1998 का अनुपालन उ० प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि माह मई, 1998 को एल० टी० सी० हेतु पी० सी० एफ० से लिस्ट जारी की गयी है उसमें कुछ कर्मचारियों द्वारा जो यात्रा करने के पश्चात् कार्यालय को पेपर प्रस्तुत किये गये हैं वह उक्त शासानदेश के विरुद्ध हैं ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों के नाम व पद क्या हैं ? क्या सरकार उपरोक्त शासनादेश के विरुद्ध यात्रा करने वाले कर्मचारियों के साथ इनके पूर्ण भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन (पी०सी०एफ०) में अवकाश यात्रा की सुविधा पी० सी० एफ० के आदेश संख्या : पी० सी० एफ०/स्था०/द–3/450 दिनांक 4-7-97 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, जो उक्त वर्णित शासनादेश दि० 28-2-98 से पूर्व निर्गत हैं । शासनादेश पी० सी० एफ० में स्वतः लागू नहीं होते हैं, अपितु प्रबन्ध समिति/संचालक मण्डल द्वारा आवश्यकतानुसार लागू (एडाप्ट) किये जाते हैं। शासनादेश संख्या 4-161(1)/दस–98/604/92 दिनांक 28-2-98 पी० सी० एफ० में लागू (एडाप्ट) नहीं किया गया है ।

फलस्वरूप शेष बिन्दुओं के परीक्षण का प्रश्न नहीं उठता है ।

उ० प्र० पुलिस रेडियो विभाग को दिल्ली पुलिस वायरलेस के पदों के समान वेतनमान दिये जाने की मांग

46–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रेडियो विभाग क्या पुलिस विभाग की शाखा है ? यदि हां, तो क्या इनके पद व वेतनमान पुलिस के समान हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या चतुर्थ वेतन

आयोग में उ० प्र० पुलिस के पदों के वेतनमान दिल्ली पुलिस के वेतन के समान हैं ? यदि हां, तो पुलिस रेडियो शाखा का दिल्ली पुलिस वायरलेस के पदों के समान वेतनमान न होने का क्या कारण है ? क्या माननीय उच्च न्यायालय उ० प्र० की लखनऊ बेंच में दिनांक 11-9-96 को अन्तरिम आदेश में दिल्ली के ए० एस० आई०/एस० आई० वायरलेस के बराबर प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक के यांत्रिक को वेतन में समायोजित करने हेतु आदेश दिया है ? यदि हां, तो उपरोक्त विसंगति कब तक दूर हो जायेगी ? क्या पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट में इस विभाग की विसंगति दूर की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

पुलिस रेडियो शाखा के कतिपय पद दिल्ली पुलिस रेडियो शाखा में न होने के कारण विसंगतियां विद्यमान हैं ।

जी हां ।

प्रकरण वेतन विसंगति तथा पुनरीक्षित भत्तों के संबंध में वित्त (वेतन समिति) के समक्ष विचाराधीन है समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन द्वारा रिपोर्ट प्राप्त के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा ।

प्रदेश के प्रत्येक थानों में विकल्प के आधार पर पीने के पानी की समस्या का समाधान

47–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार प्रदेश में पीने के पानी की समस्या से ग्रसित प्रत्येक थानों में इंडिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पीने के पानी की समस्या का समाधान तकनीकी दृष्टिकोण से उचित विकल्प के आधार पर किया जाता है । जहां कहीं इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की स्थापना की जानी उपयोगी पाई जाती है वहां आवश्यकता/मांग के अनुसार पुलिस मुख्यालय उ० प्र० समुचित व्यवस्था करते हैं ।

जनपद वाराणसी में चौक थाना स्थित आंगडिया कम्पनी की ट्रक में भरी बनारसी साड़ियों को गायब करने वाले अपराधियों के विरुद्ध आरोप-पत्र

48–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में जनवरी, 1998 में चौक थाना स्थित एक आंगडिया कम्पनी के मार्फत बुक किये गये बनारसी साड़ियों का पूरा ट्रक गायब हो गया और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा ? क्या उक्त गायब किये गये बनारसी साड़ियों के ट्रक की बरामदगी हेतु बनारसी साड़ी का कारोबार पूर्णतः बन्द रहा ? क्या इस प्रकार से बुक किये गये माल सहित ट्रक के गायब होने में किसी पुलिस कर्मचारी का भी हाथ था ? क्या उक्त गायब हुए माल की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी में पुलिस सफल हो पायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । अपराधियों द्वारा मात्र साड़ियां ही गायब की गई थी । ट्रक गायब नहीं किया गया था ।

जी नहीं ।

साड़ियों के गायब होने में एक कान्सटेबिल को दोषी पाया गया था।

जी हां। साड़ियों के पांच बण्डल बरामद कर लिये गये हैं यद्यपि एफ० आई० आर० में दो बण्डल की सूचना थी। श्री अब्दुल रहीम के शिकायत के आधार पर नामित अभियुक्त श्री प्रमोद श्रीवास्तव एवं जियालाल के अतिरिक्त आठ अभियुक्त प्रकाश में आये। विवेचना पूर्ण कर सभी दसो अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–ए–12, दिनांक 10-3-98 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। जो विचाराधीन न्यायालय है। इस प्रकरण में दोषी पाए गए कान्सटेबिल मनमोहन गुप्ता, जिसका चालान उक्त अभियोग में हुआ है, को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

49–श्री अफजाल अहमद–

[दिनांक 22–6–98 को अता० प्र० सं० 23 द्वारा उत्तरित]

50–श्री उबैदुर्रहमान–

[स्पस्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद मुरादाबाद में संचालित ईंट-भट्ठों की संख्या एवं चिन्हीकरण

51–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मुरादाबाद में वर्तमान समय में कितने ईंट भट्ठे संचालित हैं ? क्या यह सही है कि कतिपय भट्ठे ऐसे हैं जो शहर के नजदीक हैं और जिसके प्रदूषण से वहां के निवासियों में भयानक बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जनपद मुरादाबाद में संचालित 170 ईंट भट्ठों का चिन्हिकरण उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया है।

जी नहीं। मुरादाबाद शहर की नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत वर्तमान में कोई ईंट भट्ठा संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के ग्राम धनौला कलां में पुलिस चौकी बनाये जाने हेतु मुख्यालय से प्रस्ताव की मांग

52–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्यारहवीं विधान सभा की सदन के बैठक दिनांक 28 अप्रैल, 1992 को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के संदर्भ में आगरा जनपद के थाना निवोहरा के अन्तर्गत धनौला कलां में पुलिस चौकी भवन का निर्माण कराया जाना स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त भवन का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्यारहवीं विधान सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 137 में केवल यह उत्तर दिया गया था कि ग्राम धनौला कलां में पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त चौकी के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया गया । परीक्षणोपरान्त चौकी स्थापना का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया एवं आश्वासन संख्या 570/92 में आश्वासन समिति को पत्रांक 1325 (1)/पी/छ–पु०–6-93–300 (66)/91, दिनांक 26 जुलाई, 1994 में अवगत भी कराया जा चुका है ।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस चौकी भवन स्थापित किये जाने हेतु निर्माण कभी भी स्वीकार नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के नागरिक सहकारी बैंक राजाजीपुरम् शाखा द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

53–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि विधायक फिरोजाबाद माननीय रघुबर दयाल वर्मा द्वारा नागरिक सहकारी बैंक राजाजीपुरम्, लखनऊ की अनियमितताओं का शिकायती-पत्र उन्हें तथा सचिव, सहकारिता व निबन्धक को दिनांक 14-7-1997, 23-8-1997, 4-10-1997, 6-11-1997, 5-2-1998 एवं 24-3-1998 को दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जांच करायी गई । वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–68 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली में डा० सुधीर बाजपेयी आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज एवं नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी

54–श्री दीपक कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-5-1998 को थाना कोतवाली, जनपद उन्नाव में डा० सुधीर कुमार बाजपेयी व उसके दोनों पुत्रों निखिल व सोनू के खिलाफ मु०अ०सं० 631/98 धारा 324/504/506 ता० हि० में रिपोर्ट दर्ज की गयी ? यदि हां, तो उसमें अभी तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

थाना कोतवाली उन्नाव में दिनांक 16-5-98 को डा० सुधीर कुमार बाजपेयी, निखिल बाजपेई, सोनू बाजपेई के विरुद्ध मु०अ०सं० 631/98 नहीं वरन् मु०अ०सं०–637/98 अन्तर्गत धारा 304/506/504 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया है ।

उक्त अभियोग में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अथक प्रयासों के बावजूद नामित अभियुक्त दस्तयाब नहीं हुये । उक्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु कई बार दबिश दी गई, परन्तु अभियुक्तगण गिरफ्तार नहीं किये जा सके । दिनांक 16-6-98 को नामित तीनों अभियुक्तगण मा० न्यायालय सी० जे० एम० उन्नाव की अदालत में हाजिर होकर जमानत करा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैन्पुरी के थाना बेवर में अपराध संख्या 171 एवं 172/98 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों में अपराधियों के नाम एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही

55–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 171/98 एवं 172/98 थाना बेवर जनपद-मैनपुरी एवं अपराध संख्या 549/98 थाना कोतवाली मैनपुरी जनपद में कब, किस किसके विरुद्ध किसके द्वारा और किस धारा में मुकदमा पंजीकृत किये गये और उन केसों के अब तक कौन-कौन विवेचक रहे तथा उनमें नामित अभियुक्तों का अब तक का क्या अपराधिक इतिहास है ? क्या यह सही है कि उक्त केसों की विवेचना जनपद मैनपुरी के बजाय सिविल पुलिस एटा अथवा अन्यत्र स्थनान्तरित कर दी गई है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त केसों के अभियुक्तों को गिरफ्तार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मु०अ०सं० 171/98 थाना बेवर पर दिनांक 16-4-98 को अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई एवं शिवराज सिंह के भतीजा तथा अन्य साथी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध वादी श्री राम किशोर द्वारा अन्तर्गत धारा 384/323/506 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया गया । इस अभियोग के विवेचक श्री के० डी० भूमिला थानाध्यक्ष बेवर है । नामित अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई के विरुद्ध 49 अभियोग पंजीकृत हैं । मु०अ०सं० 172/98 थाना बेवर पर दिनांक 16-4-98 को अभियुक्तगण शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई संतोष सिंह, सुरेन्द्र सिंह, टीटू, पिस्सू, जनेश, मुनेश देवेन्द्र उर्फ करू, विजेन्द्र उर्फ भल्लू तथा 15–20 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध श्री के० डी० भूमिला थानाध्यक्ष बेवर द्वारा अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/353/224/225 भा०दं०वि० 7 क्रिमि० ला० अमेन्डमेन्ट एक्ट पंजीकृत कराया गया । इस अभियोग की विवेचना श्री आर० डी० उपाध्याय उ० नि० द्वारा प्रारम्भ की गयी । तत्पश्चात् विवेचना जनपद एटा स्थानान्तरित हुई । नामित अभियुक्तों में शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई के विरुद्ध 49, संतोष सिंह के विरुद्ध 10, सुरेन्द्र के विरुद्ध 3, टीटू के विरुद्ध 6, पिस्सू के विरुद्ध 1, जनेश के विरुद्ध 2 मुकेश के विरुद्ध 15, देवेन्द्र उर्फ करू के विरुद्ध 10, विजेन्द्र उर्फ भल्लू के विरुद्ध 9 अभियोग पंजीकृत है । मु० अ० सं० 549/98 थाना कोतवाली मैनपुरी में दिनांक 22-5-98 को अभियुक्तगण उपदेश सिंह चौहान, प्रेमपाल सिंह उर्फ प्रेम सिंह, पिंकी दुबे, ककवा, भल्लू के विरुद्ध वादी श्री एस० पी० तिवारी कारापाल, जिला कारागार मैनपुरी द्वारा अन्तर्गत धारा 147/332/353/504/506 भा०दं० वि० पंजीकृत कराया गया । इस अभियोग की विवेचना उ० नि० श्री नौना राम यादव द्वारा प्रारम्भ की गयी तथा अब विवेचना उ० नि० श्री एम० एस० खान द्वारा की जा रही है । नामित अभियुक्त उपदेश सिंह के विरुद्ध 62 अभियोग पंजीकृत हैं ।

उपरोक्त अपराधों में अपराध संख्या 172/98 की विवेचना जनपद मैनपुरी से एटा को स्थानान्तरित की गयी । शेष दोनों अपराधों की विवेचना मैनपुरी जनपद स्तर से ही हो रही है । शासकीय निर्णय के अधीन विवेचना स्थानान्तरित की गयी है ।

मु०अ०सं० 171/98 व 172/98 में अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तारी व अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । मु०अ०सं० 549/98 के अभियुक्तों में से अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा जेल में है, शेष अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम गढ़िया किसनपुर में गांव की सुरक्षा हेतु लगाये गये दो सशस्त्र आरक्षी

56–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व० ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में जेल में रहे उपदेश खलीफा के सगे भाई शिवराज पी० टी० आई० के अपराध संख्या 171/98 धारा 384 आई० पी० सी० एवं 172/98 धारा 332/357/307 आई० पी० सी० थी थाना बेवर जनपद मैनपुरी के केसों में वांछित रहने के बावजूद उसके ग्राम/आवास ग्राम-गढ़िया किसनपुर थाना–बेवर जनपद मैनपुरी पर दो आरक्षी 11-5-98 के बाद तैनात किये गये ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ? क्या यह सच है कि उक्त केसों के नामित/वांछित अभियुक्त एवं अपराध संख्या 549/98 धारा 332/353/506 आई० पी० सी० थाना कोतवाली मैनपुरी के उक्त उपदेश खलीफा के अलावा उसके गिरोह के अन्य लोग उक्त दोनों पुलिस आरक्षियों को अपने साथ दीवानी, कलेक्ट्री मैनपुरी व अन्यत्र ले जाते रहे हैं। यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त आरक्षियों के दुरुपयोग की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं। आवास पर 2 आरक्षी नहीं लगाये गये हैं। ग्राम गढ़िया किसनपुर थाना बेवर, मैनपुरी में अवश्य 2 आरक्षी लगाये गये हैं।

ग्राम गढ़िया किसनपुर में दो सशस्त्र आरक्षी गांव की सुरक्षा, गश्त तथा गांव से लगे हुए ग्रामों में शान्ति व्यवस्था एवं गश्त हेतु स्थानीय स्तर से लगाये गये हैं, जो स्थानीय पुलिस के दैनिक कार्य के अन्तर्गत लगाये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन राधाकुण्ड निवासी श्री रतन सिंह को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में पत्र

57–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के नगला पहलवारिया थाना गोवर्धन राधाकुण्ड के निवासी श्री रतन सिंह पुत्र श्री देवी सिंह को विपक्षीगण एवं स्थानीय पुलिस ने न्याय दिलाने के संबंध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम–3/9000/मथुरा/98, दिनांक 9-4-98 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सुरेश पचौरी पर्यवेक्षक, प्रभारी सहकारी संघ लिमि० मुरसान (अलीगढ़) को सेवाच्युत आदेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी-पत्र

58–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश पचौरी, सहकारी पर्यवेक्षक, प्रभारी सहकारी संघ लिमिटेड मुरसान (अलीगढ़) का सेवाच्युत आदेश निरस्त करने के संबंध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि०का०/एम–3/8113/मथुरा/98, दिनांक 16-3-98 सचिव, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु निबन्धक सहकारी समितियां लखनऊ को प्रेषित किया गया। चूंकि प्रकरण सहकारी संघ प्राधिकारी से संबंधित है अतः निबन्धक सहकारी समितियों द्वारा उसे प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० कोआपरेटिव यूनियन लि०, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेजा गया। सहकारी संघ प्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री सुरेश पचौरी के विरुद्ध विधिवत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी जिसमें उन्हें रु० 4,78,398.23 पै० का गबन करने तथा रु० 2,62,317.00 का फर्जी गल्ला वितरण करने का दोषी पाया गया। अतएव सिद्ध आरोपों के संबंध में श्री पचौरी को आदेश दि० 4-3-97 द्वारा सेवाच्युत कर दिया गया। सेवाच्युत आदेश के विरुद्ध श्री पचौरी द्वारा निर्धारित अवधि 90 दिन के अन्दर राज्य स्तरीय प्रशासनिक कमेटी को कोई अपील नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप उक्त प्रकरण अन्तिम हो गया है अतएव उस पर पुर्नविचार करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बहराइच में सहकारी संघ मिहीपुरवा की भूमि गाटा सं० 332 पर कथित अवैध कब्जे

59–श्री समर पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सहकारी संघ मिहीपुरवा जनपद–बहराइच की भूमि गाटा सं० 332 पर राजस्व के कागजातों में अवैध ढंग से नाम दर्ज करा कर कब्जा किया गया है ? क्या तत्कालीन सभापति, लोक लेखा समिति के पत्रांक 90 दिनांक 22-4-92 जो मंत्री जी को सम्बोधित था, उस पर क्या कार्यवाही हुई ? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्नगत पत्र की जांच तहसीलदार, नानपारा, बहराइच से करायी गयी व शिकायत की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में अपराध संख्या 146/91 को वापस लिये जाने की जानकारी की मांग

60–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 146/91 धारा गैंगस्टर अधिनियम थाना बेवर जनपद मैनपुरी के केस को दौरान विवेचना सरकार द्वारा वापिस लिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? उसमें कौन-कौन अभियुक्त थे ? क्या यह सही है कि उक्त केस में वांछित कुछ अभियुक्त स्व० ब्रह्मदत्त द्विवेदी पूर्व राजस्व मंत्री की हत्या के केस में भी विवेचना के दौरान कारागार में रहे ? क्या यह सही है कि अपराध संख्या 171/98 धारा 384 आई० पी० सी० एवं अपराध संख्या 172/98 धारा 332/353/307 आई० पी० सी० थाना बेवर जनपद मैनपुरी के केसों में व अपराध संख्या 146/91 धारा गैंगस्टर अधिनियम थाना बेवर व करीब 40 अन्य केसों में नामित अभियुक्त शिवराज पी० टी० आई० निवासी गढ़िया किसनपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी व प्रतिनिधि सांसद फर्रुखाबाद व उसके परिवारजन उक्त केसों में वांछित चल रहे हैं और उक्त केस भी वापिस/स्थानान्तरित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट भानपुर द्वारा दिये गये आदेश एवं न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

61–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या–67 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री, डा० शिव प्रसाद, परगना मजिस्ट्रेट, भानपुर बस्ती के आदेश दिनांक 26-10-91 की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध अभियोजन/बेदखली की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रकरण सत्र न्यायालय एवं सिविल जज (जुडिशियल) के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

जनपद हमीरपुर अन्तर्गत ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज अधिनियम 1981 के अनुपालन में पुनः चालू होने की जानकारी

62–श्री रामाधार सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम टूंका जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र में स्थित मेहरबाबा ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज द्वारा भयंकर रूप में प्रदूषण फैलाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इसे बन्द करने के आदेश होने के उपरान्त भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं।

प्रश्नगत उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर ली गयी है और उत्सर्जन निर्धारित मानकों के अनुरूप है। उद्योग को दिनांक 3-12-97 के आदेश द्वारा बन्द कर दिया गया था परन्तु उद्योग द्वारा वायु अधिनियम 1981 का पालन कर लेने के कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः चालू कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी बैंक राजाजीपुरम्, लखनऊ में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच

63–श्री शिव सिंह चक–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक सहकारी बैंक राजाजीपुरम्, लखनऊ की वित्तीय अनियमितताओं की जांच रजिस्ट्रार कार्यालय के वित्तीय सलाहकार द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी वित्तीय अनियमितताओं को रोकने हेतु बैंक संचालन मण्डल को भंग कर प्रशासक नियुक्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां।

जांच में वित्तीय अनियमितताओं के लिये बैंक के सचिव को दोषी पाया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच में वर्तमान संचालन मण्डल के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का कोई आरोप प्रकाश में नहीं आया।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम भौपुरा के प्रधान व उनके पुत्र की हत्या विषयक प्रकरण की विवेचना

64–श्री रूप चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्रा०–भौपुरा, जिला गाजियाबाद में गत दिनों भाजपा समर्थक प्रधान श्री प्रीतम सिंह व उनके पुत्र श्री राकेश कसाना की हत्या कर दी गयी थी ? क्या उक्त हत्याकाण्ड में श्री जी० एन० सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी, हरैया, जिला–बस्ती भी नामजद है ? यदि हां, तो सरकार उक्त हत्याकाण्ड में नामजद मुल्जिमों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ? कार्यवाही में शिथिलता के क्या कारण हैं ? अभी तक अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं हो सकी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी हां।

श्री प्रीतम सिंह व उनके पुत्र राकेश कसाना की हत्या के संबंध में थाना साहिबाबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं०–161/98 धारा 302/120बी भा० दं० वि० की विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० को सौंपी गई थी, जो प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर सी० बी० सी० आई० डी० से वापस लेकर सिविल पुलिस को दिनांक 30-6-98 को सौंपी गई है। विवेचना पूर्ण न होने के कारण अभी अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही नहीं हो सकी है।

दिल्ली सहारनपुर मार्ग स्थित खेकड़ा (बागपत) कस्बे में निगम की सभी बसों को रोकने तथा यातायात निरीक्षक की तैनाती की व्यवस्था

65–श्री रूप चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर स्थित कस्बा खेकड़ा (बागपत) में प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० सड़क परिवहन निगम द्वारा खेकड़ा स्टाप पर समस्त बसें (डीलक्स व एक्सप्रेस भी) रोकने तथा एक यातायात निरीक्षक तैनात करने के आदेश जारी किया था ? यदि हां, तो उसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है ? यातायात निरीक्षक की तैनाती अभी तक न होने के क्या कारण हैं ? निरीक्षक की तैनाती कब तक की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

अनुपालन हो रहा है।

माह मई, 1997 से यातायात निरीक्षक की तैनाती की जा चुकी है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद हरदोई के ग्राम मांझ गांव मदोरा की आवन्टित भूमि पर पट्टेदारों का कब्जा

66–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जब्बार अली निवासी ग्राम मांझ गांव मदोरा, थाना सण्डीला, जनपद हरदोई का इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र श्री राम शरण दास, सदस्य, विधान परिषद् के उपरिपत्र के साथ दिनांक 21 जून, 1996 जिलाधिकारी हरदोई तथा दिनांक 7 जून, 1996 पुलिस अधीक्षक, हरदोई को प्राप्त हुआ है, जिसमें गांव के दबंग लोगों द्वारा उनके पेड़ों को काट लेने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इसी संबंध में उत्तर प्रदेश सचिवालय के लोक शिकायत अनुभाग के विशेष सचिव श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव का पत्र सं० जी–2/2221/34-1-96 दिनांक 16-7-96 जिलाधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस मामले पर जांच कर कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रों की जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सण्डीला एवं परगनाधिकारी सण्डीला द्वारा की गई । जांच से पाया गया कि जो भूखण्ड आबादी के लिए निकाला गया था, उसका कब्जा जब्बार अली द्वारा नहीं छोड़ा गया था क्योंकि उक्त भूखण्ड पर जब्बार अली द्वारा एक बांस की कोठ लगाकर कब्जा कर लिया गया था । भूखण्ड का पट्टा गांव के छंगा पुत्र यासीन व कल्लू पुत्र हेम्मा के नाम होने के कारण बांस की कोठ को हटाकर पट्टा धारकों को जमीन का कब्जा दिला दिया गया तथा बांस को जब्बार अली को सुपुर्द कर दिया गया ।

जी हां ।

जी हां । जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है ।

प्रश्न ही नही उठता ।

मृतक श्री बाबू लाल निवासी हाबुड़ा कालोनी कस्बा व थाना राया, मथुरा के हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही

67–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती केसरिया पत्नी श्री बाबू लाल की हत्या (कौम हबुड़ा) निवासिनी हाबुड़ा कालोनी कस्बा राया, मथुरा के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने एवं पीड़ित पक्षकार को आर्थिक सहायता दिलवाने हेतु विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी-एम०/एम–3/8829/मथुरा/98 दिनांक 7-4-98 पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । श्री बाबूलाल निवासी हाबुड़ा कालोनी कस्बा व थाना राया, जनपद मथुरा की हत्या के संबंध में उनके पुत्र श्री रामचन्द्र द्वारा दिनांक 13-3-98 को अंकित कराई गई सूचना के आधार पर अभियुक्तगण जीवन पुत्र फूला, रामवीर पुत्र शिवचरन तथा हरि किशन पुत्र मुकन्दर हाबुड़ा के विरुद्ध मु० अ० सं० 44/98 धारा 302, 323, 504 भा० दं० वि० थाना राया पर पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 13-3-98 को तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जो वर्तमान में जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है । अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचनोपरान्त दिनांक 24-6-98 को आरोप पत्र

न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । मृतक के परिवार वालों की सुरक्षा हेतु घटना के बाद से बराबर पुलिस गश्त बराबर भेजा जा रहा है ।

ताज नगरी आगरा व खुजराहो पर्यटन स्थलों पर पुनः बसों को चलाने की मांग

68–श्री विजय पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि ऐतिहासिक स्थल ताज नगरी आगरा व खुजराहो को पर्यटन के उद्देश्य से जो बसें चलती थी, उन्हे बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो पर्यटकों के आवागमन की असुविधा को देखते हुए उक्त मार्गों पर पुनः बसें चलायी जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० राजेपुर, जौनपुर को धन न दिये जाने का औचित्य

69–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जौनपुर के महाप्रबन्धक ने अपने पत्रांक 267-68 दिनांक 25 जुलाई, 1994 को महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र जौनपुर को सूचित किया था कि बीड़ी औद्योगिक सहकारी समिति को शासन से धन मिलते ही धन वितरण की कार्यवाही कर दी जायेगी ? यदि हां, तो आई० सी० डी० पी० जौनपुर को धन कब मिला तथा पत्र में उल्लिखित बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति को धन कब दिया गया ? यदि अभी तक धन नहीं मिला तो कब मिलेगा ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

धनराशि दिनांक 27-10-97 को प्राप्त हुई, किन्तु कार्य योजना प्राप्त न होने के कारण बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० राजेपुर, जौनपुर को धन नहीं दिया गया है ।

कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई । अतएव धन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इन्द्रदेव तिवारी, निवासी पूरे मुसई, थाना–कोहडौर, जनपद–प्रतापगढ़ के स्वीकृत शस्त्र लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही

70–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जनपद प्रतापगढ़ के कुछ गम्भीर अपराधियों के अपराधों के विवरण सहित दिनांक 14-6-97 को मुख्यमंत्री तथा 8-7-97 को डी० जी० (पी०)को पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर गम्भीर मुकदमों के चलते शस्त्र लाइसेन्स भी स्वीकृत किये गये हैं ?क्या यह सही है कि अपराधियों के विरुद्ध मु०अ०सं० 85ए/89 कोहडौर धारा 302, आई० पी० सी० एवं थाना कैलाई, कोतवाली नगर, कोठरौहू, में दाखिल है, फिर भी शस्त्र लाइसेन्स निरस्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त पत्र पर जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इस संबंध में प्रश्नकर्ता के तीन पत्र दिनांक 14-6-97 मुख्य मंत्री जी को तथा एक अन्य पत्र दिनांक 5-7-97 पुलिस महानिदेशक को प्राप्त हुये हैं। दिनांक 8-7-97 का कोई पत्र पुलिस महानिदेशक को प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त पत्रों में वर्णित व्यक्तियों में से एक श्री इन्द्रदेव तिवारी, निवासी पूरे मुसई थाना कोहडौर को डी० बी० बी० एल० गन का लाइसेन्स स्वीकृत किया गया था।

जी नहीं। श्री इन्द्रदेव तिवारी के विरुद्ध थाना कोहडौर में अन्य धाराओं सहित धारा 302 भा०दं०वि० के अन्तर्गत मु०अ०सं० 65ए/89 भी दर्ज हुआ था।

श्री इन्द्रदेव तिवारी के उक्त शस्त्र लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है जो जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के न्यायालय में लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, श्री इन्द्रदेव तिवारी के उक्त शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है जो जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के न्यायालय में लम्बित है।

कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में अधिकृत डीलरशिप व्यवसायिक नियमावली पूर्व से प्रभावी

71–श्री अजय भट्ट–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "कोआपरेटिव ड्रग फैक्टरी रानीखेत" विगत कई वर्षों से क्या इस कारणवश घाटे में चल रही है इसकी औषधियों के विक्रयार्थ आज तक कोई भी "विक्रयनीति (सेल पालिसी)" नहीं बनायी गयी ? क्या उक्त प्रतिष्ठान में "मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव" का कार्य वहां पर वर्तमान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त प्रतिष्ठान के निमित्त "विक्रयनीति" कब तक बना दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी नहीं।

जी नहीं। केवल एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी विक्रय कार्य से सम्बद्ध है।

उपयुक्त कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण संघ हित में कार्य लिया जा रहा है।

विक्रय नीति विषयक "अधिकृत डीलर शिप व्यवसायिक नियमावली" पूर्व से ही प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि० लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती

72–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि० लखनऊ के अन्तर्गत 21 मार्च, 97 के बाद से अब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? कितनी किस पद पर और किस किसकी भर्ती हुयी है ? क्या यह सच है कि उक्त विभाग में सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध है और संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा ही एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत भर्ती का प्राविधान है ? यदि हां, तो सीधी भर्ती करने के लिये दोषी कौन है ? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

अलोच्य अवधि में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित करने तथा तत्कालिक कार्य के लिये नियुक्तियां की गई हैं ।

निम्न विवरणानुसार नियुक्तियां की गई:–

(1) एक सहयोगी, तदर्थ ।

(2) एक मशीन हेल्पर, तदर्थ ।

(3) दो मशीन हेल्पर, मृतक आश्रित तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का कार्यकाल दि० 10-5-98 से आगे नहीं बढ़ाया गया है ।

निम्नलिखित की भर्ती हुई है :–

(1) श्री हरीनारायण, सहयोगी (तदर्थ)

(2) श्री अखिलेश कुमार, मशीन हेल्पर (तदर्थ)

(3) श्री राकेश कुमार मशीन हेल्पर, (मृतक आश्रित)

(4) श्री अजय कुमार मशीन हेल्पर (मृतक आश्रित)

जी हां । परन्तु यह प्रतिबन्ध दिनांक 3-11-97 को लगाया गया है ।

जी, हां ।

वर्णित परिस्थितियों में कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस विभाग से सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर प्रभावी कार्यवाही के आदेश

73–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों पर उनके आदेश संख्या 10023 वि० को० दिनांक 1-5-98 पुलिस महानिदेशक एवं पत्रांक 10128 दिनांक 3-5-98 प्रमुख सचिव गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत दोनों पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं ।

जनपद अलीगढ़ के थाना गोण्डा के कतिपय अपराधों के सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने की मांग

74–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के थाना गोण्डा के मु० अ० सं०–11 व 12/97, धारा 307, 504, 25 आर्मस एक्ट की सी० बी० सी० आई० डी० जांच हेतु विधायक कोष्ठ का पत्रांक सी० एम०/वि० को०/एम–3/8302/मथुरा/98, दिनांक 27-3-98 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद बरेली के थाना कलेक्टरगंज में कथित रूप से दर्ज अपराध पर कार्यवाही की मांग

75–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में दिनांक 29-4-98 में दर्ज अपराध संख्या 89/98 धारा 363 थना कलेक्टर गंज में अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बरेली के थाना कलेक्टर गंज पर दिनांक 2-4-98 को अपराध संख्या 89/98 धारा 363 पंजीकृत नहीं हुआ है।

उ० प्र० वेतन समिति द्वारा कतिपय संवर्गों को पुनरीक्षित वेतनमान देने पर विचार

76–श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन समिति उ० प्र० वर्ष 1997 के प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 14 के स्तम्भ 2 में उल्लिखित ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान से हटकर अन्य कोई वेतनमान का औचित्य पाया जाता है ? क्या इस संबंध में सम्वर्गवार/पदवार एरियाज कार्य में उत्तर प्रदेश पशु औषधिक के पुनरीक्षित वेतनमान का मामला भी अन्तरनिहित है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

समिति द्वारा परीक्षण करने पर ही सुनिश्चित हो सकेगा कि किस पद पर सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान से हटकर वेतनमान देने का औचित्य है अतः यह समिति की संस्तुतियां आने पर ही बताया जा सकता है।

सम्वर्गवार परीक्षण से सम्बन्धित वेतन समिति की संस्तुतियां अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रमा शंकर द्विवेदी अपर राज्य रेडियो अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

77–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर द्विवेदी, अपर राज्य रेडियो अधिकारी द्वारा आर० टी० टी० वाई० सेटों के क्रय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता तथा आरक्षण नियमों का पालन न करने के सम्बन्ध में श्री ओंकार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, युवा समता का पत्र दिनांक 2 जून, 1998 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

संदर्भित पत्र दिनांक 11-6-98 को प्राप्त हुआ है।

जांच करायी जा रही है।

पुलिस उप महानिरीक्षक दूर-संचार का स्थानान्तरण तथा लखनऊ से ही कैम्प आफिस द्वारा कार्य का निष्पादन

78–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं०–2055/6-पु०–1-97–1300 (30)/88, दिनांक 7 मई, 1997 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक दूर-संचार का स्थानान्तरण लखनऊ से मुरादाबाद किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी लखनऊ में विगत 30 वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या उक्त अधिकारी द्वारा मुरादाबाद न जाकर लखनऊ में ही शिविर कार्यालय बनाकर कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उक्त अधिकारी को तत्काल मुरादाबाद भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त अधिकारी लखनऊ में विभिन्न पदों पर विगत 25 वर्षों से कार्यरत है ।

जी हां ।

उप महानिरीक्षक (दूर संचार) का पद 7-8-96 को सृजित किया गया है । चूंकि उक्त अधिकारी को मुख्यालय मुरादाबाद स्थानान्तरित करना तभी उचित होगा जब भवन, सहवर्ती स्टाफ, साज-सज्जा, आहरण, वितरण अधिकार की समुचित प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित न हो जाए जो अभी प्रदान नहीं की गयी है ।

79–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र सं० 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों के सचिवों के वेतन भत्तों पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की प्रक्रिया

80–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों के सचिवों के वेतन भत्तों पर खर्च होने वाले परिव्यय में शासन अंशदान दे रहा है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

मैदानी क्षेत्र के जनपदों में प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों के सचिवों के वेतन भत्तों हेतु शासन द्वारा अंशदान नहीं दिया जा रहा है । पर्वतीय क्षेत्र में अंशदान दिया जा रहा है, जिसका विगत तीन वर्षों का विवरण निम्नवत है :–

वर्ष	धनराशि (लाख रु० में)
1995-96	75.94
1996-97	82.70
1997-98	81.90
योग–	240.54

सचिवों को वेतन कैडर फंड से दिया जा रहा है तथा कैडर फंड को स्वायश्री बनाया जाना आवश्यक है।

जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव में अपराध संख्या 286/96 की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० से सिविल पुलिस को वापस करने का औचित्य

81–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 386/96 थाना भोगांव जनपद मैनपुरी की करीब 2 वर्ष पूर्व से सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा की जा रही विवेचना अचानक सिविल पुलिस में दिनांक 24-4-98 को स्थानान्तरित करने के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिये गये थे ? यदि हां, तो किसके पत्र पर और उसका आधार क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दिनांक 24-4-98 के शासन के आदेश के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा कोई विवेचना की गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि शासन के सिविल पुलिस द्वारा विवेचना किये जाने के आदेश के बावजूद कोई विवेचना नहीं की गयी और चार्जशीट अदालत में प्रेषित कर दी गई ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है और इसका दोषी कौन है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त केस में चार्जशीट प्रस्तुत करने से पूर्व सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा लम्बे अर्से तक की गई विवेचना का सिविल पुलिस द्वारा अवलोकन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री शिवराज सिंह पूर्व विधायक के आवेदन पत्र के आधार पर अपराध संख्या 266/96 सी० बी० 826/96 की विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० से सिविल पुलिस को स्थानान्तरित करने का आदेश दिनांक 22-4-98 को निर्गत हुआ था लेकिन बाद में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सी० बी० नं० 826/96 से सम्बन्धित मु०अ०सं० 266/96 नहीं था बल्कि 286/96 था।

श्री शिवराज सिंह पूर्व विधायक, भोगांव के प्रार्थना-पत्र पर जांच/विवेचना स्थानान्तरित की गयी है। प्रार्थना-पत्र में अभियुक्तों का निर्भीक होकर घूमने का आरोप था।

शासन के आदेश के बाद सी०बी०सी०आई०डी० से अभिलेख प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना नहीं की गयी, क्योंकि इस केस की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० को स्थानान्तरित होने से पूर्व ही स्थानीय पुलिस की विवेचना पूर्ण हो चुकी थी और आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका था।

इस अभियोग की विवेचना/जांच सी०बी०सी०आई०डी० को स्थानान्तरित होने से पूर्व ही स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर दी आरोप पत्र विवेचक श्री नन्द किशोर मल्ल, निरीक्षक द्वारा प्रेषित किया जा चुका था। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

इस केस की विवेचना सिविल पुलिस को स्थानान्तरित होने के बाद सी०बी०सी०आई०डी० से स्थानीय पुलिस के अभिलेख (अभियोग दैनिकियां आदि) ही प्राप्त हुई थी। सी०बी०सी०आई०डी० के द्वारा की गयी जांच/विवेचना से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त नहीं हुये, जिनका अवलोकन करने का कोई औचित्य नहीं था।

जनपद मैनपुरी के थाना किशनी में अपराध सं० 134/98 में निरुद्ध अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किये जाने का औचित्य

82–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 134/98 धारा 504/506 आई०पी०सी० थाना किशनी जनपद मैनपुरी की घटना का दिनांक व समय क्या है और उसमें कौन अभियुक्तगण बनाये

गये ? क्या यह सच है कि उसमें अभियुक्तगण नत्थू एवं लालाराम उक्त केस की घटना के दिनांक व समय पर व उससे पहिले अपराध संख्या 123/98 थाना किशनी मैनपुरी के केस में जिला कारागार मैनपुरी में पहले से निरूद्ध थे ? यदि हां, तो उन्हें उपरोक्त अपराध संख्या 134/98 में अभियुक्तगण बनाये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

इस अभियोग की घटना का दिनांक 20-5-98 समय 11.00 बजे दिन है और इसमें सात अभियुक्तगण क्रमशः लालाराम, सेवरन, राकेश, महेश, राजवीर सिंह, गोपाल एवं नत्थू लाल हैं।

जी, हां।

अभियुक्तगण नत्थू व लालाराम ने अपने सहयोगियों (अपराधियों) के माध्यम से जिला कारागार, मैनपुरी में निरुद्ध होने के बावजूद भी वादी पक्ष को धमकी दिलायी कि उन्हें बता देना कि जमानत पर बाहर आने के बाद हम सभी लोग उनके परिवार को नष्ट कर देंगे। इसी आधार पर नत्थू व लालाराम एवं अन्य सभी के विरुद्ध उक्त अभियोग पंजीकृत किया गया।

जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में श्री शिवराज सिंह पी० टी० आई० के गिरोह के विरुद्ध भा० दं० वि० एवं क्रि० ला० एमेन्डमेन्ट एक्ट के तहत कार्यवाही

83–श्री राम औतार शाक्य–

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या–24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवराज सिंह पी०टी०आई० निवासी गढ़िया किशनपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी व उसके गिरोह के लोगों के विरुद्ध दिनांक 1-4-98 के बाद वर्तमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त गिरोह का उक्त जनपद व अन्यत्र भारी आतंक है ? क्या उनके विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें समाप्त किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो वांछित मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री शिवराज सिंह पीटीआई निवासी गढ़िया किशनपुर थाना बेवर मैनपुरी व उनके गिरोह के विरुद्ध दिनांक 1-4-98 के बाद अ०सं० 171/98 धारा 384/323/506 भा०द०वि० थाना बेवर मैनपुरी में तथा अ०सं० 172/98 धारा 147/148/149/307/353/224/225 भा०द०वि० एवं 7 क्रि० ला० एमेन्डमेन्ट एक्ट की कार्यवाही की गयी। अ०सं० 172/98 थानाध्यक्ष बेवर द्वारा पंजीकृत कराया गया।

जी नहीं।

जी नहीं।

विवेचना से समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने पर गिरफ्तारी की जायेगी।

जनपद हरदोई के कान्सटेबुल 449 सी०पी० श्री सिद्धनाथ यादव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही

84–श्री राम शंकर पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा पत्रांक संख्या–1211, दिनांक 15-1-98 को कान्सटेबुल 449 सी०पी० सिद्धिनाथ यादव के सम्बन्ध में राजाज्ञा सं० 13/9/91-का-/1992 दिनांक 13 मार्च, 1992 में प्रतिपादित नियमों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, हरदोई को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

राजाज्ञा संख्या–13/9/91–का–1/1992 दिनांक 13-3-92 में प्रतिपादित नियमों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के बाद श्री सिद्धनाथ यादव को सेवा में लिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद मैनपुरी के थाना किशनी में दर्ज अपराध सं० 123/98, 171/98 तथा 172/98 में अभियुक्तों का अपराधिक विवरण

85–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अपराध संख्या 123/98 थाना किशनी जनपद-मैनपुरी में वांछित अभियुक्तों से अधिक लम्बा अपराधिक इतिहास अपराध संख्या 171/98, 172/98 थाना बेवर जनपद मैनपुरी में नामित/वांछित अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास का विवरण क्या है और उनके विरुद्ध श्री आशुतोष पाण्डेय एस० एस० पी० मैनपुरी ने गिरफ्तारी/गैंगस्टर व एन० एस० ए० की कार्यवाही क्यों नहीं की ? क्या यह सही है कि अपराध संख्या 549/98 थाना कोतवाली मैनपुरी के केस की घटना जिला कारागार मैनपुरी में की गई ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अभियुक्त है और उनके विरुद्ध मुकदमा कायमी के बाद अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अ०सं० 123/98 थाना किशनी, मैनपुरी के वांछित अभियुक्तों में से अ० सं० 171/98, 172/98 में नामित/वांछित अभियुक्तों में से तीन अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास लम्बा है।

अ०सं० 171/98 में नामित अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई एवं अ०सं० 172/98 में शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई है जिनके विरुद्ध–49, देवेन्द्र उर्फ करू के विरुद्ध–10, तिजेन्द्र उर्फ भल्लू के विरुद्ध–9, सुरेन्द्र के विरुद्ध–16, जनेश के विरुद्ध–2, एवं टीटू के विरुद्ध–6 अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त दोनों अभियोगों में नामित अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई के विरुद्ध वर्ष 1996 में अ०सं० 379/96 धारा गैंगस्टर एक्ट, वर्ष 1997 में अ०सं० 365/97 धारा गुण्डा एक्ट तथा अ०सं० 567/97 धारा 110 सीआरपी सी में चालान किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। उक्त दोनों अभियोगों की विवेचना के समुचित साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तारी की जायेगी अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई का सगा भाई उपदेश सिंह उर्फ खलीफा जो माफिया गैंग के सरगना है अ०सं० 59/98 धारा एन०एस०ए० थाना बेवर, मैनपुरी से जिला कारागार, आगरा में निरुद्ध है।

जी हां।

इस अभियोग में उपदेश सिंह उर्फ खलीफा प्रेम पाल सिंह, पिंकी दूबे, करूआ, उर्फ देवेन्द्र, भल्लू उर्फ विजेन्द्र अभियुक्त है। इनमें उपदेश सिंह उर्फ खलीफा अ०सं० 59/98 धारा एन० एस० ए० थाना बेवर, मैनपुरी से जिला कारागार आगरा में निरुद्ध है, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद जालौन के थाना कुठौन्द में भूतपूर्व वायु सेना अधिकारी श्री चतुर सिंह के घर पड़ी डकैती का गहन पर्यवेक्षण

86–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जालौन के थाना कुठौंन्द के ग्राम कुठौन्द में दिनांक 24/25-5-98 की रात्रि में भूतपूर्व वायु सेना अधिकारी श्री चतुर सिंह पाल के घर पड़ी भीषण डकैती का

अब तक पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया गया है ? यदि हां, तो अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है ? क्या स्थानीय पुलिस के अलावा प्रदेश मुख्यालय के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सम्बद्ध कर घटना का खुलासा किया जायेगा ? यदि हां,तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

अभी तक घटना का खुलासा नहीं किया जा सका हैं ।

इस घटना के रहस्योद्घाटन के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष टीम बनाकर अपने पर्यवेक्षण में सतत् प्रयास किये जा रहे हैं ।

घटना के खुलासा हेतु प्रदेश मुख्यालय से किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सम्बद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

घटना के खुलासा हेतु सतत् प्रयास जारी है ।

भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने हेतु गठित विशेष सीमा पुलिस बल में पूर्व सैनिकों को समायोजित किये जाने की मांग

87–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार के दिनांक 19 अप्रैल, 1997 के शासनादेश के तहत भारत नैपाल सीमा से तस्करी व विघटनकारी तत्वों से निपटने व उसकी रोक थाम के लिये विशेष सीमा पुलिस बल गठित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के तहत पूर्व सैनिकों को सेवायोजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने पूर्व सैनिकों को सेवा में लिये जाने की योजना है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शासनादेश में पूर्व सैनिकों को सेवायोजित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर की सरकारी संस्थाओं में जांच के उपरान्त लाभांश का शीघ्र वितरण

88–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में साधन सहकारी समितियों के हिस्सा पूंजी धारकों को लाभांश नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? सरकार हिस्सा पूंजी धारकों को लाभांश कब तक दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

विगत कई वर्षों से लाभांश का वितरण नहीं हुआ है । जनपद जौनपुर की सहकारी संस्थाओं में जांच कराकर अर्ह समितियों के अंश धारकों को लाभांश शीघ्र वितरित कराने के आदेश जारी किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर की साधन सहकारी समितियों को मांगों के अनुसार धान के बीज की उपलब्धता

89–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में सहायक निबन्धक सहकारी समितियों ने अपने पत्रांक 1931 दिनांक 6-5-98 को साधन सहकारी समितियों को उनकी मांग के अनुसार ही धान का बीज उपलब्ध कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? बिना मांगे बीज की आपूर्ति का औचित्य क्या है ?

'पटेल' श्री रामकुमार वर्मा–

जी हां । बीज की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये समितियों की मांग के अनुसार धान बीज उपलब्ध कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के बिल्थरा रोड तहसील पर मा० उच्च न्यायालय की सहमति तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना

90–श्री अम्बिका चौधरी, श्री राम औतार शाक्य तथा श्री श्याम किशोर यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के बिल्थरा रोड तहसील मुख्यालय पर कब तक मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड में मुन्सिफ न्यायालय के लिये उपयुक्त आवासीय एवं अनावासीय भवन उपलब्ध होने की दशा में, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सहमति प्राप्त होने पर प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये, उक्त न्यायालय की स्थापना पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र उतरौला, बलरामपुर में कतिपय मार्गों के निर्माण का विवरण

91–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 में उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि० द्वारा श्री दत्तगंज से मनियरिया तक गुमड़ी श्री दत्तगंज से खण्डरहवा, श्री दत्तगंज गुमड़ी मार्ग मनियरिया तथा गुमड़ी दत्तगंज से पराग डीहशिव दयालपुर तक कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं ? यदि नहीं तो कब तक पूर्ण कराये जायेंगे ? क्या यह सही है कि कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया गया है ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री रामकुमार वर्मा–

श्री दत्तगंज गुमड़ी मार्ग से मनियरिया मार्ग पर होने वाले लेपन कार्य को छोड़कर शेष प्रश्नगत मार्गों पर कार्य कराया गया है ।

जी नहीं ।

श्री दत्तगंज गुमड़ी से मनियरिया तक लेपन कार्य की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को वापस कर दी गई है । शेष प्रश्नगत मार्गों का निर्माण कार्य के धनराशि की द्वितीय किश्त प्राप्त न होने के कारण अवरुद्ध है । धनराशि प्राप्त होने पर ही कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव है ।

उपर्युक्तानुसार कार्य अवरुद्ध है । प्रारम्भिक जांच से उक्त कार्य में कुछ कमियां पाई गई है ।

जी हां ।

92–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 1995–96, 1996–97 तथा 1997-98 में उ०प्र० सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि० द्वारा तहसील चौराहा रोड आसाम रोड चौराहा तक, आसाम रोड से कंचनपुर चमकपुर मार्ग से रपलियापुर चवई बुजर्ग तक तथा पकड़ी रैंकवार-इसवापुर-महुवा इब्राहिम तक कार्य कराया गया है ? क्या कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूर्ण कराये जायेंगे ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार नहीं कराये गये हैं तथा मानव दिवस का सृजन फर्जी दिखाकर धन का आहरण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं । तहसील चौराहा से आसाम रोड तक तथा आसाम रोड से कंचनपुर के कार्य जुलाई, 98 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । चमकपुर मार्ग से रुपलियापुर चवई बुजुर्ग तथा पकड़ी रैंकवार से इसवापुर महुआ इब्राहिमपुर तक का कार्य द्वितीय किश्त मिलने पर पूर्ण कराया जायेगा ।

प्रारम्भिक जांच से उक्त कार्य में कमियां पाई गई हैं ।

जी हां ।

प्रदेश में शासनादेश के अनुसार थानाध्यक्षों की नियुक्ति

93–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं०–5061/6–पु०-1-1995 के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में कम से कम 20 प्रतिशत थानों पर अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के थानाध्यक्षों एवं कम से कम 25 प्रतिशत थानों पर अन्य पिछड़े वर्गों के थानाध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में 8 प्रतिशत थानाध्यक्षों की नियुक्ति अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से भी की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 28–7–95 को जारी किया गया है और जारी होने की तिथि से प्रभावी है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । प्रयास किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में एम०वी० एक्ट के तहत परिवहन निगम के बसों का चालान तथा यात्रीकर का बकाया

94–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997–98 एवं 1998–99 में परिवहन निगम की कितनी बसों का एम०वी० एक्ट के अन्तर्गत चालान किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि परिवहन निगम पर अब तक कुल कितना यात्री कर बकाया है जिसका भुगतान नहीं हुआ है ? उसकी वसूली कब तक की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1997–98 में एम०वी०एक्ट के अन्तर्गत परिवहन निगम की 284 तथा 1998–99 में दिनांक 25 जून, 1998 तक 23 बसों का चालान किया गया ।

परिवहन निगम पर 31 मार्च, 1998 तक कुल रु० 149.36 करोड़ का यात्रीकर बकाया थी । वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश के सरकारी पर्यवेक्षकों के चयन में कथित धांधली की शिकायतों की जांच

95–श्री राम नक्षत्र–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 570 सहकारी पर्यवेक्षकों को जिन्होंने साढ़े चार माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, की नियुक्तियां अभी तक नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेगी ?

'पटेल' श्री राम कुमार वर्मा–

प्रश्नगत मामले में 460 सहकारी पर्यवेक्षकों ने साढ़े चार माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है जिनकी नियुक्ति अभी नहीं की गई है ।

चयन के संबंध में हुई शिकायतों की जांच लम्बित होने के कारण ।

जांच पूर्ण होने पर, लिये गये निर्णय के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

बन्दी श्री शीशपाल सिंह, सरकोरिया, अलीगढ़ का वाद न्यायालय में विचाराधीन

96–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शीशपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी सरकोरिया, थाना गोण्डा जिला अलीगढ़ को एस०टी० नं० 554/79 सेशन जज, अलीगढ़ कनविक्ट नं०–2957 को जिला कारागार से मुक्त कराये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–8330/मथुरा/98 दिनांक 27-3-98 प्रमुख सचिव, कारागार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जी हां ।

बन्दी के विरुद्ध थाना गोण्डा, जनपद अलीगढ़ में धारा 363, 366 एवं 376 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण बन्दी की रिहाई की प्रार्थना अस्वीकृत की जा चुकी है ।

श्री मदन मोहन "मानव" जिला प्रतिनिधि दैनिक निशा नरेश, मथुरा के कथित उत्पीड़न के संबंध में शिकायती-पत्र

97–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मदन मोहन "मानव" जिला प्रतिनिधि दैनिक निशा नरेश, मथुरा के उत्पीड़न के संबंध में विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक सी०एम०/एम–3/8397/मथुरा/98, दिनांक 28-3-98 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । प्रश्न में संदर्भित पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कराई गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि श्री मदन मोहन "मानव" के विरुद्ध मु०अ०सं० 229/97 धारा 506 भा०दं०वि० थाना सदर बाजार, जनपद मथुरा पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना के उपरान्त उसके विरुद्ध दिनांक 5-2-98 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है । श्री मदन मोहन "मानव" के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्य मात्र अपने बचाव में दिया जाना पाया गया है ।

सहायक निबन्धक सुल्तानपुर के श्री राम सुख ग्राम सरौली, गौरीगंज द्वारा अमीन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

98–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक निबन्धक सुल्तानपुर को संबोधित श्री राम सुख पुत्र द्वारिका ग्राम सरौली, ब्लाक गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र जिसमें सहकारी अमीन द्वारा वसूली के पैसे की रसीद न देकर दुबारा वसूली करने की शिकायत है, प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र दिनांक 23-5-98 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

"पटेल" श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि शिकायतकर्ता श्री रामसुख समिति के न तो सदस्य हैं, और न ही समिति द्वारा उन्हें ऋण दिया गया है । परन्तु श्री राम सुख की पत्नी ने सदस्य के रूप में ऋण लिया था । विवादित बकाया धनराशि के संबंध में उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत अभिनिर्णय हेतु मध्यस्थ बाद दायर कर दिया गया है । संबंधित सचिव जिन्होंने धन जमा कर रसीद नहीं दी, पूर्व से ही निलंबित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया की तहसील मुख्यालय बिल्थरा रोड में कोतवाली एवं फायर ब्रिगेड इकाई की स्थापना की मांग

99–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद की तहसील मुख्यालय बिल्थरा रोड में कोतवाली और फायर ब्रिगेड इकाई की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? स्थापना में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

अभी तक तहसील मुख्यालय बिल्थरा रोड में थाना स्थापित नहीं है । यह कस्बा थाना उभांव के कार्यक्षेत्र में आता है । मानक के अनुसार थाना उभांव कोतवाली में उच्चीकृत नहीं हो सकता है । तहसील मुख्यालय बिल्थरा रोड में थाना स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है । तत्पश्चात् परीक्षणोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य स्थानों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये परीक्षणोपरान्त बलिया जनपद की तहसील मुख्यालय बिल्थरा रोड में पूर्ण कालिक अग्निशमन केन्द्र स्थापित करना वर्तमान में सम्भव नहीं पाया गया है । परन्तु सीजनल अग्निशमन व्यवस्था योजना के अन्तर्गत ग्रीष्म ऋतु के लिये वर्तमान वर्ष 1998–99 में अग्निशमन व्यवस्था कर दी गई है ।

उपरोक्तानुसार ।

पर्वतीय क्षेत्रों (उत्तरांचल) के बेरोजगार अपरेन्टिस प्राप्त युवकों को परिवहन निगम में समायोजित किये जाने की मांग

100–श्री कृष्ण चन्द्र पुंडीर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों (उत्तरांचल) के बेरोजगार जिन्होंने परिवहन निगम उत्तर प्रदेश के अधीन अपरेन्टिस प्राप्त की है, को कब तक समायोजित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान में परिवहन निगम में सीधी भर्ती नहीं की जा रही है।

यक्ष ग्रुप आफ कम्पनीज द्वारा अचानक कारोबार बन्द किये जाने के विरुद्ध जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज

101–श्री अफजाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि पूर्वांचल के जिलों में कार्य कर रही यक्ष ग्रुप आफ कम्पनीज नामक फाइनेंस कम्पनी द्वारा जनवरी, 1998 में अपना कारोबार अचानक बन्द कर दिया गया है ? क्या जनता द्वारा जमा की गई करोड़ों रुपये की धनराशि को गबन कर कम्पनी का एम०डी० फरार हो गया है ? क्या यह सही है कि फाइनेंस कम्पनी के एम०डी० के विरुद्ध जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा थाना कैण्ट जिला गोरखपुर में फरवरी, 1998 में एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

यक्ष प्रिन्टिंग प्रेस खलीलाबाद संत कबीर नगर के विरुद्ध जांच के निर्देश

102–श्री अफजाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि यक्ष ग्रुप आफ कम्पनीज गोरखपुर के एम०डी० द्वारा कम्पनी का करोड़ों रुपया गबन कर फरार हो जाने के बाद कम्पनी द्वारा स्थापित खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर में यक्ष प्रिन्टिंग प्रेस को बन्द कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि फाइनेंस कम्पनी में धन जमा करने वाले कुछ लोगों एवं फाइनेंस कम्पनी के नन्दौर रीजन जिला संत कबीर नगर के कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा जनता के धन के भरपाई हेतु उक्त प्रिन्टिंग प्रेस की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज कराया गया है ? क्या सरकार जनता द्वारा जमा की गई करोड़ों रुपये की भरपाई हेतु उक्त प्रिंटिंग प्रेस की सम्पूर्ण सम्पत्ति के बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी व एस०पी० सन्त कबीर नगर को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मलिक राम आदि ग्राम चिल्लावां सरोजनीनगर लखनऊ के हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही

103–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री को श्री करामत अली सिद्दीकी ग्राम चिल्लांवा थाना सरोजनीनगर लखनऊ के यहां आटा चक्की पर कार्यरत श्रीमती मझली पत्नी मलिक राम तथा श्री मलिक राम एवं रामकुमार पुत्रगण भगौती कोरी की दिनांक 6/7-5-98 को हुये तीन हत्याकाण्ड की जानकारी है ? यदि हां, तो क्या अब तक इस तीन हत्या काण्ड के मुल्जिमानों का पता लगा लिया गया है ? क्या सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जांच से पाया गया कि दिनांक 7-5-98 को श्री करामत अली ग्राम चिल्लावां ने पुलिस को लिखित सूचना दिया कि मलिक राम उसके चक्की पर नौकरी करता था एवं राम शंकर यादव के मकान में अपनी पत्नी मझली व भाई राम कुमार के साथ किराये पर रहता था । दिनांक 7-5-98 को उसे सुबह सूचना मिली कि मलिकराम की पत्नी अपने घर पर मरी पड़ी है । इस सूचना पर मु०अ०सं० 122/98 धारा 302 भा०दं०वि० बनाम मलिकराम व राम कुमार पंजीकृत होकर विवेचना की गई विवेचना के दौरान उसी दिन अमौसी बंगिया में मालिकराम व राम कुमार की लाशें प्राप्त हुई, जिसके कारण अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचना से अभियुक्त राम दयाल उर्फ दयले पुत्र राम मिलन जनपद बलरामपुर, जग प्रसाद एवं श्याम लाल पुत्रगण जोखू कुम्हार जनपद बलरामपुर के नाम प्रकाश में आये, जिन्हें दिनांक 9-5-98 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है । घटना का कारण राम दयाल उर्फ दयले की पत्नी को मलिकराम द्वारा भगाकर लाया जाना पाया गया । मृतकगण कोरी (अनुसूचित जाति) के थे, अतः अभियोग में एस०सी०/एस०टी० की धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई ।

विवेचना चल रही है । - -

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के थाना माल में अपराध संख्या 55/98 की विवेचना जारी

104–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना माल, जिला लखनऊ में अपराध संख्या 55/98 अन्तर्गत धारा 302 का नामजद मुकदमा दिनांक 20-3-98 को दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । श्रीमती राजेश्वरी पत्नी श्री छत्रपाल निवासी ग्राम शंकरपुर थाना माल की लाश दिनांक 20-3-98 को गांव के ही श्री शिव बक्श सिंह के खेत में पाये जाने पर थाना माल पर मु०अ०सं० 55/98 धारा 302 भा०दं०वि० दिनांक 20-3-98 को दर्ज हुआ ।

थानाध्यक्ष माल द्वारा प्रकरण की विवेचना की जा रही है । इस अपराध में वादी द्वारा अभी तक अभियुक्तों के विषयक में कोई उल्लेखनीय तथ्य विवेचक को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं । विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन एवं अभियुक्तों का पता लगाये जाने हेतु भरसक प्रयास किया जा रहा है ।

प्रकरण विवेचनाधीन है ।

105–श्री राम नक्षत्र–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश के नगरों में नियुक्त नागरिक सुरक्षा संबंधी स्वयं सेवकों को अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण एवं भत्ता

106–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक सुरक्षा में विभिन्न नगरों में नियुक्त होने वाले वार्डेन तथा वरिष्ठ वार्डेन में आरक्षण व्यवस्था लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नागरिक सुरक्षा विभाग में स्वयं सेवकों को दैनिक वेतन भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

प्रदेश के चयनित नागरिक सुरक्षा नगरों में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वरूप में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत किया गया है । इस अधिनियम में अवैतनिक वार्डेन तथा वरिष्ठ वार्डेन के पदों पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है इस संबंध में भारत सरकार से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा रहा है ।

नागरिक सुरक्षा नगरों में नियुक्त स्वयं सेवकों को ड्यूटी लगाये जाने पर 22/–रुपये तथा प्रशिक्षण हेतु बुलाये जाने पर 20/–रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है ।

जनपद बलिया में विभिन्न पदों पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं आरक्षण का अनुपात

107–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, प्रभारी उप निरीक्षक थाना और प्रभारी उप निरीक्षक चौकी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? पुलिस अधीक्षक द्वारा पिछड़ी जाति के पुलिस कर्मियों को जनपद में कितना प्रतिशत प्रभार दिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

पुलिस उपाधीक्षक–5, प्रभारी निरीक्षक–3, प्रभारी उप निरीक्षक थाना–19 एवं प्रभारी उपनिरीक्षक चौकी 9 पद स्वीकृत हैं ।

22.7 प्रतिशत है ।

पिछड़ी जाति के उप निरीक्षक मानक के अनुरूप उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण के अनुरूप नियुक्ति नहीं की जा सकी है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम बेल्थरा रोड डिपो हेतु अलग से कार्यशाला निर्माण किये जाने की मांग

108–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम के बेल्थरा रोड डिपो जिला बलिया में कब तक कार्यशाला का निर्माण करा दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

बेल्थरा रोड जिला बलिया में उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का डिपो कार्यशाला का संचालन बस स्टेशन से किया जा रहा है । अलग से डिपो कार्यशाला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम बड़ौत डिपो के मार्गों में कटौती

109–श्री रूप चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की लोनी डिपो तथा बड़ौत डिपो के प्रबन्धकों ने प्राइवेट, अनुबन्धित तथा मिनी बस मालिकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से दिल्ली–सहारनपुर मार्ग पर दिल्ली से शामली तक निगम की बसों के चक्करों में भारी कटौती कर दी है जिस कारण उक्त मार्ग पर दैनिक दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार निगम को घाटा पहुंचाने वाले उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यात्रियों को उक्त मार्ग पर सुविधायें कब तक बहाल की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

लोनी डिपो में संचालित दिल्ली-शामली मार्ग की सेवाओं में कोई कटौती नहीं की गई । बड़ौत डिपो का बस बेड़ा पुराना हो जाने के फलस्वरूप कथित मार्ग के संचालन में कतिपय कटौती हुई । कटौती के संबंध में छान-बीन कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध है ।

राज्य परिवहन निगम कार सेक्शन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

110–श्री राम औतार शाक्य–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि श्री अब्दुल मन्नान, सदस्य, विधान सभा के शिकायती पत्र पर प्रबन्धक, कार सेक्शन परिवहन निगम के विरुद्ध सतर्कता जांच के आदेश दिनांक 4-9-97 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये थे ? क्या यह भी सही है कि उन्हें कार सेक्शन से स्थानान्तरित करने के आदेश विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र सं० 175 मु०मं०/30–1–97 दिनांक 16 सितम्बर, 1997 द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण कर उनके विरुद्ध सतर्कता जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद गोण्डा/बलरामपुर में उ०प्र० सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि० द्वारा किये गये निर्माण कार्यों में कमियां एवं अन्य विवरण

111–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997–98 में विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद गोण्डा/बलरामपुर में उ०प्र० सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि० द्वारा उतरौला पंचपेड़वा मार्ग से बभनी बुजुर्ग तक, उतरौला पिपराघाट मार्ग से तकिया उतरौला डुमरियागंज मार्ग से पेड़रिया उतरौला धुसवा मार्ग से वासूपुर, पुरैनिया अमया देवरिया जोगी वीर का मार्ग निर्माण कार्य कराया गया है ? क्या कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? क्या यह सही है कि कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया गया है तथा मानव दिवस का सृजन फर्जी दिखाकर धन का आहरण कर लिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच से कार्य में कमियां पाई गई ।

जी हां ।

112–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद गोण्डा/बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 1995–96, 1996–97 व 1997–98 में रानीखेत से बेलई बुजुर्ग नया नगर सहथापुर, आसमा रोड से बेलईजीत मानपुर, गैण्डास बुजुर्ग से हमरिया तथा गैण्डास बुजुर्ग से भितवरिया मार्ग निर्माण का कार्य उ०प्र० सहकारी विधायन एवं शीत गृह लि० द्वारा कराया गया है ? क्या कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? क्या यह सही है कि कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया गया है तथा फर्जी मानव दिवस का सृजन किया गया है तथा विकास खण्ड मुख्यालय पर मजदूरों का पंजीकरण फर्जी कराया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

दो पुलियों को छोड़कर शेष कार्य पूर्ण । पुलियों का निर्माण एक माह में पूर्ण हो जाना सम्भावित है ।

प्रारम्भिक जांच से कार्य में कमियां पाई गई हैं । मजदूरों के फर्जी पंजीकरण के प्रश्नगत आरोप के संबंध में जांच के आदेश दिये गये हैं ।

जी हां ।

113–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 में पैक्स पेड द्वारा कराये गये निम्नस्तर के निर्माण कार्यों की स्थलीय जांच विषयक पत्र विधायक प्रकोष्ठ संख्या एम–4/83–10/गोण्डा/97, दिनांक 27–9–97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी स्थलीय जांच करा ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांचोपरान्त दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मामले में समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव में अपराध संख्या 111/98 में विवेचना जारी

114–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना भोगांव जनपद मैनपुरी में अपराध संख्या 111/98, धारा 302/201 आई०पी०सी० का मुकदमा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत होने से पूर्व थानाध्यक्ष किशनी ने प्रारम्भिक जांच की थी और जांच आख्या प्राप्त होने के बाद ही उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो जांच आख्या के मुख्य बिन्दु क्या हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अपराध में नामित व वांछित किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

थानाध्यक्ष किशनी द्वारा श्रीमती शीला देवी के प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की प्राथमिक रूप से की गई जांच में गहन जांच हेतु अभियोग पंजीकृत करने की संस्तुति की थी जिसमें कोई मुख्य बिन्दु नहीं था ।

विवेचना के मध्य अभी तक नामित व्यक्ति के विरुद्ध स्वतंत्र निष्पक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिल सका है, इसलिये नामित व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है ।

जिलाधिकारी मैनपुरी के निवास पर कार्यरत क्लर्कों की कतिपय असामाजिक तत्वों से कथित मारपीट

115–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 28-2-98 को जिलाधिकारी मैनपुरी के निवास पर कार्यरत क्लर्कों की कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना का पंजीकरण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त घटना के संबंध में जिलाधिकारी/एस०एस०पी० मैनपुरी द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को फैक्स/अन्य किसी माध्यम से कोई रिपोर्ट भेजी गई ? यदि हां, तो उक्त घटना में किस-किस को दोषी माना है ? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट मानकर मुकदमा पंजीकृत करवाकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 28-2-98 को कोई घटना घटित होना प्रकाश में नहीं आया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव में दर्ज अपराध संख्या 286/96 को सी०बी०सी०आई०डी० से सिविल पुलिस को स्थानान्तरित करने का औचित्य

116–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संख्या–43/सीएम०/6–12–51/71 डी०/98 अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन (गृह अनुभाग–12) के आदेश दिनांक 22–4–1998 के अनुसार क्या अपराध संख्या 266/96 थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी की विवेचना/जांच सी०बी०आई०डी० से निरस्त होकर सिविल पुलिस को स्थानान्तरित हुई थी ? क्या यह सच है कि अपराध संख्या 266/96 की विवेचना के कोई कागजात न भेजकर अपराध संख्या 286/96 थाना भोगांव को भेजा गया ? क्या यह भी सही है कि अपराध संख्या 266/96 व अपराध संख्या 286/96 थाना भोगांव जनपद मैनपुरी में श्री शिवराज सिंह पूर्व

विधायक न तो वादी थे और न ही अभियुक्त ? यदि हां, तो उसके आवेदन पर बिना सी०बी०सी०आई०डी० की आख्या मंगाये कैसे व क्यों 286/96 के केस की विवेचना सिविल पुलिस को भेज दी गई ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री शिवराज सिंह पूर्व विधायक के आवेदन-पत्र के आधार पर अपराध संख्या 266/96 सी०बी० 826/96 की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० से सिविल पुलिस को स्थानान्तरित करने का आदेश दिनांक 22-4-98 को निर्गत हुआ था लेकिन बाद में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सी०बी० नं० 826/96 से संबंधित मु०अ०सं० 266/96 नहीं था बल्कि 286/96 था । यह सच है कि अ०सं० 286/96 के कागजात सी०बी०सी०आई०डी० ने थाना भोगांव भेजे थे क्योंकि सी०बी० नं० 826/96 मु०अ०सं० 286/96 से संबंधित है न कि मु०अ०सं० 266/90 से ।

जी हां ।

श्री शिवराज सिंह पूर्व विधायक मु०अ०सं० 286/96 थाना भोगांव के वादी श्री सुरेन्द्र सिंह सगे भाई हैं । इस कारण शासकीय निर्णय के आधार पर विवेचना सिविल पुलिस को स्थानान्तरित की गई है ।

प्रदेश के कारागारों में कारपालों एवं अधीक्षकों के रिक्त पदों की संख्या

117–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में कारागार विभाग में कारपालों के कितने पद रिक्त हैं तथा अधीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को निकट भविष्य में पदोन्नतियां की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

कारपालों के 22 पद तथा अधीक्षकों के 21 पद रिक्त हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नही उठता ।

श्री बालकरन निवासी ग्राम अतरौला, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ के शिकायती-पत्र पर जांच

118–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बालकरन पुत्र श्री राम औतार यादव निवासी ग्राम अतरौला, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ का शिकायती-पत्र जो गन्ने की खड़ी फसल को गांव के ही लोगों द्वारा जबरियन काट लिये जाने तथा विरोध करने पर मार-पीट करने के संबंध में था, श्री चेतराम, सदस्य, विधान सभा के उपरिपत्र के साथ दिनांक 14–5–1998 को प्रमुख सचिव, गृह, उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर जांच कराई गई ? यदि हां, तो कब ? क्या जांचोपरान्त दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां । उक्त पत्र की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से कराई गई ।

उक्त पत्र की जांच हेतु दिनांक 14–5–98 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को आदेश दिये गये थे ।

जांच में पाया गया कि बालकरन के गन्ने के खेत से मार्च, 1998 में ग्राम अतरौली के ही निवासी श्री शिव कुमार छोटके तथा फुल्ली उम्र क्रमशः 18, 13 व 15 वर्ष द्वारा एक-एक गन्ना चूसने के लिये तोड़ लिया था, जिस पर श्री बालकरन के भाई हरिकिशन ने शिव कुमार को मारा-पीटा था । इस घटना के दूसरे दिन खजूर के पत्ते को काटने को लेकर बालकरन एवं शिव कुमार के परिवार में गाली-गलौज व हाथापाई हुई, जिसे गांव के लोगों ने समझा-बुझाकर समाप्त करा दिया गया था । इस संबंध में बालकरन का कोई शिकायती-पत्र स्थानीय पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ एवं न ही थाना मोहनलालगंज में अभियोग ही दर्ज कराया गया । सम्प्रति प्रकरण की पूर्ण निस्तारण हो चुके होने के कारण किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री महादेव प्रसाद ग्राम माधोखेड़ा, लखनऊ के शिकायती-पत्र पर जांच

119–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के ग्राम माधोखेड़ा की श्रीमती लक्ष्मीदेवी लोधी पत्नी श्री महादेव प्रसाद लोधी के उपरिपत्र के साथ माननीय मंत्री सैनिक कल्याण विभाग का पत्र दिनांक 15-5-98 जो माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था जिसमें प्रार्थिनी की भूमि को अवैध रूप से अधिग्रहण किये जाने के संबंध में विवरण दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच से पाया गया कि श्री सन्तराम ने अपने हिस्से की 7 बिस्वा ठाई विसवांसी भूमि आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी देवी लोधी को बेची थी, परन्तु उसके भाई राम दुलारे द्वारा अपने हिस्से की भूमि को आवेदिका को बेचना स्वीकार नहीं किया गया । राम दुलारे ने अपने हिस्से की 5 बिस्वा भूमि विपक्षी प्रकाश शर्मा को तथा 2 बिस्वा ढाई बिसवांसी भूमि श्री नागेन्द्र को बेचना स्वीकार किया । उक्त भूमि के संबंध में सभी लोगों ने न्यायालय चकबन्दी अधिकारी मोहनलालगंज में दाखिल खारिज के लिये आवेदन किया है जो कि अभी लंबित है । आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी देवी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम अभी तक उक्त भूमि पर दाखिल खारिज नहीं हुआ है । श्री नागेन्द्र द्वारा अपनी खरीदी गई भूमि 2 बिस्वा ढाई बिसवांसी को श्री कृष्ण पाल के पक्ष में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया एवं श्री कृष्णपाल द्वारा उक्त भूमि पर पंचायत के माध्यम से समझौता कर अपनी बाउन्ड्री वाल बनवाई गई है ।

जांच में श्री सन्तराम द्वारा आवेदिका को बेची गई जमीन आवेदिका के ही कब्जे में पाई गई । पुलिस के विरुद्ध आरोप सत्य नहीं पाये गये । प्रकरण विचाराधीन सिविल न्यायालय है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विधायक निवासों में बिजली तथा पानी की किल्लत से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न

* श्री जटा शंकर सिंह–

मान्यवर, सदन के कार्य-संचालन एवं अपने क्षेत्र के दायित्व के निर्वहन के लिये इस सदन में उपस्थित होना आवश्यक है लेकिन दारुलसफा में पानी नहीं है जिस कारण हम लोगों को तैयार होने में बड़ी असुविधा होती है । आज यही कारण है कि सदन में उपस्थिति बहुत कम है । शासन के नाक के नीचे ढाई महीने से पानी और बिजली की परेशानी है । कल 12.00 बजे से लेकर इस समय तक एक बूंद पानी नहीं आया है '

श्री अध्यक्ष–

पानी के प्रश्न पर एक सूचना आई है, अभी सदन में आयेगी । इस समस्या के निराकरण के लिये हम प्रयास करते हैं । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी से बात हो जायेगी ।

* श्री प्रमोद कुमार–

जब सरकार अपने विधायक निवास में पानी नहीं दे पा रही है तो यह प्रदेश की जनता को पानी व बिजली कैसे दे सकती है इससे ज्यादा गम्भीर बात क्या हो सकती है । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला लें और वही इसका जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष–

इस समस्या से सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य ग्रस्त हैं और माननीय सदस्यगण ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है मैं अभी बात कर लेता हूं ।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, बगैर नहाये-धोये, बिना कुल्ला किये हुये यहां आये हैं, एक बूंद पानी नहीं है ।

श्री बी०आर०वर्मा–

मान्यवर, यह मामला न सत्ता पक्ष का है न विपक्ष का बल्कि यह सदन की कार्यवाही का है । अगर माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये समय से स्नान नहीं कर पायेंगे, नित्य क्रिया नहीं कर पायेंगे, खाना नहीं खा पायेंगे तो समय से कार्यवाही में कैसे भाग ले पायेंगे और जो आपकी चाहत है कि माननीय सदस्यगण एक अच्छे डिबेट की दिशा में अग्रसर हों तो कैसे हो सकता है जब उनको पानी व बिजली नहीं मिलेगी तो वह यह कैसे कर सकेंगे ? इसलिये यह औचित्य का प्रश्न है । इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और उसके लिये कोई नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है, इसलिये इस पर सरकार भी गम्भीर हो और आपकी पीठ से गम्भीर निर्देश हो ताकि सरकार सचेष्ट होकर कार्यवाही करे और कल से यह शिकायत न सुनने को मिले कि पानी व बिजली न आने के कारण तैयारी नहीं कर पाये और सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पा रहे हैं ।

* श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, बहुत दिनों से कष्ट में जीवन जीना पड़ रहा है, बड़ा मटमैला पानी आ रहा है । ए ब्लाक का नलकूप खराब पड़ा है । आज सवेरे से नित्य क्रिया भी नहीं कर पाये । डी ब्लाक जाकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

वहां से पीने का पानी लेकर आये हैं तब पीने का पानी मिला है । मान्यवर, घोर शारीरिक व मानसिक यातना सह रहे हैं । मान्यवर, इस पर शासन को निर्देश देने की कृपा करें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

हमारे बी ब्लाक में दिन में 10-10 बार बिजली जाती है और यही स्थिति रायल होटल की है । वहां पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं को लेकर आती है । हम लोग व्यक्तिगत रूप से कष्ट उठाने को तैयार हैं लेकिन जो लोग जनप्रतिनिधियों के यहां आते हैं, उन्हें भी अत्यन्त कठिनाई होती है, इससे प्रदेश की क्या स्थिति बनती है, इसे आप स्वयं समझ सकते हैं, इसके लिये आवश्यक है कि जहां माननीय विधायक रह रहे हैं और यदि वहां पानी और बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है तो संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये जायें ?

श्री भरत सिंह–

पानी में बहुत बालू आ रहा है यदि इसे कोई सीधे पी ले तो निश्चित रूप से बीमार हो जायेगा ।

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, तथा संसदीय कार्य मंत्री(श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, विधायक निवासों के बारे में जिस समस्या का उल्लेख किया गया, यह पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है । मेरे स्वयं का निवास दारुलशफा ए–78 में है । इससे पहले भी यह नौबत आई है जब 4 दिन तक पानी नहीं आया । मैंने खुद जानकारी की थी और संबंधित अधिकारियों को बुलाया भी था, उनके सामने भी कुछ समस्या थी लेकिन माननीय विधायकों को इससे तकलीफ हुई है । डंग साहब ने भी बिजली की समस्या का जिक्र किया है, वास्तव में यह सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसके लिये खेद व्यक्त करता हूं । आज के बाद में माननीय विधायक निवासों में यह समस्या न रहे, इसे सुनिश्चित किया जायेगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आप हाउस की एक समिति बना दें जो आपके अधीन काम करे ।

श्री अध्यक्ष–

यदि आवश्यता पड़ेगी तो सदन की समिति बना दी जायेगी ।

श्री बी०आर० वर्मा–

विधायक निवासों में व्याप्त अव्यवस्था पर सरकार की ओर से संतोषजनक उत्तर न आने के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 6 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई । इसमें पहली सूचना श्री दिलीप कुमार वर्मा की, दूसरी डा० धर्मज्ञ मिश्र की, तीसरी श्री भोला शंकर मौर्य की चौथी श्री तेजभान सिंह की, पांचवीं श्री समरपाल सिंह की, छठी श्री दद्दू प्रसाद की, सातवीं श्री श्याम किशोर यादव की हैं ।

(सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री श्याम किशोर यादव उपस्थित नहीं थे ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चूंकि श्री धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री श्याम किशोर यादव उपस्थित नहीं हैं, इसलिये प्रतीक्षा सूची से श्री राजधारी तथा डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई की सूचनायें स्वीकार की जाती हैं। श्री विशन सिंह चुफाल, श्री अम्बरीष कुमार श्री श्रीराम यादव, श्री अजय कुमार पोइया, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री उदयराज यादव, डा० राम बाबू हरित तथा श्री राम नरेश यादव की सूचनायें अस्वीकार की गईं।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई)

गायत्री विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहराइच की प्रबन्ध समिति एवं प्राचार्य द्वारा कथित वित्तीय घोटाला आदि के लिये नियुक्त जांच अधिकारी की रपट पर कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दिलीप कुमार–

[मान्यवर, गायत्री विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रिसिया, बहराइच की प्रबन्ध समिति एवं प्राचार्य द्वारा वित्तीय घोटाला, गबन अवैधानिक नियुक्ति, आदि की गड़बड़ियों की शिकायतें की गईं। उनकी जांच के लिये शासन ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ बस्मबीर निषाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया। श्री निषाद ने 4-3-98 को कालेज का दौरा करके जांच कार्य सम्पन्न किया। उन्होंने अपनी जांच रपट अप्रैल, 1998 में शासन को सौंप दी। परन्तु आज तक उक्त जांच रपट के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत जांच करने संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा इलाहाबाद डा० सन्त बक्श सिंह के नेतृत्व में 14-15 जून, 1998 को गया, परन्तु उनकी रिपोर्ट पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त दोनों रपटों पर तत्काल कार्यवाही की जाये।]

जनपद बदायूं के बिल्सी क्षेत्रान्तर्गत अवशेष बारह गांवों में विद्युतीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भोला शंकर मौर्य–

[मान्यवर, बिल्सी विधान सभा क्षेत्र में 2,76,387 व्यक्ति निवास करते हैं जिनमें से 79,576 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं। इसी कारण तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इन तीस गांवों के विद्युतीकरण की घोषणा 16-5-97 को की थी। जिस पर लगभग 140.00 लाख रुपया व्यय अनुमानित है। इस योजना के लागू हो जाने से 30,779 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

2–इसी घोषणा का समादर करते हुये विद्युत विभाग ने इन गांवों के विद्युतीकरण हेतु प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी थी। फलतः इसी गांवों में विद्युत पोल खड़े कर दिये गये थे और 18 गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूर्णरूपेण सम्पन्न हो गया है किन्तु शेष 12 गांवों में न तो अभी तक तार लगाये गये हैं। और न ही ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई है। इससे अनुसूचित जाति तथा बिल्सी क्षेत्र के निवासियों के हितों की उपेक्षा हो रही है और मेरे विधायकीय अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है।

अतः इस लोक महत्व तथा अविलम्बनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मांग करता हूं कि इस विषय पर शासन स्पष्ट निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें तथा छूटे हुये 12 गांवों के विद्युतीकरण के अधूरे कार्य को पूरा कराने की व्यवस्था करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक जामों एवं संग्रामपुर में इन्दिरा आवास/शौचालयों में कथित धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, उपरोक्त जनपद के ब्लाक जामों के ग्राम क्रमशः दूरामऊ, लहनाबसनपुर तथा ब्लाक संग्रामपुर के ग्राम बड़गांव, मुहीबशाह, भेरोपुर, कंशापुर आदि गांवों को इन्दिरा आवास के चयन में धांधली भाई भतीजावाद से उपयुक्त नामों का चयन नहीं किया गया है । कहीं भी पंचायत की खुली बैठक नहीं की गई है । सभी जगह प्रधान व बी०डी०ओ० धन उगाही किये जाने से गरीबों को लाभ नहीं मिला । वहीं सम्पन्न घर वालों को एवं अपात्र लोगों को भरपूर अवसर मिला है, वहीं गरीब की झोपड़ी आज भी वैसी वीरान है । इन इन्दिरा आवास की तथा शौचालयों के निर्माण हेतु दिया गया धन ब्लाक स्तर से ही गायब कर दिया गया है । मात्र कुछ ईंटें देकर शौचालय निर्मित दिखाकर पैसा निकाल लिया गया है । वहीं उपभोक्ता से चैक पर हस्ताक्षर कराकर प्रधान व बी०डी०ओ० पैसा निकाल कर सामान की सप्लाई करते हैं जो सर्वथा गलत है ।

श्रीमान् जो इस धांधली की जांच हेतु जिला योजना तथा शौषी निकाय की विगत ग्राम पूरामऊ आदि की इन कार्यक्रमों की चयन प्रक्रिया तथा निर्माण कार्यों की जांच की मांग की गई है परन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही जिला स्तर पर नहीं की गई है ।

बैठक में इस तरह से ब्लाक कर्मचारी, अधिकारी, गांव के दलाल या कहीं कहीं प्रधान के द्वारा भारी शोषण कर इस योजना की सफलता तथा गरीबों को समुचित राहत दिलाने में बाधा उत्पन्न की है, वहीं भ्रष्टाचार द्वारा भारी अनियमितता की है ।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन के माध्यम से ग्रामों में खुली जांच जन प्रतिनिधियों की जानकारी में कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

बागपत जनपद में कतिपय मार्गों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई किसानों की जमीन का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री समरपाल सिंह–

[मान्यवर, बागपत जनपद में बिनौली, अमीनगर सराय मार्ग एवं बड़ौत बुढ़ाना मार्ग का निर्माण लगभग तीन दशक पूर्व किया गया था परन्तु जिन किसानों की जमीन इन सड़कों की निर्माण में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गई थी उन किसानों की जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है । दर-दर भटकने एवं अधिकारियों से सैकड़ों बार अनुनय-विनय करने के बावजूद किसानों को इनकी जमीन का मुआवजा न मिलने के कारण यह किसान अत्यन्त परेशान हैं ।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं किसानों की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये इन्हें तुरन्त मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद छत्रपति शाहू जी महाराजनगर के रैपुरा गांव में गुन्ता बांध टूट जाने से प्रभावित छब्बीस परिवारों को अनुदान राशि का भुगतान कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद–

[मान्यवर, जिला क्षत्रपति शाहूजी महाराजनगर के रैपुरा गांव में दिनांक 1-9-97 को गुन्ता बांध टूट जाने कारण भयानक बाढ़ आ गई थी बाढ़ से ग्राम रैपुरा तथा सिंहपुर छोवों आदि गांवों में तबाही मची थी तमाम परिवार बेघरवार हो गये थे। ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन छत्रपति शाहूजी महाराजनगर से गृहगिरी अनुदान तथा राहत सामग्री की मांग की थी जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों का सर्वे कराया, नायब तहसीलदार मानिकपुर ने अपनी जांच आख्या 4-9-97 में ग्राम रैपुरा के 40% परिवारों के घर पूर्णतः ध्वस्त तथा 83 परिवारों के घर आंशित क्षतिग्रस्त होना पाया था, फलस्वरूप दिनांक 4-9-97 को 40 परिवारों को रु० 500 प्रति परिवार की अहेतुक सहायता दी गई तथा दिनांक 8-10-97 को पूर्णतः ध्वस्त घरों के परिवारों को रु० 1000 प्रति परिवार की दर से 40 परिवारों को और दिया गया नियमानुसार पूर्णतः ध्वस्त घरों को गृहगिरी अनुदान रु० 5000/– प्रति परिवार दिया जाता है परन्तु ग्राम रैपुरा के बाढ़ पीड़ितों को उस समय कहा गया कि धनाभाव हैं। दिनांक 22-4-98 को 14 लोगों को रु० 4000 प्रति परिवार और अनुदान दिया गया जबकि यह धनराशि 40 परिवारों को दी जानी चाहिये थी नायब तहसील मानिकपुर ने अपनी जांच आख्या बदल दी। 26 परिवारों को गृहगिरी अनुदान से वंचित कर दिया गया पूरे रैपुरा गांव में जनाक्रोश व्याप्त है फलस्वरूप दिनांक 1-5-98 से जिला कचहरी छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में रैपुरा गांव के लोग अनशन में बैठे थे, दिनांक 6-5-98 को जिलाधिकारी ने आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया अपर जिलाधिकारी छत्रपति शाहूजी महाराजनगर को दिनांक 26-5-98 तक जांच आख्या देने के लिये कहा गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 26 परिवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

26 परिवारों को गृहगिरी अनुदान चार-चार हजार रुपये और दिया जाना चाहिये क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का शीघ्र ध्यानकर्षण कराते हुये 26 परिवारों को अनुदान राशि का भुगतान कराया जाय।]

जनपद बलिया के अन्तर्गत हल्दी रामपुर मौजा के अन्तर्गत छपिया एवं डूहां छिहरा के बाल खण्डी मठ के पास घाघरा नदी के भीषण कटान से उत्पन्त स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजधारी–

[मान्यवर, जनपद बलिया अन्तर्गत हल्दी रामपुर, मौजा के अन्तर्गत छपिया एवं डूहां छिहरा के बालखण्डी मठ के पास घाघरा नदी के भीषण कटान से खेती बाड़ी एवं जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है। बार-बार विभागीय अधिकारियों का ध्यान उपरोक्त कटान की तरफ आकृष्ट करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पद्म हुआ माना गया।

कृपया उपर्युक्त लोक महत्व के सवाल पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये प्रभावी कार्यवाही करने के साथ अनुरोध प्रेषित है ।]

भारत सरकार की भांति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टेन्ट डेकोरेटर व्यवसाय से सेवा कर की समाप्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

[मान्यवर, भारत सरकार ने पिछले वर्ष टेन्ट डेकोरेटर व्यवसाय पर सेवाकर लगाने की देखादेखी उत्तर प्रदेश शासन ने भी सेवा कर उपरोक्त व्यवसाय पर लगाया था ।

शासन ने पिछले वर्ष नियम 51 के उत्तर में कम्पाउडिंग स्कीम लागू करने की घोषणा की थी परन्तु वहीं टैन्ट व्यवसाय में लागू नहीं हुआ ।

भारत सरकार ने पुनर्विचार कर सेवाकर को समाप्त करने की घोषणा की है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर इस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही करके सेवाकर की समाप्ति करने की मांग करता हूं ।]

(समय 12 बजकर 30 मिनट)

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 6-7-1998 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की संसद तथा देश के अन्य कतिपय राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा में विभागीय स्थायी समितियां गठित किये जाने के बारे में है, इसी विषय पर डा० सरजीत सिंह डंग की तथा डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई की भी सूचना है ।

उ०प्र० विधान सभा में आय-व्ययक पर अनुदानवार चर्चा हेतु कम समय दिये जाने के कारण बजट की समितियां गठित करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का वार्षिक आय-व्ययक संविधान के अनुच्छेद 202 के साथ पठित नियमावली के नियम 183 के अनुसरण में दिनांक 19 जून, 1998 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है । तथा आय-व्ययक पर सदन में नियम 187 के अन्तर्गत 5 दिन साधारण चर्चा भी हो चुकी है जिससे आप अवगत हैं । उक्त आय-व्ययक में अनुदान की संख्या 95 है जिनमें 93 अनुदानों पर सदन में चर्चा और मतदान होता है । प्रक्रिया नियमावली के नियम 188 के अन्तर्गत आय-व्ययक पर अनुदानवार चर्चा 24 दिन से अनधिक होती है । यह अत्यन्त विडम्बना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 95 विभागों के बजट पर चर्चा चालू सत्र में साढ़े 15 दिन के लिये निर्धारित हुई है और यह और भी गम्भीर विषय है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पद्म हुआ माना गया ।

दिनांक 16 जुलाई, 1998 को सदन में 14 विभागों के अनुदानों की मांगे सदन में प्रस्तुत की जायेंगी और उस पर सदन में विचार किया जायेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के ऊपर केवल 15-16 दिन ही विभागवार चर्चा कराई जाती है । श्रीमन् यह बहुत ही गम्भीर चिन्ताजनक बात है कि इतने कम दिन में इस सदन के माननीय सदस्य, 95 विभागों के बजट पर विस्तृत चर्चा कर पाये, यह सम्भव नहीं हो पाता । मैं कहना चाहता हूं कि विगत दिनों 92-93 में 16 दिन इस पर चर्चा हुई है, 94-95 में 16 दिन, 95-96 में 12 दिन और 97-98 में केवल 9 दिन सदन में विभागवार चर्चा हुई है । सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि 16 जुलाई, 1998 को 14 विभागों की विभागवार बजट पर चर्चा हो रही है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इतने बड़े विशाल प्रदेश की विभागवार बजट पर इतने कम दिन की चर्चा निर्धारित की गई है, उतने विभागों को इस सदन में माननीय सदस्य विस्तृत रूप से चर्चा करें यह सम्भव नहीं हो पाता है इतना समय यह सदन दे यह भी सम्भव नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि जैसे आज संसद में तथा देश में कतिपय प्रदेशों में बजट पर जो कमेटियां और जो समिति पद्धति लागू की गई है यह पद्धति उत्तर प्रदेश की विधान सभा की भी लागू की जाय ।

विधान सभा की समितियां इस सदन का ही एक अंग है और यह समितियां अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हैं इसलिये मेरा कहना है कि यदि बजटरी कमेटी उत्तर प्रदेश की विधान सभा में लागू की जाती है और जिसमें अनुदान इस वर्ष के आय-व्ययक में है उन पूरी बजटरी कमेटियां विभागवार सम्यक विचार तथा विस्तृत चर्चा करके सदन के पटल पर रखेगी तो वह प्रदेश के समुचित तथा विस्तृत विकास के लिये अच्छा होगा । इसलिये उत्तर प्रदेश की विधान सभा में संसद की तरह और दूसरे प्रदेशों की तरह बजटरी कमेटियां लागू करने का प्रबन्ध करे और शासन को निर्देश दें कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के इस निर्णय में अपना सहयोग करें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ जनता निवास करती है और अरबों रुपये का बजट है । जैसा हमारे मित्र ने कहा कि 95 में से 93 विभाग जिस पर बहस होती है इस पर बहुत कम दिन चर्चा करने का अवसर मिलता है । हमने एक अवसर भी देखा है कि जब साढ़े तीन मिनट में पूरा-पूरा बजट पारित कर दिया गया, यह हम सब के लिये चिन्ता का विषय है । स्वाभाविक है कि जब मांगों पर कम चर्चा आयेगी तो बहुत ही कम माननीय सदस्य भाग ले पायेंगे और बजट आने से पहले उस पर चिन्तन नहीं होगा और उस बजट से हम ये उम्मीद करें कि जनता का कल्याण करेगा तो यह बुद्धिमानी नहीं होगी । आज यू०के० अमरीका इस की पार्लियामेंट और सीनेट में बजेटरी कमेटियां हैं इन आय-व्ययक समितियों के कारण वहां की आर्थिक स्थिति को एक नई दिशा मिली । केन्द्र सरकार ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया । वहां बजेटरी कमेटियां बजट आने से पहले उस पर यह विवेचना करती है और बहस करती है और बजट की दिशा तय करती है और उस विभाग की क्या प्राथमिकतायें होंगी, तय करती है । मान्यवर, अन्य प्रदेशों में स्कीम चल रही है । आज स्थिति यह है कि अधिकांश माननीय सदस्यों का बजट पर कोई सीधा सहभाग नहीं है । वे चर्चा में अपने क्षेत्र की कठिनाइयों को रख देते हैं । इस महान प्रदेश और उसकी महान जनता के हित में यह है कि इसमें हम सभी सदस्यों का सार्थक सहभाग हो

जायेगा । विभागों की जो स्थाई समितियां बनी हुई हैं उनका बनना और न बनना दोनों बराबर हैं वर्षों वर्ष से इधर स्थाई समितियों की बैठकें नहीं हुई । मान्यवर, बजेटरी कमेटी न बनने के कारण, जो हम चुनकर सदस्य यहां आये हैं अपने कर्तव्य पालन से कहीं न कहीं इस कमी के कारण वंचित रह रहे हैं । बजट को ठीक दिशा देने के लिये सारे माननीय सदस्यों का उस सहभाग किसी न किसी कमेटी में होगा । उससे प्रदेश को सही दिशा मिलेगी आवंटन में प्राथमिकतायें तय होने में मदद मिलेगी तभी हम पूरे चिन्तन के साथ ठीक दिशा में बजट को ले जायेंगे । मेरा निवेदन है कि आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करके विस्तृत चर्चा करायें और सरकार को इस बात के लिये इस पर निर्देश दें कि समयबद्ध सीमा में बजेटरी कमेटियां बनाकर इस प्रदेश के विकास को नई दिशा दे और बजट की सार्थकता को सिद्ध करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, विधान सभा के पिछले सत्र में भी यह उठा था जिसमें आपने एक कमेटी बनाई थी । मान्यवर, संसद में यह विषय 17-8-92 को आया पहली बार नियम समिति की बैठक 20-8-92 को हुई यह बैठक माननीय शिवराज पाटिल जी की अध्यक्षता में हुई थी । 22–12–92 को समिति की दूसरी बैठक हुई । 11–3–93 को लोकसभा/राज्य सभा की संयुक्त नियम समिति ने इस पर विचार किया । 18–3–93 की बैठक में विचार इस सबको अन्तिम रूप दिया । 19-3-93 को संसद में रिपोर्ट पेश की गई इस पर कुछ संशोधन आये जिन पर विचार हुआ । 27-3-93 की इसकी संस्तुतियां अन्तिम रूप से संशोधित हो गईं और 29-3-93 को लोकसभा और राज्य सभा ने इसे पास कर दिया और । अप्रैल, 93 से यह लागू हो गई । मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि गरीबी की रेखा में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के विषय में संसद और विधान सभा विचार करती है बजट उसके लिये बनता है हमारी विधान सभा में पहली बार यह पास हुआ माननीय नेताओं की बैठक आप के कक्ष में हुई एक कमेटी का निर्माण किया गया कमेटी ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है । लोकसभा ने अगस्त, 1992 में विचार प्रारम्भ किया और अप्रैल, 1993 में लागू भी कर दिया उसी के अन्तर्गत अन्य राज्यों में इस तरह की कमेटियों में कार्य हो रहा है विदेशों में भी कार्य हो रहा है हमारे यहां गति बहुत धीमी है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में अपनी बात कह दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, जुलाई, 95 में सार्क देशों के स्पीकर्स की एक कान्फ्रेन्स हुई थी जिसमें राज्यसभा उपाध्यक्ष डा० नजमा हेपतुल्ला जी ने एक पेपर प्रस्तुत किया था और यह बताया था कि राज्यसभा में 6 कमेटी और लोकसभा में 11 कमेटी का गठन करके काम शुरू कर दिया गया है । मान्यवर, बजट कमेटी के लिये वहां संदर्भित किया जाता है और विचार करने का अधिकार समिति को है । इसमें ग्राण्ट की डिमाण्ड, वित्त विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कोई दस्तावेज यदि कोई कमेटी को भेजा जाये, कमेटियां विचार करती हैं ।

पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 30-10-84 को हुआ था, जिसमें लोक सभा अध्यक्ष की उपस्थिति में इस पर विचार-विमर्श भी हुआ था। कुल मिलाकर यह कहा जाय कि अब इन कमेटियों की प्रासंगिकता के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और विधान सभा भी बड़ी है। लम्बे समय से यह प्रकरण लम्बित है। जो समिति आपकी बनी है उसकी बैठक नहीं होती है। इसलिये मान्यवर, आपसे आग्रह है कि आप इस पर तत्काल कमेटी को प्रभावी रूप देने की कृपा करें और वह कमेटी 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें जिससे कि अगले विधान सभा सत्र में ये बजटरी कमेटियां प्रभावी हो सकें।

श्री राम नरेश यादव–

अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हमारे संरक्षक हैं। यह सही है कि इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के बजट आते हैं जिन पर चर्चा नहीं होती है और उनका बजट पास हो जाता है। इसी कारण लोक सभा में बजट स्टैंडिंग कमेटियां गठित कर दी गई हैं। होता यह है कि जब विभाग का बजट आता है तो माननीय सदस्य विस्तार से उस पर चर्चा नहीं कर पाते हैं। इसलिये जब ये कमेटियां बन जायेंगी तो वह अपनी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रख सकती हैं और सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह उन अनुशंसाओं के अनुसार कार्य भी करे। कभी-कभी तो सरकार की तरफ से बिल भी इन कमेटियों को संदर्भित कर दिये जाते हैं। इसलिये मान्यवर, आप स्वयं इसमें हस्तक्षेप करें और सरकार को निर्देशित करें कि वह नेताओं की कमेटी की बैठक कर दो-तीन महीने में इस पर निर्णय ले लें ताकि बार-बार ऐसी जो स्थिति सदन में आती है वह न आने पाये।

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं सदन को एक सूचना दे दूं इससे काफी स्थिति साफ हो जायेगी।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। सम्मानित सदन की भावनाओं को देखते हुए पिछली बार श्री रेवती रमण सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न यहां पर उठाया था और सभी लोग इस पर सहमत थे और आपकी सहमति भी थी और यह हुआ था कि इस प्रकार की समिति के गठन पर विचार कर लिया जाय। अन्य विधान सभाओं में इस प्रकार की कमेटियां बन चुकी हैं। लोक सभा में इस प्रकार की समितियों का गठन हो चुका है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि बिल भी संदर्भित होते हैं। यहां जब किसी बिल पर विधायक चर्चा कर रहे हों तो सत्ता पक्ष की बाध्यता होती है कि उसको पारित करायें, लेकिन इस तरह की समिति का गठन अगर हो जायेगा और सरकार उनको संदर्भित करे, तो उस समिति में जो भावना आयेगी, वह दलगत भावना से ऊपर उठकर होगी और फिर सम्यक रूप से बजट आयेगा तो अच्छा रहेगा।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की मेरिट में कुछ नहीं कहूंगा, इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और पूरे सदन की सहमति बन चुकी है और मैं समझता था कि इस पर कार्यवाही हो जायेगी। आपने सुझाव मांगे थे और मैंने कहा था कि ऐसे व्यक्ति को रखा जाये, जिसको संसद का भी अनुभव हो।

श्री अध्यक्ष–

मुझे स्मरण है। आपने श्री राम नरेश यादव का नाम लिया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार–

अच्छा हो कि यह कस्टोमरी बन जाये। आपकी गरिमामयी पीठ से यह निर्णय हुआ था, तो सरकार बताये कि इसमें क्या प्रगति हुई है ? 3-4 महीनों में कौन सा कदम उठाया गया है। क्या किसी समिति का गठन हुआ है, क्या उसने विभिन्न राज्यों का दौरा किया है, क्या केन्द्र में जाकर बजटरी समितियों का अध्ययन किया है। मान्यवर, यह जो चर्चा हुई है, सदन में चर्चा हुई है और मुझे जानकारी नहीं है कि कोई समिति बनायी गयी है या नहीं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन समितियों का बनाया जाना जनहित में है, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार किसी चीज को गम्भीरता से नहीं लेती है और आपके सुझावों को भी गम्भीरता से नहीं लेती है। मुझे बताया जाये कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया है। इसको मैं सम्पूर्ण सदन की अवहेलना मानता हूं। आप इसके लिये एक माह का समय निश्चित कर लें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

संविधान के अनुछेद 202 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आप विधि के विशेषज्ञ हैं, उसमें लिखा है–

> '202–एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट (1) दि गवर्नर शैल इन रिस्पेक्ट आफ एव्री फाइनेन्शियल इयर काज टु बी लेड बिफोर दि हाउस आर हाउसेज आफ दि लेजिस्लेचर आफ दि स्टेट ए स्टेटमेंट आफ दि इस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एण्ड एक्सपेन्डीचर आफ दि स्टेट फार दैट इयर इन दिस पार्ट रिफर्ड टु एज दि एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट'।

मान्यवर, मैं इसका हिन्दी रूपान्तरण किये दे रहा हूं :–

> 202–वार्षिक वित्तीय विवरण–(1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखा जायेगा जिसे इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है।

श्रीमन्, बजट पर वाद विवाद के संबंध में हमारी जो प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली है उसके नियम 187 में उल्लेख है–आय व्यय प्रस्तुत किये जाने के कम से कम दो दिन बाद अध्यक्ष द्वारा नियत दिनों पर आय-व्ययक पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्तों के किसी प्रश्न पर साधारण चर्चा सामान्यतया 5 दिन होगी, किन्तु इस प्रक्रम पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा और न ही आय-व्ययक सदन में मतदान के लिये रखा जायेगा। उसी के अनुसार आपने 5 दिन तक चर्चा कराई है। इसी तरह बजट की तमाम मांगों पर चर्चा के लिये नियम 188 में दिया है–अध्यक्ष, सदन के नेता के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिये 24 दिनों से अनधिक दिन नियत करेंगे। श्रीमन्, आपके संज्ञान में यह बात है। इतने वर्षों से मुझे भी आपके सानिध्य में बैठकर कुछ सीखने का अवसर मिला है। तो 1992-93 में 16 दिन, 1993-94 मे 16 दिन, 95-96 में 12 दिन और 97-98 में केवल 9 दिन यहां पर चर्चा हुई है। जैसा आप जानते हैं माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बातों का उल्लेख कर पाते हैं उनकी पूरी बात नहीं आ पाती है समय के अभाव में आपकी पीठ से लालबत्ती जल जाती है और पूरी बात माननीय सदस्य अपने अंतरमन से नहीं कह पाते हैं। इसको दृष्टि में रखते हुये ही यह विषय उठाया गया है। और यहां पर यह बात तय हुई थी कि माननीय राम नरेश जी को कन्वीनर बना कर 4 और सदस्यों की एक समिति बनाई जाय यह प्रस्ताव आ चुका है। माननीय सदन के नेता की ओर से इतना विलम्ब इतने महत्वपूर्ण विषय पर क्यों हो रहा है। मान्यवर, यह व्यवस्था केवल पार्लियामेंट में ही नहीं बहुत से प्रदेशों में है जैसे केरल, वेस्ट बंगाल आदि में है। अनेक प्रदेशों में इस प्रकार की समितियां बनी हुई हैं। तो यहां पर भी एक प्रस्ताव आया था उसके अनुसार समिति को अध्ययन करने के लिये भेजने की बात है जो विस्तार से रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करे। इस विषय में अधिक विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्रातिशीघ्र माननीय मुख्य मंत्री जी, या माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी इसकी

घोषणा करें और जिनके नाम से कन्वीनर की अपेक्षा की है जो पहले से तय हो चुका है उनकी समिति बनाई जाय। सचिवालय से भी आपने अधिकारियों से जानकारी करा ली होगी।

श्री अध्यक्ष–

(श्री राजधारी का नाम पुकारने पर) इसमें कोई मतभेद की बात तो है नहीं।

श्री राजधारी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी भावना से मैं सहमत हूं। विधान सभा की प्रक्रिया को आप से अधिक कौन जान सकता है आप से अनुभवी व्यक्ति कोई और नहीं होगा जो इस संबंध में ज्ञान रखता हो। विधायकगण कभी-कभी यह सोचते हैं कि हमारा क्या उपयोग है जैसा कि अभी अधिष्ठाता महोदय, (श्री गौरी शंकर) ने थोड़ा संकेत भी किया।

श्री अध्यक्ष–

अधिष्ठाता तब होते हैं जब वह यहां बैठेंगे इस वक्त नहीं।

श्री राजधारी–

मान्यवर, किसी भी विभाग के प्रगति पर घण्टे दो घण्टे चर्चा होती और उसके बाद पास हो जायेगा तो इतने कम समय में माननीय सदस्यों को क्या मौका मिलेगा क्योंकि आपकी लाल बत्ती जल जाती है . पूरी बात वह नहीं कह पाते हैं। जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है इसके बारे में चर्चा पहले ही हो चुकी है अब बहस की गुंजाइश नहीं हैं। सर्वसम्मति से बजटेरी कमेटी बन जाएं सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके बजटेरी कमेटी बनायी जाऐं। और जिससे कि हम लोगों की सहभागिता बन सके।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जहां तक मुझे स्मरण है कि यह प्रश्न इस सदन में काफी गम्भीरता से आया था और सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के सुझाव इसकी आवश्यकता पर आये थे। अभी जैसा कि माननीय गौरी शंकर जी ने बताया। इस पर काफी सदस्यों ने इसके महत्व पर और मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो इस सिस्टम से सहमत न रहा हो। मान्यवर, जिस जगह पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, उस समय उस कुर्सी पर में बैठा था और सिद्धान्त रूप से सरकार की सहमति भी थी, मैंने भी सहमति जतायी थी कि इस पर कोई विभेद नहीं है और इसको लागू किया जाय। इसकी रूपरेखा और प्रारूप तैयार करने की बात हुई थी। यहां पर कहना तो नहीं चाहिए किन्तु मैं कह रहा हूं कि आपके कक्ष में बैठकर और भी कई माननीय सदस्य थे बैठकर कहा था कि जिन-जिन प्रदेशों में यह सिस्टम लागू है, की स्टडी कर ली जाय और इसका प्रारूप तैयार कर लिया जाय। मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक साल हो गया जुलाई में यह मामला उठा था और सरकार सैद्धान्तिक रूप से सहमत थी हम इसका प्रारूप तैयार नहीं कर पाये, कारण चाहे जो भी रहा हो। इसके महत्व पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। संसदीय कार्य-मंत्री भी इससे सहमति हो जतायेंगे इसलिये मान्यवर, इसी सत्र में जो चल रहा है इसका कोई प्रारूप तैयार करके, चाहे इसके लिये कमेटी बनाने की आवश्यकता हो, अगर महसूस करें तो बना लें। अभी 10–15 दिन का सदन है जो एक्सरसाइज करनी हो कर लें। यह प्रारूप बन कर सदन में आ जाय। इससे हमारी संसदीय कार्य प्रणाली मजबूत होगी और उस दिशा में हमारा एक अच्छा कदम होगा कि सदन में इस पार्लियामेन्टरी सिस्टम को मजबूत करने के लिये एक कदम उठाया जा रहा है। वाद-विवाद का विषय नहीं है बल्कि एक ऐसी परम्परा डालने जा रहे हैं जिसके माध्यम से डिबेट का जो स्तर गिरा है,अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को मजबूत करने के लिये जो अच्छे सुझाव हों वह उसमें समाहित हो सकें। अन्य प्रदेशों की भांति इसे इस प्रदेश में भी लागू करें। इसी सत्र में सदन के पटल पर इसका प्रारूप आना चाहिए ताकि पार्लियामेन्टरी सिस्टम में

एक नया अध्याय जोड़ सकें और इससे डिवेट की गुणवत्ता इम्प्रूव हो सके। आने वाले सुझावों से सरकार लाभान्वित हो और अनुदान पर विस्तार से चर्चा करने का लोगों को मौका मिल सके।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सभी विद्वान सदस्यों ने करीब-करीब सभी बातें कहीं थीं। गौरी शंकर जी ने जिस नियम का हवाला दिया है। एक तो नियमावली में इस बात का प्राविधान है कि 90 दिन सदन चलना चाहिए। 90 क्या 50–60 दिन भी नहीं चलता है। दूसरा इसमें 188 में आप देख लें कम से कम 24 दिन होना चाहिए बजट का। और हो कितना रहा है 15–16 दिन। मेरा यह कहना है कि धीरे-धीरे संसदीय परिपाटी, नियमावली का इसी तरीके से ह्रास होता रहा तो आने वाले दिन में ऐसा ही हो जायेगा कि एक हफ्ते में बजट पास हो जाया करेगा। जहां तक मुझे याद है कि दो उपवेशन पहले जब यह कमेटी सिस्टम का मामला उठा था। आपने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था और माननीय हुकुम सिंह जी 85–86 में जब मंत्री थे इन्होंने भी तब घोषणा की थी और यह पक्षधर थे कि यह बननी चाहिए। कदाचित् तब से आज तक यह प्रश्न कई बार उठा। मैं आपके माध्यम से एक बात का आग्रह करना चाहता हूं और संसदीय कार्य मंत्री से भी चाहता हूं कि 23 तारीख तक सदन चलेगा। इस पर सरकार भी सहमत है और अगर सरकार नहीं सहमत है तो आप घोषणा कर दें कि हम सहमत नहीं हैं लेकिन अगर सहमत हैं तो इसमें अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 23 तारीख को या उससे पहले इसकी घोषणा कर दें। कब से लागू करेंगे, इसकी स्पष्ट घोषणा आ जानी चाहिए। जहां तक मुझे स्मरण है आपकी पीठ से दो-तीन बार सरकार को स्पष्ट निर्देश हो चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी जब अपनी बात कहें तो यह न कह दें कि सरकार गम्भीर है, सरकार विचार कर रही है। यह बता दें कि करेंगे कि नहीं। तो सदन के उठने के पहले जब सदन उठे यह घोषणा कर दें कि कमेटी सिस्टम लागू कर दिया जाएगा।

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

इससे सहमत और असहमत होने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं तो इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अपनी सहमति व्यक्त कर चुका हूं। पूर्व में जब मैं संसदीय कार्यमंत्री था तो इस सम्बन्ध में प्रयास भी किया था। 1984 में पीठासीन अधिकारियों की बैठक कलकत्ता में हुई थी सौभाग्य से उसमें मुझे भी जाने का मौका मिला था। तब भी इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी थी। इस सम्बन्ध में सदन के जितने सम्मानित नेतागण हैं सबको मिलकर तरीका निकालना होगा। प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी। केवल घोषणा मात्र कर देने से काम नहीं चलेगा। जब आपको सुविधा हो। सभी नेतागण की बैठक बुला ली जाए। इस पर विचार हो जाएगा। सरकार इस कदम से पीछे नहीं हटेगी।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक इस सूचना का प्रश्न है इस सदन में पहले भी आम सहमति इस बात की थी कि समिति पद्धति लागू की जाए। सदन में ही यह बात आई थी कि अध्यक्ष विधान सभा और मुख्य मंत्री परामर्श कर लें और एक ऐसी समिति का गठन कर दिया जाए जो केन्द्र में और उन प्रदेशों में जहां समिति पद्धति लागू है वहां जाकर अध्ययन करेगी। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में अपनी संस्तुति शीघ्र ही दे दें। उसके अनुसार यहां इस तरह की पद्धति लागू कर दी जाए। मैं समझता हूं कि आज भी आम सहमति इस विषय पर है। कल सभी दल के सम्मानित नेताओं की बैठक संसदीय कार्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इनमें जो सुविधानुसार उपलब्ध होंगे, उनके साथ बुला लेंगे। यह भी आम सहमति हो गई थी कि किसे उस समिति का सभापति बनाना है। यह सभी को मालूम है। मैं कल उस बैठक में तय करने के पश्चात 9 या 10 तारीख को समिति की घोषणा इस सदन में कर दूंगा। वह समिति जाएगी सम्बन्धित स्थान और प्रदेश में, अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी उसके अनुसार कार्यवाही हो जाएगी। इसी के साथ मैं इस सूचना का निस्तारण कर रहा हूं।

अगली सूचना श्री राम ललित चौधरी की इन्दिरा नगर कालोनी लखनऊ के सेक्टर 16/17 में इण्डिया मार्क–टू हैण्ड पम्प लगवाने के बारे में । यह नियम 300 में नहीं आती है अतः मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, व इसी पर कुं० रेवती रमण सिंह की है । यह नियम 300 में कैसे आती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमण्डल संयुक्त रूप से जिम्मेदार है इस सदन के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि मेरे सहयोगी दल गन्दे नदी नाले हैं उनके मिल जाने से भाजपा का गंगा रूपी स्वरूप खराब नहीं होता ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने इस का खण्डन कर दिया है . आप कृपया स्थान ग्रहण करें । यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है । मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

मद संख्या 3, मद संख्या–4, मद संख्या–5, मद संख्या–6 में कुछ नहीं है ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 6-7-98 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 में कुल–14 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है:– पहली सूचना श्री उदयराज यादव, श्री राम ललित चौधरी, श्री समरपाल सिंह, श्री परवेज हलीम, श्री बनारसी दास चान्दना, श्री कौकब हमीद, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री विजेन्द्र आर्य, दूसरी सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट, तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर० के० चौधरी, श्री राम ललित चौधरी, श्री श्याम सुन्दर, चौथी सूचना श्री राम अचल राजभर, श्री आर० के० चौधरी, पांचवीं सूचना श्री कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अखिलेश सिंह, छठीं सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, सातवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य, आठवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार, नवीं सूचना श्री बाबू खां एवं दसवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद एवं श्री सीताराम निषाद की है ।

अपनी सूचना की ग्राह्यता पर श्री उदयराज जी अपने विचार रखें ।

श्री उदय राज यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में पेयजल की एक अत्यन्त गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी । भारतीय जनता पार्टी का नारा कि भय मुक्त समाज होगा, कानून का राज होगा यह जो नारा था पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है उसी तरफ प्रदेश सरकार के सभी वादे झूठे साबित हुए हैं । आज पेयजल

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

की जो समस्या है उसके बारे में आपके माध्यम से सदन में अवगत कराना चाहता हूं कि दारूलशफा ए–ब्लाक में पिछले दो दिनों से पानी नहीं आ रहा है, एक महीने से गन्दा पानी आ रहा है, उससे पीना तो दूर नहाना भी मुश्किल है । जब दारूलशफा के अन्दर यह व्यवस्था है माननीय विधायकों को पानी

पीने के लिए नहीं मिल रहा है, नहाने के लिए नहीं मिल रहा है । पिछले 7-8 महीने से इसके अन्दर गन्दा पानी आ रहा है जब से यह सरकार आयी है । पीने के लिए पानी बाहर से मंगाना पड़ रहा है । मान्यवर, आज पेयजल की जो स्थिति है, उसका अनुमान आप लगा सकते हैं जब यह सरकार विधायक आवासों में उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी ? मान्यवर, मैं अपने जनपद उन्नाव के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं । वहां पर 36 पानी की टंकियां हैं उनमें से 18 टंकियों के ट्यूबवेल पिछले 3-4 महीने से खराब पड़े हैं इस ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र पुरवा के बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर पेयजल का गम्भीर संकट है । व्यक्ति ही नहीं जानवरों को भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है ।

तालाबों में पानी भराने का काम केवल कागजों पर किया जा रहा है, पूरे क्षेत्र में पेयजल की दयनीय स्थिति हो गयी है । पुरवा व मौरांवा में दो पानी की टंकियां हैं लेकिन कोई भी टंकी काम नहीं कर रही है । गांवों में कुंओं का पानी सूख गया है । मान्यवर, जो हैण्डपम्प लगाये गये हैं उनमें से 50–60 प्रतिशत खराब पड़े हुये हैं । मान्यवर, विकास खण्ड हिलौली के मदाखेदा, वरदहा, सनदाना, मवई तथा असोहा ब्लाक में तमाम ऐसे गांव हैं सारे नल खराब पड़े हैं । एक-डेढ़ साल पहले यूनीसेफ के अन्तर्गत इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाने का काम कराया गया था अब वह सारे खराब हैं जब हम लोग वहां अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो उनका कहना यह होता है कि हैण्डपम्प को ठीक कराने का काम उसी विभाग का है जिसके द्वारा लगाया गया है । आज इस सरकार के कार्यकाल में पानी की टंकियों की क्या स्थिति है उसके बारे में भी बताना चाहूंगा ? मेरे विधान सभा क्षेत्र पहासा गांव में पानी की टंकी बनायी जा रही है । जिस विभाग के द्वारा बनवाई जा रही है, उनके द्वारा जो पाइप डाले जा रहे हैं यदि उसके ऊपर से आदमी निकल जाय तो वह टूट जायेगी, इसी तरह जो पानी की टंकी बनि गांव वि-ख-पुरवा गई है, वह भी आज तक चालू नहीं हो पाई है । पानी की समस्या केवल लखनऊ या उन्नाव की समस्या नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों की समस्या है, इससे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता प्रभावित हो रही है . मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस गम्भीर मसले पर चर्चा करायें ताकि यह पता चल सके कि सरकार क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, इसके बारे में आप वक्तव्य दिलवायें ।

श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम–56 के अन्तर्गत इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह जिला बागपत और जिला मुजफ्फरनगर का कुछ इलाका है जिसे चौगामा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यहां 100 फीट से भी नीचे जलस्तर चला गया है, वहां पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है । किसानों को अपनी खेती की सिंचाई के लिये पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । इस क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने में इतनी ज्यादा लागत आती है कि कोई भी किसान निजी ट्यूबवेल लगाने की हैसियत नहीं रखता । इसी प्रकार जो हैण्डपम्प 15-16 हजार में लग जाता है, वहीं इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगवाने में इस क्षेत्र में 20-21 हजार रुपया लगता है, इसलिये कोई भी गरीब व्यक्ति, मामूली व्यक्ति पीने के पानी के लिये हैण्डपम्प लगाने में सक्षम नहीं है । जो सरकारी ट्यूबवेल हैं, वह बिजली की आपूर्ति न होने के कारण चल नहीं पा रहे हैं । यह क्षेत्र दोनों जिलों के बीच का क्षेत्र है और कृष्णा तथा हिन्डन नदियों के बीच में स्थित है, यह दोनों नदियां काफी गहरे होकर बहती हैं, इसलिये भी जलस्तर नीचे चला गया है इस क्षेत्र के जलस्तर को सुधारने के लिये एक परियोजना बनाई गई थी जिसका नाम कृष्णा हिन्डन दोआब परियोजना था, प्रारम्भ में यह 5 करोड़ की थी, जो अब बढ़कर 26 करोड़ की हो गई है । यदि यह 20 साल पहले लागू हो गई हो तो आज यह हिस्सा रेगिस्तान न होता । इस क्षेत्र में लोग बूंद-बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं और परियोजना ज्यों की त्यों पड़ी है । माननीय मंत्री जी भी वहीं से आते हैं, बगल का क्षेत्र है, सम्भवतः अच्छी तरह से अवगत

होंगे, इसलिये मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय और जो इस क्षेत्र के अन्तर्गत सुविधायें सरकार की ओर से मिलती हैं, वह दी जायें । जैसा मैंने बताया है कि वहां का किसान निजी नलकूप लगाने की हैसियत नहीं रखता सरकार के द्वारा वहां पर ट्यूबवेल लगाये जायं, ज्यादा ट्यूबवेल लगाये जायं जिससे किसानों की फसल प्रभावित न हो सके ।

मान्यवर, मेरा सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करें, ट्यूबवेल ज्यादा से ज्यादा लगा दें और तीसरा जैसा कि जिला योजना में हैण्डपम्प का प्राविधान है जो ब्लाक स्तर पर बांट दिये जाते हैं लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, दुलौली ब्लाक ऐसा है कि वहां पर कोई व्यक्ति हैण्डपम्प लगाने की स्थिति में नहीं है अगर कोई मेहमान आ जाता है तो वहां व्यक्ति किसी सम्पन्न व्यक्ति की खुशामद करता है कि पानी दे दें । तो मान्यवर, वहां पर ज्यादा हैण्डपम्प लगाये जायं । सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करके वसूली स्थगित करी जाय । मान्यवर, जब राष्ट्रपति शासन था तो जल स्तर को ऊंचा करने के लिए योजना थी कि चेक डैम बनाया जाय जिससे पानी का स्तर ऊंचा हो जाय । मान्यवर, 3-4 करोड़ की योजना है इतना बड़ा क्षेत्र रेगिस्तान हो रहा है तो उस चेकडैम की योजना को यथाशीघ्र करा दें । अन्त में निवेदन करूंगा कि संसदीय कार्यमंत्री जी इसमें जरूर दो शब्द कह दें, वह अच्छी तरह से जानते हैं उनके पड़ोस का मामला है ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, 2 सूचनाओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया । जहां तक माननीय सदस्य उदयराज यादव द्वारा दी गयी सूचना का प्रश्न है इसमें स्थानीय निकायों के बारे में सूचना देना चाहता हूं इस समय 622 स्थानीय निकायों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइप द्वारा की जा रही है, 59 नगरों में त्वरित नगर पेयजल योजना का कार्यक्रम पेयजल योजना का निर्माणाधीन है इस प्रकार से 243 करोड़ 40 लाख लीटर पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है । पानी की समस्या है उस पर सरकार को चिन्ता है । बराबर प्रयास यह है कि जितनी पंचायतें हैं वहां हैण्डपम्प लगाये जायं । माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैंने रिपोर्ट मंगाई है । 25 हैण्डपम्प जो आपके कोटे के हैं, उनको लगाया जायेगा, और हैण्डपम्प भी स्वीकृत किये जायेंगे ।

माननीय समरपाल सिंह जी ने बड़ी गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है चौगामा क्षेत्र में वास्तव में जलस्तर नीचे जा रहा है । पहली बार 85-86 में जब वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी उनको ले जाया गया था, मैं भी उनके साथ था, उस समय कृष्णा हिंडन परियोजना शुरू कर दी गयी थी लेकिन कुछ कारणों से वह रोक दी गयी थी, दुबारा शुरू कर दी गयी है और कम से कम इस सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय हेतु उसको 8 करोड़ की स्वीकृति दी है उस पर 10 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है, 34 करोड़ 56 लाख की योजना है 2001 तक सारी योजना को पूरा करने का लक्ष्य है । यमुना नहर से भी कल्लापुर लोई रजबहा 30 क्यूसेक जल छोड़कर पानी उपलब्ध कराने की योजना है ।

सारे योजना पर काम चल रहा है जितनी धनराशि संभव थी इस वर्ष उपलब्ध करा दी गयी । शेष धनराशि आगे आने वाले वर्षों में उपलब्ध करा दी जाएगी । दारुलशफा के बारे में पहले ही खेद व्यक्त कर दिया है । मान्यवर, आज भी संबंधित अधिकारियों को बुलाया है और मेरा यह प्रयास होगा कि आज के बाद में यह समस्या सामने न आये ।

(व्यवधान)

श्री उदय राज यादव–

पिछले 9 महीने से यह समस्या चल रही है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, टंकियां कभी साफ नहीं की जाती हैं काई आदि उनमें जमी रहती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय उदय राज जी एवं अन्य माननीय सदस्यों तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं परन्तु शासन को यह निर्देश देता हूं कि पूरे प्रदेश में भूगर्भ जल स्तर आज नीचे गिरता चला जा रहा है, आने वाले वर्षों में पेयजल के लिए गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका है । किस प्रकार से इस पर रोकथाम की जा सकती है इसलिए शासन पूरी गंभीरता से समयबद्ध योजना बनाकर कार्यवाही करे ताकि आने वाली पीढ़ियों को पेयजल के संबंध में कोई कठिनाई न हो । यह सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त दारुलशफा ही नहीं जो सरकारी आवास हैं जहां पर हमारे विधायक रहते हैं अथवा अन्य लोग रहते हैं उसमें टंकियों की नियमित सफाई की व्यवस्था हो उसको भी सुनिश्चित करें ।

अगली सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट की है, नर्सों की कमी से उत्पन्न समस्या के संबंध में है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, यह संकल्प है कि सन् 2000 तक सबके स्वास्थ्य की व्यवस्था हम करेंगे । वहीं बहुत ही दुखद है कि नर्सेस की आवश्यकता जहां हर अस्पताल है उसमें आज कमी है । कानपुर के महाविद्यालय में जहां दो सौ तीन सौ नर्सेस की ट्रेनिंग का इन्तजाम होता था आज 20-30 ही प्रशिक्षित हो रही हैं । आज प्रशिक्षित नर्सों की आवश्यकता हर अस्पताल में दिख रही है । कानपुर में महाविद्यालय की यह स्थिति है जहां पर ट्रेनीज नहीं है इसका उचित प्रबन्ध हो । अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा रही है मान्यवर, मरीज को भले ही एक बार दवाई न दी जाए लेकिन अगर नर्स जाकर देख लें और खड़ी हो जाती है तो आधा रोग खत्म हो जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

लगता है कि कई बार आप का आधा रोग समाप्त हुआ है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमारा प्रयास होगा कि गौरी शंकर जी का पूरा रोग ही समाप्त हो जाय । मान्यवर, जानकारी इसमें प्राप्त की गयी यह सही है कि कुछ तो स्थान रिक्त हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन होता है ।

इसलिए भी स्थान रिक्त हैं हमारा यह प्रयास है कि शीघ्र ही इसमें प्रभावी कदम उठाये जायें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर श्री गौरी शंकर जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और शासन को निर्देश देता हूं कि आने वाले समय में प्रशिक्षित नर्सों की संख्या यदि कम होगी तो कठिनाई होगी इसलिए ध्यान आकृष्ट कराता हूं । इस संबंध में कुछ न कुछ व्यवस्था की जाय ।

* श्री श्याम सुन्दर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 27 तारीख को साढ़े पांच बजे रायबरेली जनपद के कोतवाली महाराजगंज में सशक्त हमलावरों ने अनुसूचित जाति की बस्ती पर हमला बोलकर बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के दो व्यक्तियों को उनके घर से घसीट-घसीट कर पहले तो लाठियों से मारा और जब वह बेहोश हो गये तो गोलियों से उनको भून डाला । उनके भाई जिनका नाम रामदास है को गोलियों से घायल कर दिया । मान्यवर, मैं घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि किस लिए यह घटना घटी । 24 तारीख को एक भैंस का छोटा सा बच्चा बाग में चर रहा था । बहाना हत्यारों ने यह लिया कि यह भैंस का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बच्चा हमारे खेत में चर रहा है इसलिए भैंस के बच्चे को अपने दरवाजे में बांध लिया । इस पर अनुसूचित जाति के लोगों ने मात्र यह कहा कि अगर यह भैंस का बच्चा आपके खेत में चर रहा था तो इसे अपने दरवाजे में नहीं बांधना चाहिए था इसे काजी हाउस में पहुंचा देना चाहिए था । तो हमलावरों ने जो जमींदार थे उन्होंने यह कहा कि इस गांव के अनुसूचित जाति के लोगों की इतनी हिम्मत की हमसे जबान लड़ा रहे हैं और 27 तारीख को अपने तमाम साथियों सहित गांव में एक तरफा हमला बोलकर उन लोगों की हत्या कर दी और खास बात यह है कि सारे गांव को घेर लिया और आतंकित करके यह कहा कि अगर थाने में इसकी सूचना पहुंचेगी तो सारे गांव को मार दिया जायेगा । मान्यवर, कोतवाली महाराजगंज में दूसरे दिन 28 तारीख को 9.00 बजे इसकी सूचना पड़ोस के गांव से पहुंची ।

मैंने इस घटना की जानकारी अपने विधान मण्डल दल के नेता श्री मौर्य जी को दी तथा अपनी पार्टी के श्री चौधरी जी को दी । चार तारीख को हम तीनों वहां पर गये और लोगों को ढांढस बंधाया । अब मुझे भी धमकियां मिलने लगी हैं और मुझसे कहा जा रहा है कि बहुत नेता गिरी करने लगे हो । मुझे डर है कि मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है । इसलिये मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें ।

(समय 1 बजकर 30 मिनट)

*श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, 27 तारीख की यह घटना है ।..

श्री अधिष्ठाता–

इस बात का पता लगाया जाय कि हां लाबी में यह शोर क्यों हो रहा है ।

* श्री आर० के० चौधरी–

हम तीन लोग घटना स्थल पर गये । आजादी के पचास साल के बाद भी सामन्ती लोग दलितों को दबा रहे हैं, उन्हें गुलामी की जिन्दगी जीने के लिए विवश कर रहे हैं, आये दिन उनकी हत्यायें की जाती हैं, उनके घर पर डकैती पड़ती है और बलात्कार किया जाता है । यह सब इसलिये किया जाता है कि दलित उनके खेत में बिना मजदूरी के मजदूरी करे । जहां यह घटना घटी वहां पर 44 घर हैं, जिसमें से 16 घर पासियों के हैं । इसमें से 15 घर ऐसे हैं जो बेगारी, लाचारी व गुलामगिरी करते हैं सिर्फ एक घर भगवती प्रसाद का ऐसा है, जिसके परिवार से दो सदस्य सरकारी सेवा में है । वह अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा अपने खेत में स्वाभिमान से काम करता था । यही उसकी कमी थी । उसकी इसी कमी के कारण यह घटना घट गई । 24 जून को भगवती प्रसाद की एक पड़िया रुद्र प्रसाद अग्निहोत्री के खेत में चली गयी और उसने उसे अपने घर पर बांध लिया । जब भगवती प्रसाद के घर से दो महिलायें उसे छुड़वाने गई तो उनको भगा दिया और जब फिर भगवती प्रसाद गया तो उसे भी भगा दिया । रुद्र प्रसाद अग्निहोत्री ने उसे कांजी हाऊस में डाल दिया । दूसरे दिन वह उसे 30 रुपये देकर कांजी हाउस से छुड़ा लाया । इसका इतना बड़ा विरोध हुआ कि वह श्री रुद्र प्रसाद अग्निहोत्री इसे बर्दाश्त नहीं कर पाये । सामन्ती ताकत के लोगों ने हमलाकर दिया बन्दूकों से लैश होकर । जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई तथा राम दास तथा अन्य लोग चोटिल हो गये । आज इसी तरह से पूरे प्रदेश में दलितों के साथ आये दिन ऐसी घटनायें हो रही है । बी० जे० पी० की सरकार दलितों पर हो रहे अत्याचार पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं कि जिस परिवार में इतनी बड़ी घटना घटी हो, वहां पर पी० ए० सी० लगा दी जाये, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके । दूसरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मृतक परिवार में जो उनके आश्रित हैं, उनको कम्पेनसेट किया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनायें [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

घटना से जितनी असंबंधित बातें कही जा रही हैं, उनको कार्यवाही में अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री आर० के० चौधरी–

गुण्डा टैक्स न देने पर लोगों की हत्या की गयी है। 3 जून को मां और बेटे दोनों की दिन दहाड़े हत्या करके नकदी और जेवरात लूट लिये गये, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज अपराधियों का राज्य है और यह सरकार भयमुक्त समाज की बात करती है।

अब तो न कानून का राज होगा, न भयमुक्त समाज होगा,

अपराधियों के सिर पर ताज होगा, न शर्म होगी न लाज होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, महाराज गंज के अन्तर्गत 27 जून को 2 पासियों की नृशंस हत्या कर दी गयी और एक भाई को मरा जान कर चल दिया और भगवती प्रसाद की पत्नी को अपमानित किया। इस तरह के अपराध हो रहे हैं। मान्यवर, उसका अपराध केवल इतना था कि वह सम्मान से अपनी रोजी-रोटी चलाता था, बेगार करने नहीं जाता था, यही उसका कसूर था।

यही उसका गुनाह था। मान्यवर, यह प्रकरण श्याम सुन्दर भारती ने उठाया है। मैं केवल यह कह देना चाहता हूं कि यह घटना दिन दहाड़े हुई है और बिना किसी बात चीत के हुई है और बिना किसी तू-तू मैं-मैं के हुई है।

एक बड़ी जाति में पैदा हो गया और एक कमजोर जाति में पैदा हो गया, यह मामला दो जातियों में पैदा होने का है। महाराजगंज 27-6-98 पूरेदूबे में घटना हुई है वह अत्यन्त दुखद है। इतना सब होने के बाद भी अभी तक अपराधियों को जो 7 आदमी नामजद हैं उनमें से मात्र कुछ की गिरफ्तारी हुई। पूरे गांव में दहशत फैली है वह गांव में आते हैं और कहते हैं जो भी गवाह बनेगा उसको भी मार-मारकर फैंक देंगे, उनकी भी वही दशा होगी जो भगवती पासी और राम अधार पासी की हुई है। हम तीन लोग चौधरी साहब और भारती जी घटना स्थल पर गये। सारे गांव वाले सहमें हुये हैं। कहते हैं भगवती पासी और रामअधार पासी के हत्यारे घूम रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं कर रही है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं है तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कितनी गंभीरता से मामले को ले रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, नित्य क्रिया के लिये जाने में भी रोक लगा देंगे, अभी कुछ क्षण के लिये गये फिर उपस्थित हो गये हैं। वहां पर भी आपकी बात सुनाई दे रही होगी मुझे विश्वास है।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह गंभीर मामला है 2-2 हत्याएं हो चुकी हैं 2 आदमियों को मारने के बाद हत्यारे आज भी दहशत पैदा कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अगर यह कहेंगे कि फला-फला लोगों ने मारा है तो तुम्हारा भी वही दशा होगी । वहां के स्थानीय विधायक श्री श्याम सुन्दर भारती को कुछ अराजक तत्वों ने महाराजगंज चौराहे पर धमकी दी कि इस घटना को तूल दे रहे हो उसका परिणाम आप को ही भुगतना होगा । यह अत्यन्त गंभीर मामला है पासी समाज के ही हमारे श्याम सुन्दर भारती जी हैं यह घटना हत्यारे इतने बर्बर हो चुके हैं लोगों को जान से मारने की धमकी स्थानीय विधायक को भी दे रहे हैं । कोई चोरी छिपे नहीं चौराहे पर दे रहे हैं इसलिए इस पर सदन की सारी कार्यवाही अविलम्ब रोककर चर्चा करायें । मैं रायबरेली से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं इसलिए यह अविलम्बनीय महत्व का है मैं इस परिप्रेक्ष्य में दो लाइनें दृष्टान्त रखकर अपनी बात समाप्त करता हूं और संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इसके पीछे जो वातावरण बना है उसको भी देख लें ।

मैं कुछ और घटनाओं का उल्लेख इसी के संदर्भ में करना चाहूंगा । एक लड़की संगीता पासी के साथ बलात्कार किया गया उसकी एफ० आई० आर० हुयी लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया । इसी तरह से मुन्नन पासी नाम की लड़की के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ । इसी क्रम में नागमणि प्रसाद चमार की हत्या कर दी गयी लेकिन एफ० आई० आर० कराने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नही हुयी । इसी तरह से एक लड़के के साथ अमानुषिक अत्याचार किया गया और गलाघोंट कर मार दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर सीमित रखें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं इसी क्रम में कह रहा हूं । इसी तरह से ठकुरन पुरवा में चमार महिला के साथ बलात्कार हुआ और कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी । डलमऊ में एक बलात्कार हुआ उसकी एफ० आई० आर० हुयी लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी । इसी तरह से ऊंचाहार में अमरनाथ मौर्य का अपहरण हुआ लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी । मान्यवर, हत्या, अपहरण, बलात्कार हो रहे हैं, अपराधी और गुंडों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वह हत्यायें कर रहे हैं । दुबे का पुरवा में 2 पासियों की हत्या हुयी और दो को अधमरा कर दिया गया और गुण्डा की हिम्मत देखिये कि वह विधायक श्याम सुन्दर को धमकी दे रहे हैं । अगर इस तरह से विधायक को धमकी मिलेगी तो कानून कैसे चलेगा । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले को चर्चा के लिये स्वीकार करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 304 में व्यवस्था है कि यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मान-हानिकारक या अशिष्ट असंसदीय हैं तो उनको सदन की कार्यवाही से निकाला जा सकता है । माननीय आर० के० चौधरी बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया । ऐसी घटनायें जो रही हैं उनके बारे में उन्होंने बताया । आपने उनको कार्यवाही से निकालने का निर्णय दिया मेरा निवेदन है कि आपने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 के अन्तर्गत एक विशेष घटना के बारे में ग्राह्यता पर माननीय सदस्य बोल रहे थे । उस घटना के संदर्भ में पूरे प्रदेश की घटनाओं की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है । अगर असंगत है तो निकालने का आदेश आवश्यक है ।

मैं जानता हूं उन नियमों को । मैं भी जानता हूं उस नियमावली का पूरा सम्मान है लेकिन नियमावली का गलत अर्थ निकालने की कोशिश न करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस नियमावली में समावेश कर लें । इस नियमावली के अनुसार आपको वहां पर बैठने का अधिकार मिला है और उसी नियमावली के तहत हम भाषण दे रहे हैं । ग्राह्यता पर बल देने के लिये हम रिलेशन जोड़ रहे हैं और शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में आप नियमावली को नियम समिति के माध्यम से बदलवा दें कि अध्यक्ष की राय में यह शब्द निरर्थक है, कार्यवाही से निकलवा देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

एक बार जब पीठ की ओर से निर्देश मिले कि यह इस घटना से संबंधित नहीं है उस पर चर्चा न करें इसके बावजूद भी चर्चा करते हैं तो पीठ स्वविवेक के अनुसार जो घटना से संबंधित है अंकित करने और न करने के आदेश दे सकते हैं । इसलिये मैं आपकी व्यवस्था का प्रश्न निरस्त करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

कदाचित् उस कुर्सी की जो गरिमा है उस गरिमा में बढ़ोत्तरी हो सके इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं । आप अनुमति दें तो कहूं अन्यथा न कहूं ।

श्री अधिष्ठाता–

लेकिन जो निवेदन मैंने कहा है उसको मस्तिष्क में रखते हुए कहियेगा

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा नाम कई बार पुकार लिया है । मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कहने दें शायद इससे आपकी शंका का निवारण भी हो जाय । मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं कह लूं तो शायद मंत्री जी को उत्तर देने में सुगमता होगी या फिर जब उत्तर देंगे तो इस पर भी दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यदि आवश्यक होगा तो फिर दे देंगे । मेरा अनुरोध है कि आपसे संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं ग्राह्यता पर कहने के लिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं समझता हूं कि इसके बाद इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा । वैसे मर्जी आपकी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो सूचना है वह आपके पास भी है और मेरे समक्ष भी है । उसमें एक घटना विशेष का उल्लेख किया गया है । कहीं भी एक शब्द या वाक्य प्रदेश या उसकी जनता के बारे में नहीं है । यह घटना मान्यवर, अपराध संख्या 112, 98, 147, 148, 149, 307, 323, 382 भारतीय दण्ड विधान और धारा 3, 2, 5 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज की गई ।

7 अभियुक्त नामजद थे । बबत् उमाकान्त, टीटू एवं विजय प्रकाश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है एक आदमी रुद्र प्रकाश ने न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण किया है । दो फरार हैं । घटना हुई, 7 लोग नामजद थे, 4 को गिरफ्तार किया गया एक ने आत्मसमर्पण किया तो कहीं पर शासन और प्रशासन व पुलिस की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई । जो दोषी हैं उनको दण्ड मिलेगा । इस वजह से यह नियम–56 व 311 में नहीं आता है, इसको निरस्त किया जाय ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वह ही धमकी दे रहा है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

अभी जिस औचित्य के प्रश्न को लाल जी वर्मा ने कहा था श्री आर० के० चौधरी जिस बात को कह रहे थे उनके कहने का जो आशय था अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए उन्होंने इन घटनाओं का उल्लेख किया । आज अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि आज सम्मानित सदन के सदस्य जो धमका रहे हैं कि अगर इस घटना को विधान सभा में उठाओगे तो तुम्हें देख लिया जायेगा । ग्राह्यता पर बल देने के लिए श्री चौधरी जी ने इन घटनाओं का उल्लेख किया । आप उस कुर्सी पर आसीन हैं । उसकी एक गरिमा है । यह सदन की सर्वोच्च कुर्सी है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस गरिमा को बरकरार रखें । घटना की पृष्ठभूमि में श्री चौधरी जी ने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इस पर पुर्नविचार कर लें । आपके अधिकार क्षेत्र को कोई चुनौती नहीं दे रहा है । यह सदन परम्परा, नियमावली और संविधान के अनुसार चल रहा है । श्री चौधरी जी ने जो कुछ कहा है उसे औचित्य की कार्यवाही में सम्मिलित कर लें । इससे कोई मैं समझता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो जाएगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको दिखवा लेंगे ।

प्रस्तुत सूचना पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर० के० चौधरी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अभी इसके पहले दो लोगों की हत्या का मामला था दो हमारे माननीय सदस्य हमारे नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर० के० चौधरी यह लोग मौके पर गए ..

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन है कि आपके तीन योग्य विद्वान सदस्यों ने इसकी ग्राह्यता पर अपनी बात कही । कुछ माननीय सदस्य वहां गए थे उन्होंने भी अपनी बात ही अब इसमें आगे पैरवी करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस में धमकी मिल रही है । जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं । उनको धमकी दी गई कि इस बात को अगर सदन में उठाओगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया बैठ जायें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य को धमकी मिलने के बाद अगर कोई घटना होगी तो पूरे सदन का अपमान होगा । यह सदन निरर्थक हो जाएगा । चर्चा निरर्थक हो जाएगी । इसलिए आप इस तरह के

इन्तजाम करवा दें जिससे किसी अपराधी की इस तरह की हिम्मत न हो कि वह किसी सम्मानित सदस्य को धमका सके ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर० के० चौधरी, श्री श्याम सुन्दर शर्मा को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं । किन्तु श्याम सुन्दर की सुरक्षा के संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस पर चर्चा करवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठ जाएं अगली सूचना श्री राम अचल राजभर व श्री आर० के० चौधरी की है ।

मैंने माननीय सदस्य की सुरक्षा के हित को लेते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है और अगली सूचना के लिए बुला लिया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बहुत ही गंभीर प्रश्न है, दो व्यक्तियों की हत्या का मामला है, इसलिए इस पर आपका संरक्षण चाहते हैं । मान्यवर, यह 27 तारीख की घटना है और जो सबसे गंभीर अपराधी है वह बाहर ही है और अपनी पूरी टीम लेकर घूम रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी शासन का उत्तर आया कि एक को गिरफ्तार कर लिया गया और जो बचे हैं उन पर धारा–82 की कार्यवाही चल रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, आप मान्यवर, सरकार की बात करने लगते हैं । एक तरफ धमकियां मिल रही हैं दूसरी तरफ आप सरकार को स्पष्ट निर्देश देने में हीला-हवाली कर रहे हैं । आपकी तरफ से स्पष्ट निर्देश होना चाहिए । मान्यवर, मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

(चर्चा की मांग करते हुए बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये और वेल से जुल्म ज्यादती की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री लालमणि प्रसाद–

मान्यवर, भगौती पासी के हत्यारों को गिरफ्तार करें जो अपराधी हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए । हत्यारों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, हत्यारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और धारा 83 की कार्यवाही होनी चाहिए । पुलिस अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है ।

(कई सदस्यगण सदन के वेल में आ गये तथा नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें और वही से अपनी बात कहें, तभी उनकी बात सुनी जा सकेगी ।

(वेल में आये हुए सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इससे सदस्यों की भावनायें जुड़ी हैं । सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है, वह विषय की गंभीरता के अनुरूप नहीं है । इसमें सदन के दल के नेता को हत्या की धमकी का प्रश्न है । आप पुनर्विचार करके देख लें और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करायें क्योंकि अपराधी पकड़े नहीं गये हैं और कुर्की की कार्यवाही करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने जवाब में 2-3 बातें बताई । एक तो 7 लोग नामजद थे, उसमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, बाकी लोगों के विरुद्ध 82 की कार्यवाही चल रही है । अब जो वैधानिक नियम हैं, उसको हम और आप बदल तो नहीं सकते ।

श्री लालजी वर्मा–

यह धारा 82 क्या होता है ?

श्री अधिष्ठाता–

इसको लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लें । यह स्थान विधि की शिक्षा देने के लिये नहीं है, या किसी अधिवक्ता से पूछिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, 82 की कार्यवाही सरकार ने की है, सरकार 83 की कार्यवाही भी कर दे और जो गिरफ्तार नहीं हैं, उनको गिरफ़्तार करवा दे । तीसरी बात, माननीय सदस्य की सुरक्षा की व्यवस्था करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले ही निर्देश दे दिये हैं कि माननीय सदस्य श्री श्याम सुन्दर को जो धमकी मिली है, उसके तहत उनकी सुरक्षा के समुचित निर्देश दे दिये ।

श्री हुकुम सिंह–

82-83 की कार्यवाही एक न्यायिक प्रक्रिया है । 82 के बाद ही 83 होती है, जब मजिस्ट्रेट संतुष्ट होने के उपरान्त उचित समझते हैं, तब 82 की रिपोर्ट आती है और उसके बाद 83 होती है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रकरण अब समाप्त हुआ, चौथी सूचना श्री राम अचल राजभर की है ।

श्री राम अचल राजभर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में भर-राजभर जाति निवास करती है, जिसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक दशा काफी दयनीय है, इनके पास न कोई रोजगार करने की सुविधा है, न ही कृषि हेतु जमीन है । इनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति के बारे में प्रदेश सरकार द्वारा सर्वेक्षण भी कराया गया था । प्रकाश में आया कि इनकी दशा अनुसूचित जाति/जनजाति से भी दयनीय है । जो सुविधायें आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिल रही है, वह सुविधायें इस जाति को नहीं मिल रही है क्योंकि इसे विमुक्त जाति मान लिया गया था । इस संबंध में सरकार की ओर से शासनादेश हुये । पहला शासनादेश सं०–899 XXVI–700 (5)/1959 दिनांक 12-5-61 है तथा दूसरा शासनादेश सं०–1488/XXUI–700(5)/1959 दिनांक 26-3-62 है, इसके अनुसार इस जाति को विमुक्त जाति में रखा गया । इस शासनादेश के अनुसार 19 जातियों में से 18 जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा मिल रही है जबकि उक्त शासनादेशों से भर

मुसहर, नट जाति को वही सुविधा मिलनी चाहिये । पासी, दुसाद, गूजर, कंजर, खटिक, बरवार, भूरिया, भांट, हबूड़ा, सांसिया, करबाल, अहेरिया, बहेलिया, वदक खंडिया, चमार और डोम हैं । इसमें क्रमांक नं० 17 परभर जाति हैं, इसे अनुसूचित जाति की सुविधायें नहीं मिल रही हैं बाकी 18 जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा मिल रही है ।

मान्यवर, जो 2-2 शासनादेश हुये हैं इसमें विमुक्त जाति में रखा गया था । 1959 में और बाद में 18 जाति को अनुसूचित जाति में रखकर भर जाति को छोड़ दिया गया है । इससे लोगों में आक्रोश है । तमाम धरना प्रदर्शन दिल्ली तक किये गये हैं । मैं व्यवस्था चाहता हूं, मान्यवर, आज सचिवालय में आप पता लगा लें हमारी शिक्षा में स्थिति बहुत खराब है । एक भी आई० ए० एस०, आई० पी० एस० अधिकारी की बात छोड़ दीजिए, एक भर जाति का या राजभर जाति का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी नहीं मिलेगा, अगर होगा भी तो कहीं गार्ड-वार्ड होगा । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 2-2 शासनादेश हुए हैं, उनका अनुपालन कराया जाय । आज हम 50वीं वर्षगाठ की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं, और ऐसे समय में हमारे भर या राजभर जाति का मुश्किल से कहीं एक आध आदमी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भले ही मिले, यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है । मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर एक घण्टे की चर्चा कराई जाय । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके इस सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं । मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं । हर विषय पर बोलने का आप अपना लोभ संभरण कीजिए ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी जो कहने जा रहे हैं, उससे माननीय मंत्री जी को आसानी होगी । कदाचित उन्होंने जी० ओ० न पढ़ा होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

सामान्य बुद्धि ईश्वर ने सबको दी है । इसलिए कृपया बैठें ।

समाज कल्याण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश' जी)–

मान्यवर, नियम–56 में यह मामला उठाया गया है । उठाने वाले विपक्ष के प्रति इसलिए मैं आश्चर्य भी कर रहा हूं उधर का इधर, इधर का उधर हर साल बड़ा उलट, पलट हो जाता है । विपक्ष को इस मामले की कठिनाइयों का ज्ञान है । एक बार निवेदन करूंगा । कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने अथवा निकालने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को, किसी राज्य सरकार को नहीं है । यह अधिकार भारत सरकार में निहित है । इसलिए भारत सरकार के द्वारा ही इसका फैसला किया जा सकता है, किया जाता है । इसलिए यह प्रश्न सन् 82 में 8वीं विधान सभा में एक याचिका समिति के द्वारा यह संस्तुत हुआ था कि भर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाय । इस याचिका समिति की संस्तुति के द्वारा सन् 82 में भारत सरकार को यह विषय सन्दर्भित किया गया था कि भारत सरकार अपना निर्णय दे । मान्यवर, 82 से लेकर अब तक कई अनुस्मारक गये हैं, उधर से भी जब यह लोग सरकार में रहे होंगे तभी भेजे गये होंगे, इधर से भी गये हैं । इस पर भारत सरकार से कोई निर्णय अभी तक नहीं आ पाया है ।

मान्यवर, जब मेरे संज्ञान में यह विषय आया तो मैंने स्वयं 25 जून, 1998 को एक पत्र भारत सरकार को भेजा है कि इस संबंध में अपना निर्णय शीघ्र भेजा जाए । किसी भी को अनुसूचित जाति

जनजाति में शामिल करने का फैसला किसी राज्य सरकार के शासनादेश से नहीं हो सकती है । भारत सरकार के निर्णय से ही वह हो सकता है । लेकिन यह शासनादेश बड़ा संदिग्ध है इसकी आवश्यक छानबीन करने की जरूरत है । 17 नवम्बर पर इसका उल्लेख किया गया है, हाथ से भर जाति लिखा जरूर है । भर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने में न मेरी विमक्ति है न वर्तमान सरकार की है, यह संभव भारत सरकार के निर्णय से ही होगा । इसमें हम सब मिलजुल कर भारत सरकार से इस ढंग से प्रयत्न करें कि बात बन जाए । 1962 के सरकुलर में उल्लेख है कि 1961 के शासनादेश में इन जातियों का उल्लेख नहीं किया गया है । परन्तु 1961 में भर जाति का क्रमांक 2 पर उल्लेख किया गया है । 62 का शासनादेश स्वतः अस्पष्ट है कि इन जातियों का उल्लेख जिनका कि 61 शासनादेश में नहीं किया है, इसलिए 62 में शासनादेश जारी किया जा रहा है । मान्यवर, 1961, 62 के शासनादेश के परिक्षण का आदेश विभाग को दे दिया है । परीक्षण से जो आयेगा मैं आश्वस्त करता हूं कि सदन में उसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है इस संस्थान के माध्यम से जो भी प्रार्थना-पत्र आते हैं इसे प्रस्तुत कर दिए जाते हैं । इसके अध्ययन को लेकर अपना मत जोड़कर भारत सरकार को प्रस्तुत कर देना चाहिए था लेकिन 1982 से लेकर आज तक यह काम नहीं हुआ । यदि सदन सहमत हो आप के निर्देश हों तो मेरी राय है कि इसका इस संस्थान को संदर्भित कर दिया जाए । इसका शोध करा लिया जाए उसका भी मत मिल जाय अपना मत जोड़कर भारत सरकार को फिर से लिख दूं । मान्यवर, माननीय सदस्य मेरे कथन से सहमत होंगे निर्णय पीठ से जैसा आप उचित समझे दें ।

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इसमें मैं अचल जी को अवसर दे सकता हूं ।

माननीय श्री वर्मा जी आप बहुत ही वरिष्ठ तथा विदद्वान सदस्य हैं । मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं । जिन माननीय सदस्य ने नोटिस दी है, उनकी विद्वता तथा चिन्तन में हमें कोई कमी नजर नहीं आती है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यदि मैं थोड़ी सी बात कह लूंगा तो उसमें कौन सी ऐसी बुराई है । मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के 1981-82 के आय-व्ययक पुस्तिका के पृष्ठ 11 तथा 1987-88 के आय-व्ययक पुस्तिका के पृष्ठ 18 पर भर जाति को दर्शाया गया है, 17वें नम्बर पर दर्शाया गया है । अन्य वर्षों के बजट में भी यह लिखा गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

जिस समय माननीय सदस्य ने यह बात उठायी थी, उस समय उन्हें ये तथ्य आप बता दिये होते यदि इसी प्रकार बीच में कोई अन्य माननीय सदस्य अपना अभिमत प्रकट करना शुरू कर देगा तो इससे गलत परम्परा पड़ेगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अनुसूचित जाति की सूची में तो वह शामिल हैं ही, उन्हें तो अनुसूचित जाति की सुविधायें देने की बात है, फिर जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है ।

श्री हरिशचन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, जिस आय-व्यय की बात यहां पर उठायी गई है, यह भी मेरे संज्ञान में है, मैंने 61-62 के शासनादेशों का भी उल्लेख किया । इन दोनों की छान-बीन करने का आदेश मैं पहले ही दे चुका हूं । यह बड़ा भ्रामक है, शायद अस्पष्ट शासनादेश का आधार लेकर इन वर्षों में यह हो गया । इससे यह

पुष्टि नहीं होती है कि भर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया है । इस जाति को भी शामिल कर लिया जाय, उसके लिए जो आवश्यक काम करना चाहिए, वह हम कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं किन्तु शासन को निर्देश देता हूं चूंकि इस विषय पर एक संदेह की स्थिति बनी है इसलिये समयबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करवा कर समुचित कार्यवाही करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब महंगाई की बात इस आदरणीय सदन में उठती है तो यह सरकार बड़ी कमजोरी के साथ कह देती है कि इस पर हमारा कोई वश नहीं है, हमारे पास कोई इसके लिए प्राविधान नहीं है जिससे कि हम बढ़े हुए दामों पर अंकुश लगा सके । अभी जब कुछ दिन पहले इस सदन में प्रश्न उठा था तो उस समय कहा गया था कि सरसों के दाम बढ़ गये, वनस्पति घी के दाम बढ़ गये अन्य दैनिक उपभोग में आने वाली चीजों के दाम बढ़ गये तो उस समय सरकार ने बड़ी विवशता के साथ कह दिया कि हम कार्यवाही करने में सक्षम हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, इस सूचना पर सात सदस्यों के हस्ताक्षर है इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह महंगाई बढ़ाने वाली सरकार अगर कोई है तो वह कल्याण सिंह जी की सरकार है । अभी कुछ दिन पहले एक अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर डीजल....

श्री अधिष्ठाता–

इस पीठ से निर्देश दिये गये हैं कि इस प्रकार से माननीय सदस्य सूचना नहीं देंगे । यह प्रेक्टिस ठीक नहीं है । मैं कड़ाई से निर्देश देता हूं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो और प्रेस को भी निर्देश देता हूं कि वह इस प्रकार से सूचना माननीय सदस्य न लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य वहां जाकर देंगे तो प्रेस वाले लेंगे ही ।

श्री अधिष्ठाता–

इसीलिये मैंने दोनों तरफ आग्रह किया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आज महंगाई बढ़ी है वह अपने आप नहीं बढ़ी है बल्कि जिन वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं वह काला बाजारी, चोर बजारी या विवश होकर उन लोगों के मन से कर रही है जिन लोगों के भरोसे यह सरकार बैठी है । इसमें अगर कोई विलेन है, कोई दोषी है तो वह स्वयं हैं ? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गये थे और उस भार से प्रदेश की जनता अभी उभर भी नहीं पायी थी कि एक विधेयक, उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान विधेयक, 1998 ले आये और दाम में वृद्धि प्रस्तावित कर दी । आपने इसके अन्तर्गत 20 प्रतिशत कर लगा दिया । नतीजा वह हुआ कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम 1.36 पैसे बढ़ गया और डीजल 0.36 पैसे बढ़ गया । इससे सामान्य उपभोक्ता को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । जिनके पास कार है, स्कूटर है, मोटर साईकिल है या ट्रैक्टर है उनके ऊपर यह भार बढ़ जायेगा । मान्यवर, किसी फैक्टरी में, किसी मिल में कोई उत्पादन होता है तो

वह किसी कोने में आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके लिया जाता है । ट्रकों से लाया जाता है । जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो जो ट्रक मालिक हैं वह ढुलाई उसकी बढ़ेगी उसके हिसाब से लेगा । जब वह तहसील स्तर पर, ब्लाक स्तर पर पहुंचेगा, जिला स्तर पर पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से उसके दाम बढ़ेंगे । तो जो सरकार ने पेट्रोल का दाम 1.30 पैसे तथा डीजल का दाम 0.36 पैसे बढ़ाया है इस कारण से उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त होने वाली हर चीज के दामों में वृद्धि हो गयी । मैं आपको रसीद दिखा सकता हूं । आज आप देंखें कि लखनऊ में जहां पर भय मुक्त समाज की बात कही जाती है, पारदर्शी प्रशासन की बात कही जाती है, आप देखें, रसीदें दे रहा हूं, एक रसीद ब्रिज आटो केयर की है और दूसरी गोमती

(समय 2 बजकर 30 मिनट पर)

सर्विस स्टेशन की है । मान्यवर, जिस धड़ल्ले के साथ पारदर्शी आधार पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वैसा कभी न सुनने को मिला और न देखने को मिला । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप ने जो दाम बढ़ाये हैं, उसका लाभ उठाकर एक ही दिन में दो स्थानों पर पेट्रोल भराया जा रहा है, तो दोनों के कामों में फर्क है । जब राजधानी में जहां पर यह सरकार बैठी है, होगा तो बाहर दूर दराजों में क्या होगा ? पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाकर कमर घसीटने का काम किया है । सरकार ने अपने बहुमत के द्वारा यह एक ऐसा कदम बढ़ाया है, जिससे किसान प्रताड़ित होगा और सामान्य उपभोक्ता प्रताड़ित होगा । मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर चर्चा करा लें । अगर शर्म और हया बाकी होगी, तो तत्काल इस बढ़ोत्तरी को वापस करेगी और अन्यथा त्याग पत्र यह सरकार देगी ।

श्री समर पाल सिंह–

आप देख लें मेंरी भी सूचना है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं देख लूंगा ।

श्री समर पाल सिंह–

हमारे दल के 4 सदस्यों के नाम हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुये मुझे एक मिनट का समय दे दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

जो नियम 56 के अन्तर्गत अहम सवाल उठाया गया है, वह तात्कालिक है और पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है और तत्काल की घटना से सम्बन्धित है और महत्वपूर्ण भी है । नियम 56 में जो आवश्यक शर्तें हैं, सभी शर्तों के अन्तर्गत आती हैं, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा न करें । जब से यह सरकार आयी है, कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है । माननीय मंत्री जी ने अभी पिछले दिनों एक सवाल के उत्तर में यह जवाब दिया था कि अगर टमाटर के दाम 40 रुपये या 50 रुपये हो गये हैं, क्या किसी डाक्टर ने सलाह दी है कि उनको खायें ? इसी तरह से टूथपेस्ट, चाय, आलू, प्याज, जितनी भी आवश्यक वस्तुयें हैं सभी के दाम दुगना तिगुना बढ़ गये हैं । पिछले साल मुद्रास्फीत 3/4 प्रतिशत थी लेकिन जब से दिल्ली में सरकार बनी और लखनऊ में सरकार बनी है, लखनऊ में इनकी सरकार बनी है, तब से जमाखोरी के कारण आज मुद्रास्फीति की दर 6.87 प्रतिशत है । अभी पिछले सप्ताह 30 जून, को यह 6.67 प्रतिशत थी । महंगाई में लगातार वृद्धि हो रही है । आज रवी की फसल के बाद यह स्थिति है, जब पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वृद्धि की गयी है, इसका असर आने वाले दिनों में क्या होगा ? यह आप समझ सकते हैं या जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दाम आने वाले दिनों में लगभग 25 से 50 फीसदी बढ़ जायेंगे । आम आदमी के जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे–दवा आदि है, उनमें पचास प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगीं । यह सरकार चाहती क्या है ? इस सरकार ने आम आदमी का जीवन दूभर बना दिया है । डीजल किसानों से लेकर मिल मालिक से लेकर आम आदमी तक इस्तेमाल

करते हैं। आज हर घर में जेनेरेटर सेट है। किसान के पास डीजल सेट है, ट्रैक्टर है तो डीजल की मूल्य वृद्धि पर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आने वाले दिनों में इस सदन में भले ही यह न करे लेकिन बिजली एवं परिवहन में भी किराये में वृद्धि कर देंगे। आने वाले दिनों में यह स्वतः ही टैक्स बढ़ा देंगे। यह सरकार विकासोन्मुखी शासन देने की बात करते हैं लेकिन इस प्रदेश की जनता की महंगाई से कमर तोड़ रहे हैं। इनमें तनिक भी हया हो तो इस वृद्धि को वापस ले और पेट्रोल तथा डीजल में जो वृद्धि की गई उसमें प्रतिबन्ध लगाएं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न की ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया। मैं उन बिन्दुओं की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जिनकी चर्चा माननीय सदस्यों ने अपनी ग्राहयता के संबंध में बल देते हुए कहा है। आप भी सहमत होंगे। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है। आज इस बिक्री कर की वृद्धि के बाद गाजियाबाद में जो दिल्ली के पड़ोस में है अगर डीजल या पेट्रोल लेगा, उसे ढाई गुना अधिक देना होगा। इसी प्रकार बनारस से लगने वाले बिहार से और मध्य प्रदेश की बाउन्ड्री जो इलाहाबाद से मिली हुई है। वहां से डीजल और पेट्रोल लेगा तो अपने प्रदेश से उसे दो-तीन रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। यह स्थिति हमारे प्रदेश में बिक्री कर की पेट्रोल पदार्थ पर है, तो कहीं पर अन्य प्रदेशों में 7 प्रतिशत है, कहीं पर 8 प्रतिशत है और कहीं पर 10 प्रतिशत है। हिन्दुस्तान का कदाचित यह पहला राज्य है जहां पर पेट्रोल पर बिक्री 20 प्रतिशत है और डीजल पर भी 20% है अगर जनता पर इस तरह से टैक्स लगाये जायेंगे, तो इनकी क्या स्थिति होगी ? बिक्री कर अन्य की तुलना में ज्यादा से ज्यादा अगर करना ही है, तो 2 प्रतिशत से व अधिक से अधिक 5 प्रतिशत होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो दम भरती है कि हम आम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, तो इस तरह से 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत लगा देंगे, तो मध्य प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर कितना अन्तर रहेगा। तो हमारी क्या स्थिति होगी ? उत्तर प्रदेश की सरकार ने परसों ही एक विधेयक को पारित कराया। इस सदन में उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट और डीजल संशोधन विधेयक लाया गया।

केन्द्र सरकार ने वृद्धि की तो प्रदेश सरकार ने भी वृद्धि की और पेट्रोल और डीजल पर 20 प्रतिशत सेल्स टैक्स लगा दिया। आज उपभोक्ताओं को बढ़ी दर पर पेट्रोल और डीजल लेना पड़ रहा है। पहली बार यह आश्चर्य का विषय है कि एक ही शहर में एक प्रेट्रोल पम्प पर पेट्रोल के दाम कुछ हैं और दूसरे पर कुछ गोमती नगर में कुछ हैं और शहर के दूसरे हिस्से में पेट्रोल के दाम कुछ हैं। मनमाने ढंग से पेट्रोल और डीजल की कीमतें ली जा रही हैं। लगता है कि कोई कानून नहीं रह गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पम्प मालिकों को मनमाने दाम पर पेट्रोल बेचने की छूट दे दी है। जो उपभोक्ता हैं, पत्रकार, कर्मचारी हैं वे जब पेट्रोल डीलर्स एसोशियेशन के अध्यक्ष गिरजा शंकर अग्रवाल से सम्पर्क करते हैं तो वह कहते हैं कि विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर दाम अलग-अलग लिये जा रहे हैं। मान्यवर, इससे लोगों में क्षोभ है और पेट्रोल पम्प के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच झड़पें हो रही हैं और मारपीट की नौबत आ रही है। पेट्रोल पम्प डीलर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष का कहना है कि हमने एक परिपत्र भेजा है कि सभी जगहों पर समान कीमत ली जाय लेकिन परिपत्र जारी किये जाने के बाद भी पिछले 3 दिनों से प्रदेश की राजधानी में विभिन्न दरों पर मनमाने ढंग से पेट्रोल बेचा जा रहा है और प्रदेश के अन्य जिलों में भी मनमाने ढंग से कीमतें ली जा रही हैं। इन 3 दिनों के अंदर उपभोक्ताओं से करोड़ों

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

रुपया अधिक लिया जा चुका है, तो क्या जो पैसा अधिक लिया गया है उसको वापस कराना यह सरकार सुनिश्चित करेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे ज्यादा तात्कालिक प्रश्न और कोई नहीं

हो सकता है। सरकार का यह दायित्व है कि लोगों को नियंत्रित मूल्य पर पेट्रोल और डीजल मिले। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहीं पर दामों में समानता नहीं है। दो-दो ढाई रुपये का अंतर है। इससे जो विसंगति उत्पन्न हो गयी है, जनता उससे त्रस्त है और प्रशासन असहाय है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बिक्री करने वाला राज्य हो गया है। सरकार कहती है कि वेलफेयर स्टेट है। जबसे मौजूदा सत्र चल रहा है, मेडिकल की फीस में 5 गुनी वृद्धि हुयी है, इंजीनियरगि की फीस में 2 गुने वृद्धि हुयी है और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में 20 परसेंट सेल्स टैक्स बढ़ गया है। प्रतिदिन प्रदेश की जनता पर मौजूदा सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं जो प्रदेश की जनता की क्रय शक्ति से बाहर हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई और बढ़ेगी।

आज आसमान छूती महंगाई बढ़ रही है। आम जनता की दैनिक उपयोग की चीजें किसी गरीब की क्रय क्षमता से बाहर हो चुकी हैं। आज मौजूदा स्थिति में गरीब जनता दैनिक उपयोग की चीजों को खरीदने में असमर्थ हो रही है। इस बीस प्रतिशत बिक्रीकर के बाद चीजों के दामों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। महंगाई और कई गुना बढ़ेगी तो प्रदेश में ऐसी अत्यन्त विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। आज जनता में क्षोभ है, रोष है। किसी एक समुदाय और वर्ग का प्रश्न नहीं है। गांव के खेत खलिहान चौपान के लोग जो सिंचाई के लिये किराये पर पम्प सेट लेते हैं, शहर में रहने वाले कर्मचारी, आम जनता, व्यापारी व अधिकारी जो भी हों सबसे निश्चित तौर से जुड़ा हुआ प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी हैं। मैं समझता हूं कि इस पर तत्काल चर्चा कराना आवश्यक है इसको ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायें। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम उपभोक्ता को राहत नहीं है, उनका शोषण हो रहा है। मनमाने तरीके से टैक्स लिया जा रहा है। यह सरकार का दायित्व है, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उन उपभोक्ताओं को जिम्मेदारी के साथ राहत दिलाये जिन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर जितने लोगों के नाम थे, उनको सुन लिया है। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह ऐसा ज्वलन्त प्रश्न है महंगाई का, आपके संज्ञान में है। पूरे प्रदेश के संज्ञान में है। इस पर 2/4 लोगों को और सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप सहमत होंगे कि यह नियम–56 की जो सूचना है इसमें जिन-जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उनको सबको बुलवाया गया है।

(व्यवधान)

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मेरे हस्ताक्षर हैं सूचना के ऊपर।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा था कि दो-दो मिनट का समय दें। आप बोलने की इजाजत नहीं देंगे तो कहां जायं ?

श्री अधिष्ठाता–

वह ठीक है लेकिन नियम–56 की सूचना पर ग्राह्यता पर चर्चा हो चुकी है। नियमों के तहत सारी सुविधा उपलब्ध है, संरक्षण है। इस पर जिनके हस्ताक्षर थे, उनको सुनने की बात थी, सो उनको सुन लिया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जितनों के नाम थे, वह नहीं हैं, तो कुछ और दो-चार सदस्यों को सुन लीजिये। [xxx]

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह आक्षेप लगा रहे हैं आपके ऊपर।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह आपका जो विचार है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री नीरज चुतुर्वेदी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने निर्देश दे दिया कि यह कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। जो माननीय सदस्य ने पीठ पर आक्षेप लगाया है। यह कार्यवाही में लिखा नहीं जाएगा।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है। हमारे दल के चार माननीय सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक सूचना पर बोल चुके हैं।

श्री समर पाल सिंह–

मैंने दो सूचनाएं दी थी। एक नियम 311 की सूचना थी। दूसरी नियम 56 की थी।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 की सूचनाएं कनवर्ट होकर नियम 56 में आ चुकी हैं। इसमें आप एक सूचना पर बोल चुके हैं। –

श्री समर पाल सिंह–

मैं लम्बी चौड़ी बातें नहीं करूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण कर लें। एक सूचना पर आपके विचार आ चुके हैं।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, आप मुझे सुन लें। आप भी मेरी बात से सहमत हों जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाएं। दो-दो सूचनाओं पर आपको कैसे एक विषय में सुना जा सकता है। मैंने मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री समर पाल सिंह–

[x x x]

नोट:–[xxx] यहअंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जाएगा । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर कोई अंकुश यह सरकार नहीं लगा पा रही है । इस सरकार में बैठे हुए लोग महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं । यह धन्नासेठों व शरमायेदारों की सरकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें, आप वरिष्ठ सदस्य हैं । आप व्यवस्था में सहयोग दें । संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस सूचना के सम्बन्ध में आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं । अभी कुछ दिन पूर्व इस सदन में एक अधिनियम पारित किया गया, उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल कराधान संशोधन अधिनियम, 1998 । यह तीन जुलाई से लागू हो गया है । पहले यह 16 और 14 प्रतिशत था अब इसे एक समान एक कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है । 20 प्रतिशत कर लागू करने के बाद पेट्रोल में 1.36 पैसे तथा डीजल में 36 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मूल्य वृद्धि हुई है । जब माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था, तो उसके बारे में घोषणा की थी कि हम सारे देश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए एक सड़क निधि की स्थापना करेंगे । जब माननीय मंत्री जी इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे थे, तब भी इसके उद्देश्य के बारे में उल्लेख किया गया था । इस बढ़े हुये पैसे से जो आय होगी उससे हम नयी सड़कें बनायेंगे एवं सड़कों का सुदृढ़ीकरण करेंगे । जो हमने बढ़ाया है इससे कम क्या बढ़ाया जा सका था ? दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं की जा सकती है । दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त है और वहां पर साधन उपलब्ध हैं, इसलिए दिल्ली की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं कर सकते । कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आदि इन राज्यों की तुलना में हम अपने डीजल और पेट्रोल की दरों की तुलना करें तो यह ज्यादा नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी किसी एक स्टेट को बता दें कि वहां पर पेट्रोल का क्या दाम है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पेट्रोल की कीमत उपभोक्ता को कम देनी पड़ती है । इसमें एक बात यहां पर कही गयी कि दाम बढ़ा दिये गये । यह जो बिक्री कर बढ़ा है यह प्रथम बिक्री, फर्स्ट प्वाइंट पर बढ़ा है । डिपो से थोक विक्रेता को यह चार्ज देना पड़ेगा । जिस पेट्रोल पम्प के पास पुराना स्टाक है वह पुराने दाम पर ही देगा, जिसके पास नया स्टाक है वह उसी के अनुरूप देगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी इस बढ़े हुये दाम को वापस लें । महंगाई पर कोई समझौता नहीं होगा ।

(विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन की बेल में आ करके नारे लगाते रहे । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का भाषण जारी रहा जो शोर के कारण सुनायी नहीं पड़ा ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, महंगाई के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा ।

(समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री जी को सुन तो लें ।

(फ्लोर पर आये हुये सदस्य सदन के वेल में बैठ गये)

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(वेल में आये हुए विपक्षी सदस्य नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

जब तक बढ़ी दरें वापस नहीं होंगी, यह विरोध जारी रहेगा ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पीठ से संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश जारी करें ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले संसदीय कार्य मंत्री जी की बात को सुन लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद ही यह स्थिति पैदा हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें और सदन को व्यवस्थित चलने दें ।

(घोर व्यवधान)

मैं तीन बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 6 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

(3 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक बढ़ा दिया है)

(3 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं केवल यह बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि इस विषय पर पहले भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है और खाद्य एवं रसद विभाग का जब यहां पर बजट आया था तो उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी । इसलिये मान्यवर, यह विषय नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आता है अतएव इसे अग्राह्य किया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि किस प्रदेश में 20 प्रतिशत सेल्स टैक्स है ? कितनी असहिष्णुता, उदासीनता के साथ कह दिया गया कि मात्र डेढ़ रुपए ही तो बढ़ा है । माननीय मंत्री जी के लिए तो यह कुछ नहीं होगा परन्तु सामान्य जनता के लिये तो यह काफी है । इसलिये इस मूल्य वृद्धि को वापस करवायें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जिस दिन से विधेयक पारित हुआ है, उसी दिन से लखनऊ की विभिन्न पेट्रोल पम्पस पर विभिन्न दरों पर उपभोक्ताओं से पैसा लिया जा रहा है । जबकि 20 परसेन्ट सेल्स टेक्स जोड़कर दामों में समानता होनी चाहिए । आप एक सर्वदलीय समिति बनाकर किसी भी पेट्रोल पम्प पर जांच कराने के लिए भिजवा दें इसलिए मंत्री जी इसे रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जब पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ते हैं तो वह तत्काल लागू होती है परन्तु यह बिक्री कर रहे हैं । जब पहला क्रय डिपों से किया जाता है, यदि बढ़ा हुआ दाम पर है तो वह दिया जायेगा और यदि नहीं दिया है, तो नहीं होगा । दूसरा, आपने जिन पेट्रोल पम्पस के नाम बतायें हैं, वह मैंने नोट कर लिये हैं मैं जानकारी करवा रहा हूं यदि किसी ने अनुचित दाम लिये हैं तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि 20 प्रतिशत सेल्स टैक्स किस प्रदेश में है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री तिवारी जी दुबारा भी आप अपने विचार रख चुके हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

चोर बाजारी, भ्रष्टाचारी यह सरकार है । महंगाई को यह सरकार नहीं रोक पा रही है । इसलिये मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी व कुंवर रेवती रमण सिंह जी को तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ज़ी को सुनने के बाद में इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

यह सरकार महंगाई को रोकने में अक्षम है । काला बाजारी को रोकने में अक्षम है । इसलिये मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री अवधेश प्रसाद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

प्रदेश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आज पूरे प्रदेश में प्राइवेट फाइनेंस कम्पनियों की बाढ़ सी आ गयी है..

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, शून्य प्रहर में कोरम नहीं होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम के लिए घंटी बजायी जाय ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो सदस्य वाक आउट कर गये थे और पीछे खड़े हुए देख रहे हैं उनको भी संज्ञान ले लिया जाय ।

* श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

मान्यवर, अगर यह सदन नहीं चलाना चाहते हैं और जन समस्याओं में सहयोग नहीं करना चाहते हैं तो कैसे यह सदन चलेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सम्भवतः यह पहला अवसर होगा जब हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में केवल कोरम का अभाव पैदा करने के लिए सदन का त्याग करके चले गये और चूंकि यह सदन किसी एक पक्ष का नहीं होता है और इसमें दोनों का उत्तरदायित्व होता है और उत्तरदायित्व में जन समस्याओं का उल्लेख करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए लेकिन यह कोरम का अभाव पैदा कर रहे हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसका संज्ञान लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा और आप भी विद्वान और संसदीय ज्ञान के ज्ञाता हैं, यह मुख्य रूप से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है और जिस सरकार का बजट हो और उस बजट पर कोरम पूरा नहीं कर पा रहे हैं । इनके 95 मंत्री हैं अगर आधे मंत्री भी यहां पर मौजूद होते तो सरकार को इस शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि वह कोरम पूरा नहीं कर पाये । यह विपक्ष का अधिकार है कि वह वाक आऊट करे अगर मूल्य वृद्धि वापस नहीं की तो वाकआउट किया । यहआपकी जिम्मेदारी है कि कोरम बनाये रखें । मंत्रिमण्डल में फूट पड़ चुकी है ।

श्री हुकुम सिंह–

जब बजट होगा, हमारा दायित्व होगा कि कोरम पूरा होगा । जीरो आवर में विपक्ष की बात की जाती है और उस समय कोरम बनाये रखना उनका उत्तरदायित्व है । इससे ज्यादा खेदजनक और कुछ नहीं हो सकता है कि जीरो आवर में कोरम की बात उठायी जाती है । जब बजट आयेगा तो कोरम पूरा रहेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

विपक्ष ने तो जान बूझकर कोरम का प्रश्न उठाया था । हम तो एक्सपोज करना चाहते हैं । संसदीय कार्यमंत्री को चुल्लूभर पानी में डूब मरना चाहिए कि कोरम पूरा नहीं कर पाये ।

श्री हुकुम सिंह–

यह तो डूबे डूबाये हैं ही ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया .

श्री प्रमोद कुमार–

यह चुल्लूभर पानी में डूबना चाहें तो विपक्ष चुल्लूभर पानी दे सकता है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे इस गम्भीर मामले पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से जन जीवन से जुड़े हुये सवाल की ओर कहना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में प्राइवेट फाइनेन्स कम्पनियों की बाढ़ सी आई है और रोज समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहता है। प्रदेश के किसी अंचल से कोई कम्पनी भाग गई। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की फाइनेन्स कम्पनी रोज प्रदेश के गरीब लोगों का बड़े पैमाने पर धन की लूट कर रही है और यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में हैं। इन फाइनेन्स कम्पनियों पर अंकुश लगाने की बात उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सोच रही है और मूक और बधिर बनकर बैठी हुई है। फाइनेन्स कम्पनियां रोज भागती हैं और करोड़ों रुपया गरीब जनता का जो धन उनके पास जमा है वह लेकर पलायित हो जाती हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आज प्रदेश की सरकार प्राइवेट फाइनेन्स कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है इसका मुख्य कारण है इस सरकार की उनसे मिली भगत है। कम्पनियां नये नामों से अपना डेली डिपीजट स्कीम तथा अन्य स्कीम शुरू करती हैं और गरीब जनता का धन जमा करती है। एक तरफ कम्पनियों के भागने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण नयी कम्पनियों का प्रदेश में प्रवेश जारी है। उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटी तथा चीट फण्ड के जरिये फाइनेन्स कम्पनियों का पंजीयन होता है। विगत दिनों देवरिया में एक सेहरा प्राइवेट फाइनेन्स कं० स्थानीय जनता का कम से कम 10 करोड़ रुपया लेकर भाग गई है। देवरिया के गरीब लोगों का इस फाइनेन्स कं० में पैसा जमा था। जनता के गाढ़ी कमाई का यह पैसा था। जनता द्वारा अथक परिश्रम से अर्जित धन की लूट इस प्रकार हो रही है और उत्तर प्रदेश सरकार मूक और बधिर होकर तमाशबीन होकर बैठी है। मैं निवेदन करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में तत्काल चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सुबाष चन्द्र जी को सुनने के बाद जो उनके ग्राह्यता पर विचार आये हैं उसके बाद मैं इसे अस्वीकार करता हूं और साथ ही साथ इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवधान)

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, हमने भी एक महत्वपूर्ण सूचना दी है कि आज प्रदेश के पूरे टीचर हड़ताल पर हैं।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। फैजाबाद का मामला है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम औतार शाक्य, श्री प्रमोद तिवारी, श्री बाबू खां, श्री अवधेश प्रसाद, श्री सीताराम निषाद ने जो सूचनाएं दी है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*श्री राम औतार शाक्य–

समूचे प्रदेश के टीचर स्ट्राइक पर हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है (व्यवधान) इसीलिये मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं इन सभी सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

* कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 4,10,18,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जायें।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अध्यापकों की हड़ताल के कारण समूचे उत्तर प्रदेश में छात्रों का प्रवेश नहीं हो रहा है। शिक्षक आन्दोलित है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय, श्री राम औतार शाक्य जी आप वरिष्ठ सदस्य है माननीय कृषि मंत्री जी बजट रख रहे हैं। अब आप बैठे।

(शोर)

आप लोगों से निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें।

श्री सीताराम निषाद–

स्थिति बहुत विस्फोटक हो गयी है, मुझे सुन लें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें, बहुत गंभीर मामला है।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी जो सूचनायें सुनने के लिये स्वीकार की गयीं थी। उस पर सुना गया। इन पर केवल शासन का ध्यान आकृष्ट करने की बात थी। वह हमने शासन को निर्देशित कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया है। उनका भाषण होने दें, आप लोग बैठ जायं।

श्री अवधेश प्रसाद–

फैजाबाद में दुकानें बन्द हो गयी हैं। भय का वातावरण है। बहुत भयंकर स्थिति है। 2 मिनट का समय दे दें। फैजाबाद में स्थिति विस्फोटक हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग स्थान ग्रहण करें सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायगा ।

आप स्थान ग्रहण करें । बजट भाषण के लिये मंत्री जी खड़े हैं अगली मद शुरू हो गई है । जिन सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुनना था, सुना भी गया । यह ग्राह्यता पर सुनी जाने वाली सूचना में नहीं थी फिर भी शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । आप जो कह रहे हैं लिखा नहीं जा रहा है, कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

आज अल्पसंख्यक भयभीत है । मान्यवर, फैजाबद जल रहा है । दो मिनट सुन तो लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप वरिष्ठ सदस्य हैं । कृपया आसन ग्रहण करें । माननीय अवधेश जी यह अच्छी परम्परा नहीं है । मेरा आपसे निवेदन है कि सदन को व्यवस्थित चलाने में सहयोग करें । मैं कह रहा हूं और आप बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं । कार्यवाही चलने दें । यह आग्रह नहीं दुराग्रह हो रहा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप अभी नहीं सुनेंगे तो कोई समय निश्चित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप फिर से कल सूचना दे दीजियेगा । मैंने पहले ही इस विषय पर ध्यान आकृष्ट कर दिया है । आप सब वरिष्ठ सदस्य ग्राह्यता के लिये जिन सूचनाओं का स्वीकार किया गया था उनको सुन लिया गया शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया इसके बाद तो कोई चीज बची नहीं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

हम इसको कल दोबारा दे देंगे । कल आप सुन लीजियेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक ऐसे विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं श्रीमन् जिसमें 72 प्रतिशत से अधिक जनता निर्भर करती है । श्रीमन्, पूरे भारत के लगभग 9 प्रतिशत भूक्षेत्र उत्तर प्रदेश में है और पूरे भारत का आप प्रतिशत देखेंगे पैदावार में जिसमें चावल की पैदावार 18.79 हैं उत्तर प्रदेश में 21.14 प्रतिशत है इसी प्रकार गेहूं 26.71 है । 26.68 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है लेकिन श्रीमन्, हम इसकी तुलना उन प्रान्तों से करें जो आज खेतिहर प्रान्त माने जाते हैं तो हम उनसे बहुत पीछे हैं । चावल में जहां हमारी पैदावार 21.14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है पंजाब में 35.97 और हरियाणा में 29.68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है । गेहूं में जहां हमारी पैदावार 26.68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, पंजाब में 42.35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और हरियाणा में 38.79 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार हो रही है । श्रीमन् यदि आप स्थिति देखेंगे अपने यहां पर हमारे यहां पर एक हेक्टेयर क्षेत्र के कम सीमान्त 73.8 प्रतिशत किसान हैं । क्षेत्रफल 31.4 प्रतिशत जिनके पास है । जोत का औसत आकार 8.38 हे० ए० लघु किसान एक में दो हेक्टेयर क्षेत्रफल 15.2 प्रतिशत हैं । 24.4 प्रतिशत उनके पास क्षेत्रफल है । 1.41 हेक्टेयर इनका औसत उनके पास खेत है । मध्यम किसान 2.4 प्रतिशत 7.00 प्रतिशत क्षेत्र हैं । 2.8 प्रतिशत बृहत् 10 हेक्टेयर से अधिक केवल 2 प्रतिशत है । अधिकांश खेतिहर हमारे यहां सीमान्त और लघु कृषक हैं । यदि आप भारत का औसत देखें । उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्र 1993 का आंकड़ा दे रहा हूं । 97.9 प्रतिशत खेती हो

रही है । जबकि भारत वर्ष में 46.6 प्रतिशत खेती हो रही है । इसी प्रकार से यदि कर्मकारी की स्थिति को लें इनकी संख्या 64.81 प्रतिशत है । वहीं उत्तर प्रदेश में 72.20 प्रतिशत है । उत्तर प्रदेश में मुख्य आमदनी का श्रोत कृषि है । उत्तर प्रदेश की कृषि की आमदनी के श्रोत में मुख्यतः सीमान्त और लघु कृषक आते हैं ।

हमारे यहां अधिकांश जो खेती हो रही है वह खाद्यान्न की हो रही है । क्योंकि लघु और सीमान्त कृषक के पास इतनी जमीन उपलब्ध नहीं है कि वह खाद्यान्नों के अलावा अन्य चीजों का उत्पादन कर सके । इसलिय हमारे यहां गरीबी का प्रतिशत अधिक है । जब तक इन किसानों को इन वर्गों को खेती की जगह अन्य कार्य नहीं कराया जाएगा यही स्थिति रहेगी । उत्तर प्रदेश में हम नहीं सोच सकते हैं कि हम खेती के क्षेत्रफल को बढ़ा सकें । हमारे यहां अधिकांश किसान खेती पर निर्भर हैं । मैंने आपके सामने फसल और पैदावार की स्थिति रखी । यदि आप खाद्यान्न की पैदावार की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश की 1996-97 में भारत की कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21.26 प्रतिशत भागीदार रहा है । चावल में 14.46 प्रतिशत हम भागीदारी रखते हैं । गेहूं में 34.72 प्रतिशत उत्तर प्रदेश भागीदारी रखता है । हमारे यहां मुख्यतः दो फसलें हैं । अन्य फसलों के बारे में नहीं जाना चाहता । सिंचाई के साधन यदि आप देखें उत्तर प्रदेश का कुल वास्तविक बोया गया क्षेत्र 17 हजार 315 हजार हेक्टेयर है । हमारा सिंचाई का प्रतिशत 67.4 है । समूचे भारत का सिंचन प्रतिशत 37.1 है । हम उनसे अधिक हैं परन्तु यदि हम पंजाब और हरियाणा से अपने को जोड़े तो हमारी जहां 67.4 प्रतिशत सिंचन क्षमता है, वहीं पंजाब का 93.7 और हरियाणा का 76.4 प्रतिशत है । इन आंकड़ों से मैं यह साबित करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने क्षेत्रफल में खेती कर रहे हैं और आज हमें पैदावार मिल रही है उससे कहीं अधिक पैदावार इस प्रदेश में पा सकते हैं और हमारी सरकार का पूरा ध्यान इस तरफ है । हम पैदावार बढ़ाने के लिये दो तरीके अपनाने जा रहे हैं । एक तो ऐसी भूमि जो परती है जिस पर खेती की जा सकती है उनको हम खेती में सम्मिलित करें, इसके साथ ही ऊसर जिनका रिक्लेम कर सकते हैं, करके खेती प्रारम्भ करें । दूसरे जिस क्षेत्रफल में खेती हो रही है, उसमें खेती की उत्पादकता को बढ़ावे । इन दो मुद्दों को लेकर के सारी योजनायें चलायी जा रही है । उत्पादकता बढ़ाने के लिये योजनायें चलायी जा रही हैं ।

श्रीमन् वर्ष 1997-98 में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 437.75 लाख मीट्रिक टन रहा । श्रीमन् 97-98 में जहां खरीफ में लगभग 121 लाख मीट्रिक टन से अधिक उपज प्राप्त हुई थी । वहीं पर श्रीमन्, रबी के समय में असामयिक वर्षा के कारण हमारी उपज पर प्रभाव पड़ा, फिर भी श्रीमन्, ऐसी आशा की जा रही है कि हमारी बहुत अधिक उपज नहीं घटी है और 421 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 97-98 में पैदा किये हैं । श्रीमन्, जो योजना है आने वाले 5 वर्षों में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है । सन् 2001-2002 में 545 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पैदा करने की योजना बनायी गयी है । श्रीमन् जो अप्रत्याशित बरसात हुई, 1997-98 की रबी में उसमें हमने किसानों को 25 प्रतिशत की छूट दे [illegible] गेहूं के बीज उपलब्ध कराये हैं, इसका लाभ यह हुआ है कि जो फसलें हमारी खराब हो गयी थी । उनमें गेहूं की बुवाई हुई और यही कारण रहा कि 437 का जो लक्ष्य था । उसमें 421 लाख मीट्रिक टन पैदा कर सके । गेहू की बुवाई के लिये वर्ष 1998-99 में 460 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा 18.5 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसके लिये हम खेती किये जाने के क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं और जो 38 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के उपयोग में नहीं आ रहा है, हमारा प्रयास यह है कि उसे हम खेती के उपयोग में लावें । ऊसर सुधार कार्यक्रम के संबंध में प्रकाश डालेंगे, दूसरा है, उत्पादकता में वृद्धि, इस समय यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है । हमारे प्रदेश में उत्पादकता चाहे गेहूं की हो, चाहे चावल की हो, विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक विषमता व्याप्त है । अगर किसी क्षेत्र में 2[illegible] क्विंटल गेहूं कि औसत पैदावार है तो कहीं 9 क्विंटल औसत पैदावार है, इसी तरह चावल की औसत पैदावार कहीं 27-28 क्विंटल है तो कहीं 3 से 5 क्विंटल ही है । ऐसे क्षेत्रों को, जहां पैदावार कम हो रही है,

उनके कारणों को खोजना उन पर कन्सन्ट्रेट करने का काम किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक खाद्यान्न की पैदावार हो सके।

यदि आप आंकड़े उठाकर देखें तो पायेंगे कि यह वही क्षेत्र हैं, जहां पर सीमान्त और लघु कृषकों की संख्या अधिक है, जहां सिंचाई के साधन पूर्ण रूप से हम उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। इसके लिये तय यह किया गया है कि प्रत्येक जनपद में एक विकासखण्ड हम ऐसा चुनेंगे, जहां उत्पादकता कम है और उसमें तकनीकी खेती का पूरा ज्ञान हम किसानों को उपलब्ध करायेंगे, इसके लिये हम यूनिवर्सिटीज का सहयोग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे विभाग के जो किसान सहायक हैं, उनको अधिक से अधिक ऐसे क्षेत्रों में ले जा रहे हैं। प्रयास यह भी किया गया है कि वहां पर जो भी खाद, बीज की आवश्यकता है, उसको पूरी तरह मुहैया कराया जाय, ताकि हम उत्पादकता को बढ़ाकर उसके स्तर तक ला सकें। आज यदि हम क्षेत्रफल न भी बढ़ायें और उत्पादकता को बढ़ा दें तो निश्चित रूप से, आज जो पैदावार हम ले रहे हैं, उसका डेढ़ दो गुना पैदावार अधिक प्राप्त कर सकते हैं, इतनी क्षमता इस प्रदेश के किसानों में है, सिर्फ उनको तकनीकी ज्ञान पहुंचाने की आवश्यकता है।

एक निर्णय यह भी लिया गया है कि हर गांव में एक किसान मित्र चुना जायेगा। प्रयास यह किया जा रहा है कि जो हमारे अनइम्प्लायड एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट हैं, या कृषि से जिनको लगाव है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और खेती कर रहे हैं, ऐसे लोगों को किसान मित्र के रूप में चुना जा रहा है और हम उनके माध्यम से गांव में उस क्षेत्र में अच्छी खेती का डिमान्सट्रेशन करेंगे ताकि लोग देखकर के अच्छी तकनीक को अपना सकें।

यह भी निर्णय लिया गया है कि जो डिमान्सट्रेशन हम करेंगे, वह अधिक से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों पर ही हो लेकिन इसमें एक दिक्कत यह आती है कि भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित जो योजनायें हैं, उसमें कहीं-कहीं यह सीमा लागू है कि इतना क्षेत्रफल अवश्य होना चाहिये और एक हेक्टेयर का क्षेत्रफल उसमें रखा गया है तो ऐसे किसानों को चुनना पड़ेगा, जो एक हेक्टेयर में डिमान्स्ट्रेशन करा सकें। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुये प्रयास किया जा रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों तक हम इसे ले जा सकें और जो भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, उसका लाभ उन्हें दिया जा सके। श्रीमन्, यह पुस्तिका माननीय सदस्यों को वितरित की गई है "कृषि विभाग में कृषकों को अनुमन्य सुविधायें" इसमें जितनी भी सुविधायें किसानों को दी जा रही हैं, जिन-जिन चीजों में हैं, उसका पूरा विवरण है। मान्यवर, प्रत्येक किसान सेवा केन्द्र पर एक विश्लेषक यूनिट रखने का भी इन्तजाम किया गया है। ताकि जो किसान उर्वरक खरीदते हैं, उर्वरक में जो मिलावट की शिकायतें आ रही हैं, उसकी वहीं पर जांच कर देखा जा सके। अधिकांश किसान सेवा केन्द्र पर इसका प्रयास किया जा रहा है कि सब जगह इसे पहुंचा दिया जाय।

मान्यवर, मृदा परीक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। मृदा परीक्षण कार्यक्रम, मेरा ऐसा मानना है कि उत्पादकता की वृद्धि के लिये और किसान हित के लिये नितान्त आवश्यक है। बहुत से क्षेत्र हैं, हमारे यहां भी अपने प्रदेश में हैं, जहां अन्धाधुन्ध कैमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि कैमिकल फर्टिलाइजर का अन्धाधुन्ध इस्तेमाल मनुष्य के लिये भी नुकसानदेह है, प्रदेश के लिये और देश के लिये भी नुकसानदेह है। इसलिये बैलेन्स फर्टिलाइजर देने के लिये यह जरूरी है कि मिट्टी में किस तत्व की कितनी आवश्यकता है, इसका पूरा विवरण उपलब्ध रहना चाहिये। श्रीमन्, इस कार्यक्रम को पूरे रूप से चलाने के लिये एक निर्णय लिया गया है कि उ० प्र० के समूचे प्रदेश का फाइल सर्वे मैप तैयार किया गया है। वहां पर हमारी प्रयोगशालायें हैं, उनकी सूची है और जहां पर प्रयोगशालायें नहीं हैं, उनको सत्यापित करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें कुल भारत सरकार से भी सहायता मिल रही है, और प्रदेश सरकार के सहायता की आवश्यकता होगी, धन का इस्तेमाल किया जायेगा। केवल प्रदेश की मृदा सोयल मैप ही नहीं हम लोगों की योजना यह भी है कि

प्रत्येक जिले का एक सांयल सर्वे मैप बनना चाहिये, प्रत्येक ब्लाक का सांयल सर्वे मैप बनना चाहिये और प्रत्येक गांव का सांयल सर्वे मैप बनना चाहिये । उदाहरण के लिये कोच ब्लाक है, यह जनपद जालौन का है । इसका नक्शा तैयार है । इसी प्रकार विकास खण्ड बक्शी का तालाब इसका नक्शा तैयार है । यह काम बहुत बड़ा है । हम इसके लिये भारत सरकार से भी कुछ धन की मांग किये हैं । हम अपने संसाधन से भी इसमें धन का उपयोग करने जा रहे हैं । हम अपनी यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरीज के माध्यम से, कृषि विभाग की लेबोरेटरीज के माध्यम से, और हमारे जो कृषि विज्ञान केन्द्र हैं उनकी लैबोरेटरीज के माध्यम से, डिग्री कालेज जो कृषि के हैं, उनकी लेबोरेटरीज के माध्यम से उसका इस्तेमाल करेंगे । इन सबके सहयोग से पूरे प्रदेश के प्रत्येक गांव का सांयल सर्वे मैप जिसे हम बनाकर हर किसान सेवा केन्द्र पर रखें कम से कम हर ब्लाक में सांयल सर्वे मैप उपलब्ध रहे कि कहां किस जमीन में किस तत्व की आवश्यकता है और उसकी कितनी मात्रा डाली जाए ।

मेरा ऐसा मानना है कि हमें आरगेनिक फर्टिलाइजर अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिये । इसका प्रचार हम फिर से गांव तक ले जाए किसान को समझायें कि जहां पर गोबर उपलब्ध है या जहां कचड़ा उपलब्ध है वहां वहीं बनी कल्चर से, लेकिन इसकी आवश्यकता किसानों को है । वरना धीरे-धीरे मिट्टी का ट्रेक्चर बदलता जायेगा जितना उर्वरक देते रहें अच्छी पैदावार नहीं मिल सकती है । एक सीमा तक पैदावार की बढ़त रुक सकती है । मान्यवर, 12 लाख मृदा नमूनों के विश्लेषण की व्यवस्था की गयी है जो हम किसान के खेत से मिट्टी ले करके इसका सर्वे करके जानकारी देंगे कि वह अपने खेतों में किस किस्म की और कितनी खाद का प्रयोग करेंगे । जहां तक बीज और खाद की बात आती है वहीं आवश्यकता होती है कृषि निवेश की । कृषि निवेश में भी अब खास-तौर से सीमान्त और लघु कृषकों के लिये बहुत आवश्यकता है ।

श्रीमन्, पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। मुझे प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि इस वर्ष अभी तक यह शिकायत मुझे नहीं प्राप्त हुई है कि कहीं बीज नहीं पहुंच पाया है और सदन के सम्मानित सदस्यों से भी बात होती रहती है, अभी तक मुझे शिकायत नहीं मिली है । यह शिकायत जरुर मिली कि बर्टीकुलर किस्म के बीज की आवश्यकता है और वे नहीं पहुंच पाया । अब जैसे गोरखपुर मण्डल में सरयू-52 की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, बाकी धान के बीज उपलब्ध थे, अब तो उसकी भी व्यवस्था हो गयी, हमारा प्रयास था कि हम 15 मई से 20-25 मई के अन्दर सभी जगहों पर धान के बीज उपलब्ध करा देंगे । हमें प्रसन्नता हो रही है कि काफी समय से धान की नर्सरी पड़ गयी और प्रकृति भी साथ दे रही है बोवाई और रोपाई भी प्रारम्भ हो गयी है । ऊसर सुधार के लिये दो योजनायें चल रही हैं, पहली भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से तथा दूसरी ऊसर सुधार निगम के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं । यह निगम वर्ल्ड बैंक की सहायता से कार्य कर रहा है । मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि जहां हमें 45 हजार हेक्टेयर भूमि को उपचारित करना था, वहीं पर हमने इतने ही संसाधन से 65 हजार हेक्टेयर को उपचारित कर दिया है । द्वितीय फेज भी शुरू होने जा रहा है । हमें विश्वास है कि सितम्बर के महीने में हमारे जो नैगोशिएसन्स होने जा रहे हैं, उनकी हमें अनुमति मिल जायेगी । इस निगम के कार्य से वर्ल्ड बैंक बहुत प्रभावित है । द्वितीय फेज में हम ढाई लाख हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने का प्रस्ताव है । कृषि विविधीकरण योजना के तहत हम 22 जनपदों में योजना चला रहे हैं । इस योजना के तहत विविधि कार्यक्रम वर्ल्ड बैंक की सहायता से होने वाले हैं । हमें पहले लग रहा था कि नई योजना है इसलिये वर्ल्ड बैंक हमें सहायता नहीं देगा । मुझे बताते हुए प्रसन्ता हो रही है कि 700 करोड़ रुपये का कमिटमेंट उन्होंने कर दिया है । इस पर शीघ्र ही हम काम करने जा रहे हैं । इस स्कीम के तहत हम हाट भी बनायें विपणन के लिये किसानों को सब्जी बोने के लिये सहायता देंगे, रेशम की खेती के लिये भी तकनीकी सहायता देंगे डेरी भी इसमें शामिल है । यह प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ उसके उत्पाद का दिया

जा सके और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की परकैपिटा इन्कम बढ़ सके । यदि उनकी परकैपिटा इन्कम बढेगी तो 72 प्रतिशत लोगों की इन्कम बढ़ेगी । जब श्री प्रमोद कुमार जी की सरकार थी तो उस समय यू० पी० एग्रो बैठ गया था परन्तु आज वह लगभग डेढ़ लाख मुनाफे में है । इस निगम का जो घाटा 65 करोड़ रुपये था, वह भी नीचे आया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय मंत्री जी क्या यह यू० पी० एग्रो बच जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह निश्चित रूप से बचेगा । हमने वर्ष 97-98 में एक करोड़ 47 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया गया । वर्ष 1998-99 में हमारा लक्ष्य 408 करोड़ का है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जब 97-98 में खाद्य मंत्री थे तब वह विभाग फायदे में था या घाटे में था ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी की ज्ञान की प्रशंसा करूंगा । लेकिन हम यहां पर यू० पी० एग्रो की बात कर रहे हैं और यह जब मैं खाद्य मंत्री था तब की बात कर रहे हैं ।

(इस समय 4 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए ।)

तो मान्यवर, मैंने यह यू० पी० एग्रो की स्थिति बतायी । हमारा यह प्रयास है कि यू० पी० एग्रो को ऊपर लाये कृषि के क्षेत्र में समुचित योगदान स्थापित किया जाय । मैं माननीय सदस्यगणों को यह भी बताना चाहता हूं कि जहां हम यह कार्य कर रहे हैं वहां हमारा बल गुणवत्ता पर भी है । श्रीमन् आये दिन इस सदन में सम्मानित सदस्य आशंका व्यक्त करते हैं कि फर्जी बीज, मिलावटी खाद देकर के किसानों को एक तरह से लूटने का काम किया जाता है । तो इसमें हमने काफी सख्ती बरती है । वर्ष 1997-98 में 12 हजार 573 नमूने उरवरकों के लिये गये थे । एक बार सात सौ बयालिस अमानक पाये गये जो अमानक पाये गये उसमें जो कार्यवाही की गयी है उसमें 623 लाइसेंस निलम्बित हुए हैं, 497 लाइसेंस निरस्त किये गये हैं, 239दुकानें सील की गयी है, 237 मामलों में एफ० आई० आर० दर्ज हुई हैं और 79 मामलों में व्यापारी जेल गये हैं । श्रीमन्, बीज में भी प्रमाणीकरण नमूने अनुपयुक्त पाये गये उसमें अनुवांशिक कारण से 481, भौतिक कारण से 360, अंकुरण अमानक से 553 नमी अधिक से 360 इस तरह से कुल अमानक नमूने 1779 पाये गये ।

बीज नियंत्रण हेतु नमूने जो अनुपयुक्त पाये गये, अनुवांशिक कारण से 149,भौतिक कारणों से 397,अंकुरण अमानक से 889, नमी अधिक्य से 15, बीज अस्वस्थ से 200 और कुल अमानक नमूने 1650 थे । इस प्रकार से कुल 4811 थे जिनकी जांच की गयी और कार्यवाही की गयी । मान्यवर, कीटनाशक दवाओं में कीटनाशी अधिनियक के अन्तर्गत आहरित नमूनों की संख्या 1667 अधोमानक नमूनों की संख्या 294 और दायर मुकदमों की संख्या 38 है । मान्यवर, मैं मानता हूं कि बहुत कुछ करना पड़ता है । यह सही है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो अपने आप में मशहूर हो चुके हैं खाद के मिश्रण के लिये, फर्जी खाद के लिये और फर्जी दवाओं के लिये । मुझे कहने में संकोच नहीं है कि गलत टैग लगाकर बीज बांटने की शिकायतें मिली हैं । प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक अंकुश लगाया जाये और उन पर नियंत्रण रखा जाये, ताकि किसानों को सही खाद और सही दवायें उपलब्ध हो सकें ।

मान्यवर, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि वह यह है भूमि संरक्षण विभाग । श्रीमन् यह सही है कि काफी शिकायतें सुनने में आती हैं । इसकी एक्टीविटीज दो प्रकार की होती हैं; एक तो वह कार्य जो प्रदेश सरकार अपने बजट से कराती है, या भारत सरकार से कुछ बजट मिलता है और एक होता है कि जनपदों के सुनिश्चित रोजगार और जवाहर रोजगार के अन्तर्गत भूमि सर्वेक्षण का कार्य कराया जाता है । मान्यवर, इस पर भी काफी जांच पड़ताल हुई है । काफी अधिकारियों को इसमें प्रताड़ित किया गया है, बहुतों की जांच चल रही है । काफी गम्भीर मामले भी सामने आये हैं, जिनमें विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र के गम्भीर मामले प्रकाश में आये हैं और उन पर भी सख्त कार्यवाही करने का प्रयास किया जा रहा है । कुछ में जांच आख्या प्राप्त हो चुकी है, चार्जशीट दी जा चुकी है, कुछ में जांच चल रही है । प्रयास यह कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी पूरी कराकर जो भी कार्यवाही करनी हो तो उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाये ।

मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या जो है वह यह है कि कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां पर जल स्तर नीचा होता जा रहा है और उन्हें डार्क और ग्रे कैटेगरी में रखा जा रहा है । ऐसे क्षेत्रों में हम दो प्रकार से प्रयास कर रहे हैं एक तो विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड का क्षेत्र है, वहां पर प्रयास रहेगा कि वाटर चार्जिंग का काम हो और जो बरसात में पानी बरसता है उसको किसी तरह से तालाबों और कुओं में डालकर लेविल को ऊपर लाया जा सके इसी तरह से झांसी बेल्ट में कुछ हो रहा है और हुआ भी है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इसके लिये बजट में क्या प्राविधान किया है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

बुन्देलखण्ड के लिये अलग से योजना है जिसके लिये 1 करोड़ रुपया रखा गया है । इसमें भारत सरकार से भी धन उपलब्ध हो रहा है । ताकि जल संसाधन ठीक हो सके । दूसरा प्रयास स्प्रिकलिंग इरीगेशन की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि इससे पानी की खपत कम और उपयोग ज्यादा होता है । इसमें पूरी की पूरी सब्सिडी भारत सरकार से मिलती है । जो सब्सिडी मिलती है उसमें सेट बांटने का काम करते हैं, तो प्रयास यह है कि अधिक से अधिक सेट भारत सरकार से मिल सके । परसों मैं दिल्ली गया था और मेरी इस संबंध में बात हुई थी, तो हमारे जो ऐसे क्षेत्र है, जहां पानी कम होता जा रहा है उसमें कुछ पश्चिम के क्षेत्र भी हैं, बुन्देलखण्ड के हैं और कुछ पूर्व के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं । वहां पर वाटर लेविल कम होता जा रहा है और जहां पर बाढ़ आती है, उसको रोका जाये और स्प्रिकलर से सिंचाई उपलब्ध करायी जायें । तो हमारा प्रयास है कि भारत सरकार से अधिक से अधिक धन प्राप्त हो ताकि किसानों को स्प्रिंकलर दिये जा सके ।

हमारे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा नये बीज भी तैयार हो रहे हैं । उसके द्वारा निकाले गये अच्छी किस्म के बीजों को किसानों को देने का कार्य कर रहे हैं । पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने हाई ब्रीड धान की किस्म निकाली है जो मार्केट में आ रही है । हमारा प्रयास है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बीज पैदा करके अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जाये क्योंकि इसमें 10 प्रतिशत तक अधिक पैदावार बढ़ाने की क्षमता है । इसी वर्ष यू० पी० 2382 गेहूं अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति तैयार हो चुकी है । यह इससे पूर्व यू० पी० 2338 जाति देश के तीन प्रमुख प्रजातियों में से एक है । जो अधिक गेहूं पैदावार देगी । पन्तनगर मझेस सात पहाड़ों के लिये तैयार किया है । इसी तरह से गन्ने का बीज अधिक शर्करायुक्त व अधिक उपज देने वाली प्रजाति को पन्त–84282 विमोचन समिति द्वारा विमोचन हो चुका है । सोयाबीन की पन्त एस–1029 का भी विमोचन हो गया है । इसी प्रकार कानपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की के–9006 किस्म विकसित की गयी है । जो वर्तमान में प्रचलित किस्म से अधिक पैदावार

देती है । गेहूं की नरेन्द्र गेहूं 1012 नरेन्द्र 1014, नरेन्द्र सब्जी मटर–2 एवं खरबूजा की नरेन्द्र खरबूजा–1 प्रजातियां नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की है । उनके बीज उपलब्ध कराने के लिये उ० प्र० तराई बीज विकास निगम सराहनीय कार्य कर रहा है । अधिकांश बीज हम अपने प्रदेश में टी०डी०सी० के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जो कमी पड़ती है उसको हमारे कृषि विभाग के फार्म हैं, वहां पर जो सीड प्रोडक्शन होता है उससे काम चलाते हैं । इस वर्ष हमने निश्चय किया है कि हम पूरे वैज्ञानिक तरीके से वहां पर सीड प्रोडक्शन का काम करेंगे । एक चीज और मैं सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो हमारे कृषि फार्म हैं उनकी कैटेगराइज करा दिया है । कितने बड़े हैं, कितने मध्यम हैं, कितने छोटे हैं इसी आधार पर वहां पर अधिकारियों की तैनाती इस वर्ष की जा रही है मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में हमारे जो कृषि फार्म हैं वह अच्छा काम करने लगेंगे । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते । एक फसल के लिये छः महीने चाहिये और एक स्वरूप हमारे सामने आ सके उसके लिये कम से कम दो फसलों की आवश्यकता है मेरा ऐसा विश्वास है कि जो कदम उठाये गये हैं, विभाग द्वारा उससे हमारे कृषि फार्मों की गुणवत्ता बढ़ेगी और उनसे अधिक से अधिक तथा उत्तम बीज किसानों को हम दे सकेंगे । एक निर्णय और लिया गया है, हमारे प्रदेश में विभिन्न एंग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं । उन क्षेत्रों के लिये जिस प्रजाति की उपयोगिता है, वही प्रजाति वहां के लिये इयर मार्क की जाय और वही वहां के किसानों को उपलब्ध करायी जाय । इसके साथ ही जो कृषि फार्म उन जोन्स में स्थापित हैं वहां पर उन्हीं प्रजाति के बीजों का भी उत्पादन किया जाय, ताकि ट्रान्सपोर्टेशन में जो खर्च होता है । वह कम हो सके । हमारे ऐसे भी फार्म हैं जो निरन्तर लाभ में हैं हमारे सभी फार्म घाटे में नहीं हैं । कुछ फार्म जो निरन्तर घाटे में हैं उनकी संख्या बहुत कम है उनको चुन लिया गया है । उन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको भी मुनाफे की स्थिति में ले आयेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा० अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि नौ महीने हो गये हैं और जिस परिणाम की आशा थी । वह निकला नहीं है, तो बाब्रूराम जी जैसा कोई वैद्य देखें तो शायद पता चलेगा कि अभी नौ महीने से अधिक और कितना समय लेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय बाबूराम जी अगर इतने अच्छे वैद्य हैं तो उनकी उपयोगिता पहले आप अपने यहां देखें आगे आवश्यकता होगी, तो हम लोग भी देखेगे । श्रीमन्, मैं जो योजनायें हमारी चल रही हैं, वह बता रहा हूं । दलहन योजना है, तिलहन योजना है और खाद्यान्न में धान और गेहूं की यह चार योजनायें चलाई जा रही हैं । जिसमें हम आपको बतायें कि जो डिमान्स्ट्रेशन आता है, जिसमें किसानों के यहां डिमान्स्ट्रेशन करेंगे । इसके साथ ही हम कृषि यंत्रों पर भी सब्सीडी देते हैं । यह भारत सरकार के माध्यम से दी जा रही है । बैल चलित यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक या 1500 रुपये अधिक से अधिक सब्सीडी देते हैं । श्रीमन् 30 हार्स पावर तक ट्रैक्टर पर 30 प्रतिशत या 30 हजार रुपये जो कम हो दी जाती है । ट्रैक्टर और उसके साथ 3 संयंत्र, यह भी सब्सीडी दी जा रही है । यह काफी वर्षों से चल रही है लेकिन इसमें प्रश्न यह है कि जितनी संख्या भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में आवंटित की जाती है । यह नगण्य है । मैंने अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश के विशाल कृषि को देखते हुए इसमें बढ़ोत्तरी की जाय । मैंने यह भी अनुरोध किया है और प्रयास कर रहा हूं कि कृषि चालित जो अन्य उपकरण हैं, जैसे रोटावेटर है । वह पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन किया गया है । जीरो ड्रिल सीड में धान की फसल काटकर बिना आगे जुताई कराये गेहूं की पैदावार कर लें, वह पूरी पैदावार देता है उससे लागत कम हो जाती है । ऐसे जो संयंत्र हैं । जैसे रीजर या अगर कोई छोटा सा हारवेस्टर आता है । हिन्दुस्तान में बनता नहीं है लेकिन सुना है कि बनने वाले हैं । मैंने प्रयास किया है कि इस पर सब्सीडी दी जाय ।

ताकि किसानों के खेत में कम लागत में अधिक पैदावार की जा सके। अभी बाबू राम जी ने कहा था कि कितने फार्म हमारे लाभ में हैं। तो बता दूं कि 79 लाभ में हैं और 33 निरन्तर घाटे में हैं। कुल 121 फार्म हमारे यहां हैं। शेष ऐसे हैं जो कभी घाटे में हैं कभी मुनाफे में। श्रीमन्, मैं इन्हीं शब्दों के साथ बताना चाहता हूं कि एक चीज रह गई है मण्डी परिषद्। श्रीमन् मंडी परिषद् में हमारा मुख्य काम है कि हम मण्डी स्थल को विकसित करें और किसानों को विपणन व्यवस्था उपलब्ध करायें। इसके साथ ही मण्डी परिषद् में ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण हुआ है और बीच में पिछले दो तीन सालों में।

श्री बाबूराम यादव–

आप जब से आये हैं कितनी सड़कें बनी हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

एक भी नही। पिछले तीन चार सालों में इसमें हैण्ड पम्प लगाने का भी कार्य किया गया है। मेरे समाने जैसे आंकड़े उपलब्ध हैं। एक तो इसमें काफी शिकायतें आई। जिस गुणवत्ता का हैण्ड मम्प लगना चाहिये था। उस गुणवत्ता का सामान नहीं लगा, जितने नीचे तक पाइप जाना चाहिये था उतने नीचे तर्क पाइप नहीं डाला गया। जिस दिन से लगे हैं उस दिन से आज तक चालू नहीं है। इन्हीं बातों को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि मण्डी अधिनियम जो उत्तर प्रदेश सरकार का है। उसके कार्यकलापों में नलों को लगाने का कहीं पर प्राविधान नहीं है। इसलिये अब निर्णय लिया गया कि मण्डी परिषद् द्वारा अब नल लगाने का काम नहीं किया जायेगा। हम केवल मण्डी स्थलों पर ही पानी देने की व्यवस्था करेंगे चाहे हैण्ड पम्प लगायें चाहे ओवर हेड टैंक के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाये। हम जब से मण्डी परिषद् में आये हैं उसके पूर्व काफी लोग मंडी परिषद् आये हैं उनके पूर्व काफी लोग मंडी परिषद् को खा चुके थे यह हमें दुःख के साथ कहना पड़ रहा है। मंडी परिषद् की जितनी आमदनी है उसका पांच गुना अधिक कार्य स्वीकृत किया गया है। हालत यह है कि हमारे मण्डी स्थल अधूरे पड़े हैं। दुकान बनी है। चहारदीवारी नहीं बनी। चहार दीवारी बनी तो पीने का पानी नहीं, कहीं फर्श नहीं बनी, जो बाबूराम जी ने सड़कों की बात की। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां सड़कें न बनी हों, कहीं रोड़े पड़े हैं जहां पहले कोई आदमी चल लेता था, आज नहीं पा रहा है। आमदनी एक रुपया होगी और खर्च दस रुपया होगा, तो यही स्थिति होगी। आमदनी और खर्च पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी का नतीजा है कि आज सभी क्षेत्रों से निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

एक निर्णय लिया गया है कि हमारे जो अधूरे कार्य हैं जहां धन की स्वीकृति हो चुकी है उन कार्यों को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करायेंगे। उन पर धन जाना भी प्रारम्भ हो गया है। हमारे जो मण्डी स्थल अविकसित हैं उनको अधिक से अधिक विकसित करके किसानों को विपणन की सुविधा उपलब्ध करायेंगे यह निर्णय ले लिया गया है। कुछ एक मामले हैं जहां सड़कें स्वीकृत हुई थीं लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ धन की अनुपलब्धता को देखते हुए ऐसे कार्यों को निरस्त किया गया है। कुछ ऐसे स्वीकृत कार्य है जिनका आधा काम पूरा हो चुका है उनको पहले पूरा करायेंगे। क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप नये काम भी स्वीकृत किये जायेंगे। सम्मानित हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि जिस मण्डी क्षेत्र में आमदनी होती है। उसका 75 प्रतिशत मण्डी क्षेत्र में ही व्यय किया जाना चाहिये। अब तो जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह सम्मानित हाईकोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुये ही लेना होगा कि हम जिस मण्डी समिति के क्षेत्र में कितना काम करा सकते हैं, हमारे पास कितना धन उपलब्ध है, उस मण्डी समिति को कितना लोनिंग कर चुके हैं, वह कितना ऋणात्मक व धनात्मक है। प्रयास यह किया जा रहा है कि जो अधूरे काम हैं उसको पूरा करा लें ताकि उसका सदुपयोग हो सके फिर जिस क्षेत्र की जरूरत होगी तो नई सड़कें स्वीकार करके कराई जायेगी।

श्रीमन् हम मण्डी स्थलों को विकसित करने को प्राथमिकता दे रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं सम्मानित सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित करता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वतः ही स्वीकार किया कि कृषि हमारे प्रदेश की एक महत्वपूर्ण साधन है । इस प्रदेश की 72 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है और पूरे देश की 9 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि अकेले उत्तर प्रदेश में है । मान्यवर, निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी किये बिना उन्नति नहीं कर सकता है । यदि हम कृषि के उत्पादन की तरफ ध्यान देने का काम नहीं करेंगे, तो इस प्रदेश की विकास की बात करना कोरी कल्पना मात्र ही होगी । इसलिये हमारी सारी ताकत इस दिशा में लगनी चाहिये । लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी हमने कृषि के ऊपर विशेष ध्यान देने का काम नहीं किया । मान्यवर, हमें एक तरफ जहां कृषि का उत्पादन बढ़ाना है कृषि को लाभकारी स्थिति में लाने का काम करना है, वहीं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में 73 प्रतिशत के लगभग जो कृषि काश्त है, वह एक हेक्टेयर से कम है । ऐसी स्थिति में हमें कृषि के ऊपर जनसंख्या के घनत्व को घटाने का काम भी करना है । अगर हम कृषि के ऊपर से जनसंख्या को नहीं घटा सके, तो निश्चित रूप से कृषि को कभी लाभ की स्थिति में नहीं पहुंचा सकेंगे । कृषि के ऊपर हमारे प्रदेश के उद्योग धन्धे भी आधारित हैं, एक तरफ से देखा जाये तो उनका आधार कृषि ही है । इसलिये मान्यवर, इस प्रदेश की जहां 72.02 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर आधारित है वहीं पर इस प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है ।

मान्यवर, अगर हम कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे, कृषि की आमदनी नहीं बढ़ायेंगे, तो जो उद्योग धन्धे हैं, उनका मार्केट तैयार नहीं हो पायेगा । हमारी क्रय शक्ति घटेगी, तो निश्चित रूप से उद्योग-धन्धों को हम आगे बढ़ाने की कल्पना नहीं कर सकते । अभी माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम कृषि की विकास दर को 5.1 प्रतिशत तक बढ़ायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि कृषि की विकास दर तो तब बढ़ सकती है, जब इसके बजट को बढ़ाया जाता । जो बजट साहित्य हम लोगों को मिला है, उसमें जो 97-98 का सम्पूर्ण व्यय है, वह 722.60 करोड़ रुपये का है, और वर्ष 98-99 का जो अनुमानित व्यय है । वह केवल 630.04 करोड़ रुपये है, इस प्रकार हमनें कृषि पर बजट को घटाने का काम किया है ।

मान्यवर, मैं आपके सामने यह तथ्य रखना चाहता हूं कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है, जो प्रदेश की औसत आय है, उसमें कृषि का योगदान लगभग 43 प्रतिशत है और कृषि से हमें लगभग 40 हजार रुपये की आय प्राप्त होती है, इस तरह से यह राज्य की आय का एक बड़ा साधन है, इस दिशा में जो विकास दर निर्धारित की गई है, उसे प्राप्त करने के लिये कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश होना चाहिये लेकिन हमने उस दिशा में कोई कदम उठाने का काम नहीं किया है । आज जब हम इस दिशा में देखने का काम करते हैं, तो पाते हैं कि हमारे जो किसान की आय है, वह दिन-प्रतिदिन अन्य लोगों की तुलना में कमजोर होती चली जा रही है, इसका सबसे प्रमुख कारण कृषि जोतों का आकार छोटा होना है । इस प्रदेश में 73.8 प्रतिशत ऐसी जोतें हैं, जो क्षेत्रफल में एक हेक्टेयर से भी कम हैं और पूरे प्रदेश में कृषि जोतों का औसत मात्र 0.90 हेक्टेयर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.57 हेक्टेयर है । इस प्रकार से हमारी जोतों का आकार बहुत कम है, इस दिशा में हमें ऐसे साधन उपलब्ध कराने चाहिये जिससे हम उन जोतों पर आबादी के घनत्व को कम कर सकें, इसके लिये सबसे जरूरी है, कृषि उत्पादन

लागत के अनुसार उसके दाम को निर्धारित करने की। जब दाम की बात आती है तो हम पाते हैं और जैसा मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज 25 क्विंटल और पंजाब में 41 क्विंटल, इसी प्रकार धान की उपज हमारे प्रदेश में 21.2 क्विंटल और पंजाब में 34 क्विंटल है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हमने कृषि की उपेक्षा करने का काम किया है।

मान्यवर, 1970-71 में सरकारी गेहूं का मूल्य 76 रुपये क्विंटल था और 97-98 में यह बढ़कर 455 रुपये निर्धारित किया गया, 55 रु० अनुदान देने की भी बात कही गई है। इस प्रकार गेहूं का दाम 5.9 प्रतिशत इन सालों में बढ़ा, जबकि अन्य वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में 9 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। अभी पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में यह बात आई थी कि आज के हिसाब से सभी चीजों को देखते हुये गेहूं का सरकारी मूल्य 608 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिये। जिसमें सरकारी मूल्य के बारे में, क्रय मूल्य के बारे में सवाल किया गया था। उससे माननीय मंत्री जी का जबाव क्या था ? इन्होंने जबाब दिया था 403 रुपया। मान्यवर, बड़ा दुःख होता है मंत्री जी स्वयं भी किसान हैं और ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी से ऐसे जवाब की कल्पना निश्चित ही दुखद है।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी किसान नहीं है, यह कभी हल नहीं चलाये, कभी मेहनत नहीं किया, कभी खेती नहीं किये हैं।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया 403 रुपये प्रति क्विंटल, आपने कृषि फार्मों का अध्ययन कराया होता, 183 कृषि फार्मों की बात कही गई है, उनका डिटेल्स नहीं मिल पाया है। लेकिन उनके औसत मूल्य की जानकारी दी गई है। वह 533 रु० प्रति क्विंटल गेहूं की आती है, तो जब कास्ट आफ प्रोडक्शन आता है 533 रुपया, तब जबकि इनके पास तकनीकी आदमी हैं, अच्छे साधन हैं, सिंचाई का साधन है, उन्नतिशील बीज हैं और खाद की प्रचूर मात्रा में उपलब्धता है, उसके बाद इनकी कास्ट आफ प्रोडक्सन आती है 533 रुपया प्रति क्विंटल और हमारे किसान का क्रय मूल्य घोषित किया जाता है 455 रु०। इसी तरह से आपके कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान का भी कार्य करते हैं लेकिन उनके पास दो तरह के फार्म होते हैं एक तरफ तो उनका अनुसंधान करने के लिये फार्म होता है और दूसरी तरफ हजारों-हजार एकड़ कृषि के लिये फार्म होता है और जो कृषि विश्वविद्यालय के फार्म हैं उन पर 1987-88 में लागत 545 रु० प्रति क्विंटल आती थी। आज के मूल्यों में कितना इजाफा हुआ होगा, यह माननीय मंत्री जी स्वयं निकालने का काम करेंगे। जो दाम तय किये जाते हैं उसको आपके सामने मैंने रखने का काम किया। कृषि लागत मूल्य आयोग की जो रिपोर्ट है। उसके अनुसार 1996-97 में उसने बताया है वर्ष 1990-91, 1995-96 के बीच में खुले बाजार में गेहूं का मूल्य सूचकांक 58 प्रतिशत बढ़ा जबकि उस अवधि में उर्वरक 113 प्रतिशत, सिंचाई के लिये बिजली 62 प्रतिशत कीटनाशक दवाओं के लिये 90 प्रतिशत, डीजल आयल का 75 प्रतिशत, इतने दाम बढ़ने के बाद भी कृषि मूल्य के दाम में इजाफा करने का काम नहीं किया गया है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे प्रदेश की 73.8 प्रतिशत जनता खेती पर आधारित काम कर रही है। यह लोग मार्जिनल किसान हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है।

एक हेक्टेयर में अगर उसका सम्पूर्ण खाद्यान्न उत्पादन किया 40 कुन्तल से ज्यादा पैदावार नहीं होगी, लागत मूल्य जो आता है 403 रु० ही आता है, इसको स्वीकार कर लिया तो एक कुन्तल में जो बढ़ोत्तरी मिल रही है 52 रु० इस प्रकार एक वर्ष में लगभग 600 रुपये एक साल भर में इनकम होगी। अब जब 73 प्रतिशत एक हेक्टेयर से कम है, यह हमारी आर्थिक स्थिति है, अगर हम इस दिशा में सोचने का काम नहीं करेंगे, तो खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जायेगा। हमारी गलत नीतियों के

परिणामस्वरूप ही हमारे खाद्यान्न उत्पादन का जो रकबा है, उसमें ढाई लाख हेक्टेयर से खाद्यान्न के घटने की बात हुई है, कमी हुई है। मान्यवर, जो साहित्य दिया गया है, पिछली बार 423.75 लाख मीटरीटन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था, जो 97-98 में बढ़ने की जगह 421.16 लाख मीटरीटन उत्पादन हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार 420 लाख मी०टन है। करीब 2–2.5 लाख मी०टन घट गया। कृषि में दूरगामी योजनाओं पर काम नहीं किया गया। जिसके चलते जो प्रक्रिया है, जैसे एक साल उत्पादन हुआ तो दूसरे साल और बढ़ता है, तीसरे साल ज्यादा बढ़ता है, लेकिन उस साल मूल्य उसका बहुत घट जाता है। आधी पूंजी भी उससे समाप्त हो जाती है। चौथा साल आता है, फिर उत्पादन घट जाता है। आपने आलू को उद्यान में शामिल कर लिया है। कृषि में उपेक्षापूर्ण रवैये की जो स्थिति है अब कृषि के साथ सिंचाई उद्यान, पशुपालन, बिजली भी होनी चाहिये, लेकिन इन चीजों को अलग-अलग कर दिया जिसके चलते आपस में तालमेल न होने के कारण कृषि पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। आलू का पिछले वर्ष बहुत अधिक उत्पादन हुआ।

हमारी भण्डारण क्षमता 40 लाख क्विंटल थी। उत्पादन 86 लाख कुन्तल कर लिया आलू भण्डारण विहीन रह गया। जब कोल्डस्टोरेज के मालिकों पर जनता का दबाव पड़ा तो उन्होंने भण्डारण दुगुना कर लिया जिसके कारण आलू सड़ भी गया। इस वर्ष उत्पादन अपने आप घट गया। इस तरीके से गेहूं के दाम कम मिले, इस बार उत्पादन घट गया। लागत मूल्य को ध्यान में रखे बिना अगर हमने मूल्य निर्धारण किया तो किसान को लगातार घाटा होता चला जा रहा है। 533 प्रति क्विंटल की लागत आ रही है कृषि फार्मों पर। किसान अनभिज्ञ है, तकनीकी ज्ञान नहीं है। निश्चित रूप से लागत उसकी ज्यादा आयेगी। हमें उस दिशा में भी सोचना चाहिये। कृषि मूल्य का जो सिद्धान्त है उसके आधार पर भी सोचना चाहिये। अगर नहीं सोचेंगे तो हमारी पैदावार घटेगी। कृषि उत्पादन मूल्य, लागत मूल्य, जीवन निर्वाह व्यय, बचत, उत्पादन का व्यय एवं जीवन निर्वाह खर्च में उसमें समानता करते हैं, तो किसान माइनस में जाता है। इसके प्रति हम सचेत होने का काम नहीं कर रहे हैं।

मान्यवर, जो मण्डी परिषदें हैं, उनको भी मारकेटिंग में अपना योगदान देना चाहिये। इसी उद्देश्य से ये समितियां बनाई गई थी। व्यापारियों के हाथों से किसान का शोषण न हो सके, इसलिये मण्डी परिषद् का गठन किया गया था परन्तु क्या आज ये समितियां उस कार्य को अंजाम दे पा रही हैं। किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के बजाय ये समितियां खुद किसान का शोषण कर रही हैं। पहली बात तो यह है कि ये समितियां इतनी निर्जन स्थान पर बनी हैं, वहां तक किसान पहुंच नहीं पाता है। मण्डी समिति का जो अधिनियम बनाया गया था, उसके अनुसार इनका चुनाव होना चाहिये था परन्तु चुनाव नहीं हो रहे हैं। आई०ए०एस० व पी०सी०एस० के हाथों इन समितियों को गिरवी रख दिया गया है। आई०ए०एस० को इसका चेयरमैन बना दिया गया है। वह इन समितियों का उपयोग अपनी सुख-सुविधा के लिये करते हैं, जनता की सुख-सुविधा से उन्हें कोई मतलब नहीं। अब मान्यवर, हम सिंचाई पर आते हैं। आज जो बोया गया क्षेत्र है, वह मात्र 2.58 करोड़ हेक्टेयर है। इस प्रकार हम इसका प्रतिशत निकालें तो हमारी सिंचाई क्षमता मात्र 65.8 प्रतिशत है। नहरों के टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिये वास्तव में देखा जाय तो यह 65.8 प्रतिशत से कहीं कम है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अब आप संक्षिप्त करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक मंत्री जी ने एक घण्टे में अपनी बात कही, कम से कम एक घंटा तो आप वर्मा जी को भी दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

कटौती के प्रस्तावक को प्रायः 20 मिनट का समय दिया जाता है और मंत्रीगण को एक घण्टे का प्रायः समय दिया जाता है।

श्री लालजी वर्मा–

मैं जल्दी खत्म करूंगा। जो वास्तविक बोया गया क्षेत्र है वह है 258 लाख हेक्टेयर है और 65.8 इरिगेटेड एरिया आता है। लेकिन वास्तविक इरीगेटेड एरिया है, मान्यवर आज पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है, गेहूं को सिंचाई के लिये 20, 25 दिनों में पांच सिंचाई की आवश्यकता होती है तभी उसमें अधिक उत्पादन हो सकता है। तो एक सिंचाई का पानी हमें मिल पाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि वास्तविक एरिया 40 से 50 प्रतिशत तक ही है। आज इस बात की आवश्यकता है कि उसे 90.95 प्रतिशत ले जायें। 88 लाख हेक्टेयर जमीन बिल्कुल असिंचित है। गेहूं के उत्पादन के लिये, धान के उत्पादन के लिये तथा अन्य खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिये अगर सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करें तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि 40 प्रतिशत से ज्यादा सिंचित भूमि हमारे पास नहीं है और 60 प्रतिशत असिंचित भूमि है। दूसरा मान्यवर, आपने ऊसर सुधार की योजना चलाने का काम किया है। लेकिन जो उसका परिणाम आया है वह ढाक के तीन पात है। अगर हम 1984-85 से तुलना करते हैं

(समय 5 बजकर 30 मिनट)

तो मुश्किल से एक लाख हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य हम बना सके हैं। आज हमारे प्रदेश में 9.73 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह ऊसर और खेती के योग्य भूमि है, 6.73 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित भूमि है और जो बेकार पड़ी भूमि है वह 9.60 लाख हेक्टेयर है। हम बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण नहीं कर सके। इससे हम सिंचाई अच्छी तरह से कर सकते थे। यदि हम रिजर्व वाटर बनाते तो फसलों को बचाने का काम कर सकते थे। लेकिन इस दिशा में भी कोई कार्य नहीं किया गया। मान्यवर, वर्ष 1984-85 में बोया गया क्षेत्र 172.48 लाख, वर्ष 1994-95 में 173.15 लाख तथा वर्ष 1995-96 में 173.15 लाख हेक्टेयर है। यानि वर्ष 1985 से 95-96 तक बहुत मामूली सा वास्तविक बोया गया क्षेत्र हम बढ़ा पाते हैं। इसका कारण यह है कि जो योजनायें हम बना रहे हैं वह ठीक नहीं है। जो किसानों के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है हमें श्रम देवियों का ध्यान भी रखना पड़ेगा जो कि जैसे रोपाई है, कटाई का काम है, करती है। मुझे खुशी होती यदि उनके भी उत्थान के लिये कोई कदम उठाया गया है तो मुझे खुशी होती यदि मा० मंत्री जी श्रमिक देवी पुरस्कार की घोषणा करते जिनका उत्पादन बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण योगदान है उनको गांव स्तर तक पहुंचाने का सटीक प्रयास किये होते मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम प्रत्येक गांव में एक किसान मित्र बनाने का काम करेंगे लेकिन यह क्या करेंगे क्या यह प्रचार प्रसार करेंगे, क्या इनको अच्छी तकनीक की जानकारी है। इन योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिये कौन व्यक्ति लगाया गया है कौन साधन है जिसके द्वारा हमारी तकनीक गांव तक पहुंच सकती है इस ओर हमने सोंचने का काम नहीं किया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ए०डी०ओ० एग्रीकल्चर होता है जो ब्लाक पर रहता है लेकिन उस पर नियंत्रण ग्राम्य विकास विभाग का होता है कृषि विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होता है वह सदैव ग्राम विकास के कार्यक्रमों में व्यस्त रहता है इसलिये वह कृषि संबंधी कार्यों को नहीं कर पाता है। मेरा सुझाव है कि जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे थे किसान ने बहुत बड़ा उत्पादन किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ने क्या योगदान किया है। बीज हम किसान को दे नहीं पाये, पूरा बीज वह अपने से ही व्यवस्था करता है। अधिक मेहनत करता है। दुनिया में सबसे अधिक मेहनत करने वाला किसान उत्तर प्रदेश का लेकिन उसको अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिल रहा है जो योजनायें बनाई जाती हैं

उनको जमीन पर उतारने की कोशिश नहीं की जाती है । केवल किसान मित्र बना लेने से ही काम नहीं चलेगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं और आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि गोरखपुर में सरजू–52 बीज की आवश्यकता थी लेकिन वह समय से वह उपलब्ध नहीं हुआ । और मंत्री जी के हस्तक्षेप पर उपलब्ध हुआ । फैजाबाद मण्डल में सरजू–52 की आवश्यकता है लेकिन वहां पर भी वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था । इस पर हमें विचार करना होगा कि किसानों को हमें किस प्रकार से कीटनाशक दवायें उपलब्ध कराई जायं मैं आपको बताना चाहता हूं कि चना की फसल में एक कीट पैदा हो जाता है जो चने में छेद कर देता है और उसे क्षति पहुंचाता है । मैं स्वयं खेती करता हूं उसको नष्ट करने का मैंने बहुत प्रयास किया और उसमें मैं निरमा भी छिड़कवाया लेकिन उसमें थोड़ा बहुत नियंत्रण हुआ । लेकिन उस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया इस रोग के लिये कोई कीटनाशक दवा नहीं मिल पाई । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस दिशा में प्रयास करें । अब मैं प्रशासनिक बदलाव की ओर कहना चाहता हूं तहसील स्तर पर एक एस०डी०ओ० प्रसार का एक पद सृजित किया गया है तो एस०डी०ओ० प्रसार को कृषि के विकास की जिम्मेदारी दे देना चाहिये कि वह खाद उपलब्ध कराये बीज उपलब्ध कराये । किसानों को तकनीकी जानकारी दें और इसी के साथ ए०डी०ओ० एग्रीकल्चर होता है उसको कर दिया जाय । वह कृषि का व्यक्ति होता है । इसी तरह से मान्यवर, जनपद स्तर पर जो भूमि संरक्षण अधिकारी होता है उसका कृषि विभाग से कोई ताल्लुक नहीं होता है । तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में अच्छा काम कर सकेंगे । ग्राम स्तर तक तो अभी नहीं जा सकते है । चाहे मंत्री जी कितना ही कहें लेकिन कृषि पर्यवेक्षक न्याय पंचायत तक एस०डी०प्रसार में नियन्त्रण में नियुक्त किया जाय । एक सुपरवाइजर जो कृषि विकास के संबंध में सारी जानकारी किसानों को दे सकें तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा । जो आपकी 25 हजार आठ सौ से ज्यादा कृषि फौज है इससे ग्रामों तक किसानों को सही जानकारी नही मिल पा रही है । न्याय पंचायत स्तर तक तकनीकी जानकारी देने के लिये आवश्यक है कि इनका प्रयोग किया जाये । इसी तरह कीटनाशक दवाओं के उपयोग बताने की भी आवश्यकता है इसके साथ-साथ किसानों को सब्सिडी देना भी आवश्यक है । इसके लिये कृषि योजना बनाने में विशेष बल देने की जरुरत है । अगर कृषि योजना नहीं बनायें तो साल भर जो किसान मेहनत करता है, और गेहूं पैदा करता है जब उसकी पैदावार चरम सीमा पर पहुंचती है तो वह सस्ता हो जाता है गन्ने की सीमा पैदावार सीमा तक पहुंचती है तो उसका गन्ना खेत में ही रह जाता है । 1996-97 में किसान का गन्ना कोई खरीदने वाला नहीं था तो इन सब बातों की जानकारी भी किसानों को देने की जरूरत है ताकि वह नियोजित मात्रा में उपज करें और उसे जो अन्त में बरबादी करनी पड़ती है वह न हो ।

भण्डारण की भी बहुत बड़ी समस्या है । 72 प्रतिशत लोग हमारे कृषि पर निर्भर है, उनके उपज को भण्डारण की उचित व्यवस्था नहीं है जिसका इस बजट में प्राविधान शून्य है । कोई व्यवस्था उसके लिये नहीं की गई है । अगर भण्डारण की व्यवस्था नहीं होगी तो किसानों को उसके लिये लाभकारी मूल्य नहीं मिल पायेंगे । यह कोई फैक्ट्री उत्पादन नहीं है कि पूंजी लगा दी और दूसरे साल उसके अनुसार उत्पादन हो जाये । किसान पूरी तरह से छः महीने पूंजी लगाकर भी अपने परिवार का पेट काटकर भी ऐन वक्त पर ओला पड़ जाने से उसकी फसल नष्ट हो जाती है । उपज का कोई लाभ नहीं मिला । इसी कारण हमें फसल बीमा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । फसल बीमा पर आधारित किसान की पैदावार योजना लागू होनी चाहिये । ताकि उसको जीवन निर्वाह करने के लिये फसल का पैसा मिल सके और उसकी क्षतिपूर्ति हो सके इस दिशा में सरकार ने भी कोई काम नहीं किया है, फसल बीमा भी पूरी तरह से लागू नहीं की गई है । किसान की मजबूरी होती है उसका शोषण नहीं होना चाहिये । हमारे कृषि विशेषज्ञ डा० शान्ति स्वरूप खन्ना ने कहा है कि राजनैतिक उपेक्षा और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण उपजाऊ भूमि होने तथा किसानों की मेहनत के बावजूद पंजाब और हरियाणा के किसान से उत्तर प्रदेश का किसान काफी पीछे रह गया है ।

पंजाब में कृषि उत्पादन की विकास दर 4.7 प्रतिशत है और हमारे प्रदेश में 3.5 प्रतिशत है। इसका क्या कारण है ? हमने इस दिशा में सोचने समझने का काम नहीं किया। आज जरूरत इस बात की है कि फसल बीमा योजना पूरी कड़ाई से लागू की जाय। किसान छः-छः महीने मेहनत करके, पूंजी लगा के फसल उगाता है पर प्रकृति की मार से जब वह पीड़ित हो जाता है तो यदि उसको लागत मूल्य नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से आज किसान की हालत बदतर होती चली जायेगी और जब किसान की हालत बदतर होगी तो कृषि आधारित उद्योग भी नहीं चल पायेंगे आज जरूरत इस बात की है कि हम कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का गांवों में विकास करें जिससे कि कृषि पर आधारित जनता को इन छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों पर लगाया जा सके। जिन देशों में कृषि पर आधारित जनसंख्या को अन्य उद्योगों में लगाने का काम किया है वहां पर लोग मालदार हुये हैं और जहां पर कृषि पर लोगों का दबाव बढ़ा है वहां के लोग दरिद्र से दरिद्र होते चले गये हैं। अमेरिका में साढ़े तीन फीसदी लोग खेती कर रहे हैं वहां के किसान की हालत बहुत बेहतर है हमारे यहां 72.05 प्रतिशत लोग खेती पर लगे हैं इसलिये हमारे यहां लोगों की हालत बदतर हो गई है। जापान ने तरक्की किया उसका कारण यह है कि जापान में जो कृषि आधारित कुटीर उद्योग और लघु उद्योग थे उनको बढ़ाने का काम किया गया इससे वहां की कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम हुआ और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस पुस्तक में जो कृषि के उद्देश्य बताये गये हैं उसमें 10 उद्देश्य बताये गये हैं। हमारा जो मूल उद्देश्य है वह कृषि विभाग द्वारा विभिन्न फसलों का उत्पादन तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करना है जिससे कि कृषि की विकास दर में वृद्धि हो सके क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किया जा सके तथा प्रदेश के कृषकों को रोजगार के नये अवसर प्रदान किये जा सके यह हमारा मूल उद्देश्य था। मेरा मानना है कि कृषि के साथ-साथ कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों के लिये कार्य नहीं किया गया और कोई योजना नहीं बनाई गई जिससे आज प्रदेश के जो किसान हैं उनका विकास नहीं हो सका है। आज जो कुछ किसान का विकास हुआ है वह सरकार की बदौलत नहीं हुआ बल्कि किसान ने अपने परिश्रम और अपनी मेहनत और अपना पेट काटकर काम किया है जिससे उसका विकास हुआ है और उसमें अपने परिवार के साथ इसमें लगकर देश और प्रदेश के लोगों को खिलाने के लिये खाद्यान्न उत्पादन करने का काम किया है, लेकिन किसान को सरकार 455 रुपये खाद्यान्न का मूल्य देगी परन्तु अमेरिका से जो आयात करेगी उसको 622 रुपये पर आयात करेगी। यानी किसान को हानि पहुंचायी जायेगी और दूसरों को लाभ पहुंचाने का काम किया जायेगा।

आज इस बात की जरूरत है कि किसान को लाभकारी मूल्य दिलाने का सरकार काम करे ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। आज प्रदेश में बीज और खाद की खपत बहुत कम है इसीलिये उत्पादन बहुत कम है। हमारी सिंचन क्षमता, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कम है इस दिशा में सरकार विचार करे और उसको बढ़ाने का काम कर सके तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की विकास की दर बढ़ सकेगी। जो कृषि से रिलेशन रखने वाले विभाग हैं उनमें आपस में सामंजस्य बढ़ाने के लिये सरकार विचार करे। सिंचाई, ऊर्जा विभागों में सामंजस्य होना चाहिये, आज किसान को 10 घण्टे बिजली दी जायेगी तो कैसे उसका विकास होगा। किसान रोपाई करता है 10 घण्टे में उसका खेत पानी से नहीं भरेगा उसका अपना खेत भरने में तीन-तीन दिन लग जायेंगे एक तरफ वह अपना खेत भरेगा दूसरी तरफ पानी सूख जायेगा। बिजली इसलिये 10 घण्टे मिल रही है कि नरेश अग्रवाल जी चाहते हैं, उनकी कृषि मंत्री से प्रतिद्वन्दिता है, इसलिये वह चाहते हैं कि किसानों की उपज न बढ़े। इसीलिये बिजली कटौती की जा रही है। मेरा अनुरोध है कि जो रिलेशन वाले विभाग हैं इन सबको एक साथ करके किसानों के प्रति अच्छी भावना रखते हुये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की स्थिति अच्छी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आह्वान करता हूं कि हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य बिना किसी भेद-भाव के किसानों को माली हालत अच्छी हो, कृषि उत्पादन बढ़े और इस प्रदेश

की विकास दर ऊंची हो इस प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिये विचार करते हुए अच्छे सुझाव दें तो मैं समझता हूं कि हमारा इस सदन में बैठना सार्थक हो सकेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

जैसा कि आज विचार किया गया है कि सात बजे तक इस कार्य सूची को समाप्त कर दिया जाय । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि कृपा करके सहयोग करें दोनो ही पक्षों के सदस्य तो जो लक्ष्य है हमारा इसको सात सवा सात बजे तक पूरा कर सकेंगे ।

* श्री गोमती यादव–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं कृषि बजट जो कि किसान हित, जनता हित और प्रदेश के हित में है, उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस बजट में जो बातें बताई गई हैं मैं विशेष रूप से उनकी चर्चा करना चाहता हूं । जो बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, कृषि यंत्र और कृषि ऋण की आपूर्ति समय से कराने के जो प्रयास इसमें किये गये हैं और उनको प्राथमिकता दी गई है वह बहुत अच्छी बात है । इसके साथ ही मान्यवर, कृषि की विकास दर को त्वरित गति देने के लिये नवीन टेक्नोलोजी का प्रसार एवं प्रचार और कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया है जो कि स्वागत योग्य है । मान्यवर, वास्तव में जो एक विशेष बात इस बजट में कही गई है कि जो अनुपजाऊ, ऊसर और बंजर भूमि हजारों एकड़ है उसको ठीक से विकसित किया जाय उसको सुधार करके कृषि योग्य बनाने के लिये इसमें प्रयास किया गया है जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है । इसके साथ ही मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में एक विकास खण्ड है जिसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने का सघन कार्यक्रम को दुगुना करने की बात कही गई है वह स्वागत योग्य है । अधिष्ठाता महोदय, वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में बीज, खाद, उन्नत तकनीकी कृषि स्नातक अथवा प्रगतिशील किसानों द्वारा दिये जाने की बात कही गई है जो कि अभी तक पहले कभी नहीं किया गया था, यह भी एक स्वागत योग्य कदम है ।

मान्यवर, बजट में जो एक विशेष बात कही गई है कि खाद्यान्न बहुत ही आवश्यक है और जैसे कहा गया है कि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिये भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग से एकीकृत विकास कार्यक्रम की योजना चलाई है जो कि किसानों के लिये बहुत ही लाभकारी है । कृषि के क्षेत्र में आगे और एक कदम उठाया गया है प्रदेश में मृदा परीक्षण की सुविधा और परीक्षण करने के लिये पहले किसान को जगह-जगह भटकना पड़ता था, उसको सुविधायें प्रदान नहीं थी हमारी सरकार ने सचल और स्थित प्रयोगशालाओं के माध्यम से यह कार्य करने का प्रयास किया है जिसके लिये यह बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, मैं इस बजट भाषण में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मेरा अपना सुझाव है कि वास्तव में जो हमारी कृषि योग्य भूमि है राजधानी में है और विभिन्न जिलों में है वहां पर आवास कालोनियों का निर्माण कर दिया जाता है । मेरा यह सुझाव था कि जो कृषि योग्य भूमि है उसमें पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा विभिन्न योजनायें लागू की गई थीं उन पर आवास कालोनियों का निर्माण कार्य न किया जाय इससे कृषि उत्पादन क्षमता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारी कृषि योग्य जमीन है उसके आस-पास ईंट के भट्ठे लगा दिये जाते हैं । जिससे कटान के कारण जमीन बेवार हो जाती है मेरा सुझाव है उन पर भी रोक लगाई जाये । ईंट भट्ठे या अन्य उद्योग धन्धे उधर लगाये जायें जो कृषि योग्य जमीने नहीं हैं । जो हमारी कृषि योग्य जमीनें हैं वहां पर बड़े-बड़े प्रतिष्ठान बनाये जाते हैं जिससे फसलें कट जाती हैं, आवासीय कालोनियां बनाई जाती हैं हजारों एकड़ जमीन इस प्रकार पड़ी है । हर जिले में ऊसर जमीने हैं उन पर आवासीय कालोनियां बनाई जायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । एक विशेष सुझाव आलू के संबंध में देना चाहता हूं । गत वर्ष आलू जो बरबाद हुआ है, शीतगृहों में जगह नहीं थी, जिसके कारण हजारों टन आलू बेकार हो गया इससे किसान परेशान रहा, बेघरबार हो गया । मेरा अनुरोध है कि कृषि विभाग के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा हर जनपद में सुविधा को देखते हुये आलू भण्डारण के लिये शीतगृहों का निर्माण किया जाये जिससे भविष्य में इस प्रकार की असुविधा न हो । शीतगृहों के द्वारा जो मूल्य निर्धारण किया जाता है । वह निर्धारण शीतगृहों के पालिकों को अधिकार न देकर मूल्य निर्धारण शासन के द्वारा किया जाना चाहिये । साथ ही साथ जो पूर्व सरकारों द्वारा जो मंडी के विभाग हैं विभिन्न मार्ग बनते हैं मैंने देखा है कि सैकड़ों ऐसी सड़कें हैं जिन पर मण्डी परिषद् द्वारा कार्य किया गया है । अधूरी सड़कें पड़ी हैं उनका निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाये । हमारे महोना क्षेत्र के अन्तर्गत इंटौजा-गेटा सम्पर्क मार्ग 16 कि०मी० है । हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका उद्घाटन किया । मुझे दुख है कि उस सड़क का निर्माण कार्य उद्घाटन के बाद छोड़ दिया गया । उस कार्य को पूर्ण किया जाये । बजट में फ्री बोरिंग योजना है उस फ्री बोरिंग को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाये । जिससे गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके और उसकी पैदावार बढ़ सके । यह सरकार बधाई की पात्र है जिसने यह व्यवस्था की । फसल बीमा योजना है बीच में स्थगित कर दी गई थी । फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाने का कार्य किया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अगर उनकी बात करना है तो लाबी का प्रयोग करें । इसके अलावा अध्यक्ष पीठ की ओर कम से कम पीठ करके न बैठें । यह बात मन को कष्ट देने वाली है ।

श्री बाबूराम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से विद्वान सदस्य श्री लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में तथा प्रदेश के कृषि मंत्री श्री दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा रखे गये कृषि विभाग के बजट के विरुद्ध बोलने के लिये जो समय दिया उसके लिये आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, एक विडम्बना है कि राजा दिवाकर विक्रम सिंह जी, जिनके न कभी पूर्वजों ने खेती की, न बच्चे कर रहे हैं, यह बात मुझे मालूम है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण, कृषि मंत्री जी और बाबूराम जी दोनों मित्र रहे हैं इसीलिये यह आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं । उस पर आप ज्यादा ध्यान न दें ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आपने मेरी बात हल्की कर दी । यह प्रदेश का दुर्भाग्य है इसमें माखौल की बात नहीं है । जिसके पांव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई । इनका खेती-पाती का रास्ता नहीं है, यह किसानों की हालत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते । यह जो बजट पढ़ा है, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हो, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई निजी विचार-धारा नहीं है, यह अधिकारियों का लिखा हुआ बजट पढ़ा है । कृषि के लिये बीज, खाद और पानी ये तीनों चीजें अगर उपलब्ध नहीं हैं तो कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है । आप अपना बजट देखें और माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट देखें, बीज के सम्वर्द्धन के लिये सरकार के द्वारा कोई योजना की घोषणा नहीं की गई है, अनुसंधानों द्वारा एक लम्बा अर्सा बीत जाने के बाद भी कोई क्रान्तिकारी अनुसंधान नहीं हुआ उसका कारण यह है कि किसी भी सरकार ने हमारे वैज्ञानिकों को सम्मान और साधन प्रदान नहीं किये, बजट में कोई प्राविधान नहीं किया जिससे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होता इससे हमारी कृषि पैदावार दो गुनी नहीं हो सकती क्योंकि दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ती जा रही है । खेती की पैदावार नहीं बढ़ी तो यह प्रदेश भिखमंगों का प्रदेश हो जायेगा । इसी तरह से बीज में माननीय मंत्री जी ने कहा कि बीजो की जो मांग होती है वह नहीं दे पाते हैं, दूसरा बीज देना पड़ता है । मान्यवर, अधिकारियों ने जो लिख दिया उसे मंत्री जी ने यहां पढ़ दिया । आप अगर बजट लेकर बैठे होते और माननीय कृषि मंत्री जी और राज्य मंत्री जी यह सोचते कि पिछले साल खेती के लिये जो पैसा दिया गया था उससे कम बजट इस साल क्यों दिया गया ? इनको मालूम ही नहीं है कि कितना बजट आवंटित हो रहा है । आज मंत्री जी को कागज पकड़ा दिया गया और बजट पढ़ने चले आये । खेती की पैदावार दो गुनी करना चाहते हैं । पैदावार बढ़ जाये और बजट कम हो जाये । यह दोनों चीजें कैसे हो जायेंगी, सिंचाई के साधन बढ़ा नहीं

रहे हैं। इस बजट में कृषि की उन्नति के लिये सिंचाई आवश्यक है उसके लिये एक भी नई परियोजना प्रस्तावित नहीं है। यह आये, कहते हैं कि समय कम हुआ है। 10 महीने हो गये, अरे 9 महीने में तो आदमी तैयार हो जाता है। आपके राज में 18 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन कम हुआ है। पहले जमींदार लोग शोषण करते थे और अब आपने शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। एक तो पैदावार कम हुई और दूसरी तरफ उसका ठीक ढ़ंग से विपणन नहीं हुआ। इस बार खरीद भी ठीक ढ़ंग से नहीं हुई। मेरा ऐसा मानना है कि कृषि मंत्री के अधीन सिंचाई, बिजली और भूमि सुधार विभाग होना चाहिये, तभी कृषि पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। कीटनाशक की बात आई, इस बार पूरा नकली कीट नाशक किसानों को मिला। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगाता। इस बार आलू में झुलसा रोग की जो दवा गई वह पूरी की पूरी नकली पाई गई फिर किसानों ने गुजरात और महाराष्ट्र से मंगवाई।

कृषि के संबंध में न तो माननीय मंत्री जी को जानकारी है, न इसकी प्रतिबद्धता है, न इनकी मानसिकता है न कहीं कोई बीज का इन्तजाम है, न खाद का इन्तजाम है और न पानी का कहीं कोई इन्तजाम है, पानी की कोई नई योजना इस साल के बजट में नहीं है। खाद के संबंध में लालजी वर्मा ने काफी विस्तार से बात कही है। पिछले वर्ष गेहूं की फसल के लिये सबसे आवश्यक डी०ए०पी० आई०, वह सब नकली पाई गई और उस पर खासतौर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे यहां एक सरकारी गोदाम पर मुझे जानकारी मिली कि नकली खाद है, मैंने शिकायत की, छापा मारा गया तो सब नकली खाद बरामद हुई। यही मैं कहना चाहता हूं कि जब खाद नकली मिलेगी टैग बीज पर गलत लगेगा, कीटनाशक नकली मिलेगी तो कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ जायेगा ? मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि हमारे यहां के ज्यादातर कृषक लघु और सीमान्त हैं और मध्यम श्रेणी के किसान हैं, लेकिन वह सघन खेती कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिये साधन होने चाहिये और साधनों के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गयी है। सरकार की तरफ से किसानों को कोई संरक्षण नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो भूमि सुधार है, ऊसर सुधार है, बीहड़ सुधार है, इसमें मालूम चला कि 65 प्रतिशत तक अधिकारी कमीशन लेते हैं। मैंने पूछा तो कहते हैं कि ऊपर देना पड़ता है, अब पता नहीं अल्लाह मियां को देना पड़ता है या भगवान श्रीराम को देना पड़ता है। जब 65 प्रतिशत कमीशन लिया जायेगा तो 35 प्रतिशत में कितना काम होगा, यह सोचा जा सकता है। क्या माननीय मंत्री जी इस सदन में यह घोषणा करेंगे कि कमीशनखोरी को रोकने की इनकी मानसिकता है तो कोई कारण नहीं कि कमीशन को न रोका जा सके।

कृषि विश्वविद्यालय जो है, उनके अनुसंधान की बात भी कही गई थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों को जो तवज्जे मिलनी चाहिये, जो साधन मिलने चाहिये थे, वह नहीं उपलब्ध हुये, जिसकी वजह से वह कोई ज्यादा अच्छे बीजों का अनुसंधान नहीं कर सके। जो हमारे सरकारी कृषि फार्म हैं, उसमें से 35 घाटे में चल रहे हैं, पिछले बजट में भी यह बात आई थी, उससे पहले भी यह बात आई थी कि वह घाटे में जा रहे हैं। और बहुत पहले भी यह आया था कि हमारे जो राजकीय फार्म हैं वह घाटे में जा रहे हैं। क्या आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि जो अगली फसल आयेगी तो आप कुछ करेंगे ताकि कृषि फार्म घाटे में न जायें। आपके पास सारे साधन हैं लेकिन मानसिकता नहीं है। तो आप यह सुनिश्चित करें, जो इसके प्रभारी है, वह यह सुनिश्चित करें कि कृषि प्रक्षेत्र किसी भी तरह से घाटे में नहीं जाने चाहिए।

मान्यवर, मण्डी परिषद् का जिक्र किया गया। इसमें एक भवन बना है, बहुत अच्छा बना है और किसानों का है, लेकिन उसमें किसान नहीं जा सकता। उसमें व्यापारी जा सकता है, उसमें नौकरशाह जा सकता है, जनप्रतिनिधि तो जा ही सकता है, लेकिन सामान्य किसान नहीं जा सकता उसकी हिम्मत नहीं है। मण्डी परिषद् की आमदनी बढ़ी है, अब तक बीस गुना बढ़ी है, लेकिन उस पैसे से विकास कार्यों को नहीं करायेंगे, न हम नल लगवायेंगे, न हम सड़क बनवायेंगे, तो उस पैसे का क्या होगा। श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी ने आते ही पांच हजार स्वीकृत नल कैंसिल कर दिये। कोई मार्ग बना नहीं, हमारे राजा साहब 9-10 माह से मंत्री हैं, उनके समय में 1 इन्च भी सड़क नहीं बनी। किसी गांव को किसी मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया। मान्यवर, उच्च न्यायालय का यह निर्देश है कि एक मण्डी का धन दूसरी मण्डी में नहीं जायेगा। वर्मा जी कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया झांसी की मण्डी से लेकर उससे अतर[illegible] काम हो गया, तो इसको अपने जवाब में बतायें।

मान्यवर, किसानों की हालत तब सुधरेगी जब खेती की हालत सुधरेगी और खेती की हालत तब सुधरेगी जब सरकार की वचनबद्धता किसानों के प्रति होगी, तब सुधरेगी । मान्यवर, मण्डी की बात कह रहा हूं, 5000 नल माननीय मंत्री जी ने कैंसिल कर दिये, एक इंच सड़क नहीं, बीज नहीं, खाद नहीं, पानी नहीं । पानी में बढ़ोत्तरी नहीं, फिर यह राजा साहब काहे के । किस बात के राजा, फिर तो यह राजा ऐसे हैं जैसे नौटंकी में राजा देखा है कि रात में मुकुट बांधता है कमर में तलवार लगाता है और सबेरे उठकर जब देखते हैं तो बक्सा लादे रबर की चप्पल पहने हुए चला जा रहा है तो यह असली राजा बनें और किसानों का कल्याण करें, कुछ ऐसी योजना प्रस्तावित करें कि बीज पानी की व्यवस्था हो जाय ।

विपणन की व्यवस्था हो जाय, और जो हमारी योजनायें चल रही हैं, भूमि संरक्षण, ऊसर सुधार और बीहड़ सुधार की इससे गुणवत्ता दिये । अगर आप तय कर लेंगे, कि 65 प्रतिशत कमीशन नहीं देने देंगे तो आप निश्चित रूप से कमीशन बन्द कर देंगे । मण्डी में आमदनी बीस गुना हो गई है । यह सब रुपया किसानों का है, अब आप व्यापारियों के दबाव में एक जगह टैक्स ले रहे हैं, चाहे वह बीस जगह बेचे । लेकिन अगर गांवों में सम्पर्क मार्ग नहीं बनेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा तो कैसे किसान का कल्याण हो सकेगा । माननीय मंत्री जी आपको किसानों के पक्ष में सोचना पड़ेगा, जो मानसिकता बनी हुई है, गरीबों के खून की चूसने की, उस मानसिकता को बदलना होगा, तभी किसान का कल्याण होगा । इसी के साथ माननीय लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें, मैंने माननीय बी० आर० वर्मा जी से बुला लिया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय लालजी वर्मा जैसे विद्वान सदस्य के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैंने इस बजट को पढ़ने और समझने की कोशिश की है । यह बजट राजा दिवाकर विक्रम सिंह जी द्वारा रखा गया है, इस वजह से इसमें कटौती हो तो इसलिए कोई बात नहीं पर चूंकि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कोई किसान का बेटा बैठा हो..

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

इसमें कहां राजा लिखा हुआ है, नाम तो दिवाकर विक्रम सिंह लिखा हुआ है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

और बजट में कटौती हो, आप देखें, पिछले साल जो कृषि विभाग का बजट था उसमें इस बार 92 करोड़ 56 लाख 11 हजार रुपये की कटौती कर इसे कम कर दिया जाय बजाय बढ़ोत्तरी के 10 प्रतिशत हर साल हर विभाग का बजट बढ़ता है । यदि घाटे को भी जोड़ लिया जाय तो पिछले वर्ष की तुलना में आपने इस वर्ष 164 लाख 81 हजार रुपये का कम बजट रखा है । उत्तर प्रदेश गांवों में बसता है और खेती पर निर्भर है । माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा है कि किसान की पर कैपिटा इन्कम बढ़नी चाहिए, इसके लिए खेती पर से बोझ कम करना होगा और गैर कृषि उद्योग धन्धों को सृजित करना होगा । परन्तु यह बजट में आपने कहीं रखा नहीं । कृषि के क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी करनी होगी, यह भी आपने बजट में नहीं दर्शाया है । वर्तमान में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़े, कैसे बढ़े, यह आपने दर्शाया नहीं है ? श्री बाबूराम जी ने अच्छे बीज, खाद व पानी की बात कही, मैं केवल बीज की बात करना चाहता हूं, पिछले वर्ष की तुलना में आपने 151 लाख 53 हजार रुपये कम रखा है, कैसे उत्पादन बढ़ेगा ? नये-नये बीजों के साथ-साथ नये-नये रोग पैदा हो रहे हैं, वनस्पति रक्षा के लिये आपने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7 करोड़ 66 लाख 76 हजार रुपये कम रखा है । कैसे कृषि उपज बढ़ेगी ? जो कामर्शियल फसले हैं, उसकी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये । मिंथा प्रजाति की काफी अच्छी खेती हो रही है, परन्तु इसका जिक्र तक आपने नहीं किया है । इसमें भी आपने पिछले वर्ष की तुलना में 49 लाख 62 हजार रुपये कम रखा है । कृषि अर्थ व्यवस्था एवं सांख्यिकी पर आपने पिछले वर्ष की तुलना में 83 लाख 34 हजार रुपए कम रखा है । कृषि इन्जीनियरिंग जो कृषि उत्पादन की रीढ़ है उसमें आपने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3 करोड़ 61 लाख 1 हजार रुपये कम रखा है । कैसे उत्पादन बढ़ेगा ? आज तिलहन और दलहन की उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है । तिलहन के विकास के लिए आपने पिछले वर्ष 927.84 लाख रुपए रखा था परन्तु इस वर्ष 903.80 लाख रखा है ।

उसमें आपने 24 लाख 4 हजार रुपये की कमी कर दी । तो इस तरह से तिलहन के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी करेंगे । मान्यवर, अच्छे बीज पैदा कर सकें, अच्छे बीज की खोज हो सके इसके लिए अनुसंधान में जो पिछले साल 13 लाख 92 हजार का बजट था इस साल आपने 10 लाख 52 हजार कर दिया तो इस तरह से 3 लाख 42 हजार की कमी कर दी । मृदा तथा जल संरक्षण इसमें जो आपने पिछले साल का बजट था उससे 3 करोड़ 49 लाख 57 हजार की कमी कर दी । मान्यवर, इसी तरह से एक अच्छी स्कीम शुरू हुई थी असचल प्रयोगशाला की उसके लिए आपने एक भी पैसा इस साल के बजट में नहीं रखा गया है । तो कैसे आज कृषि की उपज बढ़ायेगें ? जल संरक्षण जिसकी इस देश में और प्रदेश में नम्बर–1 की आवश्यकता है, चाहे जल स्तर नीचे गिरने की बात हो या नहरों के किनारे वाटर लेविल ऊपर हो गया हो, उसको कंम करने की बात हो, इसके बारे में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है । तो कैसे उत्पादकता बढ़ायेंगे ? न तो आपने रि-चार्जिग के बारे में आपने कहा है । जो पिछले साल का बजट था उसमें साढ़े चौतीस करोड़ रुपया कम रखा है । कृषि विपणन के बारे में जो पिछले साल का बजट था उससे एक करोड़ 63 लाख 36 हजार रुपया कम रखा है । पर्वतीय क्षेत्र में एग्रीकल्चर की दिशा में कुछ कमी हो सकी है । पिछले साल का जो बजट था उससे 17 करोड़ 58 लाख की कमी रखी गयी है तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो बजट आपने रखा है वह घाटे का बजट है वह 92 करोड़ 56 लाख 11 हजार कम का रखा है । तो क्या इसी के माध्यम से उत्पादकता बढ़ायेंगे । मान्यवर, यह जरूरी है कि उन्नतिशील बीज हों और उन्नतिशील बीज के लिए जरूरी है अनुसंधान हो । आज इस देश में कृषि वैज्ञानिक और दूसरे वैज्ञानिक यह सोचने के लिए मजबूर हो गये हैं कि हमने 18 घंटे, 15 घंटे लैब में बैठकर काम किया तो उसके बदले में हमें देश और प्रदेश ने हमारे बच्चों को क्या दिया है ? उनकी स्प्रिट को कम न होने पाये इसके लिये आपने कुछ नहीं किया है । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । आज यह प्रदेश ऋण से ग्रसित है उससे उबरने के लिए केवल एक काम कर दीजिये कि 10 प्रतिशत एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस जो पैदा हो रहा है और सरकार से विपणन की जिम्मेदारी लिवा लें । इससे पन्द्रह साल के अन्दर जो 59 हजार करोड़ रुपये अगले साल ऋण होगा, मैंने हिसाब लगाकर देखा है । 100 करोड़ रुपया मिल सकता है और ऋण से मुक्त पा सकते हैं । मेरा निवेदन है कि आप एग्रोबेस इन्डस्ट्री पर जोर दें तो किसान की उपज की खपत होगी और उसको लाभकारी मूल्य मिल सकता है आज दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कृषि मैत्री के रूप में इस बजट को प्रस्तुत किया है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कृषि की जो रीढ़ हैं वह महिलाएं हैं । महिलाएं ही धान की रोपाई करती है, उसकी निराई करती हैं और गेहूं कटाई का काम करती हैं । ऐसी श्रम देवियां, जिनकी बदौलत हम लोग बारीक चावल खाते हैं, अगर वह इस काम को करना बन्द कर दें तो हमें नहीं मिलेगा अगर उनके हित के लिए कोई घोषणा माननीय मंत्री जी करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा । वह पानी में घुस कर धान की रोपाई करती हैं । तपती दोपहरी में गेंहू की कटाई करती हैं । अगर उनकी भलाई के लिए कोई योजना की घोषणा माननीय मंत्री जी करते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा । माननीय मंत्री जी ने इस बजट में कुछ कमी कर दी है जितने कार्य किसानों के कल्याण के लिए होने चाहिए वह नहीं हो पायेंगे, इसलिए मजबूरन मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राजधारी –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने बजट में कृषि के विकास के लिए जो इच्छा शक्ति और संकल्प प्रकट किया है और तमाम योजनाओं का जिक्र किया निश्चित रूप से बजट सराहनीय है । हमारा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की 80 प्रतिशत जनता कृषि के कार्मों में लगी रहती है इसलिए कृषि विभाग हमारे विकास की रीढ़ है । इसलिए कृषि का विकास कैसे हो, माननीय मंत्री जी ने जो कार्यक्रम पेश किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है ।

चाहे वह खेती का हो, चाहे बीज का हो और चाहे सिंचाई के साधनों का हो, माननीय कृषि मंत्री जी ने सिंचाई का प्रतिशत बताया है कि भारत का सिंचाई का प्रतिशत 33.1 है और उत्तर प्रदेश का 6 प्रतिशत है, लेकिन हमारे देश के जो दूर सूबे हैं चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो उनकी सिंचाई क प्रतिशत 93 या 80 प्रतिशत है। सिंचाई को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है। हमारे प्रदेश में बहुत सी जमीन परती के रूप में पड़ी है। माननीय मंत्री जी ने उन जमीनों को जो अनुपयोगी है उनमें पैदावार करने के लिए तमाम भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया है वैज्ञानिक रूप में प्रयोग करने का जो सुझाव दिया है, निश्चित रूप से सराहनीय है।

(समय 6 बजकर 30 मिनट)

गांव-गांव में जो किसान मित्र केन्द्र खोले हैं उनसे किसानों के अन्दर अच्छी पैदावार बढ़ाने की प्रेरणा सरकार ने दी है इससे निश्चित रूप से किसान का फायदा होगा। अब तक किसान बिना मिट्टी का परीक्षण किये कि उसकी मिट्टी किस पैदावार के योग्य है। खेती करता था जिससे उसकी खेती की उपज का सही लाभ नहीं मिलता था सरकार ने मृदा परीक्षण की तमाम सुविधायें किसान को प्रदान की है अब उसको मालूम है कि उसकी खेत की मिट्टी किस फसल के और किस खाद के योग्य है जिससे अधिक पैदावार हो सके।

माननीय कृषि मंत्री ने खादों के प्रयोग की तरफ भी चिन्ता व्यक्त की है। यह हमारे और प्रदेश व देश के लिए चिन्तनीय बिन्दु है। क्योंकि आज जिस कदर किसान रसायनिक खादों की तरफ भाग रहा है उससे खेत, ऊसर होने की दिशा की तरफ है और उर्वरक शक्ति कम होने का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए सरकार ने गोबर और हरी खादों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाई है, यह एक सराहनीय कार्य है। खेती की पैदावार अच्छी होने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं का वितरण आवश्यक है। जैसा मा० मंत्री जी ने बताया है कि कीटनाशक दवाओं के मिश्रण में कई दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। हम चाहेंगे कि बीज और खाद में जो मिलावट हो रही है उसके लिए बड़े पैमाने पर छापे मारे जाये। किसान को ठीक और सस्ते बीज मिले तो कृषि उत्पादन बढ़ सकता है। इस प्रकार की मिलावट पर अंकुश लगाया जाय। तो हमारा कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

भूमि संरक्षण के बारे में पक्ष व विपक्ष दोनों तरफ से चिन्ता व्यक्त की गयी है। जनपद स्तर पर मिल रही है कि खाद के बाद भूमि संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपया गरीब किसानों का खा लिया है। इस तरह की घटनाएं पिछली सरकारों में, भूमि संरक्षण के नाम पर बरबादी हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। भूमि संरक्षण के काम को विशेष रूप से चलाया जाये।

कृषि मंडी समिति के बारे में पक्ष व विपक्ष के साथियों ने चिन्ता व्यक्त की है। यहां पर कृषि मंडी समिति का जो कार्यालय है वहां मुझे भी देखने को मिला, उ० प्र० कृषि मंडी कार्यालय इतना भव्य बना है उतना भव्य कोई दफ्तर नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि किसान समिति का इतना भव्य कार्यालय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। कृषि मंडी समिति का मुख्य कार्य किसानों को उचित मूल्य दिलाना है, पिछले दिनों कृषि मंडी समिति द्वारा किसानों के विपरण की ओर ध्यान न देकर सड़क और हैण्डपम्प लगाने पर विशेष ध्यान दिया, जो इसकी मूल भावना रही है जिससे हटकर यह काम किया है। मा० कृषि मंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया है कि वह कोई हैण्डपम्प लगाने में कोई प्राथमिकता नहीं देंगे बल्कि कृषि विपरण में विशेष ध्यान देंगे।

जल संरक्षण के बारे में यहां चर्चा हुई, वर्मा जी ने निश्चित रूप से आशंका व्यक्त की है कि आने वाले समय में वाटर मैनेजमैन्ट की भीषण समस्या है। पूरे प्रदेश में जल संभरण की समस्या निश्चित रूप से एक चुनौती है। मा० कृषि मंत्री जी ने कृषि समस्या को भी विशेष रूप से दिमाग में रखा है।

उसको रि-आर्गनाइज करने के लिये विशेष रूप से कार्यक्रम बनाया जिससे बांदा और बुन्देलखण्ड में भूमि संरक्षण और जल संरक्षण का कार्य चलाया जा रहा है जिससे निश्चित रूप से वाटर मैनेजमेन्ट की समस्या है, इस प्रकार की योजनाओं से उसमें कमी आयेगी और आने वाले दिनों में जो हमारे प्रदेश के पानी के श्रोतों की सूखने की समस्या दूर होगी । मंत्री जी ने अच्छे सुझावों द्वारा अच्छी इच्छा शक्ति द्वारा ऐसे कदम उठाये हैं जिससे इस प्रदेश के किसानों की पैदावार बढ़ेगी । मैं उनके बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० कौशल किशोर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आज कृषि का बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है और इस पर माननीय सदस्य लालजी वर्मा ने कटौती का प्रस्ताव रखा है तो मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं और इस बजट का विरोध कर रहा हूं । मान्यवर, कृषि भूमि का क्षरण लगातार हो रहा है । कृषि भूमि की उपजाऊ परत जो है वह बहकर नदियों में जा रही है इसके साथ ही जल स्तर नीचे जा रहा है । इन चीजों को रोकने के लिये कई इकाइयां कार्यरत हैं। मेड़बन्दी करके, बन्धे बनाकर, चक मार्ग बनाकर इस भूमिक्षरण को रोका जा रहा है । मेरे जनपद में चार इकाईयां कार्यरत हैं, भूमि संरक्षण जिला योजना इकाई, भूमि संरक्षण गोमती, भूमि संरक्षण डी० पी० ए० पी०, भूमि संरक्षण गंगा कावेरी । मान्यवर, यह इकाईयां यदि सही तरीके से काम करें और जो पैसा दिया जा रहा है उसका उपयोग हो उसमें हेराफेरी न हो तो निश्चित रूप से भूमि का सुधार हो जायेगा । लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जनपद में जो भूमि संरक्षण डी० पी० ए० पी० इकाई कार्यरत थी, उसको हमारे जिले से स्थानान्तरित कर दिया गया है और पूरी की पूरी इकाई बाहर भेज दी गयी है निश्चित रूप से इससे हमारे जिले के कार्य में बाधा पड़ेगी । यह इकाई अपेक्षाकृत अच्छा काम कर रही थी मेरी समझ में नहीं आता कि अच्छा काम करने वाली इकाई को क्यों भगा दिया गया यह मेरी समझ से परे है । मान्यवर, भूमि का जल स्तर गिर रहा है । भूमि में ट्यूबवेलों से पानी निकालते-निकालते जल स्तर बहुत नीचे चला गया है । इसलिये आज भूमि को चार्ज करने की आवश्यकता है । बरसात का जो पानी है उसके लिये बन्धे बनाकर, मेड़बन्दी करके, चकरोड बनाकर और गांव में तालाब बनाकर इस पानी को बहने से रोक दिया जाय तो वह सोखेगा, पानी नहीं बहेगा और जलस्तर ऊपर उठ जायेगा । मान्यवर, अगर मोटर की बैटरी चलती रहे और डायनमों से चार्ज न हो तो थोड़े समय के बाद वह बैटरी बेकार हो जायेगी इसी तरह से धरती है । अगर इसको चार्ज न किया गया तो यह पानी विहीन हो जायेगी इसलिये आवश्यक है कि वह जो चार इकाइयां कार्य कर रही हैं इनको जो भी पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है अगर उस पैसे का सही तरह से उपयोग किया जायेगा तो धरती का जलस्तर नीचे नहीं जायेगा ।

इसी तरह से मण्डी परिषद् है । जब कृषकों का शोषण हो रहा था तो किसानों को शोषण से बचाने के लिये, व्यापारियों, आढ़तियों के चुंगुल से बचाने के लिये इसकी स्थापना की गई थी लेकिन आज इस भावना के विपरीत कार्य हो रहा है । आज कृषक माल लेकर जाता है तो उसका शोषण होता है । जब तक मण्डी परिषद् में चुनाव होते थे, जन प्रतिनिधि मैनेज करते थे तब तक इसमें किसानों का शोषण भी नहीं होता था और इसकी आमदनी से कुछ काम होते थे । शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये इंडिया मार्का नल लगते थे । मण्डी परिषद् तक माल ले जाने में असुविधा न हो इस दृष्टि से मण्डी परिषद् तक सड़कों को जोड़ने की योजना थी । यह दोनों कार्य ब्यूरोक्रेट के आ जाने से नहीं हो पा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कौशल जी आपकी बातें आ गई हैं । जो रह गई हों उसे जरा संक्षेप में एक मिनट में कह दें ।

डा० कौशल किशोर–

एक मिनट और लूंगा मान्यवर, कोशिश कर रहा हूं और संक्षेप में अपने बिन्दु रख रहा हूं । मान्यवर, काश्तकारों को एक निरीह प्राणी बना दिया गया है । वह माल लेकर मंडी में जाता है लेकिन

उसके माल का दाम व्यापारी बतायेगा, वह नहीं बता सकता है। हर तरह से माल का दाम व्यापारी ही तय करेगा। हर चीज में व्यापारी फायदे में रहते है। फैक्टरियां माल बनाती हैं और दाम तय करती हैं लेकिन जब फसल हम पैदा करते हैं तो दाम व्यापारी लगाता है जो गन्ने के बारे में जानता है, न धान, न गेहूं के बारे में। भूमि से उसका दूर-दूर तक संबंध नहीं है। कृषि उत्पाद के दामों को तय करने का अधिकार हमको होना चाहिये पैदादार हमने की है तो दाम तय करने का अधिकार भी हमारा होना चाहिये। हमारा जिला धान की खरीद में अव्वंल आया है परन्तु एक क्विंटल भी नहीं खरीदा गया, गेहूं भी व्यापारियों से खरीदा गया, किसानों से नहीं। मान्यवर, यह स्थिति चलती रही तो बेचारा किसान सूख जायेगा और जब वह सूख जायेगा तो शहर के लोग जो खुशी हैं कि हम उसको चूस लेंगे। मान्यवर, आज अगर उसके पास पैसा होगा तो निश्चित रूप से वह शहर में माल खरीदने आयेगा तब जाकर शहर वालों के घर में गुलगुले बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री मुरलीधर–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, विद्वान लालजी वर्मा द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी द्वारा जो कृषि का बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं चन्द बातें सुझाव के तौर पर आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। इनकी कृषि नीति पूरी तरह से दोषपूर्ण है। जहां गन्ना पैदा होता है वहां गन्ना मिल नहीं है, जहां आलू पैदा होता है वहां आलू का कोल्ड स्टोरेज नहीं है। फतेहपुर में गन्ना अधिक मात्रा में पैदा होता है लेकिन चीनी मिल न होने के कारण किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। वहां पर एक सोसायटी का कोल्ड स्टोर है लेकिन सत्ता पक्ष के एक केबिनेट मंत्री हैं जिनका कोल्ड स्टोरेज चल रहा है। एक बहुत बड़े जमींदार हैं उनका कोल्ड स्टोर चल रहा है। उन्हीं की देखरेख में एक सोसायटी का कोल्ड स्टोरेज चल रहा है जो पूर्णतया बन्द है। इनकी मंशा है कि यह न चले। मैं मांग करता हूं कि किसानों के हित में उसको चालू किया जाए। फतेहपुर जनपद में सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दरौली पम्प कैनाल बहन मायावती जी द्वारा स्वीकृत हुई थी लेकिन इस सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जिसमें किसनपुर विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह से असिंचित है। खाद का जिन लोगों को लाइसेंस मिला है। अगर उनका निरीक्षण किया जाए तो पता चलेगा कि उसमें कितनी मिलावट है। सोसायटी की जो खाद होती है उसमें किसान खाद लेता नहीं है लेकिन उसके नाम खाद चढ़ जाती है। यह सब सत्तापक्ष के इशारे पर हो रहा है। जब रिकवरी के लिए उसके पास खरीद जाती है तब गरीब किसान को पता चलता है कि उसके नाम किसी ने खाद निकाल ली है। इसका आपकी देखरेख में पर्दाफाश होना चाहिए। जहां तक बिजली की बात है पूरे फतेहपुर जनपद में बिजली की समस्या है। दाता में पावर हाउस स्थापित किया गया है। एक साल हो गए लेकिन एक साल से उसका विद्युत कनेक्शन नहीं हो रहा है। किसनपुर पम्प कैनाल का एक बूंद पानी फतेहपुर जनपद में नहीं जाता है। उस नहर से छोटी-छोटी नहरें निकलवाने की व्यवस्था की जाए जिससे छोटे-छोटे करीब एक लाख किसानों का फायदा हो सके यह बजट बड़े-बड़े जमींदारों का बजट है गरीब किसानों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। लघु किसान, सीमान्त किसानों के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक सींच कूप योजना चाल रही है। जिसमें अनुसूचित जातियों के लिये सींच कूप बनाया जा रहा है। उस योजना को रोक दिया गया है। सत्ता पक्ष के एक विधायक हैं फतेहपुर के मैंने उनके क्षत्र में निरीक्षण कराया तो केवल 5 कुएं बन रहे थे जब निरीक्षण कराया तो पूरे के पूरे कुएं ठाकुर विरादरी वालों के चक में बनाए गए। उसका पर्दाफाश हो गया लेकिन इस संबंध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जो किसान धान पैदा करता है उसको कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अच्छे बीज नहीं उपलब्ध हो पाते हैं अच्छी खाद नहीं मिल पाती है जिसके कारण कृषि का विस्तार नहीं हो पा रहा है । आप निरीक्षण कराएं तो किसी किसान के घर में खाद्यान्न नहीं मिलेगा लेकिन बनिया के घर पर खाद्यान्न भरा मिलेगा । गेहूं क्रय केन्द्रों पर कोई देने के लिए तैयार नहीं है । बनियां के स्टोर भरे पड़े हैं । पूरे यू० पी० के क्षेत्रफल में 70 फीसदी कृषि होती है । 30 प्रतिशत जमीन कृषि योग्य पड़ी है । इस पर बड़े-बड़े जमीदार लोग कब्जा किए हुए हैं । इसको गरीब लोगों को भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि जो कृषि वास्तव में कर सकते हैं उनको लाभ मिल सके । बड़े-बड़े जमीदार जिनके पास जमीनें हैं वह छाता लगाकर खेत तक जाते हैं और लौट आते हैं उनसे कृषि कार्य नहीं हो सकता है दूसरी तरफ गरीब मजदूर जो वास्तव में कृषि कर सकता है उसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन मिलना चाहिए । जो ग्राम समाज की भूमि है वह जमीनें पिछड़े दलित लोगों को आवंटित की जाएं जिससे कृषि में उपज बढ़ सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री लाल जी वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री भरत सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । माननीय कृषिमंत्री जी ने अभी जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । उत्तर प्रदेश के 75 से 80 फीसदी लोग गांवों में बसते हैं और उनकी जीविका का मुख्य साधन खेती है । आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह एवं कृषि मंत्री माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो कृषि का बजट प्रस्तुत किया है, उसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया है । माननीय कृषि मंत्री ने बंजर भूमि का सुधार करने के लिए तथा ऊसर भूमि को उर्वर बनाने के लिए जो इन्होंने प्राविधान किया है इसके लिए बधाई के पात्र हैं । कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से किसानों को खेती के नई तकनीक की जानकारी देने तथा नये किस्म के बीजों का प्रयोग करने तथा उसके प्रसार के लिए जो प्राविधान किया गया है मैं उसकी सराहना करता हूं । पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा के सुदृढ़ीकरण के लिए जो 25 लाख रुपये का प्राविधान किया है , यह बहुत ही सराहनीय कदम है । महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता । अभी कृषि मंत्री जी ने जो स्पष्ट घोषणा की है कि मण्डी परिषद की तरफ से हैण्ड पाइप नहीं लगाये जाये । मान्यवर, अच्छा होता अगर पूर्व कृषिमंत्री जी हम लोगों के बीच रहते । अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री बी० आर० वर्मा जी ने बड़े आंकड़े प्रस्तुत किये कि इसमें इतना कम हो गया, इसमें इतना कम हो गया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे कृषिमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट रखा है । क्या हुआ उस बजट का और वह मंडी परिषद् का अरबों रुपया कहां गया ? मैं तो कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मंडी परिषद् के माध्यम से किसानों को खाद, बीज के वितरण की व्यवस्था होनी चाहिये । अभी तक ठेकेदारों की सुविधा के लिये, पूंजीपतियों की सुविधा के लिये सड़कें बनाने का काम हो रहा था, हमारे यहां ऐसी-ऐसी सड़कें निर्माण कराई गई, जिसमें एक वर्ग मी० में दो-दो गिट्टी के टुकड़े देखे गये । वर्तमान सरकार से मैं चाहूंगा कि पिछले दिनों मंडी परिषद् में जो अरबों रुपये का घोटाला हुआ है, उसकी जांच कराकर वह रुपया प्राप्त किया जाय और दोषी लोगों को दंडित किया जाय तथा वह रुपया वापस प्राप्त कर कृषि क्षेत्र में लगाया जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आज यह घोषणा की है कि कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में सामंजस्य बिठाया जायेगा, इससे पहले कभी दोनों चीजों में सामजंस्य नहीं रखा गया, अब इसका लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा ।

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान अपने बलिया जनपद की एक छोटी सी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं । बलिया में एक मंडी समिति है और बलिया से 50 कि०मी० दूर मेरा विधान सभा क्षेत्र है, जहां रानीगंज मंडी उपसमिति है, मैं मांग करता हूं कि इस मंडी उप समिति को मंडी

समिति में परिवर्तित कर दिया जाय । मान्यवर, यह आज हम लोगों का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश के किसानों का सौभाग्य है कि आप जैसे कृषि मंत्री के रूप में हमें व्यक्ति मिला है । पिछले दिनों जिला कृषि अधिकारी और भूमि संरक्षण अधिकारी ने जिस प्रकार से काम किया है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, जयहिन्द ।

(इस समय 7.00 बजे अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पुनः पीठासीन हुए ।)

* मा० छोटे लाल गंगावार –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय लालजी वर्मा द्वारा कृषि विभाग के बजट पर की गई कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, प्रदेश की 72.5 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है । कृषि का विकास तभी होगा जब 72.5 प्रतिशत जनता का विकास होगा । 27.5 प्रतिशत जनता के विकास समूचे प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है । मान्यवर, किसान का विकास तभी होगा जब किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे, अच्छा बीज होगा, अच्छी खाद मिलेगी । आज प्रदेश के सामने समस्या यह है कि इस समय धान की रोपाई हो रही है और खाद के गोदामों में फास्फोरस खाद नहीं है । सिंचाई की व्यवस्था नहीं है । बिजली की कमी के कारण ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे है । नहरों का रख-रखाव खराब है और कहीं नहरें कट जाती हैं तो कोई देखने वाला नहीं है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में गुलरिया लेखराज व माधौपुर के बीच डेढ़ माह से नहर कटी हुई है और नहर विभाग के लोगों ने उसे बंधवाया नहीं है । इसी तरह से हमारे क्षेत्र में बीजामऊ व सैदपुर में नहरों के कटने से सैकड़ों किसानों का गेहूं बरबाद हो गया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होगी, खाद की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होगी, अच्छा बीज नहीं मिलेगा, खेतों की तरक्की नहीं होगी । तो इस प्रदेश की 72.5 प्रतिशत जनता की तरक्की नहीं होगी । इस बजट में सरकार ने यह नहीं बताया है कि कितने ट्यूबवेलों को लगायेंगे, कितनी नयी नहरें बनायेंगे और कितने गांवों के निजी ट्यूबवेलों को बिजली देंगे ? इसकी कोई व्यवस्था बजट में नहीं है । जिससे यह समझा जाय कि यह बजट जनप्रिय है । मान्यवर, अब पानी की समस्या है । नहर वाले नहर भी नहीं बांधते है, उल्टे लगान किसानों पर लगाते हैं । इसके उपचार की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है । हमारे यहां जनपद बरेली में लगभग 25 प्रतिशत किसानों के ऊपर कोआपरेटिव का फर्जी ऋण लगा हुआ है, उसे दिखवायें कृषि विभाग की बहुत भारी मशीनरी है लेकिन आज भी चाहे प्रसार अधिकारी हों, खण्ड विकास अधिकारी हों, या जिला कृषि अधिकारी हों, 25 प्रतिशत से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्होंने इनके दर्शन नहीं किये होंगे । जो यह बतायें कि यह धान बोना चाहिए इसमें इतनी खाद लगनी चाहिए, बीमारी लगे तो यह कीटनाशक दवायें देनी चाहिए । इसका बजट में कहीं प्राविधान नहीं है ? हमारे यहां तहसील नवाबगंज, बरेली में बीज प्रमाणीकरण और प्रदर्शन की संस्था है । सरकारी अधिकारियों की साजिश के तहत वह विलवा फार्म पर कर ली गई, जहां पर कि प्रदर्शन नहीं दिखाया जा सकता । क्योंकि मिट्टी उस तरह की नहीं है । विलवा करने से वह महा नगर की सीमाओं में आ गई । इससे शहरी भत्ता आवासीय भत्ता बनेगा लेकिन वहां जो करोड़ों रुपये की इमारत बनी हुई है, नवाबगंज के अन्तर्गत वह खाली पड़ी हुई है । लोग उसकी ईंटें उखाड़ रहे हैं । बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश हैं कि जिस मण्डी समिति में पैसा आयेगा उसी मण्डी समिति में 75 प्रतिशत रुपया खर्च करेंगे । नवाबगंज उप मण्डी स्थल से दो साल के अन्दर लगभग डेढ़ करोड़ रुपया आ गया है लेकिन मेरे क्षेत्र में एक पैसे का काम नहीं हुआ है . जनवरी, 97 में जिलाधिकारी मण्डी के सभापति और सचिव के माध्यम से सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए मण्डी डायरेक्टर के यहां प्रस्ताव भेजे गये थे आज तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वीकृति नहीं मिली है । हाई कोर्ट के आदेश का पालन इस तरह से सरकार ही नहीं कर रही है । इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ददूू प्रसाद–

मान्यवर, मैं माननीय लालजी वर्मा द्वारा कृषि विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मंत्री जी ने बताया कि 72 प्रतिशत जनता प्रदेश की खेती के काम में लगी है । खेती के काम में किसी खूबी के कारण नहीं लगी है बल्कि मजबूरी में लगी है । क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में जाने का मौक़ा उपलब्ध नहीं है । हमारे देश और प्रदेश को नियोजित करने की कोई सही नीति नहीं बनाई गई है । मान्यवर, यह परम्परावादी सरकार है । परिवर्तन विरोधी है । इसलिए उम्मीद नहीं है कि कोई परिवर्तन ला सकेंगे, कृषि में मान्यवर, मिल में जो चीज बनती है उसके मूल्य का निर्धारण मालिक करता है । पर जो किसान उपज करता है, उसको मूल्य निर्धारक वह नहीं कर सकता । किसान को जब तक उपज का लाभकारी मूल्य हम नहीं दिला पायेंगे, कृषि को हम एक लाभकारी पेशे के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते । हमारे यहां जो खेती करता है, उसको किसान नहीं कहा जा सकता । जो खेती करवाता है, वह किसान नम्बरदार होता है, जो खेती करता है, वह खेतिहर मजदूर होता है । कृषि को सही दिशा देने के लिए जरूरी है कि खेती करने वाला खेतों का मालिक हो सके । मान्यवर, जब तक हम किसानों को प्रशिक्षित करके वैज्ञानिक खेती के बारे में उसे बताकर खेती के कार्य को विकसित नहीं करायेंगे तब तक उम्मीद नहीं कर सकते कि कृषि एक विकसित रूप में हमारे सामने आयेगी ।

(इस समय 7 बजकर 8 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरीशंकर एडवोकेट पुनः पीठासीन हुए ।)

आपने जो किसान सहायक नियुक्त किये हैं, वह किसानों की कोई मदद नहीं करते । किसान जब खेती बोने जाता है तो उसकी मुहूर्त क्या हो, उसके लिए वह पंडित जी के पास जाता है पूछने के लिये, जिन्हें उसका ज्ञान नहीं है । वह बता देते हैं कि आज फलां नक्षत्र है और आज फलां पंचक है । आज बुआई के लिए समय ठीक नहीं है । उस संस्कृति को यह सरकार आदर्श मानती है, उन पूरी परम्पराओं का यह सरकार खण्डन नहीं करती । इन्हीं पूरी परम्पराओं के कारण आज हमारी यह दुर्दशा है । आज किसानों को प्रशिक्षित करने तथा वैज्ञानिक आधार पर कृषि करने की आवश्यकता है । कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा तभी किसानों को लाभकारी मूल्य मिल पायेगा । आज 72 प्रतिशत किसान मजबूरी वश खेती कर रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी को 7.30 बजे अपना उत्तर भाषण भी शुरू करना है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग को एक अनुभवी एवम् प्रभावी मंत्री के हाथ में दिया, इससे पता चलता है किसानों के हितों की तरफ उनका कितना ध्यान है । दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । पहला, मेरे कानपुर विधान सभा क्षेत्र में 10–15 साल से मण्डी समिति का भवन खड़ा है परन्तु आबाद नहीं है । दुकानें हैं, बड़े-बड़े शेड्स हैं . जहां राजस्व की हानि हो रही है, वहीं इसका प्रांगण भी क्षतिग्रस्त हो गया है । इसलिये इस विषय को महत्वपूर्ण मानकर आप एक निर्णायक कदम उठायें ताकि जल्दी से जल्दी मंडी समिति इसमें स्थानान्तरित हो सके । दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है, मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय जो चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । मान्यवर, मैं भी वहां के प्रबन्ध मंडल का सदस्य इस सदन की तरफ से नामित हूं और अपने दायित्वों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध मंडल की 104वीं बैठक में, मेरी पहली बैठक थी, सम्मिलित हुआ था । मान्यवर, मैं बड़ी

ार्मनाक स्थिति की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इतनी उच्च स्तरीय बैठक के मिनट्स जिसका कि अपने में बहुत अधिक महत्व होता है, उसको बदल दिया गया। प्रबन्ध मंडल के विचार-विमर्श में कहीं कोई अन्तर आया होता यह तो बात समझ में आती लेकिन, मान्यवर, आपने यह नहीं सुना होगा कि किसी ग्राम पंचायत की कार्यवाही बदल दी गयी, लेकिन चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की 104वीं बैठक की कार्यवाही बदल दी गयी और जब 105वीं कार्यवाही की सूचना आयी और 104वीं बैठक की मिनट्स आया तब मैंने यह देखा। मान्यवर, कुछ नोट था और कुछ स्मृति में अंकित था, जब यह बात सामने आयी तो मैंने 15-12-98 को यह आपत्ति बी० सी० महोदय को दी और प्रबन्ध मंडल के सारे सदस्यों को एक पत्र सरक्यूलेट किया। फिर 105वीं बैठक में कोई कार्यवाही नहीं हुई जो 104वीं बैठक की योजना पूर्वक मिनट्स बदला गया था उसका संशोधन करके ठीक किया गया और सर्वसम्मति से जिसमें बी० सी० महोदय ने स्वीकार किया कि यह गलती हो गयी थी। मान्यवर, अब मैं प्रबन्ध मंडल के निर्णयों की विश्वविद्यालय के ऐक्ट दुर्दशा क्यों है यह मैं बताना चाहता हूं ? मान्यवर, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय आज देश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। यहां पर बड़ी मात्रा में घोटाला है, भ्रष्टाचार है और इतनी अनियमितता है कि शर्म से सर झुक जाता है। मान्यवर, कुछ इस तरह की शिकायतें शासन के पास आयी हैं माननीय मंत्री जी जब अपने उत्तर भाषण देंगे तो मैं अपेक्षा करूंगा कि जितने गम्भीर वह हैं उसी गम्भीरता से प्रभावी उच्च स्तरीय जांच के आदेश देंगे और विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा हो जाये और लाखों करोड़ों किसानों का जो अहित हो रहा है उसका संरक्षण हो सके इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका जी आपने दो तीन लोगों की सूची रखी है और आपको भी शायद बोलना हो, लेकिन हमें 7.30 बजे चर्चा समाप्त करनी है।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नाम दिये गये हैं, उनमें मेजर जे० पी० सिंह का नाम गया है, उनको भी अवसर दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

बहुत सारे साथी हैं जो इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं, लेकिन 7.30 बजे समाप्त करने के लिए नियम है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जिस समय निर्देश दे रहे हैं यह शिरोधार्य है। 7.30 पर चर्चा समाप्त हो जायेगी, लेकिन 7.24 मिनट हो रहे हैं और केवल 6 मिनट बाकी है। माननीय मंत्री जी का उत्तर आना है। 6 से ज्यादा सदस्य आपके समुख खड़े हैं। कृषि जैसा विभाग है। यह पूरा प्रदेश कृषि पर आधारित है। कृपा कर कम-कम समय ही दे दें। जिससे उनकी बातें आ जायं।

श्री अधिष्ठाता–

आप की सूची में श्री धर्मज्ञ मिश्र का नाम शेष है और फिर जगदीश नारायण जी का नाम है।

श्री जगदीश नारायण मुन्ना–

आज मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के किसानों की आंख लगी हुई है, कृषि विभाग का बजट पेश होने जा रहा है। मुझे खुशी थी कि किसानों के कल्याण की योजनाएं बजट में आयेंगी। लेकिन बजट देख कर दुख हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश की इसमें उपेक्षा की गई है मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है अच्छा होता अगर बजट भाषण में स्वर्गीय गहमरी के शब्दों को याद किया गया होता। पटेल आयोग की संस्तुतियां बहुत पहले की गई थी और उस पर एक भी बात नहीं कही गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पटेल आयोग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बना था उस पर भी कुछ कहा गया होता तो ठीक था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि का क्षेत्रफल है, वह बहुत कम

है । मान्यवर, मैं जौनपुर के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । वहां पर एक कृषि वर्कशाप बनाया गया था, वह बन्द कर दिया गया है, वह बजट के अभाव में बन्द कर दिया गया है । उसकी बिल्डिंग, उसकी मशीनरी करोड़ों रुपये की वहां पर पड़ी है, उसको लेकर अगर एग्रो को सौंप दिया जाय तो उसका प्रयोग विकास के कार्यों के लिए हो सकता है । उससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं जो बजट भाषण में नहीं कही गयी है, वह यह है खरपतवार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।

माननीय मंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है । जब उत्तर भाषण दें तो उसका जिक्र अवश्य करें कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को निर्देश दिया जायेगा । आज ऐसे-ऐसे खरपतवार पैदा हो रहे हैं जिनको बुजुर्ग लोग भी नहीं पहचान पा रहे हैं ।

तराई बीज निगम एक अच्छी संस्था है, मैं उसका सदस्य रहा हूं । मैं खुद किसान हूं । मेरे जनपद में उसका कोई कार्यालय नहीं है कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है । उसका जो बजट 1951-97 तक था वही आज है । कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । 6.72 से शुरू हुआ और आज 7 तक आया है । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि तराई बीज निगम की तरफ विशेष ध्यान दे । आज जो कृषि विभाग में भ्रष्टाचार है उसको रोका जाये । रसायनिक खाद अच्छे बीज आदि के लिए व्यवस्था की जाये जो इनमें मिलावट करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाये ।

आपने एग्रो विभाग के बारे में कहा है कि यह प्रोगरेस कर रहा है अच्छी बात है मैं बधाई दूंगा । लेकिन एग्रो की शाखायें ब्लाक स्तर पर खुलवा दें । और निर्धारित कर दे, हफ्ते में भले ही एक ही दिन हो उसका समय निर्धारण कर दें । जिससे किसानों को बहुत सुविधा होगी । मैं इन शब्दों के साथ कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मैं कृषि विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, कृषि विभाग पर काफी चर्चा चली है । यह बजट किसान विरोधी है । मा० कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि पैदावार दुगुनी करेंगे । तो कहां से दुगनी करेंगे । उसके लिए आपने कौन सी योजना बनाई है । आपके जितने कर्मचारी हैं । कभी भी कृषकों के पास वे नहीं जाते हैं । सब कर्मचारी अधिकारी हो गये हैं । किस प्रकार की मिट्टी किस उपज के लिए अच्छी है, कौन से बीज का प्रयोग किया जाये, कौन सी खाद दी जाये, उसको बताने के लिए नहीं जाते है । उसकी व्यवस्था ब्लाक लेबिल पर कुछ भी नहीं है । आपने कहा है कि फ्री बोरिंग करते हैं । कहीं भी फ्री बोरिंग नहीं होती है, खाली पाइप भेज देते हैं । इससे कृषकों का कोई फायदा नहीं होता है । उसको नुकसान ही हो रहा है । जो अनुदान है वह नकद मिलना चाहिए । ताकि वह स्वयं बोरिंग करा सकें । सरकार की तरफ से ट्यूबवेल बनाने की व्यवस्था नहीं है, हर ब्लाक के हर न्याय पंचायत पर एक-एक स्टेट ट्यूबवेल लगायें जायें । इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । एग्रो द्वारा खाद बांटने की व्यवस्था है । लेकिन तीन-तीन दिन तक लोग पड़े रहते हैं । लेकिन उनको खाद एवं बीज नहीं मिलते हैं । जो शोधित किये हुए बीज हैं उनका वितरण नहीं हो रहा है । हर ब्लाक पर, हर न्याय पंचायत पर से शोधित बीजों के वितरण की व्यवस्था कर दे तो पैदावार बढ़ सकती है । लेकिन उनको शोधित बीज न मिलने की वजह से किसानों की उपज नहीं बढ़ रही है । कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(समय 7 बजकर 30 मिनट)

मान्यवर, आपने मण्डी समिति की बात कही । हमारे यहां माधोगंज मण्डी समिति है वहां पर लाखों रुपया आता है लेकिन वह पैसा वहां पर नहीं खर्च हो रहा है । हमने 301 में सूचना डाली लेकिन वहां पर सड़कें नहीं बन रही है और न हैण्ड पाइप लग रहा है । पिछले कृषि मंत्री ने आदेश दिया था कि वहां पर 100 हैण्डपाइप लगाये जायं लेकिन एक भी नहीं लगाया गया है । आज मण्डी समितियों में न

किसान के ठहरने की व्यवस्था है न पीने के पानी की व्यवस्था है न वहां पर पुलिस की व्यवस्था है और न स्टेट बैंक की शाखा खोली गयी है अरबों रुपया मण्डी समितियों की आमदनी होती है लेकिन मंडी समिति में न खर्च होकर दूरी जगह खर्च होती है।

मान्यवर, एक निदेशक राजाराम जी थे उन्होंने मण्डी समिति का एक करोड़ रुपया अपने ही ग्राम में लगवा दिया और अपने यहां सड़क बनवा दी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। मेरी मांग है कि मण्डी समितियों के विकास के लिए वहां सड़कें बनायी जाय। मान्यवर, मण्डी समिति द्वारा जो सड़कें बनायी जाती हैं वो इतनी खराब स्तर की होती है कि तीन महीने में टूट जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि मण्डी समिति द्वारा जितनी सड़कें बनायी जाती हैं उनमें एक पीपा तारकोल और गिट्टी डालकर लीपापोती कर दी गयी है। जितनी भी सड़के बनी हैं सब ध्वस्त हो गयी हैं उनकी जांच करायी जाय और जनहितके लिए, कृषकों के हित के लिए मण्डी समितियों द्वारा कार्य कराये जायें। वहां पर मण्डी समितियों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाय और पानी की टंकी बनायी जाय। मण्डी समितियों का सारा पैसा खाने-पीने में जा रहा है। मण्डी समितियों में बड़ा भारी घोटाला है वहां पर जो क्रय केन्द्र खोले गये हैं, जब मण्डी स्थल पर नहीं खोलना चाहिए थे। उनमें किसानों का शोषण हो रहा है किसानों का गेहूं रु० 450/–तक व्यापारियों ने ले लिया और फौरन उसी जगह रु० 510/–में क्रय केन्द्र पर बेंच दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानो के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सरकार आस्ट्रेलिया से 600–700/– रुपये में गेहूं खरीदती है और हमारे किसान का गेहूं 450/–रुपये तक खरीदा गया इस तरह से किसान के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है पापाचार हुआ है। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं। इस बजट में किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं है इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने कृषि बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया मैं इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है यहां पर अधिकतर किसान रहते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं –

किसानों को खेती के लिए खूब खाद चाहिए,
नये बीज, दवा पानी की इमदाद चाहिए,
सत्तर प्रतिशत किसान हैं परेशान देश में,
उनके उत्थान में नहीं विवाद चाहिए।

जैसा हमारे विरोध पक्ष के भाई करते हैं।

की जा रही किसानों की खूब बात बजट में,
सुविधाओं की हो रही है बरसात बजट में,
विद्वान अनुभवी किसान बेटे के द्वारा,
अन्धाधुन्ध बंट रही सौगात बजट में।

मान्यवर, हमारे विरोध पक्ष के भाई विवाद पैदा करके हमारे अच्छे कामों पर परदा डालने का प्रयास कर रहे हैं।

बातें विपक्ष की हमें लगती अजीब से,
देखा नहीं इन्होंने बजट को करीब से,
गरीब की यह सरकार है गरीबों के वास्ते,
नाता है इसीलिए बजट का गरीब से।

मान्यवर, यह किसानों के लिए, गरीबों के लिए विद्वान मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उसमें बहुत सी खूबियां हैं।

मण्डी समिति के जरिए खूब विकास हो रहा,
गांवों और नगरों के आस-पास हो रहा,
मण्डी में किसानों के आनाजों की कीमतें,
भरपूर मिलेंगी अब यह विश्वास हो रहा ।

खेती करायी जा रही ऊसर सुधार कर,
ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल सुधारकर,
अनुदान देकर उर्वरा शक्ति बढ़ा रहे,
पैदावार अब बढ़ा रहे हैं मंत्री दिवाकर ।
मान्यवर,
फसलों की सुरक्षा के लिये कृषि रक्षा इकाई,
रोगों से मुक्ति के लिये है मुफ्त दवाई,
है खाद बीज सर्व सुलभ सस्ता और असली,
सरकार ने अनुदान की है रकम बढ़ाई ।

लाया गया है यह बजट खूब सोच समझकर,
कुछ प्रश्न रह गये थे एक दम से उलझ कर,
पिछली सरकारें तो रहीं किसान विरोधी,
जनता थी मर रही यहां एकदम से कलस कर ।

मैं जानता था कि इस बजट में जो अच्छी बातें कही गई हैं उनको भुलाकर लोग इसमें बुराइयां ही खोजेंगे इसलिये मैं कह रहा हूं-

मैं सोच रहा था सभी बवाल करेंगे,
अच्छाइयों पर यह नहीं कभी ख्याल करेंगे,
निन्दक को नियरे राखिये के हम हैं समर्थक,
कुछ भी कहोगे हम नहीं मलाल करेंगे ।

सहयोग को भी आप समझते यहां बगावत है,
विकास कार्य में यहां किससे कौन अदावत है,
क्या करोगे पंकज अच्छों को बुरा कहना,
विपक्ष के लोगों की तो वही पुरानी अदावत ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मेरे जिले में .....

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। आपकी पूरी बात आ गई है।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय लालजी वर्मा द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, अगर नीयत साफ हो सरकार की, सरकार की तरफ से सही तरीके से खाद, पानी, बिजली, भण्डारण, बैंक और मार्केट की सुविधा मुहैया कर दी जाय तो मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जमीन इतनी उपजाऊ है, यहां का किसान इतना परिश्रमी है कि यह प्रदेश पूरे मुल्क को खिला सकने की क्षमता रखता है, पूरे मुल्क को सप्लाई

करने की क्षमता रखता है लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि खेद की बात यह है कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण यहां की पैदावार मुल्क में चौथे-पांचवें नम्बर पर है । हमारा प्रदेश हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक इन सब प्रदेशों से उत्पादकता में पीछे है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि परती भूमि को कृषि के तहत लाया जायेगा लेकिन मान्यवर, मैं बताना चहता हूं कि परती और ऊसर भूमि पर बड़े लोगों का कब्जा है । गुणवत्ता और उत्पादकता कैसे बढ़ेगी । हमारे प्रदेश की उत्पादकता अन्य प्रदेश पंजाब, तमिलनाडु से बहुत कम है हमारे प्रदेश में गेहूं जहां 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, पंजाब में 41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है । चावल जहां उत्तर प्रदेश में 21.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है पंजाब में 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है । माननीय मंत्री जी के बगल में तुलसीपुर बलरामपुर है वहां 50 किलो प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं पैदा हो रहा है । कैसे उत्पादन बढ़ जायेगा । मान्यवर, उत्पादन 420.6 मीट्रिक टन बताया गया है जबकि गत वर्ष 96-97 में खाद्यान्न की पैदावार 423.75 लाख मीट्रिक टन थी । वर्ष 1997-98 में 420.6 लाख मीट्रिक टन बताया गया यानि उत्पादन इस सरकार के आते आते गिरा है जो आज वर्तमान उपलब्धता है आज उत्तर प्रदेश में 240.29 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध है । आवश्यकता आज कितनी है । आज आबादी जोड़ ली जाय वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 14 करोड़ आबादी की वर्तमान में 16-17 करोड़ की आबादी होगी । एक आदमी के ऊपर एक दिन में तीन पाव अनाज खर्च हो तो कितना खर्च होगा । इसके अनुसार 450 लाख मि० टन अनाज की आवश्यकता होगी । हमारे यहां 450 लाख मी० टन के विपरीत पैदावार 420 लाख मी० टन पैदावार है इसलिये इस प्रदेश को दूसरे प्रदेशों पर निर्भर रहना पेड़ रहा है । कभी कभी कटोरा लेकर विदेशों से भी हाथ फैलाना पड़ता है । पैदावार के बारे में दूसरे सूबों पर नजर डाले । हरियाणा में 551.35 कि०ग्रा० प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के उपलब्धता है । पंजाब में 976.50 कि०ग्रा० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध है । हमारे प्रदेश में जितनी उपलब्धता है उसके दो-गुना-तीन गुना । हरियाणा पंजाब में उपलब्धता है । कृषि का 7 प्रतिशत विकास दर उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है । उसमें 5.1 प्रतिशत कृषि से प्राप्त होना है । पिछले सालों इसकी विकास दर दो प्रतिशत रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

जो बजट रखा है उससे 5.1 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना बहुत मुश्किल है बल्कि प्राप्त ही नहीं किया जा सकता इसलिये प्रदेश में अगर विकास दर बढ़ानी है तो कृषि का उत्पादन बढ़ानी होगा । इसके लिये कृषकों को ज्यादा सुविधायें देनी पड़ेगी । बजट में इसके लिये ज्यादा धन रखना होगा । इस प्रदेश में 70 प्रतिशत छोटे किसान हैं । 30 प्रतिशत बड़े कृषक हैं जो खेत की मेढ़ों तक नहीं जाते हैं । खेत नहीं पहचानते हैं उनके पास खेती है लेकिन जो खेती करने वाले हैं उनके पास खेत नहीं हैं । वहीं 70 प्रतिशत लोगों के पास जमीन नहीं है । इसके लिये भूमि सुधार के कानून बनना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

जो स्वयं खेती नहीं कर सकते हैं उसको खेती का अधिकार नहीं होना चाहिये । सरकारी फार्मों पर गेहूं का किसानों को लागत मूल्य 535 रुपया प्रति कुन्तल आंका गया है । जबकि कृषि फार्मों का अगर इस लागत मूल्य में सब बीज, खाद कर्मचारियों का वेतन मिलाकर जोड़ दिया जाय तो सब मिलकर 1500 रुपये प्रति कुन्तल पड़ेगा । इसके आधे के हिसाब से ही किसानों को गेहूं का मूल्य दिया जाय तो किसान खुशहाल और मालदार हो जाय । आज खाद में मिलावट हो रही है, बीज में मिलावट हो रही है कीटनाशक दवाओं में मिलावट हो रही है । आप धरपकड़ नहीं कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार की जो किसान विरोधी नीति है इसको आप देखें। दूसरे प्रदेशों में किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का किसान भी आज कर्ज से लद गया है। सरकार सेठों-साहूकारों की पक्षधर है अगर सरकार की ऐसी ही किसान विरोधी नीति रही तो किसान आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कैलाश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए श्री लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन किसानों को कोई सुविधा मुहैया नहीं करायी जा रही है। यह सरकार कहती है कि बजट का 70 प्रतिशत किसानों के ऊपर खर्च किया जायेगा तथा यह किसानों के उत्थान के लिये कृत संकल्प है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान और कृषि को बढ़ावा देने के लिये बिजली, पानी, बीज और खाद इसकी सबसे उत्तम व्यवस्था हो तभी कृषि की पैदावार बढ़ेगी। आज 50 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, किसान पानी के लिये तरस रहे हैं। इस सरकार के पास मेन्टीनेन्स मण्डी के लिये कोई पैसा नहीं है, ट्यूबवेल्स की कोई व्यवस्था इस सरकार द्वारा इस बजट में नहीं की गयी है, नहरों में पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन किसानों से उसकी वसूली की जाती है। यह सरकार अपने को किसानों का पक्षधर बताती है लेकिन मान्यवर, आज किसानों को घटिया खाद उपलब्ध हो रहा है, इनके कृषि अधिकारी दुकानदारों से मिले हुये हैं जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है, घटिया खाद व कीटनाशकों से पैदावार में कमी होती है। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। सत्तापक्ष हो या विपक्ष के माननीय सदस्यगण हों, आप उनसे पूछ लीजिये आज टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, ट्यूबवेल खराब हैं। सरकार किसान सेवक की बात करती है, किसान सेवक कितने दिन गांवों में जाते हैं, कितने किसानों से सम्पर्क करते हैं, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर यह सरकार वास्तव में किसानों की पक्षधर है तो इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। आज सरकार 70 फीसदी पैसा बजट का किसानों पर खर्च करने की बात करती है। मैं कहता हूं कि अगर असली किसानों को देखना है तो फार्मों में नहीं गांवों में जाइये, वहां आप देखेंगे कि किसानों की क्या दुर्दशा है ? गेहूं किसान पैदा करता है लेकिन उसके उत्पाद के भाव एअरकण्डीशन में बैठने वाले लोग तय करते हैं, उनको किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया सहयोग करें।

श्री कैलाश–

मान्यवर, यह सरकार मण्डी समिति की बात करती है, किसानों से मण्डी शुल्क वसूल किया जाता है। पहले इस मण्डी समिति द्वारा हैण्डपम्प व सड़क की व्यवस्था की जाती थी लेकिन इस सरकार ने इसको बन्द कर दिया। अगर किसी किस्म की अनियमितता हुई, भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांच करवा ली जाये, व्यवस्था परिवर्तन किया जाये, उसमें व्यवस्था बनायी जाये, यह सरकार का काम है लेकिन आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिलों से मण्डी शुल्क वसूला जाता है और वह सरकार के पास आता है लेकिन उस पैसे से जिलों में कोई विकास कार्य नहीं होता है। अगर कोई मण्डी समिति डिफाल्टर है, उसके पास पैसा नहीं है, जिले में विकास काम नहीं किया जाता है तो वहां से मण्डी कर क्यों वसूला जाता है ? तो इसकी व्यवस्था सरकार करे। हमारे क्षेत्र में जमानियां में जहां आज भी मंडी शुल्क वसूला जाता है और वहां मंडी समिति का भवन नहीं बना है, एक छोटे से कमरे में बैठकर वसूली का काम हो रहा है। मान्यवर, हम लोग किसान हैं, किसानों को कितनी परेशानियां हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज कोई भी किसान क्या मंडी समिति कार्यालय तक जा सकता है, कतई नहीं

पहुंच सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री गोरखनाथ नाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैंआपका आभारी हूं । आंकड़ों के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसकी जितनी भी सराहना की जाय, कम है । मैं उनमें नहीं जाना चाहता और न ही उसे दोहराना चाहता हूं लेकिन 2-3 बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट अवश्य करना चाहता हूं । वैसे हमारा प्रदेश और देश किसानों का देश है, यहां के 75 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं जो खेती भी करते हैं, इन किसानों को वास्तव में कितनी परेशानियां हैं,उसको देखते हुए माननीय मंत्री जी ने खाद, बीज, रासायनिक दवायें, कीटनाशक दवायें की व्यवस्था करने का जो प्रयास किया है, वह सत्य है । इसी प्रकार किसान मित्र की जो व्यवस्था की गई है वह भी किसानों के लिये हितकारी है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद संत रविदास नगर, भदोही की तरफ ले जाना चाहता हूं । वहां गोपीगंज में मंडी समिति का भवन करोड़ों की लागत खर्च करके बना है लेकिन मंडी का जो स्वरूप होना चाहिये, वह नहीं है, यह हमारे जनपद का प्रमुख बाजार है । करोड़ों खर्च होने के बावजूद किसानों को व्यापारियों को जो सुविधा मिलनी चाहिये, वह उपलब्ध नहीं है, मैं आग्रह करूंगा कि मंडी में वह सुविधायें उपलब्ध कराई जायें, जिससे व्यापारियों और किसानों को उसका समुचित लाभ मिल सके,इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

मेजर जगत पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । अभी माननीय बाबूराम जी कह रहे थे कि माननीय मंत्री जी एक राजा है और राजा हल चलाना क्या जाने । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह वैज्ञानिक युग है और यह युग हल चलाने का नहीं, ट्रैक्टर चलाने का है, साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट का है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रदेश की 70 प्रतिशत किसान जनता के लिये किसानोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है, साथ ही कृषि उत्पादकता और कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा इस वैज्ञानिक युग मे संकल्प लिया है, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने का, वह कदम सराहनीय है । यह भी संकल्प लिया है कि वह अपने किसानों को अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करायेंगे । मैं एक बात और कहना चाहता हूं प्रदेश में सिंचन क्षमता बढ़ाने हेतु डीप ट्यूबवेल का जो प्राविधान रखा है तथा उसमें 50 प्रतिशत ऋण देने की योजना रखी है, वह स्वागत योग्य है, इसके अतिरिक्त फसल नुकसान में 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 कर दिया है तथा अधिक से अधिक 2500 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है । किसानों को बैंक किसान बहियां 90 प्रतिशत से अधिक बांट दी गई हैं । धान का रोपड़ जो होता है, वह मैनुवल होता है, जापान और फिलीपीन्स में कुछ स्कीम निकली है मेरी मांग है कि सिस्टम को यहां उत्तर प्रदेश में भी लेकर आयें तो यह मैनुवल सिस्टम धान लगाने का समाप्त हो सकता है । मण्डी परिषद् के लिये दो बातें कहना चाहता हूं । मण्डी परिषद् में जब माननीय नसीमुद्दीन जी अध्यक्ष थे तो मैंने प्रार्थना की थी कि क्षेत्र में सड़कों का विकास कर दिया जाय तो उन्होंने कहा था कि मण्डी से 60 करोड़ रुपया दूसरे कार्य में लगा दिया गया है, सड़कों का विकास अभी नहीं हो सकता । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो सड़कें स्वीकृत होकर क्षेत्रों से आयी हैं उनको बनवाने की कृपा की जाय । इसके साथ ही साथ क्षेत्र ठाकुरद्वारा में मण्डी समिति कार्यालय का उद्घाटन तीन वर्ष पूर्व हुआ था, पैसा भी स्वीकृत हो गया है, शिलान्यास भी हो चुका है, उसमें निर्माण की शीघ्रता कराई जाये । मैं माननीय कृषि मंत्री जी के किसानोन्मुखी बजट की सराहना करते हुए उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, मैं माननीय लालजी वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मेरा प्रदेश किसान प्रधान है, मैं अपने क्षेत्र में घूमा हूं, किसान सहायक क्षेत्रों में नहीं रहते हैं, जहां तक किसान की पैदावार का सवाल है, किसानों को सही चीजे मुहैया नहीं हो पा रही है, समय से बीज नहीं मिलता है, जिसके कारण समय से पौध नहीं लगाई जा सकती है। हमारे जनपद मैनपुरी में दो मण्डियां हैं, मैनपुरी व बेबर। हमारे विधान सभा में 10 मार्ग हैं, वह दसियों साल से अधूरे पड़े हुए हैं। वहां पर डामर भी पड़ा हुआ है और कहीं कहीं तो डामर मिट्टी मिली पड़ी है, उनका डामरीकरण नहीं किया गया है। जिससे किसान को परेशानी होती है। और वह अपनी उपज को समय से निकट मण्डी तक नहीं ले जा पाता है। तथा किसानों को आवागमन में भी परेशानी होती है, उसको बनवाया जाय।

मान्यवर, मण्डी परिषद् द्वारा एक वर्ष पहले तमाम हैण्ड पम्प लगाये गये थे लेकिन सारे के सारे बन्द पड़े हुए हैं। मण्डी परिषद् द्वारा उनको बनवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वह जैसे-तैसे पड़े हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि बन्द हैण्ड पम्पों को चालू कराने की कृपा करें। साथ ही जो मार्ग अधूरे पड़े हुए हैं पत्थर पड़ा हुआ है, डामर पड़ा हुआ है, टाप तक कुट चुके हैं। उनकों तुरन्त बनवाया जाय।

श्री राम चन्दर यादव–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में कृषि विश्वविद्यालय 1977 से संचालित है। जहां एक ओर आप बजट में किसानों को बहुत कुछ देने की बात कर रहे है, वहीं नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज जो फैजाबाद में स्थिति है, वहां के किसानों की जमीन लेकर खतौनी पर फार्म खुलवाया गया, उन लोगों को मजदूरी देने के नाम पर डेली वेजेज पर लगाया गया है। ऐसे 2500 दैनिक मजदूर हैं जिनकों महीने में 6 दिन–10 दिन के नाम पर मात्र 35 रुपये 42 रुपये प्रतिदिन मिलता है जबकि प्रदेश में 47 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित है। वहीं दूसरी ओर उसी आफिस में जो कार्य करते हैं, उनको 50 रुपये दैनिक मजदूरी मिलती है। मैं चाहूंगा कि जिनकी जमीन लेकर आपने विश्वविद्यालय खुलवाया है, और जिनसे मजदूरी करवा रहे हैं उनको महीने में 26–27 दिन काम दिया जाय और निर्धारित मजदूरी दी जाय। इस सम्बन्ध में आप कृपया सरकार को समुचित निर्देश दें। कि मजदूरों को निर्धारित मजदूरी व पूरे महीने वि० वि० प्रशासन को निर्देश दे इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बाबू खां–

मान्यवर, प्रदेश में 72 प्रतिशत जनता खेती करती है, इसका विकास कैसे करेंगे, इसकी हमें उम्मीद नहीं है, बजट में तो इन्होंने बहुत उल्लेख किया है। यहां सदन में 90–95 प्रतिशत विधायक खेती से जुड़े हुए हैं और आज किसान की ही बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश करते हुए कहा था कि यह किसानोन्मुखी है, आज मंत्री जी ने भी कृषि के विकास की बात कही है। मान्यवर, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो किसान से संबंधित न हो। गन्ने का भुगतान नहीं होता है, तो किसान की स्थिति कमजोर हो जाती है, पी०डब्लू०डी० को ले लीजिए अगर गांवों तक सम्पर्क मार्ग नहीं होंगे तो फसल मण्डी तक नहीं ले जा पायेगा। राजस्व विभाग ले लीजिए कभी कभी बकाया होने पर उसको बन्द कर दिया जाता है। इस तरीके से विद्युत विभाग को ले ले वित्त विभाग को ले लें, लोने मिलने से ही उसका विकास हो पाता है, शिक्षा से भी सम्बंध है। मिलिट्री के विद्यालय खुले हैं। पुलिस के विद्यालय खुले हैं, लेकिन कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं खुला है, जो किसान से संबंधित हो। किसान की भूमि तो नहीं बढ़ सकती है, लेकिन जब किसान का परिवार बढ़ता है, तो वह चाहता है कि उसके तो बेटे नौकर हो जायें ताकि उनकी आय से कृषि का विकास हो सके। इसी के साथ बजट का विरोध करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

मान्यवर, आज अद्भुत संयोग है, कि प्रकृति ने भी आज वारिश करके इस ऐहसास को जता दिया कि माननीय कृषि मंत्री जी का बजट विकासोन्मुखी है । और कृषि को बढ़ावा देने में सहयोगी है । मान्यवर, उत्तरांचल की जो परिस्थिति है, जो टोपोग्राफी है, उसके लिए एक अलग कृषि नीति बननी चाहिए । वहां के विभिन्न प्रकार के आयामों को देखते हुए कृषि हो रही है, एक रुपये खर्च होता है, तो केवल 25 पैसा ही लाभ देय होता है । वहां की कृषि पर अलग से चिन्तन होना चाहिए । वहां पर जो अतिवृष्टि होती है, कृषि खत्म हो जाती है, उसके बारे में भी सरकार को चाहिए कि उन किसानों को मुआवजा देने की प्राविधान की बात रखें । बजट को सराहनीय मानते हुए बधाई देना चाहता हूं ।

श्री लाल सिंह वर्मा–

मान्यवर, मैं पक्ष विपक्ष को बधाई देना चाहता हूं कि आज शान्तिपूर्वक तरीके से बजट पर चर्चा हो रही है, मैं अपने जिले की दो समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । जनपद इटावा में दो मण्डियां हैं, एक प्रापर इटावा में और दूसरी भरथना में हैं । जो रेलवे लाइन के उत्तरी तरफ बनाई गई है । जबकि गल्ला दक्षिण तरफ से ज्यादा आता है । उससे व्यापारियों किसानों को बहुत परेशानी होती है । इटावा में अस्थाई उप मण्डी समिति काम कर रही है । मै चाहूंगा कि वहां उप मण्डी समिति की स्थापना की जाय ।

मान्यवर, भरथना में जो मण्डी बनी है उसके आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है, संकरी गली से जाना पड़ता है रेलवे पर ब्रिज नहीं है । मैं चाहूंगा कि इसे मरथना और बकिवर के बीच कहीं भी उप मंडी के रूप में बना दिया जाय .....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आपकी बात आ गई है ।

श्री लाल सिंह वर्मा–

मान्यवर, जनपद औरैया में बाबरपुर कस्बे में मण्डी स्थल बनाया गया था लेकिन उसकी निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है तो वहां पर काम शुरू कराया जाय । इसी के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने दिया ।

श्री बाबूलाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं माननीय लालजी वर्मा द्वारा स्खे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मान्यवर, मैं आपका ध्यान फतेहपुर सीकरी जो कि मेरा क्षेत्र है, की ओर दिलाना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में दो मण्डी हैं एक फतेहपुर सीकरी और दूसरी अछमेरा मण्डी । वहा पर एक और मण्डी किरावली उप मण्डी के नाम से है । वहां के मण्डी सचिव द्वारा नम्बर–2 का माल बेचा जा रहा है । किरावली में व्यापारियों के लिये कोई सुविधा नहीं है । वहां पर उप मण्डी समिति बनाई जाय । वहां के सचिव और एस०डी०एम० किरावली मण्डी में मन मरजी से गोल माल करते हैं और चोरी कराते हैं । इसके अतिरिक्त मैं अनुरोध करूंगा कि जो अधूरी सड़कें मण्डी समितियों की हैं उसे पूरा कराने का कष्ट करें । भूमि संरक्षण अधिकारी कोई तिवारी हैं वे जे०आर०वाई० और अन्य मदों से जो पैसा दिया [illegible] उसका 20 प्रतिशत पैसा लगाते हैं और बाकी खा जाते हैं । आप कृपया उसकी जांच करा दें और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

* तौफीक अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जैसा कि सुबह से सभी साथियों ने कहा कि कृषकों का सबसे बड़ा सूबा है और वर्तमान सरकार ने जो बजट रखा है उसमें 70 फीसदी उनकी बेहतरी के लिये रखा है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के पड़ोस के विधान सभा क्षेत्र का निवासी हूं। मान्यवर, हमारे सिद्धार्थनगर जनपद में कृषकों की समस्या है और मैंने कई बार इस पर चर्चा भी की है। आपसे गुजारिश है कि वहां के किसानों की तरक्की के लिये कुछ करें। मान्यवर, कृषक की पैदावार उसी हालत में बढ़ सकती है जब उन्हें जरूरत की चीजें मुहैया हो जो सुविधा उन्हें चाहिये वह उपलब्ध कराई जाय। मान्यवर, आज हम वैज्ञानिक दौर से गुजर रहे हैं आज भी किसानों को तमाम परेशानियां हैं। मान्यवर, अब धान की रोपाई का सीजन है किसी भी कृषक को उन्नतिशील बीज उपलब्ध नहीं है। खादों की भी जो क्वालिटी है, उसमें गिरावट आई है और किसान हर तरह से परेशान किया जा रहा है। मान्यवर, डुमरिया शाहपुर मंडी समिति है, उसके जरिये चार सड़कें बनाई गई थीं, एक तो गागापुर से सिक्रौथा, दूसरी बढ़नी चापा से धर्मपुर, तीसरी शाहपुर से धौरहरा और चौथी नउवा गांव से कैथोलिया, उनकी कच्ची मिट्टी पर किसानों की गाड़ी नहीं चल सकती है, इसके बारे में माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिला था और उनसे गुजारिश की थी कि जो अधूरी सड़कें पड़ी हैं उनको पूरा करा दिया जाये। यह सड़कें किसानों के लिये मंडी समिति तक फसल को ले जाने के लिये बनाई गई थीं।

मान्यवर, काला नमक धान सिद्धार्थनगर या पूर्वांचल की महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन आज जो उसकी क्वालिटी है वह गिरती जा रही है उसकी खुशबू कम हो रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार काला नमक धान के लिये एक शोध केन्द्र निर्धारित कर दे, जिससे उसकी क्वालिटी बनी रहे।

इन शब्दों के साथ मैं श्री वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़ों का मगर-जाल बनाकर अपनी बात कह दी। एकीकृत धान विकास योजना जो प्रदेश में लागू है, कुछ जिलों में लागू है, उसमें बहराइच जिला भी आता है। जो खेती में कारोबार होता है, जो फसल पैदा होती है, वह मंडी में दी जाती है और मंडी की स्थिति यह है कि वह प्रगति में है, लेकिन अपनी ओर से सड़कों की व्यवस्था नहीं करती है। पानी का अकाल हो गया, लेकिन उसने एक भी इण्डिया मार्क–2 का हैण्ड पम्प नहीं लगाया। एकीकृत गेहूं की व्यवस्था की है, तिलहन के लिये कोई शोध कार्य नहीं हो रहा है। मान्यवर, फैजाबाद में नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय है उसके क्रिया कलापों के बारे में आपको जानकारी होगी। माननीय मंत्री जी बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति हैं और दूसरे वह मंत्री हो गये हैं। आपसे और कृषि से कितना मतलब है, बता नहीं सकता हूं। आप तो अपनी ही खेती नहीं जानते होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि तिलहन न पैदा कर पाने के कारण ही तेल का दाम 50 रुपये चला गया है। कौन से किसान हैं, जिनको आप बढ़िया बीज दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कागज से काम पूरा नहीं होगा। आप व्यवस्था को साकार रूप देने के लिये जिम्मेदार हैं, जब खेती अच्छी नहीं होगी तो लोग कैसे जिन्दा रहेंगे, प्रदेश की इनकम के जो स्त्रोत हैं, उनका लाभ नहीं होगा, इसीलिये हमारे सम्मानित नेता श्री मुलायम सिंह ने कहा था और भी उनकी मंशा यही है कि जब तक कृषि को अच्छे दर्जे पर नहीं लाया जायेगा और जब तक किसानों के लड़कों को नौकरी नहीं मिलेगी, किसानों की दशा सुधरने वाली नहीं है। इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर सोचना पड़ेगा जो पढ़े लिखे किसानों के बच्चे हैं । उनको दूसरा कारोबार करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये । इससे कृषि पर बोझ कम होगा । इस फारमूले को लागू करना होगा । आजादी के 50 साल हो गये लेकिन कृषि पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया । प्रदेश की कृषि की उन्नति के लिये नये-नये कार्यक्रम चलाने होंगे । तभी हमारे किसान उन्नति कर पायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सहयोग करें । समाप्त करें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

किसान को चावल, गेहूं तिलहन के उन्नति बीज मुहैया कराये जायें । यह सरकार किसानों को किसी प्रकार की सुविधा देने के लिये तैयार नहीं है । उनकी खुशहाली नहीं चाहती । क्योंकि इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे आप अपेक्षा करें कि किसानों का फायदा होगा । हमारे किसानों ने आलू पैदा किया उसके भण्डारण के लिये कोई व्यवस्था नहीं हुई । किसानों ने गन्ना पैदा किया उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं हुई । किसानों को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिलता है । इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं है । वे तो जो चोर बाजारी करते हैं उनसे मतलब है । जो मिलावट करते हैं उनसे मतलब है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं सम्मानित रामतेज यादव जी से जरूर इतना निवेदन करूंगा कि इनके दल के लोग किसानों के कितने हितैशी हैं यह स्वयं जानते हैं । [× × ×]

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन की परम्परायें और वह मंत्री हैं, वह इससे विज्ञ होंगे कि जो यहां है सदन में मौजूद नहीं है उस पर आक्षेप नहीं किया जाता । तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है । कि जब उन्होंने किसी के आचरण पर आक्षेप किया तो उधर से मेजें थपथपाई गई । मैं इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं । और आपसे आग्रह करता हूं कि उन्होंने जो आक्षेप लगाया है, इनको कार्यवाही से निकलवायें ।

श्री अधिष्ठाता–

यदि कोई ऐसे शब्द जो अपेक्षात्मक है, जो व्यक्ति सदन में नहीं है उस पर कोई आक्षेप नहीं लगाये जाते हैं तो वह प्रोसीडिंग के अंग नहीं बनते । मा० अम्बिका चौधरी जी ने भी कोई हृदय को ठेस पहुंचाने वाले शब्द कहे होंगे तो उनको भी निकाल दिया जायेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

माननीय मंत्री जी ने जो शब्द प्रयोग किये हैं । उनको निकलवा दें । (व्यवधान) जिनका प्रसंग यहां आया है । वह दो बार समाजवादी पार्टी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं । उस समय आपकी हिम्मत नहीं हुई कि यह बात उठाते । आज वह प्रसंग आप लाना चाहते हैं । (व्यवधान) उन बातों को लाने से कोई फायदा होने वाला नहीं (व्यवधान) कल्याण सिंह जी खुद ऐसा काम कर रहे हैं मंत्रि मण्डल का इतना बड़ा काफिला लेकर चल रहे हैं (व्यवधान) मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

[नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्रीमती सुमनलता सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं इस कृषि बजट का समर्थन करते हुये अपने क्षेत्र की एक समस्या की ओर आपके मध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हमारे बरेली जनपद में देवचरा एक जगह है जहां पर एक बहुत बड़ी मंडी लगती है। यह हापुड़ के बाद दूसरे नम्बर की मण्डी है वहां जिलाधिकारी के माध्यम से एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। वहां पर जमीन का चयन करके एक अच्छी मंडी बनाने का प्रस्ताव था हमारा देश कृषि प्रधान देश हैं इसलिये मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य मिलेगा। स्थिति यह है कि बिचौलिये बीच में पड़कर किसानों का शोषण करते हैं। मैं चाहती हूं कि हमारे यहां उस मंडी को मंडी का दर्जा दिया जाय। वहां पर हजारों लाखों टन गेहूं और अन्य अनाज बाहर जाता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वह इस पर विचार करें और वहां पर मण्डी बनाई जाये। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मेंन्था की खेती बहुत होती है। इससे पिपरमेंट आयल बनाया जाता है जो 100 प्रतिशत विदेश जाता है। लेकिन इसका किसानों को सही मूल्य नहीं मिलता है और किसानों का शोषण होता है इसलिये मंत्री जी मेंथा किसानों के लिये जरूरी कदम उठाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी जी आप तो स्वयं विज्ञ हैं आपको यदि एक मिनट बोलने के लिये अवसर दूंगा तो यह दल के नेता के साथ अन्याय होगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस बात का मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है कि आपका स्नेह मुझे कितना मिलता है। कितना समय आप मुझे देंगे और कितना समय मुझे लेना चाहिये मैं इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुये इस बात का प्रयास करूंगा कि आपको और सम्मानित सदस्यों को कोई असुविधा न हो। और मर्यादा भी भंग न हो। माननीय अधिष्ठाता जी ऐसा बजट जो एक राजा ने रखा और एक ऐसी कटौती जो एक किसान ने रखी है। इस बजट की आलोचना करने और कटौती का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। कटौती का प्रस्ताव रखते समय लालजी वर्मा जी ने स्पष्ट कहा था कि कटौती करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना। मैं अपने को महदूद रखते हुये, सीमित रखते हुये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आलोचना के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। मैं आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन करते समय आलोचना कर दी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय अधिष्ठाता जी। मैं स्पष्ट कर रहा हूं –

(समय 8 बजकर 30 मिनट)

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी चाहत है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिये।

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एग्रो का नाम लिया और उसके फायदे का जिक्र किया। मैं सिर्फ वह बात जो वह जानते हैं और जानबूझकर आंकड़ों की बाजीगरी में उलझाने का काम उन्होंने किया, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से कृषि मंत्री से कहना चाहता हूं कि 40 करोड़ की एथोराइज्ड कैपिटल है एग्रो की और 58 करोड़ का घाटा है और इस घाटे को पूंजी से कहीं ज्यादा हो गया घाटा और एक कारपोरेशन जो आपके विभाग के अन्तर्गत है उसको बचाने के लिये कुछ लेकर आयेंगे या इस कारपोरेशन को डालने की आवश्यकता आप महसूस करते हैं। ऐसा कोई प्राविधान

आपके बजट में नही है । मैं बताना चाहता हूं कि यह कारपोरेशन पांच तरीके के कार्य करते है । विपणन, एग्रीकल्चरल वर्कशाप इनकी है, कैटिल फीड, स्प्रिंकलर्स सिस्टम का भी काम देखते हैं । गेहूं खरीदने का काम नहीं करते हैं । आपने एक तरह से इसके होने वाले फायदे को बता दिया कि कारपोरेशन फायदे में चला गया । जरुरत इस बात की है गम्भीरता से इस कारपोरेशन के माध्यम से इस प्रदेश को देखने की यह भण्डार में चलाकर खत्म कर देने को इनकी मंशा है । गम्भीरता से इस बारे में विचार करने की आपकी जिम्मेदारी है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा 37 करोड़ का सकल घाटा है । 70-75 प्रतिशत ब्याज ब्याज का है और ऋणों का है तो आप अपने बजट में ऐसा प्राविधान कीजिये कि इस ब्याज को टालना चाहते हैं तो क्या उस ब्याज और ऋण को माफ कर देने के लिये सरकार की तरफ से प्राविधान करके इसे कम या खत्म करने के लिये नहीं करेंगे तो यह बोझ से चरमराकर टूट जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं स्वतः समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, आप निश्चिन्त रहें । अगर आप इस तरह से कोई प्राविधान नहीं करेंगे तो इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है । कृषि विभाग की हालत 9 महीनों में नहीं खराब हुई है काफी लम्बे काल से हुई है । सारा प्रदेश जो कृषि पर आधारित है इसके लिये अपने-अपने कार्य काल के सब लोग दोषी रहे हैं । अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन न कर पाने के कारण ही आज प्रदेश इस मुहाने पर खड़ा है । लेकिन आपकी जिम्मेदारी है । अन्य कारपोरेशन और एकआध बोर्ड आपके पास हैं जिसका उल्लेख आपने किया है । इसीलिये मैं कह रहा हूं एक सुझाव देना चाहता हूं सिंचाई क्रम में नीचे गिरता जा रहा है ब्लैक जोन और ग्रे जोन जो हैं । फ्री बोरिंग की योजना वहां न चलाई जाये क्योंकि इससे सरकारी धन का दुरुपयोग ही होगा । क्योंकि वह बोरिंग फेल ही हो जायेगी । जो डीप एरिया है वहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम की तुरन्त आवश्यकता है । इससे जल का बचाव हो सकेगा । अगर आप हार्ट के डाक्टर के पास जायें और वह कहे कि आपका हार्ट ठीक है लंग्स या दूसरी चीज खराब है जिसका मैं डाक्टर नही हूं तो क्या फायदा । आप स्प्रिंकलर सिस्टम चलायेंगे लेकिन जब बिजली की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या फायदा । इसलिये कृषि के संबंध में विद्युत मंत्रालय से क्वाडीनेशन होना चाहिये । इस बिन्दु पर आपका कृषि विभाग का विद्युत विभाग पर सीधे दखल होना चाहिये । कृषि क्षेत्र में जो बिजली दी जाये वह किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी । एग्रो के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं यह बीमार संस्था है । नई नियुक्तियां न हों लेकिन बहुत सारी मशीनें करोड़ों रुपये की पड़ी हैं उसको चलाने के लिये प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता है जिनके न होने के कारण वह बेकार पड़ी है और इनका यूटीलाइजेशन न होने के कारण उत्पादन प्रभावित होता है । यह ब्लाइंड आडर कर दिये जाते हैं हर वस्तु की वस्तु स्थिति का सही आकलन नहीं किया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी जी आप मेरी विवशता को समझें और अपनी बात यहीं पर समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह बजट पर चर्चा हो रही है । मैं कोई कार्य-स्थल पर नहीं बोल रहा हूं । मेरे कुछ सुझाव हैं जिनको मैं रखना चाहता हूं । गन्ना प्रजातियों के बारे में कहनाा चाहता हूं । ज्यादा शकरा वाली और अधिक उपज देने वाली गन्ना प्रजातियों की सुविधा आज नहीं है । कृषि मंत्री जी खेती भले ही न करते हों लेकिन उनके नाम अच्छी खासी तादात में पर्चियां जरुर कटती हैं । अच्छी गन्ने की प्रजातियों को बढ़ावा देने के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये । भूमि संरक्षण विभाग ऊसर

सुधार योजना चल रही है । पायराइट की सप्लाई हमारे यहां नहीं हो रही है । इसकी बड़ी आवश्यकता है । ऊसर सुधार के इलाकों में पायराइट को सस्ती खाद के रूप में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं । उन जिलों में जहां इसकी आवश्यकता है । इसकी सप्लाई सुनिश्चित की जाये । अधिकारी इसके लिये रुचि नहीं ले रहे हैं । आज भूमि संरक्षण विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है । पाइराईट में कमीशन की गुंजाइश नहीं है इसलिये अधिकारी इसमें रुचि नहीं लेते हैं और पायराईट पर कोई ध्यान नहीं है, जहां-जहां इसकी आवश्कता है और भूमि संरक्षण के कार्य चल रहे हैं वहां आवश्यक व्यवस्था करें । भूमि संरक्षण के बारे में एक नई बात कहना चाहता हूं, बजट में इसका कहीं जिक्र नहीं है, इस प्रदेश में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो नदियों के कछार के इलाके हैं वहां कांस की बड़ी समस्या है, लाखों हेक्टेयर भूमि पर कांस उग आते हैं । मैं बलिया जनपद के गंगा और घाघरा की बात करना चाहता हूं वैसे प्रदेश में जहां भी नदियों का किनारा है वहां पर काफी लम्बे इलाके में इस तरह से कांस पैदा हो रही है । जिस भूमि में खेती हो सकती है कांस एरीडिकेशन के लिये केन्द्रीय सरकार का कानून है । अपने यहां इस तरह की योजना बनाये जाने की आवश्कता है । आप अगली बार निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे । जलागम योजना के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । मेस निवेदन है कि हरियाणा और पंजाब में छोटे किसानों के लिये बिजली मुफ्त दी गई है । अगर वित्तीय स्थिति ठीक कर सकें तो छोटे किसानों को मुफ्त बिजली हरियाणा और पंजाब के पैटर्न पर दे ताकि उनकी पैदावार बढ़ सके और उनका कल्याण हो सके । मण्डी परिषद् के बारे में आलोचनात्मक रूप में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत विस्तार से हमारे मित्रों ने कहा है । मैं इतना सिर्फ कहूंगा कि जो अधूरी परियोजनायें हैं, अगर आपने जांच करवाने के लिये रोक दिया तो बहुत अच्छा काम किया, मैं इससे सहमत हूं । मेरा आग्रह है कि जितने लोग दोषी हैं उन सबको दण्डित करें, अभियन्ता या अन्य कर्मचारियों को हटा देने से मामला हल होने वाला नहीं है, जांच में जो भी दोषी पायें जाएं उनके विरुद्ध कार्यवाही हो । रुड़की में मण्डी परिषद् का लगभग 95 प्रतिशत काम पूरा हो गया है 5 प्रतिशत रह गया है इसलियें मेरा कहना है कि जिन परियोजनाओं पर धन खर्च हो चुका है और उसमें थोड़ा कार्य ही शेष रह गया है तो उसको पूरा करा दें नहीं तो किसानों का धन बर्बाद हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका जी अब समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

दलहन पर मेरा यह कहना है कि गरीब लोगों के प्रोटीन का श्रोत मात्र दाल ही है लेकिन दलहन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसकी स्थिति बहुत गम्भीर है । दलहन में खेती करने का एरिया भी घटा है तथा पैदावार भी घटा है ।

सहकारिता मंत्री (श्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा)–

मैं पीठ से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह तय हो जाना चाहिये कि अम्बिका चौधरी जी किस हैसियत से बोल रहे हैं ? मान्यवर, नेता विरोधी दल को तो यह प्रिविलेज है वह जिस समय चाहे खड़ा हो जाये, जितनी देर तक चाहे भाषण करे लेकिन किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं है ।

(सत्तापक्ष व विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका चौधरी जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर व्यवधान नहीं होगा तो 3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच टोकाटाकी तथा नोंकझोंक होने के कारण व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका जी, कृपया समाप्त करें तथा माननीय सदस्यगण कृपया शान्त रहें ।

श्री हरवंश कपूर–

जब आपने विपक्ष के हर एक सदस्य को बुलवाया है तो सत्तापक्ष का प्रत्येक सदस्य बोलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी (समाज कल्याण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री–

मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि विलम्ब हो रहा है । इस नाते से कई माननीय सदस्य उठ नहीं रहे थे लेकिन आप लगातार उधर से बुलवा रहे थे स्वाभाविक है. प्रतिक्रिया होगी और धीरज का बांध टूटेगा । अगर आप बुलवाना चाहते हैं तो दोनो तरफ से बारी-बारी बुलवाइये, एक तरफा होगा तो दिक्कत होगी । अब निर्णय आपके ऊपर है कि आप कैसे सदन को संभालें ताकि कोई प्रतिक्रिया न हो ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रामकुमार वर्मा जी और माननीय हरीश जी, आप दोनों ही बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और बरसों-बरसों से आप दोनों का सहयोग हमें मिल रहा है । मुझे भी साढ़े 7 बजे तक समाप्त करने के लिये नियत था । लेकिन दोनों तरफ से माननीय सदस्यों की इच्छा थी यह सच है कि नेता विरोधी दल की स्थिति में अम्बिका चौधरी जी नहीं हैं कि जब चाहे, जितना समय चाहें, हाउस में खड़े होकर अपनी बात कहें । यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध जाकर जिद करते हैं और यह कहें कि हम नियंत्रित हो जायेंगे और व्यवधान न हो तो 3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे तो यह उचित नहीं है ।

(सत्तापक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

यदि संख्या बल के आधार पर विपक्ष को दबाने का प्रयास होगा तो यह कदापि सम्भव नहीं हो सकता । आप संख्या बल के आधार पर बजट अवश्य पारित करा सकते हैं, लेकिन हमको दबा नहीं सकते ।

(दोनों पक्षों की ओर से टोकाटाकी के कारण व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण, आप से व्यक्तिगत रूप से आग्रह है कि अन्तिम रूप से इस बात के लिये आश्वस्त किया जा रहा है कहा जा रहा है, कि इतना वक्त ले रहे हैं और स्वयं समाप्त करने के लिये कह रहे हैं, उसके बाद भी कृतज्ञता का भाव नहीं है । जो सत्ता में होता है, उसका बड़ा दिल होता है, यह आपकी ओर से हमारी ज्यादती है, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इनको दो मिनट सुन लें । यह मेरा अधिकार है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा विनम्र निवेदन था कि रसायनिक खाद के अन्धाधुन्ध प्रयोग से और असंन्तुलित प्रयोग से एक खतरा हो गया है, मिट्टी का नेचर गड़बड़ हो रहा है, सारी जमीन ऊसर हो जायेगी आपका विभाग है, कृषि प्रसार का काम देखता है । इसको प्राथमिकता पर रखकर अपने अनुभवों को स्पष्ट करके इसके निर्देश देने की कृपा करेंगे । यह बात सही है कि किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिये अगर आप समग्र नीतियों को एक साथ लागू करेंगे तभी विकास होगा अन्यथा अलग-अलग विकास करेंगे तो इस प्रदेश की कृषि और कृषि का विकास होने वाला नहीं है । इसलिये कृषि नीति सुस्पष्ट होनी चाहिये । उसके सारे आयाम को जोड़कर कोई नीति बनायेंगे तो सही तस्वीर सामने आयेगी । हमारे यहां सम्यक् और एक दूसरे से संतुलित कृषि नीति का होना आवश्यक है । किसानों का यह प्रदेश है, किसान सबसे बदतर स्थिति में हैं । आज हमारी स्थिति हिन्दुस्तान में नीचे से तीसरी है । अगर उसको बढ़ाना है तो एक सुदूर नीति सोची-समझी होनी चाहिये इसके साथ ही जो कटौती का प्रस्ताव माननीय लालजी वर्मा ने रखा है, उसका समर्थन करते हुये जो हमने सकारात्मक सुझाव रखा है, अगर सरकार [× × ×] न दिखाये तो कृषि से किसानों का सरोकार रखते हुये इनको प्रस्तावों में शामिल करने का काम करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

[xxx] शब्द असंसदीय नहीं है लेकिन अशोभनीय है इसलिये इसको कार्यवाही से निकालता हूं ।

श्री राम तेज यादव–

मान्यवर, [xxx] शब्द न संसदीय है और न अशोभनीय इस पर पुनर्विचार करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, मैं केवल दो बातें रखना चाहता हूं 4--7-97 और 8-7-97 को मेरठ मण्डी समिति द्वारा हैण्डपम्पों की स्वीकृति हुई थी । वह आधे अधूरे पड़े हैं । किसी में बोरिंग अधूरी हुई है किसी में मशीन लगी हुई है । विभाग ने चिट्ठी में उल्लेख किया है कि 5 लाख 36 हजार रुपया अवशेष कार्य के लिये आवश्यक है । 38 हैण्डपम्प जो अधूरे पड़े हुये हैं, मेरठ महानगर में अगर यह 5 लाख 36 हजार की व्यवस्था कर दी जायेगी तो पूर्ण होंगे अन्यथा अपूर्ण पड़े रहेंगे । मण्डी समिति का उन हैण्ड पम्प पर 5-6 लाख रुपये व्यय हो चुका है, मैं अनुरोध करुंगा कि इस अधूरे पड़े कार्य को अवश्य पूर्ण कराने हेतु धन उपलब्ध करा दें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं पक्ष और विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट की चर्चा में हिस्सा लिया । मान्यवर, सभी सदस्यों की चिन्ता कृषि की पैदावार बढ़ाने और किसान की समस्याओं के प्रति जागृत रही । मान्यवर, जो भूमि सुधार का कार्यक्रम है कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उसमें आशातीत सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं । भूमि संरक्षण की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है, चाहे उसमें जल प्रबन्धन हो, भूमि सुधार हो । उस पर प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है । अगर भष्टाचार दूर कर ले जायेंगे तो वास्तव में भूमि सुधार हो जायेगा । माननीय सदस्यों ने कृषि सुधार के लिये बीज, खाद, पानी, विपणन का जिक्र किया, अगर उन पर ध्यान नहीं देंगे तो उत्पादन बढ़ाने में सफल नहीं होंगे । खेतों में सिंचाई के लिये पर्याप्त रूप से बिजली, डीजल आदि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायें चाहे इसके लिये शहरों की बिजली क्यों न काटनी पड़े । उर्वरक, कीटनाशक दवायें,

---

[1]नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कृषि यंत्र इनकी उपलब्धता के लिये कोई स्थान सुनिश्चित होना चाहिये । न्याय पंचायत स्तर पर एक कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके, हर न्याय पंचायत को मुख्यालय बनाकर इनकी उपलब्धता और बिक्री की व्यवस्था करायें वहां पर तकनीकी जानकारी देने की भी व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से पैदावार बढ़ सकती है । विपणन बहुत महत्वपूर्ण है अगर सही व्यवस्था नहीं होगी तो लागत मूल्य नहीं मिल पायेगा । क्रय शक्ति घटेगी, पूंजी निवेश घटेगा तो अपने आप उत्पादन घट जायेगा । मण्डी समितियां विपणन में असफल हैं । फैजाबाद में एक मण्डी स्थल है उसका उपयोग पी०ए०सी० पुलिस कर रही है, ऐसा बहुत स्थानों पर हो रहा है । या ऐसे स्थल पर बन रहे हैं जहां व्यापारी, किसान नहीं जाना चाहता । गांव-गांव में सड़कों का जाल विछाया जाय, ताकि किसान अपनी फसल को मार्केट तक आसानी से ले जा सके । अगर जीवन निर्वाह व्यय एवं लागत मूल्य को जोड़कर क्रय मूल्य घोषित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से किसान की हालत खराब होती चली जायेगी, ऐसा हमारा मानना है । मृदा परीक्षण के लिये 10 सर्वेक्षण इकाईयां हैं आपने कहा कि 360 लाख हेक्टेयर भूमि पर मृदा परीक्षण करायेंगे लेकिन जो केन्द्र हैं वह अपर्याप्त हैं । हर मण्डल मुख्यालय पर एक मृदा सर्वेक्षण की लेबोरेटरी होनी चाहिये । और समय से कृषक को जानकारी दी जा सके इसकी व्यवस्था हो । किसानों को 30 हजार की सब्सिडी जो ट्रैक्टर पर दी जा रही है उसमें किसी आधार पर चयन करते हैं इससे समुचित वितरण होना चाहिये । विश्व बैंक की सहायता से मण्डी विकास से संबंधित डास्क योजना जल रही है । किस आधार पर विकास खण्डों का चयन किया जाता है कृपया इस पर प्रकाश डालेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं उनको धन्यवाद देते हुये अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्रीमन्, मैं आभारी हूं, सभी सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिये । श्री बी०आर०वर्मा जी ने कृषि पर आधारित लघु उद्योग तथा बजट में कमी व मृदा सर्वेक्षण में धन आवंटन न किये जाने का उल्लेख किया । वह कुछ रिआर्गनाइजेशन के नाते ऐसा लग रहा है कि बजट में कमी आ गई है । जो पुलिस प्रकोष्ठ का उसका वेतन कृषि के बजट में आता है, उसको कृषि से अलग करके पुलिस विभाग को वापस कर दिया गया है, जो हमारी जांचें हैं वह वहां भेज दी जायेंगी । इसी प्रकार कई योजनायें अलग-अलग थी, उनको एक में मिला दिया गया है ।

श्रीमन्, खाद की बात माननीय शर्मा जी ने उठाई थी । कृषि विभाग ने अपने गोदाम से खाद की बिक्री, उर्वरक की बिक्री बहुत पहले बन्द कर दी है यह सारे वितरक पी०सी०एफ० और एग्रो के माध्यम से वितरित की जाती है । तो कृषि विभाग के बजट में जो आता था वह उसमें से निकालकर एक अलग पूल बना दिया है । इसी तरह से विश्वविद्यालय की बात आई कि इनको पैसा नहीं दिया गया है । मान्यवर, पांच करोड़ रुपया अलग से विश्वविद्यालय के लिये रिसर्च के लिये दिया है । इसी तरह से 13 करोड़ रुपये का अलग से प्राविधान कर दिया है जहां भी आवश्यकता हो हम इसका उपयोग करेंगे । जो मदवार आंकड़े माननीय वर्मा जी गिना रहे थे उसमें भिन्नता है जिन नाते यह भ्रम है । अभी हमारे माननीय उप नेता समाजवादी पार्टी जो इस समय नहीं हैं, कह रहे थे कि फर्जी आंकड़े दिये गये हैं । और इससे सदन को गुमराह किया जा रहा है । मान्यवर, यह पिछली सरकारें करती रही होंगी यह सरकार नहीं करती है । मैं बैलेंसशीट बता रहा हूं । मार्केटिंग प्राफिट आफ्टर इन्कम टैक्स 23 लाख 74 हजार, सर्विसिंग एण्ड कस्टम प्राफिट आफ्टर इन्कम टैक्स 147 लाख 18 हजार, नान कन्वेंशिनल एनर्जी प्राफिट आफ्टर इन्कम टैक्स 55 हजार रुपये, मान्यवर अगर हमारा घाटा है तो यह एग्रीकल्चर वर्कशाप में है और वह है 67 लाख 91 हजार रुपये का, कैटील फील्ड प्राफिट आफ्टर इन्कम टैक्स 43 लाख 42 हजार रुपये इस तरह से 1 करोड़ 46 लाख 98 हजार का प्राफिट हमें है । एक बात और माननीय वर्मा जी ने कहा कि 40 करोड़ की इसकी शेयर पूंजी थी और 58 करोड़ का लास है । यह सही है । जो एकदम से यह घाटे में जा रहा था और केवल मेन मेनेजमेंट इन्वेंटी मेनेजमेंट और फाइनेन्सियल मेनेजमेंट

के आधार पर हम यहां पर पहुंचे हैं। ब्याज के बारे में कहा गया एक अच्छा खासापुराना ऋण एग्रो का ब्याज देने के लिये चल रहा था। उसमें समाधान करके एक मुश्त भुगतान करके पंजाब नेशनल बैंक को आज हमने ब्याज में कमी कर ली है जिसके नाते हम प्राफिट में आ गये हैं। तो यह स्थिति एग्रो की है। एक बात भूमि सर्वेक्षण की शुरू में मैंने महसूस कर ली थी कि भूमि संरक्षण में शिकायतें हैं, मैं उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं वादा तो नहीं करता हूं कि शत प्रतिशत भ्रष्टाचार समाप्त कर लिया जायेगा, लेकिन जो शिकायत कर रहे हैं कि 65 प्रतिशत और 50 प्रतिशत कमीशन चल रहा है, तो जिसकी शिकायतें मिलती हैं उसकी जांच की जाती है और स्टाफ को भी बदला गया, प्रयासरत हूं कि जहां तक कमी लाई जा सकती है, उस को लाया जायेगा। एक माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत आक्षेप किया कि मेरे पूर्वज खेती करते थे, मैं सदन में व्यक्तिगत आक्षेप करने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं और न ही उनका उत्तर देने की आवश्यकता है। मान्यवर, अगर व्यक्तिगत चर्चा शुरू हो जायेगी तो वह इस सदन में नहीं बैठ पायेंगे। मान्यवर, मंडी समितियों द्वारा हैण्ड पम्प लगाने की बात कही गई। मैंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य बन्द नहीं किया गया है, पहले उसको देखा गया है और जांच कराई गई है, और कार्यवाही हो रही है और अब प्रयास किया जा रहा है कि जो पुराने कार्य हैं, जिस पर धन व्यय हो चुका है, उनको पूरा कराया जाये और उनको प्रयास में लाया जाये। पुराने कामों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

डा० वकार अहमद शाह–

1995 में बहराइच में एक सड़क स्वीकृत हुई थी और पूरी नहीं हुई है, उसकी कास्ट अब बहुत बढ़ गई है, उसको पूरा करायेंगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उसके लिये हम दोषी नहीं हैं।

मेजर जे०पी० सिंह–

[× × ×]

श्री लालजी वर्मा–

जो सदस्य मौजूद नहीं हैं, उनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही में बात नहीं आयेगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

पुराने कार्य न हों, उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। उनका निरीक्षण कराया गया है और उनकी कमियों को देखा गया है, उनकी खामियों को देखा गया है और उसके बाद उन पर कार्य प्रारम्भ क दिया गया है। श्रीमन् मैंने पहले ही कहा था, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उन्नतिशील बीजों के लिये का जो किया गया है। बाबूराम जी से लिखा पढ़ी से कोई मतलब नहीं है, जो अनुसंधान हुये जो चयनित ह गये, उनके नाम सदन में बढ़कर सुनायें। श्रीमन्, खाद बीज और कीटनाशक दवायें बाजार में मिल रह हैं। दवाओं का प्रचलन बहुत बढ़ गया है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। ह काफी हद तक सफल भी हुये हैं। इसमें विशेष समस्या जब रबी की फसल होती है तब आती है खरीफ में इतना उपयोग नहीं होता है। बीज का जहां तक सवाल है इसमें काफी हद तक कन्ट्रोल कर

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही में [illegible]

लिया है । हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है । 10 प्रतिशत बीज हम हर वर्ष परिवर्तित करने [illegible] औ उसके हिसाब से यह कह सकते हैं कि बीज उपलब्ध करा रहे हैं । उसमें हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे ।

दवाओं और खाद पर मिलावट की बात आती है । मैं आश्वस्त हूं कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी और आप लोगों का सहयोग रहेगा, इसको हम रोक पायेंगे ।

श्रीमन्, यहां पर कहा गया कि कृषि फार्म हानि पर हैं । मैं बता दूं कि हमारे 184 कृषि फार्म हैं मैं, जैसा मैंने पहले बताया 79 फार्म ऐसे हैं जो हमेशा लाभ पर हैं और 35 फार्म ऐसे हैं जो हमेशा घाटे पर रहे हैं । उन्नीस सौ छियानवे-सत्तानवे की बैलेन्सशीट पूरी मेरे पास उपलब्ध है । 1997-98 की अभी तक नहीं आयी तो छियानवे सत्तानवे में कुल 42,44,000 लाभ अर्जित किया है । सिर्फ 35 फार्म हमेशा घाटे पर चल रहे उनको मुनाफे में कैसे लाया जाये उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और दे रहे हैं । (व्यवधान) माननीय वर्मा जी ने एक बात कहीं, कास्ट आफ प्रोडक्शन पर तीन-चार दिन से लगातार बात की जा रही है । बार-बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं संभवतः यह बात कहकर प्रदेश को भ्रमित करने का प्रयास भी कर रहे हैं । श्रीमन् जो राजकीय फार्म हैं, या जो कृषि विश्वविद्यालय के फार्म हैं वह रिसर्च फार्म हैं, शीड प्रोडक्शन फार्म हैं यह साधारण कृषि फार्म नहीं हैं । इनमें दाम अधिक होता है । इनमें उन्नतिशील बीज पैदा करने का कार्य होता है इनमें दाम अधिक होते हैं । इसमें वह पौधे जो सही किस्म के नहीं पाये जाते हैं उनको उखाड़ कर फेक दिया जाता है । जो सही बीज नहीं देते हैं उनको निकाल दिया जाता है । जबकि आम किसान की खेती में पैदा नहीं किया जाता है इसलिये इसकी तुलना हम उससे नहीं करते हैं । एक बीज के लिये कम से कम 40, 50 एवं 60 नमूने कलैक्ट करके तैयार करते हैं, छोटे और बड़े सब मिलाकर फार्मूला बना हुआ है उन सब को मिलाकर क्या कास्ट और प्रोडक्शन आयी इस पर कृषि विश्वविद्यालय राय देते हैं । और उसके आधार पर हम क्रय करते हैं । बार-बर इस पर जोर दिया जाता है कि सरकारी प्रक्षेत्रों की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है और यूनिवर्सिटीज की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या होगी तो मैं इससे सहमत नहीं हूं । श्री वर्मा जी ने सुझाव दिया कि न्याय पंचायत स्तर पर सुपरवाइजर तैनात किये जायं ? श्रीमन्, इस प्रदेश में वर्ष 78 से ट्रेनिंग एंड विजिट योजना शुरू हुयी थी जब माननीय राजेन्द्र सिंह कृषि मंत्री थे । उसमें प्रयास किया गया था कि किसानों को सहायता और सुझाव देने के लिये लोगों को रखा जाय । मान्यवर, योजना चलती रही कुछ कारगर रही कुछ कमियां रहीं लेकिन न मालूम किन कारणों से जब उधर बैठे हुये लोग 1994 में सरकार में थे तो इस ट्रेनिंग एंड विजिट योजना को डाइंग कैडर डिक्लेयर कर दिया गया और यह योजना समाप्त कर दी गयी । मैंआभारी हूं वर्मा जी का कि उनकी सरकार ने जिस कैडर को डाइंग कैडर डिक्लेयर कर दिया था उसकी वह मांग कर रहे हैं । मान्यवर, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ कृषि डिप्लोमा धारी थे जिनको सेवा मिलने से रह गयी थी अब सेवा शर्तों में परिवर्तन किया गया है । वह बेचारे घूम रहे थे तो शासन ने अपनी नीति परिवर्तित की है और वह एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट जिनकी संख्या साढ़े 4 सौ है उनको हम लोगों ने पुनःसेवा में लेने का निर्णय लिया है । उनकी भर्ती करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो रही है । हमारे प्रयास है कि हर न्याय पंचायत स्तर पर जो किसान सेवा केन्द्र बने हैं वहां एक व्यक्ति हमारा रहे और जो किसानों को सुझाव दे सके । श्रीमन्, एक मामला कानपुर विश्वविद्यालय की प्रबंध कमेटी की बैठक के बारे में माननीय सदस्य ने कहा मैं आश्वस्थ करता हूं कि मैं इसकी पूर्ण रूप से जांच कराकर कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा । एक बात पूर्वांचल की आयी थी तो मैंने पहले बताया है कि बजट में उसके लिये प्राविधान किया गया है । इसी तरह से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में वेटेनरी कालेज की बिल्डिंग बन रही है । वहां एक बार लड़का को सेलेक्शन हुआ था लेकिन लड़कों का रेजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था क्योंकि वेटेनरी कालेज नहीं बना था । अब यह बिल्डिंग 15 अगस्त तक पूरी हो जायेगी इस वर्ष हम वेटेनरी कालेज प्रारम्भ करने जा रहे हैं । हम प्रयासरत् हैं कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में महिला होम साइन्स कालेज की स्थापना हो अगर हमें

कुछ धन उपलब्ध हो जायेगा तो उसे भी प्रारम्भ करने की कोशिश करेंगे । एक बात कहना चाहता हूं हमारे साथी तौफीक साहब ने कहा था काला नमक के बारे में रिसर्च के लिये । श्री मन्, जब मैं खाद मंत्री था काला नमक क्योंकि एक बहुत ही सोफिसटीकेटेड किस्म की बैराल्टी है । करीब-करीब बासमती से ज्यादा अच्छी है लेकिन मार्केट न होने के कारण यह बैराइटी खत्म हो रही थी । उस समय एक मिलिंगयूनिट लगाकर उसको हम मार्केट में ले आये थे उस समय कुछ हद तक सफलता मिली थी लेकिन काम खत्म हो गया था । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर जनपद में काला नमक का रिसर्च करके एक अलग से उसकी प्योरिटी को मेनटेन करके इसको बढ़ावा दिया जायेगा लेकिन जब तक मार्केटिंग एश्योर नहीं होता तब तक किसानों को कोई फायदा नहीं होगा । रिसर्च की जहां तक बात है तो इसमें हम प्रयास करेंगे लेकिन जब तक एडोपटेबिलिटी नहीं होगी उसका कोई फायदा नहीं होगा । एक बात आई थी बासमती के विदेश व्यापार की । हम लोग प्रयासरत् हैं काफी सहूलियत भी दे रहे हैं । हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जो राइस मिल हैं इनको अधिक सहूलियत देकर एक्सपोर्ट करायें । आम, आलू के बारे में भी समय-समय पर विचार चल रहा है लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि कभी-कभी फसल की सही उपलब्धता नहीं हो पा रही है । आम एक्सपोर्ट करने में टैक्नीकल्टी आ रही है । यूनिवर्सिटीज रिसर्च कर रहे हैं ताकि ऐसी बैराइटीज ईजाद की जाय जिससे एक्सपोर्ट अच्छा कर सकें । कुछ इन्डस्ट्रीज से भी बात हुई है कि वे अपने यहां से रिसर्च कराकर किसान से पैदावार कराकर एक्सपोर्ट करायेंगे । हम किसानों का भला कर सकें इसके लिये प्रयासरत् हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और माननीय वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में भूमि सुधार की जो योजना लागू की है उसमें भुमि संरक्षण अधिकारियों की संख्या कितनी होगी ? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक लोग हैं उनमें से कितनों को जातिगत आधार पर निलम्बित कर दिया गया और कितने आपके निजी लोग लगे हैं ।

(समय 9 बजकर 30 मिनट)

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जाति के आधार पर कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है । इसकी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को तंग कर रहे हैं । इन्हीं का ट्रांसफर कर रहे हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जाति के आधार पर किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

श्री अधिष्ठाता–

लाल जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री लाल जी वर्मा–

मैं अपेक्षा करता था, किसानों की सुविधाओं को सुधारने की दिशा में कुछ कार्य करेंगे । लेकिन गांव किसानों की जो उपयोगी आवश्यकताएं थीं उन सुविधाओं के संबंध में बजट में कटौती करने का काम किया है । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,10,18,37,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,10,18,37,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 केआय-व्ययक पर मतदान अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,91,13,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,91,13,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,21,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,21,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,07,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,07,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,33,69,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,33,69,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री बी० आर० वर्मा तथा श्री लालजी वर्मा जी उपस्थित नहीं हैं इसलिए अब मैं मद संख्या–10 ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998

सहकारिता मंत्री (श्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर, विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आज सदन के समक्ष प्रस्तुत है इसके लाने का कारण यह था कि 15 जुलाई, 1994 से पूर्व अधिनियम में व्यवस्था थी कि जब समिति का कार्यकाल सम्पन्न हो जाता है उसके प्रशासक एवं प्रशासकीय कमेटी की नियुक्तियों में धारा–29 में व्यवस्था थी वह 15 जुलाई, 1994 तक थी, अब इस व्यवस्था को हटा दिया गया है और नियम में प्राविधान किया गया है कि 1994 से पूर्व के जो प्रशासक चले आ रहे हैं वह 31-12-94 तक या अग्रिम चुनाव नहीं होंगे तब तक बने रहेंगे। इनमें विभिन्न कारणों से चुनाव सम्पन्न नहीं हो पाये और अब तक वह व्यवस्था चली आ रही है, न्यायालयों के निर्देशों के कारण तमाम जगह चुनाव नहीं हो पाये, समिति की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण भी नहीं पहुंचे। तमाम जगहों के जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर स्थगन हुआ। मैं प्रार्थना करूंगा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संशोधन अधिनियम 31 दिसम्बर, 1995 को पहली बार, दूसरे उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1997 जिसमें 31-12-97 तक के लिए समय बढ़ाया गया था। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सहकारी समिति

(संशोधन) विधेयक, 1998 द्वारा प्रस्ताव किया गया है । माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसको पास करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी मद संख्या–9 पुकारा गया था उस समय माननीय लालजी वर्मा जी आप उपस्थित नहीं थे और हमें मद संख्या–10 लेना पड़ा ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अगर अनुमति दे तो मैं संकल्प रखूं ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा विरोध करने पर)

मान्यवर, मैं संकल्प नहीं रख रहा हूं लेकिन विधेयक पर विचार तो रख ही सकता हूं ।

मान्यवर, यह जो विधेयक लाया गया है वह निश्चित रूप से लोकतंत्र का गला घोटने वाला विधेयक है । प्रशासनकों को अनन्तकाल तक अधिकार दिया जाना, जो संस्थायें जनता के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस प्रदेश में किसान की तरक्की का काम कर रहे थे, उन सब में अनन्तकाल से चुनाव न कराकर प्रशासक थोपे जा रहे हैं । मैंने पहले कहा कि यह आई०ए०एस०, पी०सी०एस० अधिकारियों को बैठाकर इन संस्थाओं को दिन प्रतिदिन कमजोर करते जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में बार-बार इसका समय बढ़ा देना, प्रशासक के रूप में उनका कार्य करते रहने देना निश्चित रूप से जहां एक तरफ लोकतंत्र का गला घोंटने वाला है, वहीं जनता के धन का अपव्यय भी है, उनकी गाढ़ी कमाई को समाप्त करने वाला है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर पुनर्विचार करें । इसकी समय सीमा निश्चित करें और दुबारा बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर नहीं आयेंगे । यदि दुबारा आयेंगे तो इस बीच चुनाव कराकर जनप्रतिनिधियों को बिठाने का काम करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय मंत्री जी ने जिन विचारों को रखा है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि जब सहकारिता तरक्की करे, सहकारिता गांव-गांव तक पहुंचे, उसका प्रचार-प्रसार लोगों तक हो और नीचे के स्तर से लेकर यू०पी० स्तर तक विभिन्न संगठनों में चयनित होकर लोग अपने बोर्ड को चलायें, कार्यक्रम को चलायें, तब तो ठीक है, अन्यथा अपने लोगों को बिठाने के लिये जो संकल्प लाया गया है, वह जनभावनाओं के विपरीत है । माननीय मंत्री जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों के साथ इसे रखने की कोशिश की है । जो संस्थायें जिम्मेदार लोगों से जुड़ी थी, उनका कार्यकाल निहित स्वार्थ के तहत घटाया जाना ठीक नहीं है ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमा पति शास्त्री)–

विषय कुछ है और बोल कुछ और हैं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमारे जनपद के बगल के हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिये मुझे इनकी बड़ी चिन्ता है, इस समय जो बात इन्होंने कही है, वह असामायिक है . इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं ।

(श्री शिव प्रताप शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री लाल जी वर्मा–

अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार यदि कोई सदस्य या मंत्री चिल्लाने का काम करता है तो वह सदन की अवमानना हुआ । शुक्ला जी लगातार सदन की अवमानना करते हैं, चिल्ला-चिल्ला कर आरोप-प्रत्यारोप करके सदन की अवमानना करते हैं, इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

शुक्ला जी ने इस तरह की बात नहीं की है और न उसका संज्ञान लिया गया है । अतः इस पर व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, रात हो गई है और रात में कौन लोग चिल्लाया करते हैं, यह आपको अच्छी तरह मालूम है । मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री जी ने अपने दिल और दिमाग को केन्द्रित करने का काम नहीं किया है । अभी दो दिन पहले एक संशोधन विधेयक लेकर आये थे, उसमें चार साल कर दिया । यदि इसको उस समय ले आते तो दुबारा समय क्यों लगता और सरकारी खर्च बचता । सहकारिता आन्दोलन एक ऐसा आन्दोलन है जो पार्टी से ऊपर उठकर है, जिसमें हर पार्टी के सदस्य भाग लेते हैं और सरकार की कोई नीति नहीं है । समरसता का भाव इसी सहकारिता आन्दोलन में डेवलप होता है । चाहे पी० सी० एफ० को ले लें, कोआपरेटिव बैंक को ले लें, इसमें हर पार्टी के लोग होते हैं मान्यवर, यह डेमोक्रेसी की हत्या है आप चुनाव तो करा नहीं रहे हैं । प्रशासक कहीं कोई अधिकारी होगा कहीं कोई कार्यकर्ता होगा, आर० एस० एस० का होगा, भाजपा का होगा, बजरंग दल का होगा । आप डेमोक्रेसी के हत्यारे हैं, आप फासिस्ट हैं इस अधिनियम से यह बात अपने आप साबित हो गयी है । आप प्रजातंत्र विरोधी हैं । जो डेमोक्रेटिक पैटर्न हैं उसकी ताकत को एक व्यति में रखना चाहते हैं । आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी मजबूरी है जो यह संशोधन विधेयक लाये हैं अभी तीन दिन पहले जो आया था उसमें इसका समावेश क्यों नहीं किया गया । आपकी नीयत ठीक नहीं है, नीति तो पहले ही ठीक नहीं थी । करते कुछ हैं कहते कुछ हैं । मन में राम बगल में ईंटा । मन में राम है और कहीं किसी को देखते हैं ईंटा मार देते हैं और पीठ में छूरा भोक देते हैं । इस संशोधन विधेयक को लाने से माननीय मंत्री जी की छवि खराब हो रही है और सहकारिता आन्दोलन की भी छवि खराब हो रही है । मान्यवर, इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि जो प्रशासक हैं वह प्रशासक बने रहेंगे लेकिन यह नहीं बताया कि चुनाव क्यों नहीं करायेंगे आपकी केन्द्र में भी सरकार है और यहां भी सरकार है तो फिर क्या बात है । आया राम गया राम के मंत्री नहीं है आपको माननीय कल्याण सिंह का बरदहस्त भी प्राप्त है जो चाहे करो आपको अधिकार है और आपके प्रशासक जो चाहें करें । अनफेटर्ड राइट है किसी को प्रशासक बनायें, किसी को बैठायें, चाहे जो करें ।

(श्री शिव प्रताप शुक्ल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

अब आपको क्या परेशानी है, मान्यवर, वर्मा जी का नाम लिया गया, इनका नाम नहीं लिया गया इसलिए खड़े हो गये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, माननीय शाक्य जी को सभी लोग सुन रहे थे। मान्यवर, एक फिल्मी गाना सुना होगा "आखों ही आखों में इशारा हो गया, बैठे-बैठे जीने का सहारा हो गया।"

श्री अधिष्ठाता–

किसने किसको इशारा किया ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

किसने इशारा किया, यह देखें।

श्री अम्बिका चौधरी–

महत्वपूर्ण यह है कि किसे इशारा किया।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, रात में कौन चिल्लाया करता है।

श्री अधिष्ठाता–

यह शोध का विषय है।

श्री राम औतार शाक्य–

एक संशोधन विधेयक 3 दिन पहले लेआये एक फिर ले आये कोई और संशोधन हो तो बता दें अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। मान्यवर, दिल और दिमाग तो इस सरकार के पास है नहीं।

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 15 जुलाई, 1994 को यह प्राविधान किया संशोधन करके कि जो प्रशासक हैं वह बने रहेंगे जब तक चुनाव होगा तक तक।

श्री राम औतार शाक्य–

चोर शब्द कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

वह तो मुहावरा है।

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

मैं सदन को मान्यवर, आश्वस्त करना चाहता हूं कि विधेयक सम्मुख इसलिए प्रस्तुत किया है कि निश्चित रूप से असामान्य स्थिति थी, इसलिए इसे लाना आवश्यक था। वैसे आपके पापों को हम ढो रहे हैं हम निश्चित रूप से चुनाव कराकर उस व्यवस्था में परिवर्तन लायेंगे। यह सहकारिता आन्दोलन आम जनता से जुड़ा हुआ आन्दोलन है, जो आप जेब में रखे थे उसे हम आम सदस्यों तक ले जायेंगे। लोकतंत्र की जो दुहाई दे रहे हैं उन्होंने ही लोकतंत्र की हत्या करके प्रदेश में यह परिस्थिति पैदा की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की रक्षा करने में सहयोग प्रदान करेगी गति प्रदान करेगी।

श्री लाल जी वर्मा–

हमारे पापों को ढोने में क्या 9 महीने का समय काफी नहीं है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

हमारे पापों को यह 9 महीने तक ढोते रहे हम बड़ा करके दे रहे हैं।

श्री 'पटेल'' राम कुमार वर्मा–

जो 9 महीने की बात कह रहे हैं, यह परिस्थिति तो 94 से प्रदेश के सामने खड़ी है यह प्रदेश की जनता जानती है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए .

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह 1 जनवरी, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1996 की धारा 29 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (3) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1997" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1998" रख दिये जायेंगे।

वैधीकरण

3–शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि मूल अधिनियम की धारा 29, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व थी, के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक कमेटी, जो 1 जनवरी, 1998 के ठीक पूर्व प्रबन्ध कमेटी की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन कर रही थी, तब तक प्रशासक या प्रशासक कमेटी के रूप में विधिमान्यतः निरन्तर नियुक्त समझी जायेगी जब तक कि प्रबन्ध कमेटी उपर्युक्त धारा के अधीन पुनर्गठित नहीं कर दी जाती और 1 जनवरी, 1998 को या उसके पश्चात् ऐसे प्रशासक या प्रशासक कमेटी द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन 4–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 1998

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना आर शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच से सम्बन्धित श्री बाल चन्द्र मिश्र के प्रस्ताव संबंधी चर्चा का स्थगन

समाज कल्याण अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरिश चन्द्र हरीश जी)–

मान्यवर, आज काफी विलम्ब हो गया है। इसका प्रस्ताव करा लीजिये और इसमें चर्चा आगे किसी दिन करा लीजिये।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं निम्नलिखत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय और जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाय।"

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि मद संख्या–12 किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 6-7-98 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई । इसमें पहली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की मथुरा जनपद में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर ईट भट्ठा उद्योग एवं अन्य छोटे उद्योगों के बन्द किये जाने से लाखों व्यक्तियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । दूसरी सूचना श्री तेजभान सिंह की जनपद सुल्तानपुर में समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था पेंशन तथा छात्रवृत्ति वितरण में कथित रूप से की जा रही धांधली व भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । तीसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद जी की जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर की तहसील-कर्वी के ग्राम छेछरिहा में सार्वजनिक उपयोग की भूमि को नियम विरुद्ध पट्टा किये जाने के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । चौथी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की मेरठ महानगर की बेलग्राम नगर बस सेवा में तत्काल जनोपयोगी सुधार कराये जाने के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । पांचवीं सूचना श्री उदयराज यादव व श्री राम औतार शाक्य की जिसमें श्री उदयराज यादव की लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना की आवासीय कालोनी के सेक्टर आई में पेयजल, सड़क तथा सीवर की भंयकर समस्या तथा दिनांक 5-7-98 को प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा एक महिला के भवन को क्षतिग्रस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है को ध्यानाकर्षण हेतु तथा श्री राम औतार शाक्य की विधायक निवास दारूलशफा "ए" एवं "बी" ब्लाक में अनधिकृत रूप से अतिक्रमण पर बनायी गयी झोपड़ियों इत्यादि के अवैध निर्माण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है । जिसके अतिरिक्त जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं निरस्त की गयी हैं, उनके नाम निम्न प्रकार हैं :-

1–श्री पूर्णमासी पंकज
2–डा० धर्मज्ञ मिश्र
3–श्री सरवर अली
4–श्री राजधारी
5–डा० राम बाबू हरित
6–श्री बेचन राम
7–श्री हरवंश कपूर

मद संख्या, 14, 15 एवं 16 पर अंकित संलग्न वक्तव्य पढ़े हुये माने गये ।

प्रदेश में पी० एम० एच० एस० संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों (पुरुष) के विषय में विभागीय चयन समिति द्वारा किये गये चयन में ज्येष्ठ चिकित्साधिकारियों के प्रोन्नति से वंचित रह जाने से उसमें व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित की नियम–51 की सूचना के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य

(श्री रमापति शास्त्री)–

। पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सकों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–9660–64/1993–स्टेट आफ यू० पी० बनाम डा० आर० [illegible] व अन्य में अपने निर्णय दिनांक 23-3-95 में आवश्यक मार्ग दर्शन पारित किये थे । माननीय [illegible] न्यायालय के उक्त निर्णय में कुछ मार्ग दर्शक बिन्दु अस्पष्ट थे । अतएव उन अस्पष्ट मार्ग दर्शक

[illegible] पढ़ा हुआ माना गया ।

बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्लेरिफिकेशन/माडिफिकेशन याचिका दायर की गयी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 26-7-96 पारित किया। मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23-3-95 व 26-7-96 में दिये गये मार्गदर्शक बिन्दुओं/सिद्धान्तों के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 22-11-96 को पुरःस्थापित की गयी।

2–दिनांक 22-11-96 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची के प्रख्यापन के बाद स्थिति यह हुई कि बहुत से चिकित्साधिकारी, जो पूर्व में कनिष्ठ थे, नवीन वरिष्ठता सूची में ज्येष्ठ हो गये और इस प्रकार बहुत से चिकित्साधिकारी जो पूर्व में वरिष्ठ थे, नवीन वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ हो गये। उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रथम चरण में साधारण ग्रेड के ज्येष्ठ चिकित्साधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान (रु९ 3000–4500) में शासानदेश दिनांक 9-7-97 द्वारा प्रोन्नति प्रदान की गयी।

3–साधारण ग्रेड से वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति करते समय कुछ चिकित्सकों की चरित्र पंजिकाएं/संगत अभिलेख अपूर्ण पाये गये। जिन साधारण ग्रेड के चिकित्सकों की चरित्र पंजिकाएं/संगत अभिलेख अपूर्ण थे, वे चिकित्सक प्रोन्नत से वंचित न हो पायें, की प्रोन्नतियां स्थगित कर दी गयी और उन्हें डेफर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।

4–ऐसे चिकित्सकों के अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराये जाने के निर्देश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिये गये थे। इनमें से कुछ चिकित्सकों के अभिलेख अब पूर्ण हो गये हैं तथा कतिपय अधिकारियों से सम्बन्धित अभिलेख अभी भी अपूर्ण स्थिति में हैं, तथापि वर्ष 1997 में ज्येष्ठ श्रेणी में प्रोन्नति के विषय में चयन समिति द्वारा जो प्रकरण अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर स्थगित कर दिये गये थे उनके मामले पुनः चयन समिति के समक्ष रखे जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

ऐसी स्थिति में यह अवधारणा निराधार है कि ऐसे चिकित्सकों के प्रति दुलमुल रवैया अपनायी जा रही है अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।]

जनपद अम्बेडकर नगर की नगर परिषद टांडा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस डिपो खोले जाने के संबंध में श्री लाल जी वर्मा मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 की सूचना पर सहकारिता मंत्री "पटेल" राम कुमार वर्मा का केवल वक्तव्य

सहकारिता मंत्री श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

[टाण्डा कस्बे में निगम की पूर्व से ही बस स्टेशन स्थित है, जहां से निगम की बसें विभिन्न गन्तव्यों को संचालित होती हैं। अकबरपुर, जहां से टांडा 19 कि०मी० दूर स्थित है, में पूर्व से ही डिपो कार्यशाला स्थापित है। वर्तमान म टांडा से 33 बसें विभिन्न मार्गों पर प्रातः 4.30 बजे से 22.45 बजे तक प्रस्थान करती हैं।

चूंकि पहले से ही अकबरपुर में डिपों कार्यशाला स्थापित है तथा टांडा के यात्रियों को समुचित परिवहन सुविधा प्राप्त हो रही है। अतः टांडा में अलग से दूसरे डिपों की कोई आवश्यकता नहीं है।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर विकास खण्ड स्थित उप विद्युत केन्द्र कम्हरिया पर 3 एम०वी०ए० ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 एम०वी०ए० ट्रांसफार्मर लगाये जाने के संबंध में मा० विधान सभा सदस्य श्री राम जग पर सहकारिता मंत्री "पटेल" राम कुमार वर्मा द्वारा केवल वक्तव्य का नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना

सहकारिता मंत्री श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

[आजमगढ़ जनपद स्थित कम्हरिया 33/11 के०वी० उपकेन्द्र का 3 एम०वी०ए० ट्रांसफार्मर पूर्णतः भारित है । इसकी क्षमता वृद्धि 3 एम०वी०ए० से 5 एम०वी०ए० करना आवश्यक है ।

क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव क्षेत्रीय तकनीकी समिति द्वारा पास कर परिषद् को प्राप्त नहीं हुआ है ।

क्षेत्रीय तकनीकी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होते ही इसे अनुमोदित कराकर इस कार्य को वर्ष 98-99 की कार्य सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

क्षेत्रीय अधिकारियों तथा मुख्य अभियंता (रेप्सो), लखनऊ को पूर्व में ही इस कार्य को वर्ष 98-99 का कार्य सूची में सम्मिलित कराने का निदेश दिये जा चुके हैं ।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं कल दिनांक 7 जुलाई, 98 को 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊः

6 जुलाई, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 329 विधान सभा (188)–1998–813 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा